महानगर नई दिल्ली बुधवार 8 अप्रैल, 2026, रु. 6.00 (22 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com

ट्रंप का एलान

आज एक संपूर्ण सभ्यता का अंत हो जाएगा

अमेरिका धमकी पर अमल करेगा तो तेहरान तत्काल जवाब देगा : ईरान

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के तेल उद्योग के लिए अति अहम खार्ग द्वीप पर हमला किया है। वाइट हाउस के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि अमेरिका ने द्वीप पर स्थित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को मांगों को मानने या बड़े हमले का सामना करने के लिए निर्धारित की गई समय सीमा से कुछ घंटे पहले हुए। इस बीच ट्रंप ने मंगलवार सुबह एक बार फिर धमकी दी कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो 'संपूर्ण सभ्यता आज रात ही खत्म हो जाएगी'।

उधर, ईरान के एक राजनयिक ने मंगलवार को कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनके देश की पूरी सभ्यता को खत्म करने की अपनी धमकियों पर अमल करते हैं, तो तेहरान तत्काल और आनुपातिक जवाबी कार्रवाई करेगा। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के प्रतिनिधि आमिर सईद ईरावनी ने कहा कि ट्रंप की यह धमकी कि अगर तेहरान कोई समझौता नहीं करता है, तो पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, युद्ध अपराधों और संभावित नरसंहार के लिए उकसावे के समान है।

ट्रंप ने द्वीप पर महत्त्वपूर्ण तेल अवसंरचना पर कब्जा करने के लिए जमीन पर सैनिकों को भी उतारने की धमकी दी है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के अभियान में कई अमेरिकी सैन्य कर्मियों की जान जाएगी और यह युद्ध को समाप्त करने की दिशा में निर्णायक कदम नहीं होगा। 'इंस्टीट्यूट फार द स्टडी आफ वार' और 'अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट' के क्रिटिकल थ्रेट्स प्रोजेक्ट द्वारा उपग्रहों से प्राप्त तस्वीरों के आधार पर किए विश्लेषण के मुताबिक युद्ध के शुरुआती दौर में अमेरिका ने द्वीप पर कई ठिकानों पर हमला किया था, जिनमें हवाई सुरक्षा, एक रडार साइट, एक हवाई पट्टी और एक होवरक्राफ्ट बेस शामिल थे। इससे पहले अर्ध-सरकारी समाचार एजंसी मेहर ने एक खबर में कहा था कि खार्ग द्वीप पर कई विस्फोट हुए हैं। वहीं, ईरान की राजधानी तेहरान के उत्तर पश्चिमी अल्बोर्ज प्रांत में हुए एक हवाई हमले में 18 लोगों की मौत हो बाकी पेज 8 पर

अमेरिकी वायुसेना के चालक दल के प्रमुख मिशन से पहले 'बी-2 स्पिरिट स्टील्थ बाम्बर' की उड़ान से पहले जांच करते हुए।

अमेरिका ने ईरान के तेल उद्योग के अहम केंद्र पर फिर किया हमला पेज 12

भारत ने ईरान में अपने नागरिकों के लिए 'जहां हैं, वहीं रहें' का परामर्श जारी किया

नई दिल्ली, 7 अप्रैल (ब्यूरो)।

वाशिंगटन द्वारा तेहरान को दी गई चेतावनी के बाद पश्चिम एशिया संकट के एक गंभीर मोड़ पर पहुंचने के बीच भारत ने मंगलवार को ईरान में मौजूद अपने नागरिकों को अगले 48 घंटों तक 'जहां हैं, वहीं रहने' की सलाह दी। आपातकालीन परामर्श में, ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीयों से घर के भीतर रहने तथा सैन्य ठिकानों, ऊर्जा ढांचों और बहुमंजिला इमारतों की ऊपरी मंजिलों से पूरी तरह दूर रहने का आग्रह किया।

मणिपुर में हमले के बाद फिर हिंसा भड़की

दो बच्चों की मौत; सीआरपीएफ की चौकी पर धावा बोलने की कोशिश, दो लोग मारे गए

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

मणिपुर के बिष्णुपुर में मंगलवार तड़के सुबह एक चार साल के लड़के और उसकी नवजात बहन की सोते समय मौत हो गई। उनके घर पर राकेट जैसा कोई गोला आकर गिरा था। इसके बाद यहां हिंसा भड़क उठी। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना के बाद जोरदार विरोध प्रदर्शन हुए और सीआरपीएफ जवानों को चौकी पर धावा बोलने की कोशिश कर रहे लोगों पर गोली चलानी पड़ी। इस दौरान दो नागरिकों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य को गोली लगी है और उनका इलाज चल रहा है। सरकार ने हिंसा के मद्देनजर इंफल पूर्व, इंफल पश्चिम, बिष्णुपुर और काकचिंग जिलों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया।

मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने कहा कि दो बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि सुरक्षा बलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उन्हें पकड़ें'। खेमचंद ने कहा कि सरकार ने इस मामले को राष्ट्रीय जांच एजंसी (एनआइए) को सौंपने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें शक है कि इस हमले के पीछे कोई ऐसा समूह या व्यक्ति है, जो राज्य में शांति प्रक्रिया को बिगाड़ना चाहता है, जबकि हमने इस दिशा में काफी प्रगति कर ली है। राज्य सरकार ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए घाटी के पांच जिलों इंफल पूर्व, इंफल पश्चिम, थौबल, काकचिंग और बिष्णुपुर में तीन दिनों के लिए इंटरनेट सेवा अस्थायी रूप से निलंबित कर दी है। यह हमला ट्रोंगलाओबी अवांग लेइकाई में हुआ। यह एक ऐसा गांव जो मैतई-बहुल घाटी और कूकी बहुल पहाड़ियों के बीच स्थित संवेदनशील सीमा पर बसा है। इस धमाके में बच्चों की मां ओइनम बिनिता गंभीर रूप से घायल हो गईं। फिलहाल उनका इलाज पास के एक अस्पताल में चल रहा है। इस घटना के बाद दिन में ट्रोंगलाओबी के कुछ निवासियों ने बाकी पेज 8 पर

मणिपुर के बिष्णुपुर में विरोध-प्रदर्शन करतीं महिलाएं।

पश्चिम बंगाल में मतदाता पुनरीक्षण

अदालत के निर्णय के बाद पहली सूची में 27 लाख नाम कटे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

पश्चिम बंगाल में होने वाले मतदान से पहले निर्वाचन आयोग ने अंतिम सूची तैयार कर ली है। इस सूची में 27 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, ये मतदाता इस बार के चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। आयोग ने न्यायिक मामले निपटाने के बाद 58 लाख मामलों में से लगभग 45 फीसद (27.16 लाख) नाम मतदाता सूची से हटाए हैं।

विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआइआर) के बाद पश्चिम बंगाल में अब तक कुल 90 लाख से अधिक अवैध मतदाताओं के मत काटे जा चुके हैं। एसआइआर की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आयोग ने यह मतदाता सूची जारी की है, जिसमें सभी जिलों के मतदाताओं के नाम को शामिल किया गया है। इन नामों एसआइआर प्रक्रिया और कानूनी प्रक्रिया की समीक्षा के बाद तैयार किया गया है। मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य के अंतिम मतदाता आधार की घोषणा अभी बाकी है।

पश्चिम बंगाल में पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और इस चरण में 152 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए 23 अप्रैल और दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को मतदान होना है। आयोग के मुताबिक जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं, वे मतदाता अब इस मामले में सुनवाई के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण में आवेदन कर सकते हैं ओर यदि न्यायाधिकरण मतदाता के नाम बाकी पेज 8 पर

अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के नाम हटाए गए : ममता

नई दिल्ली, 7 अप्रैल (ब्यूरो)।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूचियों से मतुआ और अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। नदिया जिले के चकदाहा में आयोजित एक रैली में बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस उन लोगों के साथ खड़ी रहेगी जिनके नाम एसआइआर की प्रक्रिया के बाद मतदाता सूचियों से हटा दिए गए थे। आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, एसआइआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पश्चिम बंगाल में लगभग 91 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों से हटा दिए गए हैं।

केरल, असम व पुदुचेरी में चुनाव प्रचार थमा, दांव पर दिग्गज

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

केरल, असम और पुदुचेरी में मंगलवार शाम को चुनाव प्रचार का शोर थम गया। केरल में 140, असम में 126 और पुदुचेरी में 30 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तीनों ही प्रदेशों में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है।

असम में बड़ा चेहरा वर्तमान में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा हैं, यहां गौरव गोगोई कांग्रेस के चेहरा हैं, जबकि केरल में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन व पुदुचेरी में मुख्यमंत्री एन रंगासामी हैं। तीनों प्रदेशों की 296 सीटों नौ अप्रैल को मतदान होगा, उस दिन इन दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। मतगणना 4 मई को की जाएगी। केरल में 140 सीटों के लिए 890 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि असम में 722 उम्मीदवार हैं और पुदुचेरी में 296 प्रत्याशी।

-पूरी खबर पेज 19

असम पुलिस पवन खेड़ा के आवास पर पहुंची

कई उपकरण जब्त किए, घर पर नहीं मिले कांग्रेस नेता

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

असम पुलिस की एक टीम मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के आवास पर उनसे पूछताछ के लिए पहुंची और तलाशी ली। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की पत्नी द्वारा खेड़ा के आरोपों के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत पर की गई। खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री की पत्नी पर तीन पासपोर्ट और अघोषित संपत्ति रखने का आरोप लगाया था। असम पुलिस के डीसीपी देबोजित नाथ ने कांग्रेस नेता के आवास के बाहर संवाददाताओं से कहा कि खेड़ा अपने आवास पर नहीं मिले। उन्होंने कहा, हालांकि आवास की तलाशी ली गई और इलेक्ट्रानिक उपकरण जब्त किए गए हैं। नाथ ने कहा कि कुछ दोष साबित करने वाली सामग्री मिली है, लेकिन जांच के इस स्तर पर इसकी विस्तृत जानकारी साझा नहीं की जा सकती। डीसीपी ने बताया कि गुवाहाटी की अपराध शाखा पुलिस थाना ने मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। शर्मा ने खेड़ा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। कांग्रेस प्रवक्ता खेड़ा ने रविवार बाकी पेज 8 पर

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर से दस्तावेज ले जाती असम पुलिस।

भारत की विमान कंपनियों की उड़ानें 300-350 से घटकर 80-90 रहीं | व्यवधान | यूरोप, उत्तर अमेरिका की उड़ानें अब लंबे वायुमार्ग से जा रही हैं

जंग छिड़ने के बाद से पश्चिम एशिया के लिए 10,000 से अधिक उड़ानें रद्द हुईं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण भारतीय विमान कंपनियों की 10,000 से अधिक उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। नागर विमानन मंत्रालय के संयुक्त सचिव असंगबा चुबा आव ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले भारतीय विमान कंपनियां पश्चिम एशिया के लिए रोजा 300-350 उड़ानें संचालित करती थीं। यह अब घटकर केवल 80-90 रह गई हैं।

संघर्ष के कारण इजराइल, जार्डन, लेबनान, कुवैत, कतर, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई देशों में हवाई क्षेत्र बंद या सीमित कर दिया गया है। इससे वैश्विक विमानन संचालन और संपर्क पर अभूतपूर्व असर पड़ा है।

यूरोप और उत्तर अमेरिका जाने वाली उड़ानें अब लंबे मार्ग से जा रही हैं। इससे यात्रा समय और लागत दोनों बढ़ गए हैं। इससे निपटने के लिए सरकार ने पायलट के लिए कार्य समय में अस्थायी छूट दी है, ताकि लंबी दूरी की उड़ानों का संचालन सुचारु रूप से हो सके। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष से वैश्विक विमानन नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय संपर्क व्यवस्था में अभूतपूर्व व्यवधान पैदा हुआ है। पायलट को मिली इस छूट के तहत उड़ान और ड्यूटी की अवधि बढ़ा दी गई है (जैसे उड़ान समय लगभग 11.5 घंटे तक), जिससे एअरलाइन कंपनियां हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध और भू-राजनीतिक तनाव के कारण लंबा मार्ग अपनाने वाली उड़ानों का बेहतर संचालन कर सकें। इस कदम का उद्देश्य उड़ानों का संचालन सुचारु बनाए रखना और समय-सारिणी की विश्वसनीयता बनाए रखना है, खासकर उन अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर जो मार्ग परिवर्तन से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले की फिर से समीक्षा की जाएगी।

एक अधिकारी ने बताया कि विमान ईंधन की अंतरराष्ट्रीय कीमतें तेजी बढ़ी हैं, हालांकि भारत में कीमतों को नियंत्रित रखते हुए इसका केवल आंशिक असर ही घरेलू विमान कंपनियों पर डाला गया है। उन्होंने कहा कि एटीएफ की कीमतों पर सरकारी हस्तक्षेप से घरेलू हवाई किराए स्थिर रखने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। नागर विमानन मंत्रालय इस कठिन समय में उद्योग को सहारा देने के लिए विभिन्न उपायों पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। युद्ध के कारण आपूर्ति शृंखला बनाए रखने के लिए एमिरेट्स, कुवैत एअरवेज और जजीरा एअरवेज जैसी विदेशी एअरलाइन कंपनियों को यात्री विमानों से माल ढुलाई की विशेष अनुमति दी गई है, जिससे जरूरी सामान की आपूर्ति जारी रह सके। अधिकारी ने कहा कि सरकार यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा, माल ढुलाई की निरंतरता और पूरे क्षेत्र की स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

संघर्ष के कारण इजराइल, जार्डन, लेबनान, कुवैत, कतर, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई देशों में हवाई क्षेत्र बंद या सीमित कर दिया गया है। इससे वैश्विक विमानन संचालन और संपर्क पर अभूतपूर्व असर पड़ा है।

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने न्यायिक कार्यों में कृत्रिम मेधा पर रोक लगाई

चंडीगढ़, 7 अप्रैल (ब्यूरो)।

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों को फैसला लिखने और कानूनी शोध के लिए कृत्रिम मेधा (एआइ) उपकरणों का उपयोग न करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने उन्हें अपने अधीन कार्यरत न्यायिक अधिकारियों से कहा है कि वे फैसला लिखने और कानूनी शोध के लिए चैटजीपीटी, जेमिनी, कोपायलट, मेटा आदि सहित किसी भी एआइ उपकरण का उपयोग न करें। आदेश में यह भी चेतावनी दी गई है कि इन निर्देशों का उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई संभव है। ..पूरी खबर पेज 10

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I,hitherto known,as SHAMSHER ALAM,S/O-KHURSHID KHAN,R/O-L-22 ,3RD-FLOOR, BATLA HOUSE,JAMIA NAGAR, OKHLA,NEW DELHI-110025,have changed,my name,and shall hereafter be known,as MD SHAMSHER KHAN 0040848216-9

I,VIPIN GUPTA S/O SURESH KUMAR R/O House No-19, Pocket H-32, Sector-3,Rohini, Rohini Sector-7,North West Delhi,Delhi-110085, have changed the name of my minor son MODAK GUPTA aged 13-years and he shall hereafter be known as MEHUL GUPTA. 0040848229-3

I,Sandeep Kumar S/O Padam Singh Verma R/O DDA Flat No.1274,Ground Floor, Catagory SFS-III, Sector-A Pocket-B&C Vasant Kunj,New Delhi-110070,have changed my name to Sandeep Kumar Verma. 0040848229-2

I,SANJIV KUMAR JAIN,S/o Jai Prakash Jain,R/o M-50,Near-Ganga Gas Agency, Naveen, Shahdara,Delhi-110032,have changed my name to SANJEEV JAIN permanently. 0040848228-4

I,SAFIA SIDDIQUI,W/O-SHAMSUL AFAQ DR,R/O-271-A ST. NO-6 LALITA-PARK LAXMI-NAGAR DELHI-110092,HAVE CHANGED MY NAME TO SAFIA BEGUM,FOR ALL,PURPOSES. 0040848216-5

I,SACHIN SAPRA S/O Surinder Kumar Sapra,R/o F-18B,School Lane,Rajouri Garden,Delhi-110027,have changed my name to SACHHIN SAPRA permanently. 0040848216-6

I,REEVA GUJRAL, W/O,PIYUSH SINGHAL,R/O.E-301,VIJAYA APARTMENT-AHINSA KHAND-2,INDIRAPURAM GHAZIABAD, UTTAR PRADESH-201014,HAVE CHANGED MY NAME TO REEVA GUJRAL SINGHAL 0040848216-4

I, RABEYA KHATOON, W/o-MOHD WAHID ALAM, R/o- E-84/1, Shaheen Bagh, Jamia Nagar, New Delhi-110025, declare that name of mine has been wrongly written as RABEYA KHATUN in my minor daughter TARANNUM aged-17-years in her 10th class educational documents. The actual name of mine is RABEYA KHATOON, which may be amended accordingly. 0040848228-9

I,PRANJLA TYAGI W/O KARTIK KHANNA R/o,K-2/13, First-Floor, Model Town-2,G.T.B. Nagar,North West-Delhi,Delhi-110009,have changed my-name to PRANJLA KHANNA. 0040848230-4

I,Nazrul Islam S/O Saheb Jan Shaikh R/O House No.283,Gali No.9/7, Harijan Basti,Jharoda Majra, Burari, Delhi-110084, hereby declare that Nazrul Islam and Nazir Hossain both the names are same and one person. 0040848229-1

I,Navjeet Singh Sethi,S/o-Sardar Singh Sethi,R/o-12/55, Old Rajinder-Nagar, Delhi have changed my minor daughter's name Aadya Sethi to Aadya Kaur Sethi. 0040848228-3

I,Najiya W/o Mohammad Sartaj, R/o-House No.RZ C-115, Kh.no.79/10 Nihal Vihar, Nangloi,Delhi-110041,have changed my name to Najiya Salmani 0040848228-5

I,MANOJ KUMAR,S/O SHRI DARSHAN LAL,R/o H.NO.170, BLOCK-17, SECOND FLOOR, MATA MANDIR,SUBHASH NAGAR,TAGORE GARDEN, S.O.WEST DELHI-110027,inform that MANOJ KUMAR and MANOJ KUMAR MALHOTRA, MANOJ MALHOTRA, all names are one and same person. 0040848228-6

I,Krishnapriya Ananthavamshi Nair,D/o Mr.Santhosh Babu Ponnath,D-12/UG-3,Dilshad Colony,Delhi-110092,have changed my name to KRISHNAPRIYA A NAIR for all future purpose. 0040848216-7

I,IQRA MUJEEB,D/O-ABDUL MUJEEB GHAZI,R/O-A-117, NOOR NAGAR,JOHRI FARM, JAMIA NAGAR,NEW DELHI-110025,HAVE CHANGED MY NAME IQRA MUJEEB TO IQRA GHAZI 0040848216-10

I,Gyanvi D/o Deepali Sharma R/o 188B, Guru Nanak Pura, Laxmi Nagar,Delhi-110092, have changed my name to Gyanvi Sharma. 0040848228-5

I,GURUPREET SINGH,S/O BALJEET SINGH,R/O-H.NO-64 U/F/F KH.NO-33/25,VIKAS PURI-EXT NILOTHI EXTN DELHI-110041, have changed my name to GURPREET SINGH. 0040848230-2

I, Markandey Ram, S/o Chhangur, R/o H.No.-B-241, Pandav Nagar, Patel Nagar, Delhi-110008 declare that date of birth of my minor son (Ranjeet Kumar, aged-16-years) wrongly written as 27.01.2012 in his school documents . The actual date of birth is 27.01.2009, which may be amended accordingly. 0040848143-1

I, Aisha Zameer @ Ayesha C/o Mohd Faisal, 3062, Gali Nakanchiya, Sita Ram Bazar, Chawri Bazar, Delhi-06 have changed my name to Ayesha Faisal. 0071028338-1

I,FARHAN BEG S/o Mirza Hamid Beg R/o H.No.D-57,Block Near Sabzi Mandi Welcome Seelampur,Delhi-110053,have changed my name to MIRZA FARHAN BAIG. 0040848228-8

I,DEVANSHI GADODIA,w/o GARVIT CHANANA,H.No-794 sector.12 HUDA PANIPAT (HARYANA)132103,have changed my name to DEVANSHI CHANANA. 0040848230-5

I,BALVINDER SINGH S/O VIJAY SINGH R/O POCKET-6/784 SECTOR-2 ROHINI DELHI-110085. HAVE CHANGED MY NAME TO BALWINDER SINGH. 0040848228-2

I,Ashok Kumar Goel,S/o Roshan Lal Goel,R/o E-1/1, Upper Ground Floor,Block-E- 1 , Model Town-II, Delhi-110009 have changed my name to Ashok Goel. 0040848216-1

I,Annu Devi,w/o-Anil Dabas a resident of H.N.341,Ishwar Colony, Bawana Delhi-110039, hereby declare, that my name, is changed to Annu Devi Dabas, in my official documents. 0040848216-11

I,Ankit S/o Naresh Kumar R/o D-5, Second Floor, Gali No-4, Syndicate Enclave, Dabri, Delhi-110045,have Changed my name to Ankit Ahlawat. 0040848230-1

I,ARCHNA KUMARI DIXIT W/O VIJAY KUMAR DIXIT R/O D-6/16 SECTOR-15 ROHINI DELHI-110089.HAVE CHANGED MY NAME TO ARCHANA DIXIT. 0040848228-1

I,ARAV alias DISHANK THAKUR S/o Bhavesh R/o CU-159, Income Tax Colony Pitampura Po.Saraswati Vihar Delhi-110034,have changed my name to DISHANK THAKUR 0040848228-7

I,ANOOP KAMBOJ alias ANOOP KAMMBOJ S/O SUDARSHAN KUMAR KAMBOJ R/O-A-16, Akash Bharti-Apartments, I.P.Extension, Laxmi-Nagar, Delhi-110092,have changed my-name to ANOOP KAMMBOJ. 0040848230-6

I,AJIT SINGH,S/O Satya Singh, R/O RZ F-9-10,GALI.NO-4, MAHAVIR ENCLAVE,Delhi-110045, have changed the name of my minor daughter BHAVYA to BHAVYA RATHEE 0040848216-3

I, hitherto known as Rahul, S/o Dhirender Singh, R/o X-64, Bharat Vihar, Prem Nagar-2, Kirari Suleman Nagar, Delhi-110086, have changed my name and shall hereafter be known as Rahul Singh 0040848148-1

I,Harsh S/O Rakesh Kumar R/O Ratan Thal (180),Po-Rattanthal, Dist:-Rewari Haryana-123301 Have changed My Name To Harsh Chauhan All Future purposes 0040848230-3

I, hitherto known as MOHINI GOVINDRAO DEVIKAR, D/o Govinda Zagaji Devikar, W/o Bhaskar Laxman Wagh, residing at C-93, Sushant Apartments, Sushant Lok-1, Block-C, Gold Souk, Sector-43, P.O. Galleria DLF-IV, Gurgaon, Haryana-122009, have changed my name and shall hereafter be known as MOHINI BHASKAR WAGH. 0071028347-1

I, hitherto known as Akash, S/o Hira Lal, R/o W-19, Gali No.1, Janki Vihar, Prem Nagar-II, Kirari Suleman Nagar, have changed my name and shall hereafter be known as Akash Bhagat 0040848148-2

I, Vimla Bisht M/O Kamal Singh Bisht, resident of Vill-Sarna, PO- Dhari, Dist-Nainital, Uttarakhand- 263136, have changed my name from Vimla Devi to Vimla Bisht vide affidavit IN-56586544672453Y, dated- 12 Mar 26 0071028335-1

I, Tiwari Arpit Shivakant S/o Shivakant Tiwari R/o Room No 14, Chandreshwar Mahadev Chawl, Valai Pada Road, Santosh Bhuvan, Nallasopara East, Thane, Maharashtra have changed my name as Arpit Shivakant Tiwari permanently. 0040848168-1

I, Shobha Rani W/o No. 095779F Rank POAOF Onkar Nath Sharma R/o H. No. DDA Janta Flat Badarpur, Jaitpur, South Delhi- 110044 have changed my name to Shobha Sharma vide affidavit date 6-4-26 before Delhi. 0071028311-1

I, Sagir Ahamad S/o Bakreeda Khan R/o-389/142, Maharajpur Ghaziabad, have changed my name to Sageer Ahmad for all purposes. 0071028300-1

I, SUSHAMADEVI W/o No. 15110773P Rank Ex HAV Anil Kumar Singh R/o RZD 1/83, Gali No-6, Mahavir Enclave, New Delhi- 110045 have changed my name to SUSHMA DEVI vide affidavit date 6-4-26 before Delhi. 0071028310-1

I, Ravindr Kaur W/o Kawal Jit Singh R/o-8/198, Sec-3, Rajender Nagar, Sahibabad, Ghaziabad, have changed my name to Ravinder Kaur. 0071028303-1

I, ANJUM W/O IRSHAD SABRI R/O F-58, WEST JAWAHAR PARK, LAXMI NAGAR, EAST DELHI, DELHI-110092, HAVE CHANGED MY NAME TO ANJUM ARA 0071028313-1

I SHASHI KANT S/O KAPIL DEO THAKUR THAKUR R/O F-38/5A GALI.NO-38, SADH NAGAR-2, PALAM COLONY, NEW DELHI-110045 HAVE CHANGED MY NAME TO SHASHI KANT THAKUR FOR ALL THE FUTURE PURPOSES. 0071028296-1

I, Ramesh Chandra S/o Ram Sumer, Village-Anapur, Allahabad, UP-228411 have changed my name to Ramesh Kumar Dhuriya. 0071028341-1

I, Rakesh Kumar S/o Shri Ram R/o A-1031, Gali No-13, Shyam Colony, Budh Vihar, Phase-2, Delhi have changed my name as Rakesh permanently. 0040848179-1

I, Pritam Joshi S/o Bhaskar Joshi R/o H no-274, 3rd floor, Near Shiv Mandir Chilla Village, Mayur Vihar-1, Extension, East Delhi-110091, have changed my name to Prittam Joshi for all future purposes 0071028299-1

I, Nahida Sana Afreen W/o Manjur Khan, T-61/16A, FF, Malviya Nagar, Delhi-17 have changed my name to Nahida Javed. 0071028343-1

I, Md Noushad R/o N-86, Kh.No-297, Batla House, Jamia Nagar, Okhla, Delhi-25 have changed my name to Mohd Noushad. 0071028375-1

I Rajendra Saxena S/O, Lt. Shri Ramesh Chander Saxena R/o Flat 301,3rd Floor Glance Apartment Plot 19 Rajpur Khurd Delhi 110074, Delhi, India have changed my name to Rajendra Mohan Saxena. 0040848214-1

I Raj Kumar Lal S/o Mahatam Lal Srivastav R/o Shikarpur, Maharajganj, Uttar Pradesh-273302 have changed my name to Raj Kumar Srivastava for all the future purposes. 0071028292-1

I PUSPA THAKUR W/O SHASHIKANT THAKUR R/O F-38/5A GALI.NO-38, SADH NAGAR-2, PALAM COLONY, NEW DELHI-110045 HAVE CHANGED MY NAME TO PUSHPA THAKUR FOR ALL THE FUTURE PURPOSES. 0071028294-1

I Abhishek Varshney S/o Dinesh Kumar Varshney R/o Plot No.2, 1st Floor, Front Side, Pocket-5, Sector-A-6, Narela, North West Delhi, Delhi-110040 have changed the name of my minor daughter from Dea Varshney to Dea AB Varshney for all purposes. 0040848145-1

I,hitherto known as NEHA,D/o Sh.Somnath Aggarwal,residing at,D-603 Jhulelal-Appartments, Pitampura, New Delhi-110034, have changed my name and shall hereafter be known as NEHA AGGARWAL. 0040848216-2

I, hitherto known as SANAM HARJAI S/O SURINDER KUMAR HARJAI R/O R-49, Gopal Park, Azadpur, Delhi- 110033 have changed my name and shall hereafter be known as DEEP RAJ HARJAI. 0040848071-10

I, BABLU KUMAR THAKUR alias BABLU KUMAR alias BABLU THAKUR son of Pulkit Thakur residing at C-121/37, Jhuggi, Near N.D.M.C. Enquiry, Dr. R.P. Lane, New Delhi-110001, have changed my name and shall hereinafter be known as BABLU KUMAR THAKUR.I have complied with other legal requirements in the connection. 0040848229-4

मैं, आर्मी हॉस्पिटल (R&R) का आर्मी नंबर 15454104P नायक अश्विनी कुमार, अपने बेटे का नाम 'मितांश झा' से बदलकर 'अक्षर झा' कर रहा हूँ।

मैं, रामा देवी पुत्री श्री रामकिशन, स्थायी पता नई तहसील चौराहा, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश–212601, घोषणा करती हूँ कि मैंने अपना नाम रामादेवी गौतम (पुराना नाम) से बदलकर रामा देवी (नया नाम) कर लिया है और अब से मुझे सभी उद्देश्यों के लिए रामा देवी (नया नाम) के नाम से जाना जाएगा।

मैं, बैज नाथ पुत्र श्री राम पाल, स्थायी पता मान भवन शीशहर नई तहसील, अस्ती चौराहा, फतेहपुर, आबूनगर, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश– 212601, घोषणा करता हूँ कि मैंने अपना नाम बैजनाथ गौतम (पुराना नाम) से बदलकर बैज नाथ (नया नाम) कर लिया है और अब से मुझे सभी उद्देश्यों के लिए बैज नाथ (नया नाम) के नाम से जाना जाएगा।

मैं, सानों पाठक, पुत्रों कृष्ण कुमार पाठक, जन्म 26/01/2006, निवासी पूरे राजा सरनाम सिंह, गौरा, गौरिगंज, अमेठी, उ.प्र., ने अपना नाम शिवानी में बदल लिया है, खबरदार हलफनामा दिनांक 04 अप्रैल 2026, गौरिगंज। 50287072

मैं धर्मा देवी पत्नी राम किशोर निवासी ग्राम तमोरिया, लखनऊ ने नाम बदलकर धर्मावती रख लिया है। शपथ-पत्र 30.03.2026 नोटरी, लखनऊ। 00130063460

मैंने अपने पुत्र का नाम अद्विक त्रिपाठी से बदलकर श्रीयम अद्विक त्रिपाठी सभी उद्देश्यों हेतु कर दिया है। जितेन्द्र कुमार, पुत्र इच्छाराम, निवासी 116, मोतीगंज, भरथना, सेंट्रल बैंक के पास, भरथना, इटावा, उ.प्र.–206242

सार्वजनिक सूचना

सार्वजनिक सूचना

[illegible]

Praveen Rastogi (Advocate) Enrl. No. D-344/[illegible]

PUBLIC NOTICE

Public at large is hereby informed that my client **ASHISH SON OF SHRI RAJINDER PRASAD R/O D-9, UPPER GROUND FLOOR, PRITHVI RAJ ROAD, ADARSH NAGAR, DELHI-110033,** do hereby solemnly affirm and state that his name is mentioned as **ASHISH** as per his Aadhar Card No. **4707-2119-9895** and **ASHISH KUMAR** in his **BANK OF BARODA A/C NO.33280100003067.** My client declare that both ASHISH KUMAR and **ASHISH** are the names of one and the same person. Henceforth, my client shall be known as **ASHISH** for all future purposes.

Sd/-
ANKUR DIXIT
Advocate
Enrl. No. D-2152/2014
D-2/A, Rana Pratap Road, Adarsh Nagar, Delhi-110033

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that under instructions from and on behalf of my client/s **ASHOK KUMAR VIRMANI** S/O BASANT LAL, R/o, BG-5A/28A, LIG Flats, Paschim Vihar, New Delhi-110063, have disowned/debarred/ discard his Son **VIVEK VIRMANI** his wife **SHELKA VIRMANI** & their Son **ARYAN VIRMANI** from all his immovable properties and moveable assets, and severed all relations with them due to their dis-obedience & mis-behavior. Any body dealing with them, will do at his/her /their own risks, costs and responsibility & my client/s & all their other family members shall not be responsible for any acts done by them. **J.C. Trikha** (Advocate) Ch.No.M-4, Tis Hazari Courts, Delhi-110054.

PUBLIC NOTICE

MY CLIENT SH. JEETENDER TEBAK S/O VISHWANATH TEBAK, R/O C5A/11, JANAK PURI NEW DELHI-110058. DISINHERITED/ DISOWNED/DEBARRED MY SON DEEPANSHU TABAK AND HIS WIFE SEEMA TEBAK AND HIS ALL CHILDREN FROM HIS ALL MOVEABALE & IMMOVEABLE PROPERTIES/ASSETS AND HER SHALL NOT RESPONSIBLE FOR ANY MATTER OF DEEPANSHU TABAK AND HIS WIFE SEEMA TEBAK HAVE NOT ANY TYPE OF RELATION WITH HIM.

Sd/- B.B.N. DEO, Advocate
S.R.IInd,B Coumpus, Janak Puri,ND-58

PUBLIC NOTICE

Notice is being given hereby in public that my client **Smt. Indira Singhal & Pramod Kr Singhal** R/o 167/F1, Rose Park, Shalimar Garden Ext-1 Sahibabad-201005, have disinherited, disowned, & debarred her Son **Amit Singhal** & his wife **Ankita Sahu** from all relations and their moveable & immoveable properties due to their constant disobedient attitude & misbehavior hence my clients shall not be responsible for any kind of actions done by them in future.

TARUN KR. TOMAR (Advocate)
Ch.No. F-611, KKD Court, Delhi

PUBLIC NOTICE

Be it known to public at large that my client **Sardarni Parmjeet Kaur** W/o Shri Rajinder Singh, aged about 56 years, R/o House No.-WZ-38 C/1, Mansarover Garden, West Delhi, New Delhi-110015, has debarred and disowned her middle son **Sardar Jaspreet Singh Arsi**, his wife/daughter-in-law of my client **Sardarni Twinklejeet Kaur** and their minor son namely **Harsehaj Singh** from all her movable and immovable properties because of their bad habits and rude behaviour towards my client which is non-tolerable in a civilized society. If any person deals with them, will do so at his/her own risk, cost and consequences and my client will not be responsible to any one in any manner for the same.

Sd/-
VINEET SHARMA
Advocate
Enrl. No. D/479/1996(R)
Off.: F-12/31, Opp. BSES Office
Krishna Nagar, Delhi - 110051

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता हैं की मेरे मुवक्किलों **श्री सुभाष सिंह** पुत्र श्री घसीटा सिंह और **श्रीमति पुष्पा पत्नी** श्री सुभाष सिंह निवासी मकान न. 13/7, लक्ष्मी पार्क, कुंवर सिंह नगर, नांगलोई पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली–110041, ने अपने पुत्र **शिवम सिंह** को उसके द्वारा किए गये दुराचरण, दुर्व्यवहार के कारण अपनी सभी चल–अचल संपत्ति से बेदखल कर सभी पारिवारिक संबंध विच्छेद कर लिए हैं, और आज के बाद **शिवम सिंह** का मेरे मुवक्किलों तथा उनके परिवार के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा तथा शिवम सिंह पर हुये लेन देन, पुलिस केस, मुकदमेबाजी आदि की जवाब देई मेरे मुवक्किलों तथा उनके परिवार की नही होगी तथा इसके लिये भविष्य में वह स्वयं ही जिम्मेदार होगा।

पूनम (अधिवक्ता)
चे.टी–1ई, तीस हज़ारी कोर्ट, दिल्ली–110054।

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल कामेश्वर गुप्ता पुत्र बफोरा गुप्ता निवासी बी–208, गली नं0 1, बाबा कॉलोनी, वी.टी.सी. बुराडी, दिल्ली–110084, ने अपने पुत्र दलीप कुमार को अभद्र व्यवहार व नियन्त्रण से बाहर होने के कारण इसे अपनी सभी चल–अचल सम्पत्ति से बेदखल कर अपने सभी सम्बन्ध विच्छेद कर लिये है । भविष्य में इसके किसी भी कृत्य /लेन–देन/मुकदमें आदि के लिये मेरे मुवक्किल व उनके परिवार जन उत्तरदायी नहीं होगें ।

Sd/-
A.SHINGAL (Advocate)
Enrl. No. D/1994/2013

PUBLIC NOTICE

Information is given to general public at large that my clients Jwala Advance Technology LLP who is the owner of Residential Plot No. 9, Block B-1, area measuring 1133.3 sq. yards, situated at Sector-11, DLF Model Town, Tehsil Ballabgarh, District Faridabad, Haryana by virtue of Sale Deed dated 27.11.2024 executed by Mrs. Sakshi Malik. Doc. No. 5774. Sale Deed dated 16.09.1980 executed by DLF Universal Limited in the favour of Mr. Bhushan Kumar and Mr. Gulshan Rai Malik in respect of the property. Doc. No. 431 AND Sale Deed dated 24.04.1995 executed by Mr. Gulshan Ray in the favour of Mrs. Asha Malik in respect of the property has been lost and the complaint has been lodged vide Application No. 132250212600157. If any one finds the said document, please send back to the above-mentioned address. Misuse of the same may attract legal action.

Any person(s), institution(s) having any claim and/or objection in respect of the said property shall communicate the same to the undersigned at our address within 10 days from the publication of this notice with documentary evidence in support thereof, failing which all the claim, of such person(s)/institution(s) shall not be binding upon the said property or purchaser.

Mohd K. Hussain (Advocate)
D-21, Basement, Block D, Jangpura Extn. New Delhi -110014, Mob.:8810391672

सार्वजनिक सूचना

यह सूचित किया जाता है कि श्री लोकेश अग्रवाल और श्रीमती प्रीति अग्रवाल, जिन्होंने LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (LICHFL) से लोन के लिए अप्लाई किया था, ने श्रीमती दारोपदी देवी की मौत की सूचना दी है, जिनकी मृत्यु 25.04.2021 को हुई थी। यह लोन फ्रीहोल्ड बिल्ट अप प्रॉपर्टी नंबर 2886 से संबंधित है, जिसका एरिया 84.5 SQ. YDS. है, यानी 70.65 SQ. MTRS. गली नंबर 215, पुराना प्लॉट नंबर 16, गांव चौकी मुबारकाबाद, आबादी जिसे विश्राम नगर, त्रि नगर दिल्ली–110035 के नाम से जाना जाता है, के इलाके में है। यह भी बताया जाता है कि बेचने वालों, यानी श्रीमती मेहर कौर के पास ऊपर बताए गए मरे हुए व्यक्ति का जीवित सदस्य सर्टिफिकेट और मृत्यु सर्टिफिकेट नहीं है और उन्होंने बताया है कि इस प्रॉपर्टी का कोई और कानूनी वारिस नहीं है।

यदि किसी व्यक्ति को उपर्युक्त संपत्ति पर किसी प्रकार का दावा, अधिकार, स्वामित्व अथवा हित हो, तो वह इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप में सूचित करे। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे त्यागा हुआ माना जाएगा।

Sd/-
SUBHASH GUPTA
ADVOCATE
D-446/2002

PUBLIC NOTICE

I, **Rajendra Kumar Gautam**, Son of Late Shri Mool Chand, along with my wife, **Smt. Nirmal Gautam**, both residents of FU-10, Pitampura, Delhi, do hereby solemnly declare that we have severed all relations with our younger son, **Shri Gaurav Gautam,** and our daughter-in-law, **Smt. Shivani Gautam** and their legal heir. We further declare that **Shri Gaurav Gautam** and **Smt. Shivani Gautam** and their legal heir shall have no right, title, interest, or claim whatsoever in any of our movable or immovable properties self-acquired by us, whether presently owned or acquired in the future. Any person entering into any transaction with them in respect of our properties shall do so at their own risk and responsibility, and such transactions shall not be binding upon us, and neither we nor our legal heirs shall be held liable for any such acts or transactions. We hereby revoke and declare as null and void the notice published in the Vividha newspaper dated 10.02.2021, as the same is no longer valid. We state that we are presently residing peacefully with our elder son and daughter-in-law, who are taking proper care of us at this stage of our lives; however, our younger son, **Shri Gaurav Gautam**, and his wife, **Smt. Shivani Gautam**, have been continuously harassing us and may attempt to unlawfully usurp our property. Hence, I renounce my younger son namely **Mr. Gaurav Gautam** and his wife namely **Mrs. Shivani Gautam** and their son.

Sd/-
Richa Sandilya
Advocate
E-124, Greater Kailash-1
Delhi-110048

व्यक्तिगत

सूचना

मैं, हरिश्चन्द्र चौरसिया पुत्र छेदा लाल चौरसिया, निवासी [illegible], राम नगर, पोस्ट रामनगर [illegible], जिला बाराबंकी सूचित करता हूं कि मेरा एवं मेरे पिता का सही नाम हरिश्चन्द्र चौरसिया तथा छेदा लाल चौरसिया है जो मेरे आधार कार्ड मे अंकित है, जबकि कुछ अन्य प्रपत्रों मे त्रुटिवश मेरा नाम हरिश्चंद और पिता का नाम छेदा लाल अंकित हो गया है। सभी प्रपत्रों मे इसे सही करते हुए भविष्य मे मुझे तथा मेरे पिता को हरिश्चन्द्र चौरसिया एवं छेदा लाल चौरसिया के नाम से जाना व पहचाना जावे।

खोया+पाया

Lost all original chain papers/documents of Plot bearing Khasra No.266&267, Village Sahibabad, Daulatpur, Prahlad Vihar, Delhi-110042, area meas 200 sq.yds. Finder contact: Anuradha Narula w/o Rajiv Narula & Manju Narula w/o Sanjay Narula, Mob.no.8287595318. 0040848208-1

Lost Original documents i.e. Sale Deed /Registry P.No.256/9, Gali.No.07, Kishan Ganj,Padam Nagar, Delhi,in the name of S.Balwant Singh, S/o S.Roor Singh. 0040848230-7

खोया–पाया

हमारा एक ट्रांसफर लीज डीड जो दिनांक 30.12.2009 को बही सं 1 जिल्द सं. 5264 पृष्ठ सं. 17 से 36 पर क्रमांक 12921 रजिस्ट्रीकृत किया गया था। वास्तव मे खो गया है। इलैक्ट्रो ट्रांसफार्मर, इंडस्ट्रियल एस्टेट, मेरठ रोड मुजफ्फरनगर

खोया–पाया

मैं, जेबा शाहीन, पुत्री इफ्तिखार उद्दीन, निवासी दिल्ली और पीएनबी बैंक की कर्मचारी, ने पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जारी की गई 'जनरल बैंकिंग पावर ऑफ अटॉर्नी' (GBPA) खो दी है, जिसका GBPA नंबर 0045522 है। यदि किसी को यह मिले, तो कृपया मोबाइल नंबर 9680908497 पर संपर्क करें।

सार्वजनिक सूचना

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल रीता देवी धर्मपत्नी स्व. श्री विजय कुमार निवासी म.न. 446/ए, गली न.9, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, करावल नगर, दिल्ली–110094 ने अपने पुत्र शरद श्रीवास्तव उर्फ दीपू और पुत्रवधु कृतिका श्रीवास्तव को उनके दुर्व्यवहार के कारण अपनी समस्त चल–अचल सम्पति से बेदखल कर दिया है, और उनसे अपना रिश्ता नाता तोड़ लिया है और भविष्य में उनके दुष्यकार्यों व लेन–देन के लिए मेरे मुवक्किल रीता देवी उत्तरदायी / जिम्मेदार नही होगी।

KAMAL SINGH (Advocate)
Regn. No. D-748/14

PUBLIC NOTICE

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुवक्किला श्रीमती कैलाशी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री पलक धारी यादव निवासी G-3/37सेक्टर-16, रोहिणी दिल्ली 110089 ने अपने दोनों बेटों 1.ओम प्रकाश यादव व इसकी पत्नी गीता यादव 2.अशोक कुमार यादव व इसकी पत्नी प्रिया कुमारी को अपनी सभी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है,इनके द्वारा किए गए किसी भी कार्य या लेनदेन के लिए मेरी मुवक्किला श्रीमती कैलाशी देवी या उनके परिवार का कोई भी सदस्य जिम्मेदार नहीं होगा यदि कोई भी व्यक्ति इनसे किसी भी तरह का लेनदेन या व्यवहार करता है तो वह स्वयं उत्तरदायी होगा ।

TUSHAR SHARMA Advocate,
Off: B-1/103, St No.4, Sant Nagar
Burari Delhi 110084 Ph. 9999592027

सार्वजनिक सूचना

यूपीएसआईडीसी ने उक्त इंडस्ट्रियल प्लॉट सं. के–13, के–14 और के–15, जो इंडस्ट्रियल एरिया एग्रो पार्क–II, ग्राम गुग्गौर, प्रगना व तहसील–फतेहपुर, जिला– बराबंकी में स्थित हैं, मेसर्स ट्रू एडवाइजर्स प्रा. लि. के नाम आवंटन पत्र के अनुसारः प्लॉट के–13ः पत्र सं. 3172 / एसआईडीसी दिनांक 22.05.2006 एवं पत्र सं. 3368 / एसआईडीसी दिनांक 12.08.2014, प्लॉट के–14ः पत्र सं. 3180 / एसआईडीसी दिनांक 22.05.2006 एवं पत्र सं. 563 / एसआईडीसी दिनांक 06.05.2013, प्लॉट के–15ः पत्र सं. 2330 / एसआईडीसी दिनांक 04.05.2006 एवं पत्र सं. 2590 / एसआईडीसी दिनांक 06.11.2013 आवंटित किए।

उक्त प्लॉट्स के–13, के–14 और के–15, इंडस्ट्रियल एरिया एग्रो पार्क–II, ग्राम गुग्गौर, प्रगना व तहसील–फतेहपुर, जिला–बराबंकी से संबंधित मूल दस्तावेज़ (आवंटन पत्र और कब्जा प्रमाण पत्र) खो गए हैं।

मेसर्स ट्रू एडवाइजर्स प्रा. लि. अब उक्त संपत्ति को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसएमई निराला नगर (शाखा कोड–63814) से ऋण लेने के लिए गिरवी रखना चाहती है।

किसी प्रकार की आपत्ति होने पर कृपया श्री अम्बरीश द्विवेदी (मुख्य प्रबंधक–एसबीआई) से मोबाइल नंबर 7600052920 पर संपर्क करें।

सार्वजनिक सूचना

मैं, रिंकी उपाध्याय पत्नी रंजीत उपाध्याय निवासी हाउस नंबर–ए–603, रोहतास प्लूमेरिया होम्स, विभूति खंड गोमती नगर, लखनऊ पिन कोड–226010

मैं मकान संख्या 8बी / 36, सेक्टर–8बी, वृंदावन योजना–2, लखनऊ का स्वामी हूं, जो श्री रंजीत उपाध्याय द्वारा दिनांक 27 / 10 / 2023 को मेरे पक्ष में निष्पादित उपहार विलेख के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसका पंजीकरण दिनांक 27 / 10 / 2023 को बही संख्या–1, जिल्द संख्या–11801, पृष्ठ 305 से 320, क्रम संख्या–36711, उप रजिस्ट्रार कार्यालय–सरोजिनी नगर, लखनऊ में हुआ था।

1. मैं श्री रंजीत उपाध्याय के पक्ष में दिनांक 29 / 07 / 2006 के लैमिनेटेड मूल विलेख / बिक्री विलेख के आधार पर बंधक बनाना चाहता / चाहती हूँ, जो दिनांक 29 / 07 / 2006 को बही संख्या–1, जिल्द संख्या–7724, पृष्ठ 259 से 300, दस्तावेज़ संख्या–6594 में उप रजिस्ट्रार–I, लखनऊ के कार्यालय में पंजीकृत है।
2. संपत्ति का विवरणः– मकान संख्या–8बी / 36, सेक्टर–8बी, वृंदावन योजना–2, लखनऊ में स्थित है।
3. मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विभूति खंड शाखा, गोमती नगर, लखनऊ से संपत्ति के बदले ऋण लेने के लिए बंधक करना चाहती हूं।
4. यदि किसी पक्ष को उक्त संबंधित संपत्ति के संबंध में कोई दावा / आपत्ति है, तो उसे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर इच्छुक पक्ष और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की उपरोक्त शाखा में दर्ज कराना होगा।

एस.बी.आई.विभूति खण्ड शाखा, शाखा कोड 16726,
संपर्क नंबर +918090861181
रिंकी उपाध्याय, मोबाइल नंबर 9436002486

नई दिल्ली

सरकार ने भवन नियमितीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया

'जहां है, जैसा है' के आधार पर कच्ची कालोनियां होंगी पक्की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों में संपत्तियों के पंजीकरण और निर्माण गतिविधियों के लिए अनुमति प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए संशोधित 'जहां है, जैसा है' आधारित नियमितीकरण नीति की घोषणा की। इस निर्णय से दिल्ली के 45 लाख लोगों को फायदा होगा। साथ ही उन घरों को भी राहत मिलने का रास्ता साफ हो गया, जिन पर कई कारणों से तलवार लटकी हुई थी। संशोधित नीति के तहत दिल्ली की कुल 1,731 अनधिकृत कालोनियों में से 1,511 कालोनियों में पहले से निर्मित भवनों के पंजीकरण के लिए एक लेआउट योजना की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा, अब दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग स्वामित्व विलेख जारी करेगा, ना कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए)।

> *भवनों* के पंजीकरण के लिए एक लेआउट योजना की आवश्यकता समाप्त।

केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को बताया कि केंद्र सरकार ने दिल्लीवासियों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के लिए 2019 में पीएम–उदय योजना लागू की थी। अब इन कालोनियों को जहां है, जैसा है आधार पर नियमित करने से इन संपत्तियों के पंजीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। इस फैसले के बाद अब अनधिकृत कालोनियों में रह रहे लोगों को न केवल कानूनी स्वामित्व प्राप्त होगा, बल्कि नागरिकों को दिल्ली नगर निगम के मानदंडों के अनुसार, अपने घरों का निर्माण या पुनर्निर्माण करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की विरासत संबंधी मुद्दों का समाधान करते हुए भविष्य के लिए दिल्ली शहर को तैयार किया जाएगा। वहीं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले से उन परिवारों की लंबे समय से चली आ रही चिंताएं खत्म हो जाएगी। जो अभी तक वह अपने घरों में रहने के बावजूद कानूनी अधिकारों से वंचित हैं। केंद्र के फैसले से 1731 अनधिकृत कालोनियों में से 1511 का नियमितीकरण संभव हो पाया है।

उन्होंने कहा कि संशोधित नीति के तहत संपत्तियों के स्वामित्व के लिए आवेदन 24 अप्रैल से पीएम–उदय पोर्टल के माध्यम से आनलाइन जमा किए जा सकते हैं। इसके लिए एक सुनियोजित समय–सीमा निर्धारित की गई है। इसके तहत सात दिनों के भीतर जीआइएस सर्वेक्षण होगा और 15 दिनों के भीतर आवेदन में मौजूद कमियों का निवारण और 45 दिनों के भीतर हस्तांतरण विलेख जारी किया जाएगा।

प्रमुख बिंदू

1. 1511 अनधिकृत कालोनियों को अनुमोदित लेआउट योजनाओं की आवश्यकता के बिना किया जाएगा नियमित।
2. इन कालोनियों में सभी भूखंडों और भवनों का भूमि उपयोग आवासीय माना जाएगा।
3. 20 वर्ग मीटर तक के सुविधा स्टोरों को नियमित किया जाएगा, यदि उन्हें छह मीटर का मार्ग उपलब्ध हो।
4. एमसीडी नियमितीकरण प्रमाणपत्र जारी करेंगे, खाली भूखंडों का सर्वेक्षण करेगी और नागरिक आधारभूत ढांचा के विकास में सहायता करेगी।
5. दिल्ली का राजस्व विभाग पात्र निवासियों को हस्तांतरण विलेख–अधिकार पर्ची जारी करेगा।

मंगोलपुरी में बुजुर्ग ने गोली मारकर आत्महत्या की

नई दिल्ली, 7 अप्रैल (संवाददाता)।

बाहरी दिल्ली इलाके मंगोलपुरी में 80 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से कथित तौर पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक उमराव सिंह, पीतमपुरा के सुविधा कुंज के निवासी थे और वह संपत्ति व्यवसाय से जुड़े थे।

उपायुक्त ने बताया कि मंगलवार सुबह मंगोलपुरी थाने को घटना की सूचना मिली, जिसके बाद एक टीम मौके पर पहुंची और सिंह को गोली लगने की वजह से जख्मी हालत में पाया। पुलिस के मुताबिक, चिकित्सा परीक्षण के दौरान सिंह को मृत घोषित कर दिया गया। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि सिंह ने अपने लाइसेंसी रिवाल्वर से खुद को गोली मारी। फिलहाल किसी तरह की साजिश की आशंका नहीं है और जांच शुरू कर दी गई है। परिवार के सदस्यों ने पुलिस को बताया कि सिंह कुछ समय से अस्थमा और तंत्रिका संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे।

फर्जी काल सेंटर का भंडाफोड़, 12 गिरफ्तार

नई दिल्ली, 7 अप्रैल (संवाददाता)।

दिल्ली पुलिस ने पालिसी बेचकर लोगों को ठगने वाले एक फर्जी काल सेंटर का भंडाफोड़ किया है और इसके दो मालिकों समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह गुरु अर्जुन नगर इलाके से संचालित हो रहा था। उन्होंने बताया कि सूचना के आधार पर एक टीम ने गुरु अर्जुन नगर स्थित रतन लाल परिसर पर छापा मारा और धोखाधड़ी के इस केंद्र का भंडाफोड़ किया।

छापेमारी के दौरान, टीम ने काल सेंटर में मौजूद सभी 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें दो कथित मालिक सौरभ और शाहनवाज भी शामिल हैं। इन दोनों की उम्र 28 वर्ष है। पुलिस ने परिसर से 10 टेली–कालर को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान अंजलि (25), कशिश (21), रजनी (20), गुनमान (21), पूजा (30), कविता (26), मंजू (20), रक्षा (22), इमरान (20) और अनु (29) के तौर पर हुई है।

भाजपा ने की पुलिस आयुक्त से खरगे की शिकायत

नई दिल्ली, 7 अप्रैल (संवाददाता)।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा असम में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा की तुलना सांप से किए जाने पर विवाद बढ़ गया है। भाजपा की प्रदेश इकाई ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। मंगलवार को भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा से मुलाकात कर शिकायत पत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, सांसद मनोज तिवारी, रामवीर सिंह बिधूड़ी और कमलजीत सहरावत के अलावा अधिवक्ता संकेत गुप्ता और मीडिया विभाग प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर शामिल रहे।

दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में चूक बर्दाश्त नहीं : विजेंद्र गुप्ता

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

दिल्ली विधानसभा परिसर में जबरन घुसे वाहन की घटना ने सुरक्षा एजंसियों की लापरवाही को उजागर किया है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मंगलवार को अपने कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में अधिकारियों को साफ कर दिया कि सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी प्रवेश द्वारों पर हाइड्रोलिक रोड ब्लाकर्स लगाने, प्रवेश नियंत्रण व्यवस्था को सुदृढ़ करने और परिसर के भीतर अधिक प्रभावी एवं त्वरित प्रतिक्रिया देने वाली सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने के निर्देश भी दिए हैं।

गुप्ता ने कहा कि तैयारी के साथ–साथ जवाबदेही भी जरूरी है। उन्होंने सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के बीच एक एकीकृत कमान (सिंगल पाइंट आफ अथारिटी) बनाने पर जोर दिया, ताकि आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई हो सके। उन्होंने सभी एजंसियों को वास्तविक समय में सूचना साझा करने का निर्देश दिया। प्रवेश व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर देते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि सभी प्रवेश और निकास द्वारों पर सख्त नियंत्रण, बेहतर निगरानी और मजबूत बुनियादी ढांचा सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक द्वार पर दिल्ली पुलिस/सीआरपीएफ के कम से कम दो प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती हो, जिन्हें आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं और उनकी जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से तय हों, ताकि समन्वित सतर्कता बनी रहे। अध्यक्ष ने स्पष्ट निर्देश दिया कि बिना उचित सुरक्षा जांच और अनुमति के किसी भी वाहन को किसी भी स्थिति में परिसर में प्रवेश न दिया जाए।

दो पुलिसकर्मी निलंबित, जांच तेज

दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए एक उप–निरीक्षक और एक सहायक उप–निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। दोनों पुलिसकर्मी दिल्ली पुलिस की सुरक्षा इकाई में तैनात थे। प्रारंभिक जांच के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। अधिकारियों के अनुसार, विधानसभा की सुरक्षा में लापरवाही को गंभीरता से लिया गया है और आगे की जांच जारी है। मंगलवार को मामले को लेकर उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विशेष आयुक्त, संयुक्त आयुक्त और डीसीपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

आरोपी को आठ दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

दिल्ली की एक अदालत ने यहां विधानसभा परिसर में जबरन वाहन के साथ प्रवेश करने वाले आरोपी चालक को मंगलवार को आठ दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। आरोपी सरबजीत सिंह को मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्तिक टपारिया के समक्ष पेश किया गया। पुलिस ने शुरुआत में 10 दिन की हिरासत मांगी थी, लेकिन अदालत ने आठ दिन की पुलिस हिरासत की अनुमति दी। सिंह ने खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाई और ऐसा प्रतीत होता है कि उसका इरादा ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को कुचलने का था।

दिल्ली सरकार ने दिए सख्त निर्देश

सड़क खोदने से पहले लेनी होगी अनुमति, जमा कराना पड़ेगा शुल्क

भूपेंद्र पांचाल
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

राजधानी की अनधिकृत कालोनियों में बिना अनुमति के सड़कों की खुदाई करने को लेकर अब दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद के कड़े रुख के बाद विभाग ने एक बार फिर सभी सरकारी या निजी विभागों के साथ–साथ एजंसियों के लिए निर्देश जारी किए हैं कि बिना तय शुल्क जमा कराए सड़क खोदने की अनुमति नहीं मिलेगी।

विभाग ने खासकर अनधिकृत कालोनियों में काम करने वाली नामित निष्पादन एजंसियों (सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और डीएसआइआइडीसी) को स्पष्ट कर दिया है कि वह अनधिकृत कालोनियों में सड़क खोदने की अनुमति मांगने वाली एजंसी के अनुरोधों पर विचार करेंगी।

> **इसके** अलावा विभाग को इसकी भी रपट देनी होगी कि क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत या पुनर्निर्माण कर दिया गया है।

इस तरह के अनुरोध के लिए जीएसडीएल (दिल्ली भू–स्थानिक लिमिटेड) द्वारा संचालित पीडब्ल्यूडी के पीडीएम पोर्टल (योजना, खुदाई और निगरानी प्रणाली) या आफलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। इतना ही नहीं, एजंसियों को कार्यों की तकनीकी व्यवहार्यता की जांच भी करनी होगी और निर्धारित अनुमानित बहाली शुल्क का आकलन भी करना होगा। शहरी विकास विभाग का मानना है कि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और डीएसआइआइडीसी पर ही अनधिकृत कालोनियों की सड़कों के रखरखाव करने का जिम्मा है।

ऐसे में यह दोनों एजंसी ही संबंधित विभाग या एजंसी से सड़क बहाली शुल्क वसूलने के बाद ही अनधिकृत कालोनियों में सड़क काटने की अनुमति जारी करेंगी और कार्य पूरा होने के बाद आइएंडएफसी और डीएसआइआइडीसी आम लोगों की सुविधा के मद्देनजर क्षतिग्रस्त सड़क की तुरंत मरम्मत कराएगी। खास बात यह है कि शहरी विकास विभाग ने इन दोनों निष्पादन एजंसियों की यहीं तक जिम्मेदारी तय नहीं की है बल्कि इनको हर माह इसकी रपट भी भेजनी होंगी। सड़कों की खुदाई करने की अनुमति देने और सड़क बहाली शुल्क वसूलने की पूरी जानकारी यूडी विभाग को देनी होगी।

गाजीपुर, नरेला, ओखला और तेखंड में कचरे से बिजली बनाने के संयंत्र लगेंगे

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के विभिन्न विकास कार्यों, विशेषकर कूड़ा प्रबंधन एवं सफाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं आधुनिक बनाने के उद्देश्य से उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कूड़ा प्रबंधन को तकनीकी रूप से उन्नत बनाने पर जोर देते हुए गाजीपुर, नरेला, ओखला और तेखंड में अत्याधुनिक तकनीक से युक्त कचरे से बिजली उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के निर्देश दिए। साथ ही, जैविक कचरे के बेहतर उपयोग के लिए मुख्यमंत्री ने गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दिशा में गोयला डेरी, घोघा और गाजीपुर में तीन नए संयंत्र शीघ्र शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने एमसीडी के अंतर्गत संचालित लगभग 1000 शौचालयों एवं यूरिनल ब्लाकों को नए स्वरूप में विकसित करने के लिए आवश्यक बजट उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि केवल निर्माण ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इन सुविधाओं का संचालन भी उच्च स्तर का होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन सार्वजनिक सुविधाओं के लिए ऐसी कार्ययोजना तैयार की जाए, जिससे वहां किसी प्रकार की दुर्गंध न रहे, नियमित सफाई सुनिश्चित हो।

मुख्यमंत्री ने गंदगी फैलाने वालों पर लगाए गए जुर्मानों की प्रभावी वसूली सुनिश्चित करने के लिए सख्त रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाना अनिवार्य है और इसके लिए निगरानी तंत्र को और मजबूत किया जाए। डीडीए के बाजारों में सफाई व्यवस्था को एमसीडी के माध्यम से संचालित करने के मुद्दे पर भी गंभीर मंथन हुआ। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस विषय पर डीडीए के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखें और सभी बाजारों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त, रेलवे ट्रैक के किनारे कूड़ा हटाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान की समीक्षा की गई।

‘मिशन अनमोल’ में हर वर्ष होगी ढाई लाख नवजात की जांच

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

दिल्ली सरकार ने मिशन अनमोल को लागू करने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत बड़े स्तर पर नवजात शिशु की जांच का कार्यक्रम शुरू हो सकेगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राजधानी में जन्म लेने वाले हर शिशु में जन्मजात बीमारियों की समय पर पहचान कर उनका उचित इलाज सुनिश्चित करना है।

इसके कार्यान्वयन में सहायता के लिए 148 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें मौजूदा 73 प्रयोगशाला और फील्ड कर्मचारियों के पदों को जारी रखने के साथ 60 स्टाफ नर्सों और 15 आप्टोमेट्रिस्ट के रूप में अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति को भी मंजूरी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि मिशन अनमोल पहल के तहत अब हर वर्ष 1.5 लाख की जगह लगभग 2.5 लाख नवजात शिशुओं की पूरी जांच की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में लगभग हर नवजात की जांच सुनिश्चित की जा सके।

धनशोधन मामले में सुकेश चंद्रशेखर को मिली जमानत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

दिल्ली की एक अदालत ने आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के दो पत्तियां चुनाव चिह्न से जुड़े धनशोधन मामले में कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर को मंगलवार को जमानत दे दी।

> **जेल** से नहीं आएगा बाहर।

अदालत ने कहा कि वह धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत निर्धारित अधिकतम सात साल की सजा के आधे से अधिक समय तक हिरासत में रह चुका है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि स्वतंत्रता को संविधान में सबसे पवित्र मानक माना गया है। अदालतें विशेष कानूनों या आर्थिक अपराधों को ढाल बनाकर सरकार के साथ साठगांठ करते हुए अपने फैसलों में केवल स्वतंत्रता का उपदेश नहीं दे सकतीं। चंद्रशेखर इस मामले में एक अप्रैल, 2022 से जेल में है। हालांकि वह अपने खिलाफ दर्ज अन्य लंबित मामलों में जेल में ही रहेगा। उसे अपने खिलाफ दर्ज 31 मामलों में से 26 में जमानत मिल चुकी है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का मामला 2017 में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि चंद्रशेखर ने अन्नाद्रमुक नेता टीटीवी दिनाकरन के लिए मध्यस्थ के रूप में काम किया।

LIC भारतीय जीवन बीमा निगम LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

भारतीय जीवन बीमा निगम
पीसीएमसी विभाग, जीवन सेवा एनेक्स, प्रथम तल,
एस.वी. रोड, सांताक्रूज़ (पश्चिम), मुंबई 400054

निविदा सूचना

भारतीय जीवन बीमा निगम ऑनलाइन प्रीमियम एवं अन्य भुगतानों के संग्रह हेतु विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से **Payment Aggregator** के चयन के लिए प्रस्ताव (RFP) आमंत्रित करता है।

RFP संदर्भ/ LIC/CO/CRM/PS/PA/RFP/2026-27 दिनांक 07/04/2026.

बोली जमा करने की अंतिम तिथि/	**07/05/2026 (by 15:00 Hrs)**
RFP दस्तावेज डाउनलोड करने हेतु –	**https://licindia.in/web/guest/tenders** **https://eprocure.gov.in/epublish/app** **https://www.tenderwizard.com/LIC**

दिनांक: 08.04.2026

कार्यकारी निदेशक
(ग्राहक संबंध प्रबंधन– बीमा सेवा)

पी एम श्री केन्द्रीय विद्यालय – खिचड़ीपुर, दिल्ली–110091

फर्मों से पंजीकरण हेतु आमंत्रण

पी एम श्री केन्द्रीय विद्यालय खिचड़ीपुर द्वारा सत्र 2026–27 हेतु विभिन्न सेवाओं/सामग्री की आपूर्ति के लिए इच्छुक पंजीकृत फर्मों से पंजीकरण आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक पंजीकृत फर्में विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु अपना पंजीकरण Registered Post/ E-mail (pmshrikvkhichripur@kvsrodelhi.in) के माध्यम से दिनांक 20.04.2026 तक प्रेषित कर सकती हैं। अधिक जानकारी/विवरण हेतु विद्यालय की वेबसाइट https://khicharipur.kvs.ac-in का अवलोकन करें।

अरविंद कुमार, प्राचार्य

इंडियन बैंक Indian Bank

कॉर्पोरेट कार्यालय, मानव संसाधन विभाग
254–260, अव्वै षण्मुगम सालै,
रायपेट्टा, चेन्नै – 600 014 .

विशेषज्ञ अधिकारियों की भर्ती – 2026

इंडियन बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक, जिसका मुख्यालय चेन्नै में है, वेतनमान I, II और III में निम्नलिखित पदों के लिए विशेषज्ञ अधिकारियों की भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित करता है।

क्र.सं	विशेषज्ञता / संवर्ग	III	II	I	कुल
1	कंप्यूटर / आईटी इंजीनियर		25		25
2	सीसीडी/विपणन		10		10
3	ऋण अधिकारी / वित्त अधिकारी / एफए	50	200		250
4	सनदी लेखाकार		10		10
5	सुरक्षा			10	10
6	डीलर / फॉरेक्स अधिकारी	5			5
7	जोखिम अधिकारी	15			15
8	ट्रेजरी	5			5
9	एचआर / कार्मिक		10		10
10	आर्किटेक्ट / इंजीनियर			5	5
11	धन प्रबंधक		5		5
	कुल	**75**	**260**	**15**	**350**

महत्वपूर्ण तिथियों की समय–सारिणी	
उम्मीदवारों द्वारा आवेदन का ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार का भुगतान (ऑनलाइन)	**08.04.2026 से 28.04.2026 (दोनों दिन शामिल है)**

विस्तृत विज्ञापन और ऑनलाइन आवेदन के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट **www.indianbank.bank.in** के 'करियर' पेज पर जाएं।

स्थान : चेन्नै
दिनांक: 08.04.2026

मुख्य महाप्रबंधक
(सीडीओ एवं सीएलओ)

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी
ग्रेनो में बनेगा मेट्रो विश्वविद्यालय

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 7 अप्रैल।

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को ग्रेनो में मेट्रो विश्वविद्यालय बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में उच्च शिक्षा से जुड़े इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। जिसके तहत ग्रेनो में मेट्रो विश्वविद्यालय खोला जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेते मंत्री।

उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के मुताबिक, यह फैसला उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के नियमों के तहत लिया गया है। इस कानून के जरिए राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, उनके संचालन और नियंत्रण के लिए स्पष्ट व्यवस्था की गई है। इससे शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और छात्रों को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही युवाओं को आधुनिक तकनीक और रोजगार से जुड़ी पढ़ाई का लाभ मिलेगा। जिससे उनके भविष्य को नई दिशा मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि यह पहल राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि योगी सरकार उच्च शिक्षा के विस्तार, गुणवत्ता संवर्धन और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नए विश्वविद्यालयों की स्थापना से प्रदेश में शिक्षा के साथ-साथ रोजगार और कौशल विकास के अवसर भी बढ़ेंगे।

नोएडा स्थित सनहिल हेल्थकेयर प्रालि को ग्रेनो प्राधिकरण से आबंटित 26.1 एकड़ जमीन पर मेट्रो विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे विधिक प्रावधानों तहत मंजूरी दी गई है। इसके लिए उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की अनुसूची में संशोधन करते हुए उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2026 प्रख्यापित किए जाने और प्रायोजक संस्था को संचालन प्राधिकार-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया है।

शराब के नशे में पिता और चाचा की हत्या करने का आरोपी गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

दिल्ली के उत्तम नगर में शराब के नशे में हुए झगड़े में अपने पिता और चाचा की हत्या करने के आरोप में 22 वर्षीय एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि घटना के बाद से आरोपी ईश्वर फरार था, लेकिन उसे एक पुख्ता सूचना पर सोमवार को पकड़ लिया गया।

पुलिस उपायुक्त ने बताया कि चार अप्रैल को पुलिस को इस घटना के बारे में सूचना मिली, जिसके आधार पर देवेंद्र कुमार (50) और उनके भाई अमित (48) के शव एक कमरे से बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि कमरा अस्त-व्यस्त पड़ा था और वहां शराब की बोतलें बिखरी पड़ी थीं। जांच दल और फारेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल का मुआयना किया और सबूत जुटाए। शवों को पोस्टमार्टम के लिए दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल भेजा गया। पुलिस अधिकारी के मुताबिक, पोस्टमार्टम रपट से पता चला कि दोनों व्यक्तियों की मौत हमले के कारण लगी आंतरिक चोटों से हुई। जांच के दौरान पता चला कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) में कार्यरत देवेंद्र हाल में अपने भाई और बेटे के साथ किराए के मकान में रहने आए थे। मकान मालिक ने पुलिस को बताया कि तीन अप्रैल की रात को उसे अपने किराएदार के यहां झगड़े की सूचना मिली और जब वह मौके पर पहुंचा, तो ईश्वर ने दरवाजा खोला। पुलिस ने मकान मालिक के हवाले से बताया कि ईश्वर नशे की हालत में लग रहा था तथा उसे शांत करने के बाद वह (मकान मालिक) अपने घर लौट गया। बाद में मकान मालिक को सूचना मिली कि देवेंद्र की हत्या कर दी गई है और जब वह दोबारा घर पहुंचा तो उसे दोनों भाई मृत मिले। बेटे ईश्वर ने कथित तौर पर झगड़े के दौरान अपने पिता और चाचा पर हमला किया और फिर मौके से फरार हो गया। ईश्वर को मोहन गार्डन इलाके से गिरफ्तार किया गया।

खबर कोना

पुलिस मुख्यालय में की गई कैंसर की जांच

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

विश्व स्वास्थ्य दिवस पर दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में कैंसर जांच व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर संस्थान की क्लिनिकल आन्कोलाजी विभागाध्यक्ष डाक्टर प्रज्ञा शुक्ल ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाकर और सुलभ जांच सेवाएं उपलब्ध कराकर कैंसर की शुरुआती पहचान और रोकथाम को बढ़ावा देना है। शिविर में स्तन एवं सर्वाइकल कैंसर की नि:शुल्क जांच की सुविधा प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, एचपीवी-डीएनए स्व-परीक्षण किट, विशेषज्ञ परामर्श, शैक्षिक सत्र तथा स्तन स्व-परीक्षण का प्रशिक्षण भी दिया गया। शिविर में पीएसए प्रोस्टेट कैंसर के लिए 42 पुलिस कर्मियों की जांच की गई। वहीं मुंह के कैंसर स्क्रीनिंग में 55 पुलिस अधिकारियों व कर्मियों ने जांच कराई। नौ महिला पुलिस की मैमोग्राफी की गई। जबकि 18 लोगों की एचपीवी परीक्षण किया गया।संस्थान के निदेशक डाक्टर विनोद कुमार ने कहा कि कैंसर से लड़ाई में शुरुआती पहचान सबसे प्रभावी उपायों में से एक है। इन जैसी पहलों के माध्यम से हम जागरूकता और इलाज के बीच की खाई को पाटने का प्रयास कर रहे हैं।

दिल्ली-एनसीआर में हुई तेज बारिश, नारंगी चेतावनी जारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार रात को आंधी और गरज के साथ तेज बारिश हुई। जिसके बाद मौसम विभाग ने नारंगी चेतावनी जारी की। मौसम विभाग ने नारंगी चेतावनी के तहत निवासियों को आंधी और गरज के साथ बारिश के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। बारिश के कारण अधिकतम तापमान में औसतन 6.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। विभाग के अनुसार, शहर में दिन भर रुक-रुककर बारिश होती रही। सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे के बीच सफदरजंग और लोधी रोड में 3-3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बुधवार को भी राजधानी में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से काफी कम है, जबकि न्यूनतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दो की मौत, चालक फरार

जनसत्ता संवाददाता
गाजियाबाद, 7 अप्रैल।

गाजियाबाद के लोनी थाना अंतर्गत बंथला-चिरोड़ी मार्ग पर मंगलवार को एक सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवारों दो लोगों की मौत हो गई। निठौरा गेट के समीप दोपहर करीब डेढ़ बजे के आसपास एक तेज रफ्तार बोलेरो पिकअप और विपरीत दिशा से आ रही मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पिकअप वाहन बंथला फ्लाईओवर की दिशा से चिरोड़ी की ओर जा रहा था। तभी यह भीषण भिड़ंत हुई। टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दोनों व्यक्ति सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से चोटिल हो गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल घायलों को लोनी बार्डर स्थित 59 शैय्या अस्पताल में भर्ती कराया। जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया।

पुलिस जांच में मृतकों की शिनाख्त अफजलपुर निस्तोली निवासी 48 वर्षीय राजेश और महल कालोनी बंथला निवासी 52 वर्षीय धर्मवीर के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सूचित कर दिया गया है। फिलहाल, दुर्घटना के बाद वाहन चालक मौके से भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम जुटी हुई है। पुलिस ने कई टीमें गठित की हैं व चालक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं।

सड़क हादसे में एक की गई जान, आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली, 7 अप्रैल (संवाददाता)।

बाहरी दिल्ली के पश्चिम विहार पूर्व इलाके में तेज रफ्तार से जा रहे एक ट्रक ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे उस पर सवार 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक ले कर चालक भाग निकला, जिसे बाद में पकड़ लिया गया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि सोमवार रात को पश्चिम विहार पूर्व पुलिस थाना क्षेत्र में पंजाबी बाग से पीरागढ़ी चौक की ओर जाने वाले रास्ते पर सड़क हादसा होने की जानकारी पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) को फोन काल पर मिली। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची, जहां पीरागढ़ी कैंप निवासी कृष्ण मोहन सड़क पर मृत पड़ा था। मोहन की मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हालत में घटनास्थल पर मिली। स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों ने वाहन के साथ फरार होने की कोशिश कर रहे ट्रक चालक को कुछ दूरी पर ही पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उसने बताया कि आरोपी चालक की पहचान सौरभ कुमार (26 वर्ष) के रूप में हुई। शुरुआती जांच के मुताबिक, ट्रक चालक ने मौके से भागने की कोशिश करने से पहले, मोटरसाइकिल को टक्कर मारी थी।

मौसम
नई दिल्ली में मंगलवार को बारिश का लुत्फ उठाते लोग।

न्यू नोएडा के लिए एक माह में भूमि अधिग्रहण की तैयारी

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 7 अप्रैल।

> न्यू नोएडा के लिए मुआवजा दर यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की तर्ज पर रखे जाने की सहमति बनी है।

दो सौ नौ किलोमीटर में बसने वाले न्यू नोएडा के लिए जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया आगामी एक से डेढ़ महीने में शुरू करने की तैयारी है।

अधिग्रहण कार्य के लिए कुछ पदों और अधिकारियों का चयन पहले ही कर लिया गया था, लेकिन मुआवजा दर निर्धारण में देरी की वजह से इसे शुरू नहीं किया जा सका। गत सोमवार को हुई नोएडा की 222वीं बोर्ड बैठक में न्यू नोएडा के लिए मुआवजा दर यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की तर्ज पर रखे जाने की सहमति बनी है। जिसके बाबत करीब आठ सौ करोड़ रुपए आरक्षित किए गए हैं। प्राधिकरण अधिकारियों के मुताबिक, यीडा की तर्ज पर यहां 4300 प्रति वर्ग मीटर मुआवजा दर होगी, जिसकी अंतिम मंजूरी के लिए दर निर्धारण प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा है। वहां से मंजूरी मिलने के साथ पहले चरण की अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र, यानी न्यू नोएडा को गौतमबुद्ध नगर और जनपद बुलंदशहर के 80 गांवों की जमीन पर विकसित किया जाना है। यह औद्योगिक शहर मास्टर प्लान-2041 तक 20,000 हेक्टेयर से अधिक में फैलेगा, जिसमें करीब तीन हजार औद्योगिक इकाइयां होंगी। न्यू नोएडा के लिए अक्तूबर 2024 में अधिसूचना जारी की गई थी। न्यू नोएडा के लिए जमीन अधिग्रहण प्रारूप को लेकर लखनऊ में एक प्रस्तुतिकरण दिया गया था। साथ ही समझौते के आधार पर भी जमीन लेने के लिए किसानों से बातचीत की जा रही है।

गाजियाबाद में 16वीं मंजिल से गिरकर युवती की मौत

गाजियाबाद, 7 अप्रैल (संवाददाता)।

इंदिरापुरम क्षेत्र स्थित जयपुरिया सनराइज ग्रीन सोसाइटी में मंगलवार सुबह एक 18 वर्षीय युवती की 16वीं मंजिल से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की पहचान संध्या के रूप में हुई है, जो मूल रूप से हरदोई की रहने वाली थी और वर्तमान में अपने परिवार के साथ कनावनी गांव में रह रही थी। घटना सुबह करीब सवा छह बजे की है। बताया जा रहा है कि जब युवती जमीन पर गिरी, तब वह अर्धनग्न अवस्था में थी, जिसे देख सोसाइटी के लोग सन्न रह गए। आनन-फानन में पुलिस को सूचित किया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, संध्या के पिता सुखदेव कनोजिया सोसाइटी में कपड़े स्त्री (प्रेस) करने का काम करते हैं। संध्या खुद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही थी और रोजाना सुबह दौड़ने जाती थी। मंगलवार सुबह भी वह घर से कसरत के लिए निकली थी, लेकिन वह जयपुरिया सोसाइटी के सी ब्लाक की 16वीं मंजिल पर कैसे पहुंची और किन परिस्थितियों में नीचे गिरी, यह अभी रहस्य बना हुआ है। पुलिस जांच में एक महत्त्वपूर्ण तथ्य सामने आया है। सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकार्डिंग खंगालने पर संध्या लिफ्ट के भीतर अकेली जाते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि, परिजनों ने आत्महत्या की बात को सिरे से खारिज किया है। पिता सुखदेव का आरोप है कि उनकी बेटी के साथ कोई साजिश हुई है। उनका कहना है कि संध्या को किसी ने बहाने से ऊपर बुलाया और फिर वहां से धक्का दे दिया। वहीं, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की हर पहलू से तफ्तीश कर रही है।

नोएडा में 300 टन कचरे का होगा निस्तारण, संयंत्र लगाएगी आइजीएल

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 7 अप्रैल।

औद्योगिक महानगर में गीले कचरे के निस्तारण के लिए आइजीएल एक कंप्रेस्ड बायो-गैस संयंत्र लगाएगा। करीब तीन सौ टन क्षमता वाले इस संयंत्र पर करीब ढाई सौ करोड़ रुपए खर्च होंगे। यहां बनने वाली बायोगैस का शहर में इस्तेमाल किया जाएगा। इस परियोजना को अस्तौली में लगाया जाएगा।

गौरतलब है कि नोएडा में फिलहाल रोजाना एक हजार टन कचरा निकल रहा है। भविष्य में 1200 से लेकर 1500 टन कचरा प्रतिदिन के निस्तारण की चुनौती होगी। नोएडा प्राधिकरण का एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड से कुल 600 टन कचरा प्रतिदिन के निपटारे का करार किया है। यह संयंत्र लगाने का करीब पचास फीसद काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा 40-40 टन प्रतिदिन की क्षमता के छह ैडिसेंट्रलाइजड इंटीग्रेटड म्यूनिसिपल सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांटै लगाए जा रहे हैं। जिसके चलते 240 टन कचरे का रोजाना निस्तारण किया जा सकेगा। अब प्राधिकरण तीन सौ टन प्रतिदिन की क्षमता का एक नया एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र और लगाने जा रहा है। जिसकी क्षमता को बढ़ाकर 500 टन प्रतिदिन किया जा सकता है। यहां एक ही स्थान पर गीले और सूखे कूड़े का निवारण हो जाएगा।

प्रारूप संख्या आईएनसी–26

{कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में}

केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय 1, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

और

जी–टैक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड

(**सीआईएन:** U74140UP2008PTC034745)

जिसका पंजीकृत कार्यालय : **सी –27 विक्रांत खंड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत–226010** में हैं, के मामले में

....आवेदक कंपनी/याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह आवेदक कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **"उत्तर प्रदेश राज्य"** से **"हरियाणा राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए **18 मार्च, 2026** को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पुष्टि करने की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय 1, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली–110003** पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें।

सी –27 विक्रांत खंड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत–226010

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
जी-टैक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/–
अमित कुमार अग्रवाल
(निदेशक)
डीआईएन : 03426915

दिनांक : 07.04.2026
स्थान : लखनऊ

प्रारूप संख्या आईएनसी–26

{कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में}

केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय 1, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

और

केकेएम प्रीफैब प्राइवेट लिमिटेड

(**सीआईएन:** U45201DL2003PTC123560)

जिसका पंजीकृत कार्यालय : **C/o 6 संजय मार्केट, ग्रेटर कैलाश I, नई दिल्ली–110048** में हैं, के मामले में

....आवेदक कंपनी/याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह आवेदक कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"हरियाणा राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए **सोमवार, 18 मार्च, 2026** को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पुष्टि करने की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय 1, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली–110003** पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें।

C/o 6 संजय मार्केट, ग्रेटर कैलाश I, नई दिल्ली–110048

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
केकेएम प्रीफैब प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/–
जसबीर सिंह देसवाल
(निदेशक)
डीआईएन : 00427546

दिनांक : 07.04.2026
स्थान : दिल्ली

फॉर्म नं. आईएनसी–26

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (उत्तरी क्षेत्र निदेशालय क, नई दिल्ली) के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) के साथ पठित कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (क) के मामले में

तथा

ट्रिपल प्ले ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U32204DL2007PTC168410), जिसका पंजीकृत कार्यालयः ख. नं. 540/180, पोल नं. 217, ग्राम बिजवासन, सोइवाला कुआँ के पास, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली - 110061 पर स्थित है, के मामले में

.....आवेदक

एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षेत्र) दिल्ली" से बदलकर "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 31.03.2026 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडमऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत आवेदक कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे अपनी आपत्ति **MCA-21** पोर्टल (**www.mca.gov.in**) पर निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा उसके नीचे दिए गए पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय क, नई दिल्ली के पास जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजेः

ख. नं. 540/180, पोल नं. 217, ग्राम बिजवासन, सोइवाला कुआँ के पास, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली - 110061

ट्रिपल प्ले ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड की ओर से और उनके लिए
हस्ता./–
नवनीत सेठी
(निदेशक)
DIN: 01953974

दिनांकः 08/04/2026
स्थानः नई दिल्ली

SBI भारतीय स्टेट बैंक

तनावग्रस्त आस्तियां वसूली शाखा

द्वितीय तल, पटना मुख्य शाखा भवन, पश्चिमी गाँधी मैदान, पटना–800001 फोन नं०: 0612–2999140, ई–मेल: sbi.05176@sbi.co.in

सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अन्तर्गत सम्पत्ति के कब्जा के संबंध में सूचना का प्रकाशन

प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी एक्ट/SARFAESI Act) 2002 (2002 का 54) के तहत सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति निहित हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 धारा 13(12) नियम 3 के साथ पठित है, के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खातों के सामने अंकित तिथि को, जैसा कि बाद में उल्लेखित है, निम्नलिखित ऋण/जमानतदार को माँग नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उन्हें उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर नोटिस में उल्लेखित राशि वापस करने का अनुरोध किया गया था।

चूँकि ऋणी/जमानतदारों देय राशि के भुगतान करने में असफल रहे एतद् द्वारा ऋणी/जमानतदारों तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) जो उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित है, के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खातों के सामने अंकित तिथि को उक्त सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है जो यहाँ नीचे उल्लिखित है।

विशेषकर ऋणी/जमानतदारों एवं सम्पत्ति मालिक तथा सामान्यतः आम जनता को एतद् द्वारा सावधान किया जाता है कि इस सम्पत्ति के साथ कोई लेन–देन न करें तथा इस सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन–देन भारतीय स्टेट बैंक के देय राशि तथा उस पर ब्याज एवं अन्य खर्च के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ता/जमानतदार का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

खाता/ऋणी का नाम एवं पता	सम्पत्ति का प्रोपराइटर/पार्टनर्स/जमानतदार/मालिक का नाम	बंधक/भार सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि एवं कब्जा सूचना की तिथि	बकाया धनराशि
उधारकर्ता: मेसर्स संजु कुमारी, प्रो. –श्रीमती संजु कुमारी	जमानतदार: श्री अनिल कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह एवं श्री अरविन्द कुमार सिंह	जमीन एवं भवन का साम्यिक बंधक जो श्री मुन्ना सिंह पिता–शिवाजी सिंह, मौजा–हकिमपुर, थाना नं.–157, थाना–डुमराव, जिला–बक्सर, अंचल–डुमराव, खाता नं.–26, प्लॉट नं.–15 एवं 16, रकवा–1 कट्ठा 05 धुर, सेल डीड नं.–643 तिथि 22/01/2014, चौहद्दी: उत्तर–निज मनमोकिर, दक्षिण–रास्ता, पूरब–चान्ट, पश्चिम–कनक सिंह एवं मयूर सिंह।	11.07.2025 एवं 22.12.2025	**₹4,31,85,253/-** दि. 30.06.2025 तक इसके अलावा अतिरिक्त बढ़ा हुआ ब्याज, शुल्क, अन्य विविध व्यय आदि दिनांक 01.07.2025 से प्रभावी।

दिनांक : 22.12.2025
स्थान : डुमरावं

नोटः–विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

प्राधिकृत अधिकारी
भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्तियां वसूली शाखा, पटना

This advertisement is for information purposes only and not for publication, distribution or release directly, outside India. This advertisement does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell the securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated February 28, 2026 ("Letter of Offer" or "LOF") filed with BSE Limited ("BSE"), National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

HILTON METAL FORGING LIMITED

CORPORATE IDENTITY NUMBER: L28900MH2005PLC154986

Our Company was incorporated as "Hilton Metal Forging Limited" on July 21, 2005, as a public limited company under the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, Mumbai, Maharashtra, (the "RoC") bearing Registration No. 154986 upon conversion of a partnership firm named "M/s Hilton Forge". Our Company received its certificate of commencement of business dated September 09, 2005 from the RoC. For details of the change in the address of the registered office of our Company. For details see 'General Information' on page 41 of this Letter of Offer.

Registered & Corporate Office: 303, Tanishka Commercial Co-op. Society Ltd, Akurli Road, Kandivali East, Mumbai, Kandivali East, Maharashtra, India, 400101;
Telephone: +91 22 4042 6565; **Email:** info@hiltonmetal.com; **Website:** www.hiltonmetal.com
Contact Person: Mrs. Richa Shah, Company Secretary and Compliance Officer

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. YUVRAJ HIRALAL MALHOTRA, MRS. DIKSHA YUVRAJ MALHOTRA AND MS. YASHIKA YUVRAJ MALHOTRA

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF HILTON METAL FORGING LIMITED ("OUR COMPANY" / "ISSUER") ONLY

ISSUE OF UPTO 1,67,70,000* FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF HILTON METAL FORGING LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹16.68/- EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹6.68/- PER RIGHTS EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE") FOR AN AMOUNT AGGREGATING UPTO ₹ 2797.24 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 29 (TWENTY-NINE) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 60 (SIXTY) FULLY PAID-UP EQUITY SHARE HELD BY SUCH ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS AS ON THE RECORD DATE, TUESDAY, FEBRUARY 24, 2026, ("ISSUE"). THE ISSUEPRICE IS 1.67 (ONE POINT SIXTY-SEVEN) TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE. FOR FURTHER DETAI LS, KINDLY REFER TO THE SECTION TITLED 'TERMS OF THE ISSUE' BEGINNING ON PAGE 83 OF THE LETTER OF OFFER (the "LOF").

***Assuming full subscription with respect to Rights Equity Shares.**

Assuming full subscription and receipt of all Call Monies with respect to Rights Equity Shares.

PAYMENT SCHEDULE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES

AMOUNT PAYABLE PER RIGHTS EQUITY SHARE*	FACE VALUE (₹)	PREMIUM (₹)	TOTAL (₹)
On Application	10	6.68	16.68

*For details on the payment method, please refer to the chapter titled "Terms of the Issue" on page 83 of this Letter of Offer

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of Hilton Metal Forging Limited wishes to thank all its shareholders and investors for their response to the issue which opened for subscription on Friday, March 06, 2026 and closed on Thursday, April 02, 2026 and the last date for on-market renunciation of Rights Entitlements was Tuesday, March 10, 2026.

Out of the total 2616 Applications for 20092093 Equity Shares, 322 Applications for 534226 Equity Shares were rejected on the basis of Ground for technical rejections as disclosed in the Letter of Offer.

The total number of fully valid applications received were 2294 Applications for 19557867 Equity Shares. In accordance with the Letter of Offer and on the basis of allotment finalized on April 06, 2026, in consultation with the Purva Share registry (India) Private Limited, Registrar to the Issue and NSE, the Designated Stock Exchange for the Issue and the Company has on April 06, 2026 allotted 16770000 Equity Shares to the successful Applicants. All valid applications have been considered for Allotment.

In accordance with the SEBI circular bearing reference number SEBI/HO/CFD/DIL2/ CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020, the details of holders of Rights Entitlements ("REs") as on the Issue Closing Date, i.e., Thursday, 2nd April, 2026 has been obtained from the depositories. Based on details of REs of Eligible Equity Shareholders as on the Record Date (i.e., Tuesday, 24th February, 2026.) and list of holders of REs as on the Issue Closing Date, the applications received from the investors have been split into applications received from the Eligible Equity Shareholders and applications received from the Renounces, details of which are stated below:

Sr. no.	Category	Number of Applications	Number of Equity Shares applied for against Res	Number of additional Equity Shares applied for	Total Equity Shares applied for
A.	Eligible Equity Shareholders	2304	6915826	12529053	19444879
B.	Fractional Shareholders	20	20	102346	102366
C.	Renounces*	11	296262	6311	302573
D.	Not Eligible Shareholders	275	0	177111	177111
E.	Invalid Application	6	0	65164	65164
	Total	**2616**	**7212108**	**12879985**	**20092093**

The Investors (identified based on PAN) whose names do not appear in the list of Eligible Equity Shareholders on the record date and who hold the REs as on the Issue Closing Date and have applied in the Issue are considered as the Renounces.

After removing technical rejections (details of which are given in the subsequent paragraphs), the total number of valid applications eligible to be considered for allotment were as detailed below:

Sr. No.	Particulars	Number of Applications	Number of Equity Shares
1	Gross Applications	2616	20092093
2	Less: Rejections	322	534226
	Net valid Applications considered for Allotment (1 - 2)	**2294**	**19557867**

Category	Gross			Less: Rejections/Partial Amount			Valid		
	Applications	Shares	Amount (₹)	Applications	Shares	Amount (₹)	Applications	Shares	Amount (₹)
Eligible Equity Shareholders	2304	19444879	324340581.72	39	291921	4869242.28	2265	19152958	319471339.44
Fraction	20	102366	1707464.88	2	30	500.40	18	102336	1706964.48
Renounces	11	302573	5046917.64	0	0	0.00	11	302573	5046917.64
Not an eligible equity shareholders of the company	281	242275	4041147.00	281	242275	4041147.00	0	0	0.00
Total	**2616**	**20092093**	**335136111.24**	**322**	**534226**	**8910889.68**	**2294**	**19557867**	**326225221.56**

Conclusion

Based on the above discussions, the Basis of Allotment was prepared and it was decided that the same be submitted to NSE, the Designated Stock Exchange, for its approval, along with a set of the relevant documents. Summary of Allotment in various categories is as under:

Category	Number of Equity Shares Allotted - against REs	Number of Equity Shares Allotted - Against valid additional shares	Total Equity Shares Allotted
Eligible Equity Shareholders	6877905	9595833	16473738
Renounces	296262	0	296262
Total	**7174167**	**9595833**	**16770000**

Intimations for Allotment/Refund/Rejection cases: The dispatch of allotment advice-cum-refund/unblocking intimation and the communication of reasons for rejection, as applicable, to the investors has been completed on April 08, 2026. The instructions to the SCSBs for unblocking of funds in case of ASBA applications were issued on April 08, 2026. The listing application was submitted to BSE and NSE on April 7, 2026, and the listing approval is expected to receive on or before April 08, 2026.

The Credit of Equity Shares in dematerialized form to the respective demat accounts of the allottees will be completed on or before April 09, 2026. For further details, please refer to the section titled "Terms of the Issue – Allotment Advice or Refund / Unblocking of ASBA Accounts" on page 83 of the Letter of Offer. Pursuant to the listing and trading approvals granted / to be granted by BSE and NSE, trading in the Rights Equity Shares allotted in the Issue is expected to commence on BSE and NSE on or before April 10, 2026.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALISED FORM.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE):

It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by NSE, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer. The investors are advised to refer to the letter of offer for the full text of the disclaimer on page 78 under paragraph titled 'Disclaimer Clause of NSE (the Designated Stock Exchange)'.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE

It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by BSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer. The investors are advised to refer to the letter of offer for the full text of the disclaimer on page 77 under paragraph titled 'Disclaimer Clause of BSE.

REGISTRAR TO THE ISSUE

Purva Sharegistry

PURVA SHAREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED
Address: Unit No. 9, Ground Floor, Shiv Shakti Industrial Estate, J. R. Boricha Marg, Lower Parel (East), Mumbai – 400011, Maharashtra, India;
Tel No: +91 22 49614132/+91 22 49700138;
Email: newissue@purvashare.com; **Website:** www.purvashare.com
Contact Person: Ms. Deepali Dhuri;
Investor Grievance: newissue@purvashare.com
SEBI Registration Number: INR000001112

Investors may contact the Registrar or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre issue or post issue related matter. All grievances relating the ASBA process may be addressed to the Registrar, with a copy to the SCSBs in case of ASBA process, giving full details such as name, address of the Applicant contact number(s), e- mail address of the sole first holder, folio number or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked (in case of ASBA process), ASBA Account number, and the Designated Branch of the SCSBs where the Application Form or the plain paper applications as the-case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip (in case of ASBA process).

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

For Hilton Metal Forging Limited
Sd/-
Mrs. Richa Shah
Company Secretary & Compliance Officer

Date: April 08, 2026
Place: Mumbai

सेलकॉर गैजेट्स लिमिटेड

सीआईएनः L32300DL2020PLC375196
पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालयः एजी–12, शालीमार बाग, दिल्ली–110088
लैंडलाइनः 011-49934764, 011-49934734, **वेबसाइटः** www.celecor.com, **ई-मेल आईडीः** cs@celecor.in

पोस्टल बैलेट की सूचना तथा ई–वोटिंग की जानकारी

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और नियम 22 (किसी भी वैधानिक संशोधन या तत्समय लागू उसके पुनः अधिनियमन सहित) (**"नियम"**) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (**"अधिनियम"**) की धारा 110 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, (किसी भी वैधानिक संशोधन या तत्समय लागू पुनः अधिनियमन सहित), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 (**"सूचीबद्धता विनियम"**), कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 सपठित इस संबंध में जारी किए गए अन्य प्रासंगिक परिपत्रों, नवीनतम सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 (**"एमसीए परिपत्र"**), सामान्य बैठकों पर भारत के कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक (**"एसएस–2"**) और किसी भी अन्य लागू कानून, नियम और विनियम (तत्समय लागू होने वाले किसी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) के अनुसार, सेलकॉर गैजेट्स लिमिटेड के सदस्यों की मंजूरी लेने के लिए दिनांक 07 अप्रैल, 2026 के पोस्टल बैलेट नोटिस (**"पोस्टल बैलेट नोटिस"**) में निर्धारित व्यवसाय का लेन–देन करने के लिए, पोस्टल बैलेट के माध्यम से उक्त संकल्पों को पारित करके, केवल रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से प्रक्रिया से बैठक आयोजित की जाएगी।

पोस्टल बैलेट नोटिस 07 अप्रैल, 2026 को केवल उन पात्र सदस्यों को ई–मेल द्वारा भेजा जा रहा है, जिन्होंने कट–ऑफ तिथि यानी 03 अप्रैल, 2026 को डिपॉजिटरी/उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी/कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंटों/कंपनी के साथ अपने ई–मेल पते पहले ही पंजीकृत कर लिए है।

रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलेट द्वारा निम्नलिखित संकल्पों के लिए सेलकॉर गैजेट्स लिमिटेड (**"कंपनी"**) के सदस्यों की मंजूरी मांगी जा रही हैः

क्र.सं.	संकल्प का विवरण
1	कंपनी के प्रबंध निदेशक और प्रमोटर श्री रवि अग्रवाल को अधिमानी आधार पर 3,50,00,000 (तीन करोड़ पचास लाख मात्र) तक के पूर्ण परिवर्तनीय वारंट (**"वारंट"**) जारी करना

उपरोक्त परिपत्रों के अनुसार, नोटिस या पोस्टल बैलेट फॉर्म की भौतिक प्रतियों का कोई प्रेषण नहीं होगा।

सदस्यों के मतदान का अधिकार **शुक्रवार, 03 अप्रैल, 2026**, जो इस उद्देश्य के लिए निर्धारित कट–ऑफ तारीख है, को व्यावसायिक घंटों की समाप्ति पर उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों पर परिगणित किया जाएगा।

कंपनी ने सभी सदस्यों को ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (**"एनएसडीएल"**) की सेवाएं ली हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि ई–वोटिंग **बुधवार, 08 अप्रैल, 2026 (सुबह 9:00 बजे भा.मा.स.)** को शुरू होगी और **गुरुवार, 07 मई, 2026 (शाम 5:00 बजे भा.मा.स.)** को समाप्त होगी, उसके बाद ई–वोटिंग मॉड्यूल अक्षम कर दिया जाएगा।

कंपनी के निदेशक मंडल (**"बोर्ड"**) ने मैसर्स अनु मल्होत्रा एंड एसोसिएट्स, (सीओपी नंबरः 16221) की प्रोपराइटर सुश्री अनु मल्होत्रा, कंपनी सचिव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से पोस्टल बैलेट आयोजित करने के लिए संवीक्षक (**"संवीक्षक"**) के रूप में नियुक्त किया हैं।

पोस्टल बैलेट सूचना कंपनी की वेबसाइट यानी www.cellecor.com और एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर और स्टॉक एक्सचेंज यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

पोस्टल बैलेट का परिणाम अध्यक्ष/कार्यकारी निदेशक या कंपनी सचिव या किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा ई–वोटिंग अवधि के समापन से दो कार्य दिवसों के भीतर घोषित किया जाएगा और इसे स्टॉक एक्सचेंज, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं यानी www.nseindia.com को सूचित किया जाएगा और कंपनी की वेबसाइट यानी www.celecor.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ प्रदर्शित किया जाएगा।

जिन सदस्यों ने अब तक अपने ई–मेल पते पंजीकृत नहीं कराएँ है, उनसे अनुरोध है कि वे उक्त नोटिस में दिए गए निर्देश देखें।

किसी भी पूछताछ के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders तथा e-voting user manual for Shareholders देख सकते हैं या 022-4886 7000 और 022-2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

कृते **सेलकॉर गैजेट्स लिमिटेड**
बिन्दु गुप्ता
मुख्य वित्त अधिकारी

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 07 अप्रैल, 2026

DELHIVERY

डेल्हीवरी लिमिटेड

पोस्टल बैलेट की सूचना ("नोटिस")

कम्पनी के सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (**"नियम"**) के नियम 20 एवं 22 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 (**"अधिनियम"**) की धारा 108 एवं 110 तथा अन्य सभी लागू प्रावधानों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 (**"सेबी सूचीबद्धता विनियम"**), सेबी सूचीबद्धता विनियम के अन्य लागू प्रावधानों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (**"सेबी"**) द्वारा जारी किसी परिपत्र तथा समय–समय पर संशोधित भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा आम बैठकों पर सचिवीय मानक (**"एसएस–2"**), प्रत्येक, तथा कोई अन्य लागू कानून और विनियम (तत्समय लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित), कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (**"एमसीए"**) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपत्र, सबसे नवीनतम सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 (**"एमसीए परिपत्र"**), तथा अन्य लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार, पोस्टल बैलेट नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों पर सदस्यों की सहमति प्राप्त करने के लिए पोस्टल बैलेट नोटिस इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन सदस्यों को भेजा गया है, जिनका ईमेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स् (**"डीपी"**)/एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) (**'एमआईआईपीएल'**), कम्पनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के पास **शुक्रवार, 3 अप्रैल, 2026** (**"कट–ऑफ तिथि"**) तक पंजीकृत है। कम्पनी ने **मंगलवार, 7 अप्रैल, 2026** को पोस्टल बैलेट नोटिस का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण पूरा कर लिया है।

एमसीए के प्रासंगिक परिपत्रों के अनुसार, नोटिस की भौतिक प्रति, पोस्टल बैलेट फॉर्म और प्रीपेड बिजनेस लिफाफे के साथ भेजने की आवश्यकता को स्थगित कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों को अपनी सहमति या असहमति केवल नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (**"एनएसडीएल"**) द्वारा प्रदान की गई रिमोट ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से व्यक्त करनी होगी।

एतद्द्वारा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :

1. रिमोट ई–वोटिंग अवधि **बुधवार, 8 अप्रैल, 2026 को सुबह 9:00 बजे (भा.मा.स.)** से शुरू होगी और **गुरुवार, 7 मई, 2026 को शाम 5:00 बजे (भा.मा.स.)** (दोनों दिन सम्मिलित) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद वोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार जब सदस्य किसी प्रस्ताव पर वोट डाल देता है, तो सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी।
2. सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट–ऑफ तिथि के अनुसार कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होंगे। कोई व्यक्ति जो कट–ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है, वो नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए।
3. यह नोटिस कम्पनी की वेबसाइट **www.delhivery.com**, स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड (**"बीएसई"**) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (**"एनएसई"**) की वेबसाइट क्रमशः **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** पर और एनएसडीएल की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध होगा।
4. निदेशक मंडल ने मेसर्स वीएपीएन एंड एसोसिएट्स के पार्टनर श्री प्रभाकर कुमार, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस (सदस्यता संख्या एफसीएस 5781, सीओपी संख्या 10630) या उनकी अनुपस्थिति में मेसर्स वीएपीएन एंड एसोसिएट्स के पार्टनर श्री अशोक, कम्पनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस (सदस्यता संख्या एसीएस 55136, सीओपी संख्या 20599) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलेट का संचालन करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।
5. रिमोट ई–वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश नोटिस में दिए गए हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करते समय नोटिस में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और **गुरुवार, 7 मई, 2026 को शाम 5:00 बजे (भा.मा.स.)** से पहले रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करें।
6. कोई भी सदस्य, जो कट–ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है और जिसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्पैच की तिथि के बाद नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, वह नोटिस में उल्लिखित निर्देशों का पालन करके या **evoting@nsdl.com** पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई–वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल या सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड के साथ पंजीकृत है, तो वह नोटिस में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपना वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।
7. जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट करें और भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में फॉर्म आईएसआर–1 में सेबी द्वारा अधिदेशित दस्तावेजों के साथ एमआईआईपीएल, कम्पनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट को लिखकर भेजें।
8. पोस्टल बैलेट के परिणाम अधिकतम **सोमवार, 11 मई, 2026** तक घोषित किए जाएंगे। घोषित परिणाम और संवीक्षक की रिपोर्ट कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रदर्शित की जाएगी और साथ ही साथ क्रमशः एनएसई और बीएसई को भी सूचित की जाएगी, जहां कंपनी के शेयर वर्तमान में सूचीबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त, परिणाम कम्पनी की वेबसाइट **www.delhivery.com** और एनएसडीएल की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर भी अपलोड किए जाएंगे।
9. ई–वोटिंग की अंतिम तिथि, अर्थात् **गुरुवार, 7 मई, 2026**, वह तिथि होगी जिस दिन अपेक्षित बहुमत से अनुमोदित होने पर प्रस्तावों को पारित माना जाएगा।

यदि आपके पास रिमोट ई–वोटिंग सुविधा से संबंधित कोई प्रश्न है, तो कृपया **www.evoting.nsdl.com** पर डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) तथा e-voting user manual for Shareholders देखें या सुश्री पल्लवी म्हात्रे–सहायक उपाध्यक्ष को **evoting@nsdl.com** पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क करें या 022–4886 7000 पर कॉल करें या कंपनी के अनुपालन अधिकारी को **corporateaffairs@delhivery.com** पर ईमेल लिखें।

डेल्हीवरी लिमिटेड के लिए
मधुलिका रावत
कम्पनी सचिव और अनुपालन अधिकारी
सदस्यता संख्याः एफ8765

दिनांकः 7 अप्रैल, 2026
स्थानः मुंबई

पंजीकृत कार्यालयः एन24–एन34, एस24 एस34, एयर कार्गो लॉजिस्टिक्स सेंटर–II, गेट 6 कार्गो टर्मिनल के सामने, आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली–110037 | **कॉर्पोरेट कार्यालयः** प्लॉट नंबर 5, सेक्टर–44, गुरुग्राम 122002, हरियाणा
वेबसाइटः www.delhivery.com | **फोनः** +91 124 6225600 | **ईमेलः** corporateaffairs@delhivery.com
सीआईएनः L63090DL2011PLC221234

कल्पमेधा

आपको जो भी मिला है, उसका अधिक मूल्यांकन न करें और न ही दूसरों से ईर्ष्या करें। वे लोग जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, उन्हें मन की शांति कभी प्राप्त नहीं होती।

– गौतम बुद्ध

युद्ध की आग

ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद शुरू हुए युद्ध को अब एक महीना से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अब भी तनाव और टकराव की आक्रामकता में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। बीच-बीच में युद्ध विराम की बात उठती है और अगले ही दिन पहले से ज्यादा तीव्रता वाले हमलों के बीच गुम होकर रह जाती है। खबरों के मुताबिक, अमेरिका ने ईरान के खर्ग द्वीप पर फिर हमला किया। इसके अलावा, ईरान के अल्बोर्ज प्रांत में हुए ताजा हवाई हमले में कम से कम अठारह लोगों की मौत हो गई। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है कि अगर ईरान मंगलवार रात आठ बजे तक होर्मुज जलमार्ग से जहाजों की आवाजाही पूरी तरह बहाल नहीं करता है, तो उसके सभी बिजली संयंत्रों और पुलों पर बमबारी की जाएगी। सवाल है कि क्या अमेरिका को इस बात की फिक्र है कि नागरिक ढांचों पर होने वाले हमलों को युद्ध अपराधों के दायरे में देखा जा सकता है। ईरान में हमले की वजह से एक स्कूल की कई बच्चियों की मौत को लेकर पहले ही अमेरिका-इजराइल के रवैये पर तीखे सवाल उठ चुके हैं।

ऐसा लगता है कि इस युद्ध में हमले के ठिकाने चुनने के मसले पर मानवीयता के प्रश्न पीछे छूट गए हैं। जहां इजराइल और अमेरिका की ओर से ईरान पर मिसाइल की मार करने से लेकर बमबारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, तो वहीं ईरान ने भी इजराइल सहित मध्य-पूर्व के देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला करने में कोई कमी नहीं की है। इससे इतर युद्ध की वजह से मध्य-पूर्व के समूचे प्रभावित इलाके में जिस पैमाने पर कच्चे तेल का उत्पादन और उसका कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है, उसका असर समूची दुनिया पर किसी न किसी रूप में पड़ रहा है। बहुत सारे देशों में तेल, गैस और खाद की आपूर्ति बाधित हुई है। विडंबना यह है कि यह सब देखने-समझने के बावजूद युद्ध को खत्म करने या कम से कम कुछ दिनों के विराम की बात भी ठोस तरीके से सिरा नहीं पकड़ रही है। एक ओर अमेरिका के राष्ट्रपति आए दिन ईरान में सब कुछ नष्ट कर देने की धमकी देते हैं, तो दूसरी ओर ईरान इसका जवाब देने की बात करता है।

तनाव के स्वरूप का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि ईरान ने पैंतालीस दिन के युद्धविराम के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कहा कि वह युद्ध की स्थायी और पूर्ण समाप्ति तथा फिर से ईरान पर आक्रमण नहीं किए जाने की गारंटी चाहता है। एक तरह से ईरान की इस मांग को समझा जा सकता है कि कूटनीतिक प्रयासों की सार्थकता तभी है, जब किसी भी वार्ता के माध्यम से स्थायी समाधान तक पहुंचा जा सके। अगर हल निकालने के लिए चल रही बातचीत में कोई तात्कालिक आश्वासन दिया जाता है और उसमें विश्वसनीयता की कमी होगी, तो ऐसे प्रयास युद्ध के मूल कारणों को दूर करने में नाकाम रहेंगे। बल्कि इसके विपरीत नतीजे भी निकल सकते हैं। जाहिर है, कुछ समय के युद्धविराम की गुंजाइश निकालने के बजाय संघर्ष को पूरी तरह खत्म करने के उपायों पर पहुंचने के उद्देश्य से बिना देर किए शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। मगर अभी युद्ध को लेकर जिस तरह की जिद देखी जा रही है, उससे किस तरह का समाधान निकाला जा सकता है। व्यापक पैमाने पर विनाश के बाद जब युद्ध थमेगा, तब किसी भी तरह के समाधान की कीमत क्या होगी?

धमकियों का जाल

देश भर में शिक्षा संस्थानों, अस्पतालों, सरकारी भवनों और अन्य सार्वजनिक स्थलों को बम से निशाना बनाने की झूठी धमकियों का बढ़ता सिलसिला सुरक्षा की लिहाज से चुनौती बन गया है। ई-मेल या फिर सोशल मीडिया के जरिए इस तरह की धमकियां दी जाती हैं, जिससे न केवल लोगों में दहशत फैलती है, बल्कि सुरक्षा एजंसियों का कीमती समय और संसाधन भी बर्बाद होते हैं। बीते सोमवार को चंडीगढ़ के कई स्कूलों और सरकारी इमारतों को बम से उड़ाने की धमकियां ई-मेल पर दी गईं, हालांकि जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। संभवतः धमकी देने वालों का मकसद महज दहशत फैलाना ही रहा होगा। मगर सवाल है कि आखिर इस तरह की घटनाओं पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है? क्या सुरक्षा एजंसियां धमकी देने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने में तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है? ये प्रश्न इसलिए महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह के ज्यादातर मामलों में पुलिस या अन्य जांच एजंसियां अपराधियों तक पहुंच ही नहीं पाती हैं।

गौरतलब है कि हाल के वर्षों में बम की झूठी धमकियां देने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। मई, 2024 में दिल्ली-एनसीआर में एक ही दिन में करीब ढाई सौ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी से पुलिस के हाथ-पांव फूल गए थे। हालांकि, इस तरह की तमाम धमकियां झूठी साबित हुईं हैं, लेकिन इससे जहां दहशत का माहौल पैदा हो जाता है, वहीं जांच एजंसियों के सामने कई चुनौतियां पैदा हो जाती हैं। ऐसे मामलों में अब तक की जांच में सामने आया है कि धमकी भरे ज्यादातर ई-मेल वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए विदेशी आइपी पते से भेजे जाते हैं। मगर आज डिजिटल तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है कि इसके जरिए दुनिया के किसी भी कोने में छिपे अपराधी को खोजा या पकड़ा जा सकता है। मगर पुलिस और अन्य जांच एजंसियों में अलग से बनाई गई साइबर शाखाओं के विशेषज्ञ क्या डिजिटल तकनीक में इतने पारंगत नहीं हैं कि वे ऐसे अपराधियों का पता लगा सकें? सरकार और प्रशासन को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि यह केवल दहशत फैलाने का मामला नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा और तकनीकी क्षमता का भी सवाल है।

जलवायु संकट से जटिल होती चुनौतियां

जलवायु संकट केवल पर्यावरणीय आपदा नहीं, बल्कि बहुआयामी चुनौती है। यह आर्थिक असमानता को गहरा रही है और सामाजिक स्थिरता को मुश्किल में डाल रही है। यह समस्या केवल मौसमी अनियमितताओं तक सीमित नहीं है। यह प्रणालीगत विफलता का भी द्योतक है।

अजय प्रताप तिवारी

वैश्विक प्रगति की दौड़ में, जहां मानव सभ्यता सतत विकास को आत्मसात करने का प्रयास कर रही है, वहीं जलवायु परिवर्तन एक अदृश्य, लेकिन दुर्जेय अवरोध के रूप में उभरा है। आज के विश्व में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में निहित आर्थिक समृद्धि, सामाजिक समानता और पर्यावरणीय संतुलन के त्रिविमीय उद्देश्य बाढ़, सूखा और प्राकृतिक आपदाओं की भंवर में उलझ जाते हैं। जलवायु संकट केवल पर्यावरणीय आपदा नहीं, बल्कि बहुआयामी चुनौती है। यह आर्थिक असमानता को गहरा रही है और सामाजिक स्थिरता को संकट में डाल रही है। यह संकट केवल मौसमी अनियमितताओं तक सीमित नहीं है। यह प्रणालीगत विफलता का भी द्योतक है।

हिमालयी क्षेत्रों में हिमनदों के तेजी से पिघलने से जल संसाधनों का संकट बढ़ रहा है। यह स्थिति भारत की कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी, जहां साठ फीसद से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रपट चेतावनी देती है कि यदि वैश्विक तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर जाती है, तो सतत विकास लक्ष्य जैसे- सबको भोजन, स्वच्छ जल, आर्थिक समानता, जलवायु कार्रवाई जैसे लक्ष्य असाध्य हो जाएंगे। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की अवधि वर्ष 2030 निर्धारित है। वैश्विक लक्ष्यों में गरीबी खत्म करना, पर्यावरण की रक्षा, नवाचार, टिकाऊ उपभोग, आर्थिक असमानता को कम करना और सभी के लिए शांति और न्याय सुनिश्चित करना शामिल है। जबकि ऊर्जा संसाधनों पर एकाधिकार के लिए हो रहे युद्ध इस बात का संकेत है कि सतत विकास और समावेशी समाज के निर्माण का संयुक्त राष्ट्र का स्वप्न कभी पूरा नहीं होगा। पश्चिम एशिया में जारी अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष न केवल रणनीतिक नुकसान है, बल्कि यह एक बड़ा पर्यावरणीय संकट है। इसके प्रतिकूल परिणाम दीर्घकालिक होंगे।

ब्रिटेन स्थित पर्यावरणीय शोध संस्था 'कन्फ्लिक्ट एंड एन्वायरनमेंट आब्जर्वेटरी' ने युद्ध के दौरान तीन सौ से अधिक जगहों को चिह्नित किया है, जहां पर्यावरण को गंभीर नुकसान हुआ है। ईरान की तेल रिफाइनरियों पर हुए हमलों से हजारों टन तेल समुद्र में पहुंच रहा है, जो समुद्री जीवों के पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर रहा है। विस्फोट से विषैला धुआं श्वास रोग को बढ़ावा दे रहा है। इतना ही नहीं ऊर्जा, खाद्य संकट, गरीबी और महंगाई विकासशील राष्ट्रों के लिए विशेष रूप से जटिल समस्या है। जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक स्तर पर खाद्य संकट की समस्या पहले से बढ़ रही है। खाद्य संकट पर एक वैश्विक रपट के अनुसार 53 देशों में 29 करोड़ पचास लाख से अधिक लोग गंभीर भुखमरी से प्रभावित हैं। भारत सहित विकासशील देशों में कृषि पर वर्षा और मौसम का गहरा असर देखने को मिलता है। यहां के किसानों के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। यह समस्या करीबन हर साल सामने आती है।

दूसरी ओर कहा जा रहा है कि गेहूं और धान जैसी प्रमुख फसलों की कुल उपज में छह से 25 फीसद और धान में तीन से 15 फीसद तक कमी आ सकती है। अनियमित मानसून, सूखा और बाढ़ कृषि उत्पादन को

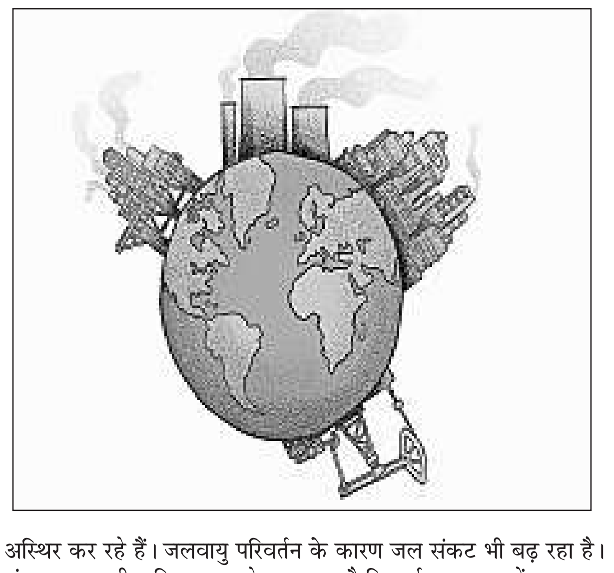

अस्थिर कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण जल संकट भी बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रपट से पता चला है कि वर्तमान समय में हर दूसरा व्यक्ति जल संकट की समस्या से जूझ रहा है। विश्व बैंक ने अपने एक अध्ययन में अनुमान लगाया है कि स्वच्छ जल की कमी से प्रत्येक वर्ष 260

> जलवायु परिवर्तन, गरीबी, असमानता, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दे किसी एक देश तक सीमित नहीं हैं, लेकिन अब यह स्पष्ट है कि कुछ देशों के बीच युद्ध के कारण पूरी दुनिया में मानवता खतरे में है। इसी के साथ पशु-पक्षियों का जीवन भी संकट में है। पर्यावरण हितैषी जीवों की चिंता इस समय किसी को नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध और मानवता के लिए बनाए गए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय नियम सिर्फ कमजोर देशों के लिए बने हैं। जिनेवा सम्मेलन ने पर्यावरणीय नुकसान को युद्ध अपराध की श्रेणी में रखा है। यह अचरज की बात है कि संयुक्त राष्ट्र और रेडक्रास जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं महाशक्तियों के आगे मौन हैं।

अरब डालर का नुकसान होता है। स्थिति गंभीर है क्योंकि अब दुनिया को आगाह किया जा रहा है कि जल संकट से जूझ रहे देशों को वर्ष 2050 तक आर्थिक विकास में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन से उपजा आर्थिक संकट बड़ी चुनौती है। एक शोध में कहा गया है की 2060 तक वैश्विक स्तर पर 3.75 ट्रिलियन डालर का नुकसान हो सकता है। दुनिया भर के देशों में जलवायु परिवर्तन और युद्ध के कारण सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट दर्ज किया गया है। भारत भी जलवायु परिवर्तन का खमियाजा भुगत रहा है।

वर्ष 2022 में जलवायु परिवर्तन के कारण भारत के सकल घरेलू उत्पाद में आठ फीसद का नुकसान हुआ। मानव जनित जलवायु परिवर्तन के कारण पिछले वर्ष वैश्विक आर्थिक उत्पादन में लगभग 6.3 फीसद की कमी दर्ज की गई है। एशिया-प्रशांत के देशों में 2050 तक कुल सकल घरेलू उत्पाद का 2.6 फीसद नुकसान होने की संभावनाएं जताई गई हैं। दक्षिण-पूर्व एशिया और दक्षिण अफ्रीका के देशों में क्रमशः 14.1 और 11.2 फीसद कुल सकल घरेलू उत्पाद का नुकसान हो सकता है। युद्ध और जलवायु परिवर्तन मानव जीवन के लिए घातक है। एक तथ्य यह भी है कि वैश्विक स्तर पर हर दो सेकंड में एक नवजात का जन्म समय से पहले हो रहा है, वहीं हर 40 सेकंड में इनमें से एक शिशु की मौत हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान मुताबिक वर्ष 2030-2050 के बीच जलवायु परिवर्तन से हर साल 2.5 लाख मौतें होंगी। वायु प्रदूषण से पूरी दुनिया में स्वास्थ्य संकट गहरा रहा है। युद्ध और जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया में गरीबी, आय की असमानता और खाद्यान्न संकट के साथ भुखमरी जैसी समस्याएं बढ़ेंगी। आय में लगातार बढ़ती असमानता और खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि की वजह से दुनिया में करीब तीन अरब आबादी पोषक आहार से दूर हो जाएंगी, जिससे कई देशों में कुपोषण जैसी समस्याएं बढ़ेंगी। इससे पूरी दुनिया के सामने एक गंभीर चुनौती पैदा होगी, जिससे निपटना ज्यादातर देशों के लिए आसान नहीं होगा।

जलवायु परिवर्तन, गरीबी, असमानता, स्वच्छ ऊर्जा, और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दे किसी एक देश तक सीमित नहीं हैं, लेकिन अब यह स्पष्ट है कि कुछ देशों के बीच युद्ध के कारण पूरी दुनिया में मानवता खतरे में है। इसी के साथ पशु-पक्षियों का जीवन भी संकट में है। पर्यावरण हितैषी मूक जीवों की चिंता इस समय किसी को नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध और मानवता के लिए बनाए गए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय नियम सिर्फ कमजोर देशों के लिए बने हैं। जिनेवा सम्मेलन ने पर्यावरणीय नुकसान को युद्ध अपराध की श्रेणी में रखा है। यह अचरज की बात है संयुक्त राष्ट्र और रेडक्रास जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं महाशक्तियों के आगे मौन हैं। युद्ध जैसी घातक विपदा खत्म होने के बाद भी पर्यावरणीय घाव लंबे समय तक बने रहते है। वैसे तो सतत विकास के लक्ष्य वैश्विक हैं, इसलिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बिना इन लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव नहीं है।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विकासशील देशों को वित्तीय सहायता, तकनीकी ज्ञान और नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करना जरूरी है। मगर विकसित देश इसमें रुचि नहीं लेते। युद्ध और जलवायु परिवर्तन की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए मानव सभ्यता के अस्तित्व के लिए सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी देशों को एक मंच पर आना होगा। यह केवल पर्यावरणीय चिंता का विषय नहीं है, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के लिए भी इससे खतरा है। इस संकट से निपटने के लिए हर स्तर पर समन्वित प्रयास आवश्यक है।

भरोसे की शक्ति

दुनिया मेरे आगे

अनंतपद्मनाभन

मानव मन एक अद्भुत पहेली है, जो एक क्षण में ब्रह्मांड की सीमाओं को लांघ सकता है और दूसरे ही पल एक छोटी-सी आशंका के पिंजरे में कैद हो सकता है। हम कल्पना करें कि हमने अभी-अभी कोई महत्त्वपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया है। चारों ओर प्रशंसा के शब्द गूंज रहे हैं और हमें सम्मान मिल रहा है। सफलता के उस शिखर पर मन में केवल संतोष होना चाहिए, लेकिन जैसे ही शोर थमता है और हम खुद के साथ होते हैं, तो हमारा मन शांत होने के बजाय एक अजीब-सी उथल-पुथल में घिर जाता है। हमारा मस्तिष्क अचानक एक जासूस की भूमिका निभाते हुए पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करने लगता है। वह बार-बार उसी एक पल पर अटक जाता है, जहां कुछ 'अधूरा' रह गया था- 'मैं उस समय क्यों हिचकिचाया? क्या मैं और बेहतर बोल सकता था?' भले ही हमारी सफलता सौ फीसद रही हो, लेकिन दिमाग न जाने क्यों उस एक फीसद की 'खामी' को ढूंढ़ निकालता है। यह स्थिति एक ऐसे मानसिक भ्रम की रचना करती है, जो हमारी पूरी सफलता की चमक को सोखने लगती है। दरअसल, बरसों से हमारे दिमाग को गलतियां ढूंढ़ने और जोखिमों की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।

जब हम दिन भर समस्याओं को सुलझाने और खुद को त्रुटिहीन बनाने की दौड़ में लगे रहते हैं, तो वही तेज दिमाग घर आने के बाद भी अपनी गति को नियंत्रित करना भूल जाता है। यह नकारात्मक चिंतन का एक चक्र है, जो हमारे निजी रिश्तों और खुशियों में दखल देने लगता है। हमें लगता है कि हम 'सुधार' के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह मन को थकाने वाला एक व्यर्थ चक्र है। इतिहास गवाह है कि बड़े-बड़े विद्वानों का मन भी कभी-कभी उनका साथ छोड़ देता था। आधुनिक विज्ञान के आधार स्तंभ सर आइजैक न्यूटन अक्सर छोटी-छोटी आलोचनाओं पर हफ्तों तनाव में रहते थे। न्यूटन का मस्तिष्क ब्रह्मांड के रहस्यों को तो सुलझा लेता था, लेकिन स्वयं की शांति बनाए रखना उनके लिए चुनौती थी। वे अपनी खोजों को दुनिया के सामने रखने से इसलिए डरते थे कि कहीं कोई उनमें कोई कमी न निकाल दे। इस तरह के उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि बुद्धि एक तेज औजार की तरह है। अगर इसे सही नियंत्रण के साथ नहीं संभाला गया, तो यह स्वयं को ही चोट पहुंचा सकती है। इसी तरह, महान सिविल इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया की नजर इतनी पैनी थी कि वे चलती रेलगाड़ी में केवल कंपन महसूस करके पटरी की दरार भांप लेते थे। कार्य के प्रति यह सजगता अद्भुत थी, पर इसका अर्थ यह भी था कि उनका मन हमेशा एक 'सतर्क भाव' में रहता था।

आज सब एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हैं। हम अक्सर अपनी छोटी-छोटी खुशियों की अनदेखी कर देते हैं। पहले हमारी तुलना केवल करीबियों से होती थी, लेकिन आज हम अपनी तुलना पूरी दुनिया से कर रहे हैं। हम अपनी सफलताओं का जश्न मनाने के बजाय अपनी कमियों का शोक मनाने में अधिक समय बिताते हैं। आत्म-आलोचना तभी तक उपयोगी है, जब तक वह हमें आगे बढ़ने में मदद करे। जब यह आलोचना हमें मानसिक रूप से कमजोर बनाने लगे, तो इसे तुरंत रोकने का समय आ जाता है।

सच्ची आजादी इसी में है कि हम अपने मन को 'आलोचक' के बजाय एक 'दोस्त' की तरह इस्तेमाल करना सीखें। हमें अपनी समझ को रोकने की जरूरत नहीं है, बस इसे सही समय पर सही दिशा देना सीखना होगा। अगर हम किसी एक ही बात को बिना नतीजे के बार-बार सोच रहे हैं, तो यह विचार नहीं, बल्कि मन का भटकाव है। नकारात्मक विचारों को एक तटस्थ दर्शक की तरह देखना और खुद से पूछना चाहिए कि क्या उन आशंकाओं का वास्तव में कोई आधार है। जब मन जासूस बनने लगे, तो उसे याद दिलाने की जरूरत है कि हमें मिली सफलता में हमारी मेहनत का हाथ है।

यह समझना भी जरूरी है कि हमारी मानसिक ऊर्जा सीमित है। अगर हम इसे पुरानी बातों को कुरेदने में खर्च कर देंगे, तो भविष्य की नई संभावनाओं के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। हर नया दिन एक नया अवसर होता है, और उसे कल की गलतियों की छाया में व्यर्थ करना बुद्धिमानी नहीं है। अपनी क्षमताओं को स्वीकार करना और अपनी सीमाओं के साथ शांति बनाना ही व्यक्तित्व विकास का असली आधार है। अक्सर हम दूसरों की नजरों में खुद को साबित करने की कोशिश में अपनी असली पहचान खो देते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि दुनिया हमें वैसे ही देखेगी जैसे हम खुद को देखते हैं।

जीवन के इस सफर में स्वयं को माफ करना और अपनी उपलब्धियों का सम्मान करना सीखना चाहिए। प्रत्येक बाधा केवल एक नया सबक है, न कि हमारी योग्यता पर कोई स्थायी प्रश्नचिह्न। काम के बाद प्रकृति के करीब समय बिताना या शांत बैठना दिमाग को संदेश देता है कि अब विश्राम का समय है। खुद के प्रति उदार होना ही वह चाबी है जो हमें इस वैचारिक जेल से बाहर निकाल सकती है। हमने अपने जीवन में जो मुकाम हासिल किया है, उसे बनाने में सालों की मेहनत लगी है। उस मेहनत का मूल्य समझना चाहिए और अपनी उपलब्धियों को केवल धन-दौलत के तराजू में नहीं तौलना चाहिए।

हमारी बुद्धि एक वरदान है। इसे खुद को नुकसान पहुंचाने का हथियार नहीं बनने देना चाहिए। कमियां ढूंढ़ने वाले मन को यह सिखाना हमारी जिम्मेदारी है कि उसे कब शांत होना है। हमारी भावनाएं कोई 'गलतियां' नहीं हैं, वे हमारे जीवित होने का प्रमाण हैं। दुनिया की तमाम सफलता एक तरफ है, लेकिन हमारा आंतरिक सुकून ही हमारी सबसे असली पूंजी है। हमें व्यर्थ की चिंताओं को त्यागना चाहिए और अपनी मेहनत काबिलियत पर अडिग विश्वास बनाए रखना चाहिए।

> जब हम दिन भर समस्याओं को सुलझाने और खुद को त्रुटिहीन बनाने की दौड़ में लगे रहते हैं, तो वही तेज दिमाग घर आने के बाद भी अपनी गति को नियंत्रित करना भूल जाता है। यह नकारात्मक चिंतन का एक चक्र है, जो हमारे निजी रिश्तों और खुशियों में दखल देने लगता है।

व्यवस्था पर सवाल

हाल ही में पश्चिम बंगाल के मालदा में सात न्यायिक अधिकारियों को उग्र भीड़ द्वारा कई घंटे तक बंधक बना कर रखा जाना कानून-व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाता है। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन नागरिकों का अधिकार है, लेकिन जब यह विरोध हिंसक रूप ले ले, तब यह केवल राजनीतिक असहमति का मामला नहीं रह जाता, बल्कि प्रशासनिक विफलता का संकेत बन जाता है। चुनावी दौर में राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज होना सामान्य है, पर कानून-व्यवस्था बनाए रखना किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। यह अपेक्षा की जाती है कि प्रशासन निष्पक्ष और प्रभावी तरीके से कार्य करे, ताकि आम नागरिकों का भरोसा कायम रहे। यदि प्रशासनिक निर्णय राजनीतिक समीकरणों से प्रभावित होते प्रतीत हों, तो यह लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को कमजोर कर सकता है। बंगाल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध राज्य रहा है। ऐसे राज्य में कानून-व्यवस्था तथा सामाजिक सौहार्द बनाए रखना और भी अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

– अरविंद रावल, झाबुआ

संवाद का रास्ता

'समाधान की राह' (संपादकीय, 4 अप्रैल) पढ़ा। यह वर्तमान वैश्विक स्थिति को सरल और यथार्थ रूप में प्रस्तुत करता है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, विशेषकर ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच टकराव, अब वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है। इसका असर उन देशों पर भी पड़ रहा है, जो सीधे इस संघर्ष में शामिल नहीं हैं। होर्मुज जलमार्ग के बाधित होने से तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे भारत सहित कई देशों में महंगाई और ऊर्जा संकट बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। ऐसे समय में यह जरूरी है कि सभी पक्ष संवाद का रास्ता अपनाएं। भारत द्वारा शांति, संयम और कूटनीति पर जोर देना उसके संतुलित और जिम्मेदार दृष्टिकोण को दर्शाता है। युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। यदि विश्व समुदाय मिल कर संवाद और सहयोग को प्राथमिकता दे, तो स्थिरता और शांति सुनिश्चित की जा सकती है।

– आशुतोष पांडेय, जम्मू

महंगी होती शिक्षा

पिछले कुछ वर्षों में स्कूली किताबों की कीमतों में लगातार वृद्धि ने अभिभावकों की आर्थिक स्थिति पर दबाव डाला है। सरकारी संस्थानों की अपेक्षाकृत सस्ती पुस्तकों के मुकाबले निजी प्रकाशकों की किताबें कई गुना महंगी हैं, जिससे शिक्षा में समान अवसर के बजाय असमानता की स्थिति पैदा हो रही है। यदि पूरे देश में समान पाठ्यक्रम और मानकीकृत पुस्तक व्यवस्था लागू हो, तो न केवल किताबों की कीमतों पर नियंत्रण संभव होगा, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच भी समान हो सकेगी। वर्तमान में अलग-अलग बोर्ड, निजी स्कूलों की मनमानी और प्रकाशकों की प्रतिस्पर्धा ने शिक्षा को बाजार का रूप दे दिया है। जरूरत है कि सरकार इस दिशा में ठोस नीति बना कर सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करे, ताकि हर वर्ग का बच्चा बिना आर्थिक बोझ के समान अवसर प्राप्त कर सके। शिक्षा के अधिकार का लक्ष्य पूरा करने में यह बड़ा कदम होगा।

– तेज बहादुर मौर्य, गाजीपुर, उप्र

दंभ का दायरा

'संवाद के बजाय' (संपादकीय, 3 अप्रैल) पढ़ा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ऐसे आक्रामक और दंभ भरे बयान देते रहते हैं, जिनसे स्थिति और जटिल हो रही है। उनके बयानों की वजह से ईरान की प्रतिक्रिया और अधिक आक्रामक रूप से सामने आती है। वह अमेरिकी और इजराइल के ठिकानों पर लगातार मिसाइल हमले कर रहा है। लगता है कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। प्रतिष्ठा की इस लड़ाई में दुनिया भर के देश इस संघर्ष की चपेट में आ रहे हैं और जिस प्रकार से ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है, उससे उद्योग धंधों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है। पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। ऐसे में वैश्विक संस्थाओं का मूक बने रहना ठीक नहीं। यह निश्चित है कि संघर्ष का अंत बातचीत से ही निकलेगा। मगर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, यह भविष्य बताएगा।

– वेद प्रकाश, गुरुग्राम

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सिर्फ नौकरी छोड़ने की क्रिया नहीं, बल्कि विशिष्ट अधिकार : न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नौकरी छोड़ने या काम बंद करने की क्रिया नहीं है, बल्कि यह कर्मचारी का विशिष्ट अधिकार है जो निर्धारित वर्षों की सेवा पूरी होने के बाद प्राप्त होता है। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 2019 के दो अलग-अलग आदेशों को चुनौती देने वाली अपीलों पर अपना फैसला सुनाया। एक बैंक ने यह अपील दायर की थीं। उच्च न्यायालय ने एक बैंक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने का निर्देश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस में निर्दिष्ट तीन महीने की नोटिस अवधि पूरी होने के बाद या काम पर आना बंद करने की तारीख से, उसे स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त माना जाए। उच्चतम न्यायालय ने गौर किया कि कर्मचारी की नियुक्ति सितंबर 1983 में हुई थी और अप्रैल 2007 में उसे प्रबंधक के पद पर पदोन्नत किया गया।

लोकसभा की संचार और प्रौद्योगिकी समिति ने की सिफारिश

कृत्रिम मेधा का दुरूपयोग रोकने के लिए कानून लाए सरकार

पंकज रोहिला

कृत्रिम मेधा (एआइ) के गलत प्रयोग से नागरिकों को बचाने के लिए एक नए कानून की आवश्यकता है। इन कानून (विधेयक) की मदद से नागरिकों को वित्तीय धोखाधड़ी, डराने धमकाने अथवा डीपफेक आडियो वीडियो से बचाया जा सकेगा। इस कानून का विशेष लाभ इस जाल में फंस जाने वाले महिलाओं व बच्चों को हो सकेगा। केंद्र सरकार को इस विधेयक पर तत्काल काम करने की आवश्यकता है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थाई समिति ने सरकार से इस विधेयक को तैयार करने की सिफारिश की है।

संसदीय समिति का मानना है कि एआइ का प्रयोग नैतिक व जिम्मेदाराना तरीके से होना चाहिए। विश्व के अनेक देश इस दिशा में कई पहल कर चुके है और कानून तैयार कर चुके हैं। ये कानून बाध्यकारी है। इसी तर्ज पर भारत में भी ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने इस रपट को संसद में पेश किया है। समिति ने कहा कि इस विधेयक में ऐसा भी प्रावधान किया जाए, जिसमें कुछ सोशल प्लेटफार्म पर आने के लिए आयु सीमा को भी तय किया जाए ताकि नागरिकों को एआइ के प्रयोग से रोका जा सके।

एआइ दुपयोग रोकने के लिए मानव संधान की विशाल मानव संसाधन की क्षमता को विकसित करने की सिफारिश संसदीय समिति की ओर से की गई है। इसमें विशेषतौर पर कालेज में एआइ को लोकप्रिय बनाने और सभी विश्वविद्यालयों में फैलोशिप, अकादमी अनुसंधान (पीएचडी), डेटा केंद्र, एआइ लैब और शिक्षण प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति योजना की भी सिफारिश सरकार को की गई है। इन योजनाओं मदद से भविष्य में एआइ को अधिक प्रभावी तौर पर लागू करने में भी मदद मिलेगी। मंत्रालय के मुताबिक संबंधित धोखेबाज विभिन्न तरीकों से मौजूदा बुनियादी ढ़ांचे का फायदा उठाते हैं, जिसमें बैंकिंग (म्यूल अकाउंट, वर्चुअल अकाउंट, पेमेंट एग्रीग्रेटर, पेमेंट गेटवे, सीबीडीसी का दुपयोग, क्रिप्टो करंसी आदि), टेलीकाम (म्यूल सिम, सिमबाक्स, एसएमएस हैंडल, काल) आदि का प्रयोग धोखेबाजी के लिए किया जाता है।

मांग

इन कानून (विधेयक) की मदद से नागरिकों को वित्तीय धोखाधड़ी, डराने धमकाने अथवा डीपफेक आडियो वीडियो से बचाया जा सकेगा। इस कानून का विशेष लाभ इस जाल में फंस जाने वाले महिलाओं व बच्चों को हो सकेगा।

गृह मंत्रालय जल्द लाएगा, एआइ आधारित शिकायत प्रणाली

रपट में गृह मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी है कि वह आइ4सी 1930 साइबर अपराध सहायता के लिए एआइ सहायता प्राप्त शिकायत पंजीकरण प्रणाली लागू की योजना पर काम कर रहा है। दावा किया है कि इस पहल से शिकायत दर्ज करने में लगने वाले समय को कम किया जा सकेगा और उपयोगकर्ताओं के अनुभव के आधार पर इसमें सुधार किया जा सकेगा। हालांकि मंत्रालय ने बताया कि वह साइबरदोस्त के नाम से एक सोशल मीडिया हैंडल भी चला रहा है, जो मामले दर्ज करने की प्रक्रिया को आसान बना रहा है। इसके अतिरिक्त एक 'एप्लीकेशन' भी भविष्य के लिए मंत्रालय की ओर से विकसित की जा रही है।

अवैध प्रवेश और डिजिटल सुरक्षा के लिए प्रयोग करें एआइ : एक अप्रैल 2026 से शुरू हुई मिशन मोड परियोजना के तहत आप्रवासन, वीजा विदेशियों का पंजीकरण और ट्रैकिंग के लिए एआइ आधारित मशीनों का प्रयोग करने की योजना है। इस आंकड़े का प्रयोग कर भविष्य में प्रामणिकता और सुरक्षा बढ़ाने पर काम होगा। समिति के सामने यह भी आया है कि अभी तक दुनिया के किसी भी देश के साथ आंकड़े साझा करने पर कोई सहयोग नहीं मिला है। इसलिए समिति ने इस कानून को और सख्त और मजबूत बनाने पर जोर दिया है।

पश्चिम एशिया संकट

गिरने लगा स्वदेशी चिकित्सा उपकरण का उत्पादन

जनसत्ता ब्यूरो

पश्चिम एशिया संकट के चलते देश में स्वदेशी चिकित्सा उपकरण का उत्पादन गिरने लगा है। कई छोटी इकाइयां बंद होने के कगार पर पहुंच गई है, जबकि काफी जगहों पर कच्चे माल की आपूर्ति प्रभावित होने से उत्पादन सुस्त होता जा रहा है। देश में हर दिन लाखों मरीजों के इलाज के लिए एक बार इस्तेमाल होने वाले चिकित्सा दस्ताने, 'सिरिंज' और 'आइवी सेट', 'कैथटर' सहित अन्य की जरूरत होती है। इस जरूरत का करीब 80 फीसद आपूर्ति भारत में निर्मित चिकित्सा उपकरण से ही होता है।

मौजूदा समय में देश की छोटी व मध्यम स्तर की कंपनियां इनकी आपूर्ति कर रही हैं, लेकिन युद्ध के कारण मार्च में इन कंपनियों का लाभ 15-25 फीसद तक कम हो गया। बावजूद इसके शुरुआत में अधिकांश कंपनियां लागत वहन करती रही, लेकिन अब कई निर्माताओं ने दीर्घकालिक अनुबंधों पर पुनर्विचार कर पिछले एक सप्ताह में गैर-अनुबंधित व्यवसाय के लिए कीमतों में 15-20 फीसद तक की वृद्धि कर दी है। इसका असर आने वाले दिनों में मरीजों के इलाज पर दिखेगा। चिकित्सा उपकरण के उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में हर साल पांच से सात अरब 'सिरिंज' और सुइयां बनती है। भारत अभी भी 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की 'सिरिंज' और सुइयां आयात करता है, जबकि 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की 'सिरिंज' निर्यात भी करता है। भारत की जरूरत को पूरा करने के लिए स्थानीय स्तर पर हो रहे उत्पादन से 70-80 फीसद मांग पूरी होती है। वहीं आयात प्रीमियम ब्रांड या ज्यादा व्यापार लाभ वाले कार्पोरेट अस्पतालों की जरूरतों को पूरा करते हैं। इसमें 30 फीसद 'कैथेटर' और 90 फीसद 'सिरिंज/ आइवी सेट' घरेलू होते हैं।

देशभर के सरकारी सहित छोटे शहरों के निजी अस्पतालों में इन सामान को सस्ते दर पर उपलब्ध करवाने की मांग आती है। लेकिन मौजूदा समय में पालिमर की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी (60-70 फीद), भू-राजनीतिक उथल-पुथल के कारण ऊर्जा की लागत में बढ़ोतरी (औद्योगिक इस्तेमाल वाले डीजल की कीमत 20 फीसद और पीएनजी की कीमत 60 फीसद से ज्यादा बढ़ी), जीएसटी दरों में विसंगति (इनपुट पर 18 फीसद बनाम आउटपुट पर 5 फीसद), और माल ढुलाई की लागत में बढ़ोतरी ने सस्ते दर पर उपलब्ध होने वाली सुविधा को प्रभावित कर दिया है। इसके अलावा आपूर्ति को कच्चे माल की कीमतों में अचानक उछाल और अगली कीमत बढ़ोतरी की घोषणा से पहले खरीदारों द्वारा माल जमा करने की होड़ भी दिख रही है। साथ ही कुछ निर्माता नुकसान कम करने के लिए उत्पादन सीमित कर रहे हैं या युद्ध जल्द खत्म होने की उम्मीद में अनुबंध के तहत आपूर्ति में देरी कर रहे हैं।

सरकार से की है मदद की मांग : भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग संघ के संयोजक राजीव नाथ का कहना है कि इन चिकित्सा उपकरण के उत्पादन पर कुल खर्च कर 60 फीसद हिस्सा कच्चा माल और पैकेजिंग का होता है। ऊर्जा संकट के कारण पिछले पांच सप्ताह में पालिमर की कीमतों में अचानक तेजी आई है। इन समस्याओं से हो रही परेशानी के बारे में सरकार को बता दिया गया है। यदि सरकार आयात शुल्क माफ करने के साथ दूसरी मदद करती है तो बड़ी राहत मिलेगी।

दाम बढ़ने के बाद भी बंद होने के कगार पर पहुंच रही छोटी इकाइयां, उपलब्ध नहीं हो पा रहा कच्चा माल, हर दिन लाखों मरीजों को होती हैं इनकी जरूरत।
80 फीसद आपूर्ति स्वदेशी उत्पादन से, निर्यात का सामान होता है बड़े निजी अस्पतालों में इस्तेमाल।

बूचड़खाने को निगम क्षेत्र से बाहर करने पर हंगामा

सुनील दत्त पांडेय

तीर्थ नगरी हरिद्वार के नगर निगम क्षेत्र में अब कोई बूचड़खाना नहीं रहेगा। अब यह सब दुकानें नगर निगम क्षेत्र से बाहर सराय गांव में स्थानांतरित की जाएगी। हरिद्वार के नगर निगम की एक बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। तीर्थ नगरी हरिद्वार के उपनगर ज्वालापुर क्षेत्र में 1970 के लगभग से बूचड़खाने की दुकानें चल रही हैं। सोमवार को ऋषिकुल आडिटोरियम में हुई नगर निगम बोर्ड महत्वपूर्ण बैठक में महापौर किरण जैसल की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित किया गया कि तीर्थ नगरी हरिद्वार के नगर निगम क्षेत्र में बूचड़खाना नहीं रहेगा और बूचड़खाने की सभी दुकानें नगर निगम क्षेत्र से बाहर सराय गांव में स्थानांतरित की जाएगी।

जब नगर निगम की महत्त्वपूर्ण बैठक में यह प्रस्ताव के पेश किया गया तो एक समुदाय विशेष के कुछ पार्षदों ने इसका विरोध किया और बोर्ड की बैठक में बवाल काटा। इस प्रस्ताव का कांग्रेस के कुछ पार्षदों ने विरोध किया। परंतु नगर निगम में भाजपा पार्षदों के बहुमत के कारण यह प्रस्ताव पारित हो गया। हरिद्वार नगर निगम की महापौर किरण जैसल ने कहा कि ज्वालापुर उपनगर क्षेत्र की जनता की लगातार मांग आ रही थी कि इस उप नगरी से बूचड़खानों की दुकानों को तुरंत हटाया जाए, जिससे एक वर्ग विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है और बूचड़खाने से महामारी फैलने का भी लगातार खतरा बना रहता है।

हरिद्वार हर की पैड़ी की प्रबंधकारिणी संस्था श्री गंगा सभा के अध्यक्ष पंडित नितिन गौतम ने नगर निगम क्षेत्र से बूचड़खाने की दुकानों को हटाने के नगर निगम बोर्ड के फैसले का जोरदार स्वागत किया है उन्होंने कहा कि ज्वालापुर उपनगर में तीर्थ पुरोहितों के आवास बड़ी तादाद में हैं, जो सदियों से यहां पर रहते आ रहे हैं और इससे तीर्थ नगरी हरिद्वार की मर्यादा का मान बढ़ेगा और पुरोहितों और सनातनियों की भावनाओं को सम्मान मिलेगा। ज्वालापुर में पुरोहितों और सनातनियों के अलावा मुसलिम वर्ग भी काफी संख्या में रहते हैं। संभावित महामारी फैलने को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार नगर निगम की महापौर किरण जैसल ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जैसल ने बताया कि काफी लंबे समय से ज्वालापुर के तीर्थ पुरोहितों और सनातनियों की ओर से लगातार यह मांग उठाई जा रही थी कि ज्वालापुर उपनगरी से बूचड़खाने की सभी दुकानों को नगर निगम क्षेत्र से बाहर किया जाए। यह फैसला जनहित में लिया गया है।

हरिद्वार नगर निगम के नगर आयुक्त नंदन कुमार का कहना है कि ज्वालापुर क्षेत्र में कच्चे मीट यानी बूचड़खाने की दुकानों को बंद करके नगर निगम क्षेत्र से बाहर सराय गांव में स्थानांतरित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सराय में 56 दुकानों का निर्माण किया गया है, जहां पर बूचड़खानों की दुकानें स्थानांतरित की जानी है और जल्दी ही इसे अमल में लाया जाएगा। रेस्तरां और ढाबों में पका हुआ मास परोसने वालों पर भी आने वाले समय में विचार होगा। जीत पुरोहित संगठन के अध्यक्ष उज्ज्वल पंडित ने कहा कि ज्वालापुर से बूचड़खाने की दुकानों को सराय में स्थानांतरित करने का फैसला स्वागत योग्य है। अखिल भारतीय परशुराम अखाड़े की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि नगर निगम का ज्वालापुर में स्थित बूचड़खाने को सराय क्षेत्र में स्थानांतरित करना सनातनियों का सम्मान है। दूसरी ओर, ज्वालापुर में बूचड़खाने की दुकानों का संचालन करने वालों ने नगर निगम हरिद्वार के इस फैसले का जबरदस्त विरोध किया है। बूचड़खाने की दुकानदारों के संगठन के प्रमुख मोहम्मद मौमिन ने कहा कि शहर से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर सराय गांव में बूचड़खाने की दुकानों को स्थानांतरित करने से उनका रोजगार छिन जाएगा।

हरिद्वार के उपनगर ज्वालापुर क्षेत्र में 1970 के लगभग से बूचड़खाने की दुकानें चल रही हैं, लेकिन अब बूचड़खाने की सभी दुकानें नगर निगम क्षेत्र से बाहर सराय गांव में स्थानांतरित की जाएगी। कुछ पार्षदों ने बोर्ड की बैठक में किया विरोध, फिर भी पारित हुआ प्रस्ताव।

उत्तराखंड

सीप्लेन

ऋषिकेश के पशुलोक बैराज पर गंगा नदी के ऊपर एक डी हैविलैंड कनाडा डीएचसी-6 ट्विन ओटर सीप्लेन का परीक्षण किया गया।

विशेष बच्चों को करिअर चुनना होगा आसान

जनसत्ता ब्यूरो

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अब करिअर चुनना पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान और व्यवस्थित होने जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने 'करिअर कार्ड' जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों को उनकी रुचि, क्षमता और संभावनाओं के अनुसार सही मार्गदर्शन देना है। ये करिअर कार्ड राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने यूनिसेफ के सहयोग से तैयार किए हैं और अब इन्हें विशेष बच्चों तक भी पहुंचाया गया है, जो समावेशी शिक्षा की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

इन करिअर कार्ड के माध्यम से विद्यार्थियों को करीब 500 अलग-अलग करिअर विकल्पों की विस्तृत जानकारी दी गई है, जिनमें कृषि, कला, मीडिया, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशिक्षण जैसे विविध क्षेत्र शामिल हैं। हर करिअर कार्ड में किसी एक पेशे से जुड़ी पूरी जानकारी सरल भाषा में दी गई है, जिसमें उस क्षेत्र के लिए जरूरी कौशल, पढ़ाई और कोर्स, प्रवेश प्रक्रिया, संभावित छात्रवृत्ति, शिक्षा ऋण, नौकरी के अवसर और शुरुआती वेतन से लेकर भविष्य में वृद्धि की संभावनाओं तक का विवरण शामिल है। इतना ही नहीं, प्रत्येक कार्ड में विशेषज्ञों की राय भी जोड़ी गई है, ताकि विद्यार्थी उस करिअर की वास्तविकता और संभावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकें। यह पहल केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे व्यावहारिक रूप से उपयोगी बनाने के लिए स्कूलों में करिअर मेले, चर्चाएं और काउंसलिंग सत्र आयोजित करने की भी योजना है।

शिक्षक और परामर्शदाता विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी रुचियों और क्षमताओं को समझेंगे और उसी आधार पर उन्हें उपयुक्त करिअर विकल्प चुनने में मदद करेंगे। विद्यार्थियों को भी प्रोत्साहित किया गया है कि वे इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लें, अपनी पसंद और नापसंद खुलकर साझा करें और किसी भी प्रकार की उलझन होने पर शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करें।

संभावना

बायो गैस व सीबीजी का हो सकता है वाहन व रसोई ईंधन में इस्तेमाल

सर्वेश कुमार

पश्चिम एशिया संकट के दौरान ऊर्जा स्रोतों को लेकर दूसरे देशों पर निर्भरता की वजह से पैदा हो रही स्थिति से निपटने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत कृषि अवशेष खासकर पराली और रसोई से निलकने वाले अवशेषों से तैयार, बायोगैस, संपीडित बायो गैस (सीबीजी) और प्रोड्यूशर गैस के तौर पर ऊर्जा स्रोतों के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनका इस्तेमाल वाहनों और रसोई गैस के तौर पर किया जा सकता है। जानकारों का कहना है कि इसके लिए संसाधन मौजूद हैं, लेकिन नीतिगत बदलाव करने की जरूरत है। इससे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को अपनाने में सहूलियत बढ़ेंगी और पेट्रोलियम के आयात पर निर्भरता भी धीरे धीरे कम होगी।

फसलों के अवशेष यानी पराली से बायोगैस बनाए जा रहे हैं। इसे संपीडित करने के बाद सीबीजी तैयार किया जाता है, जिसे वाहनों वाहनों में सीएनजी या घरेलू पीएनजी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यूरोप के कुछ देशों में इसे अपनाया भी जा रहा है जिसकी भूमिका प्रदूषण नियंत्रण के साथ साथ हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिहाज से अहम हो सकती है।

ऊर्जा विशेषज्ञ प्रो देबोजित पालित के मुताबिक, गैस के साथ डीएमई सम्मिश्रण से पेट्रोलियम पर निर्भरता को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारी रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि देश में बायोगैस और कोयले से गैस के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। इसमें हाइड्रोजन होता है, जिसे अलग कर डाइ मिथाइल ईथर (डीएमई) तैयार कर, एलपीजी के विकल्प के तौर इस्तेमाल कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि जिस तरह पेट्रोल में इथेनाल सम्मिश्रण को सफलता मिली है, ठीक उसी तर्ज पर गैसों के लिए डीएमई सम्मिश्रण को और बढ़ावा देना चाहिए। इसकी मदद से 'प्रोडयूसर' गैस तैयार कर, रसोई के लिए ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है जिसकी क्षमता कमोबेश एलपीजी की तरह ही है।

इससे जहां ऊर्जा संकट से निटपने में सहूलियत होगी तो दूसरी तरफ किसानों के लिए कृषि अवशेषों, खासकर पराली के जलाने से प्रदूषण की समस्या पर भी काफी हद तक नियंत्रण में मदद मिल सकती है। लेकिन, इसके लिए आपूर्ति शृंखला को और बेहतर करना होगा ताकि मांग के मुताबिक आपूर्ति भी की जा सके। इससे ऊर्जा स्रोतों के विकल्प बढ़ने के साथ दूसरे देशों पर निर्भरता भी कम होगी और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिलने से भारत ऊर्जा विकल्पों के मामले में भी आत्मनिर्भर हो सकेगा।

कचरे से रसोई गैस बनाने के लिए आइआइटी ने तकनीक विकसित की : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बाम्बे ने कचरे से रसोई गैस बनाने के लिए एक तकनीक विकसित की है। इसके जरिए सूखे पत्तों और कचरे से रसोई ईंधन बनाया जा सकता है। इस तकनीक के इस्तेमाल से एलपीजी की कम खपत के साथ साथ पर्यावरण को भी फायदा मिल रहा है। आइआइटी ने बायोमास गैसीफायर मशीन तैयार किया है, जिसमें सूखे पत्तों और जैविक कचरे से रसोई गैस बनाया जा सकता है। संस्थान के इसके लिए पेटेंट तकनीक विकसित की है।

देश

कृषि अवशेष पराली और रसोई से निलकने वाले अवशेषों से तैयार, बायोगैस, संपीडित बायो गैस (सीबीजी) और 'प्रोड्यूशर' गैस के तौर पर ऊर्जा स्रोतों के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनका इस्तेमाल ईंधन के रूप में वाहनों और रसोई गैस के तौर पर किया जा सकता है।
जिस तरह पेट्रोल में इथेनाल सम्मिश्रण को सफलता मिली है, ठीक उसी तर्ज पर गैसों के लिए डीएमई सम्मिश्रण को और बढ़ावा देना चाहिए।

निर्वाचन आयोग ने कहा

चुनाव बाद शेष 22 प्रदेशों में भी होगा पुनरीक्षण

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

निर्वाचन आयोग इस महीने पांच विधानसभाओं के चुनाव के बाद दिल्ली सहित शेष 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) का तीसरा और अंतिम चरण शुरू कर सकता है। निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने यह संकेत दिए। इस महीने केरल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और मतगणना चार मई को होगी।

आयोग के अधिकारियों ने बताया कि 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में दूसरे एवं अंतिम चरण का मतदान समाप्त होने के बाद पुनरीक्षण शुरू किया जा सकता है। एक और संभावना है कि चुनाव नतीजों की घोषणा के बाद इस कवायद को बड़े पैमाने पर शुरू किया जाए। अब तक, पुनरीक्षण 10 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में किया जा चुका है। असम में मतदाता सूची का ह्यविशेष पुनरीक्षणह्ल किया गया है। जिन राज्यों में अब तक पुनरीक्षण किया गया, उनमें सिर्फ उत्तर प्रदेश में अब तक अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित नहीं हुई है। अब तक के पुनरीक्षण में लगभग 99 करोड़ मतदाताओं में से 60 करोड़ मतदाताओं को कवर किया गया है। शेष लगभग 39 करोड़ मतदाताओं को 17 राज्यों और पांच केंद्र शासित प्रदेशों में प्रस्तावित पुरनीक्षण की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। बीते 19 फरवरी को निर्वाचन आयोग ने दिल्ली सहित 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा था कि वो पुनरीक्षण से संबंधित प्रारंभिक कार्य जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि यह कवायद अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद है। एक बार इन राज्यों में यह कवायद पूरी होने के बाद पूरे देश में पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लद्दाख, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा था। पत्र में आयोग ने कहा कि मतदाता सूची के अखिल भारतीय विशेष गहन पुनरीक्षण का आदेश पिछले साल जून में दिया गया था। विभिन्न कारणों से पुनरीक्षण से जुड़े कार्यक्रम में बार-बार बदलाव हुआ।

बिहार की तरह राजनीतिक दलों ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में पुनरीक्षण को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने व्यक्तिगत रूप से अपने राज्य में पुनरीक्षण के खिलाफ प्रधान न्यायाधीश की पीठ के समक्ष गुहार लगाई थी। जब निर्वाचन आयोग बिहार में पुनरीक्षण की तैयारी कर रहा था तब इसके कई अधिकारियों ने दावा किया था कि उनके जमीनी स्तर के पदाधिकारियों को बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमा के कई नागरिक मिले थे।

आयोग के अधिकारियों ने बताया कि 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में दूसरे एवं अंतिम चरण का मतदान समाप्त होने के बाद पुनरीक्षण शुरू किया जा सकता है। एक और संभावना है कि चुनाव नतीजों की घोषणा के बाद इस कवायद को बड़े पैमाने पर शुरू किया जाए। अब तक, पुनरीक्षण 10 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में किया जा चुका है। असम में मतदाता सूची का 'विशेष पुनरीक्षण' किया गया है।

'मणिपुर में हालात को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाएं प्रधानमंत्री'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मणिपुर में दो बच्चों की हत्या पर दुख जताते हुए मंगलवार को कहा कि हालात के नियंत्रण से बाहर निकलने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ठोस और तत्काल कदम उठाने चाहिए।

ज्ञात हो कि मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने मंगलवार को बम से हमला किया, जिसमें दो बच्चों की मौत हो गई तथा उनकी मां घायल हो गई। इस घटना के बाद स्थानीय निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया।

राहुल गांधी ने 'एक्स' पर लिखा कि मणिपुर में बीएसएफ जवान के घर में सोते दो नन्हे बच्चों की हत्या की खबर दिल को चीर देने वाली है। मणिपुर में हिंसा की दहकती हुई आग में आज तीन साल बाद भी निर्दोष बच्चे झुलस रहे हैं, शांति का कोई संकेत दूर-दूर तक नजर नहीं आता। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार इतनी संवेदन शून्य और पत्थरदिल हो गई है कि मानो यह भूल चुकी है कि मणिपुर के बच्चे भी देश के बच्चे हैं, हमारा भविष्य हैं।

ज्ञात हो कि मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने मंगलवार को बम से हमला किया, जिसमें दो बच्चों की मौत हो गई।

राहुल गांधी ने सवाल किया कि कब जागेगी ये सरकार। आखिर कब तक अपनों की लाशें गिनते-गिनते मणिपुर करता रहेगा इंतजार। उन्होंने कहा कि मैं बार-बार कहता आया हूं कि शांति ही एकमात्र रास्ता है। सभी समुदायों को साथ लाकर, संवेदनशीलता से ही इस संकट का स्थायी समाधान निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, मणिपुर सिर्फ एक राज्य नहीं है, जिम्मेदारी है। सिर्फ नाम का एक बयान काफी नहीं, सिर्फ दिखावे का एक दौरा काफी नहीं। आपको ठोस और तत्काल कदम उठाने ही होंगे, इससे पहले कि हालात पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो जाएं।

समारोह नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के 39वें दीक्षांत समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन और वीसी प्रोफेसर उमा कांजीलाल।

देश के बड़े शहरों के 5,000 से अधिक लोग अध्ययन में शामिल

सेहत को 42.5% भारतीय कम प्राथमिकता देते हैं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

वेलनेस प्लेटफार्म 'हैबिल्ड' की ओर से किए गए एक सर्वेक्षण में मंगलवार को दावा किया गया कि 42.5 फीसद भारतीय व्यस्त समय में अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं और 57.8 फीसद का कहना है कि उन्हें पता है कि उनके लिए क्या अच्छा है, लेकिन वे इसका नियमित रूप से पालन करने में असमर्थ हैं। यह सर्वे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और वास्तव में अमल करने के बीच अंतर को उजागर करता है।

हैबिल्ड के इस अध्ययन में देश के महानगरों और बड़े शहरों से 5,000 से अधिक लोगों के उत्तर शामिल हैं। यह सर्वे विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर किया गया। अध्ययन में यह भी सामने आया कि 46 फीसद प्रतिभागी सक्रियता के माध्यम से फिट रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन नियमितता बनाए रखने में विफल रहते हैं। करीब 90 फीसद प्रतिभागी 45 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाएं थीं। रपट के अनुसार 57.8 फीसद प्रतिभागियों ने कहा कि वे जानते हैं कि उनके स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है, लेकिन इसे कायम रखने में असमर्थ हैं। 46 फीसद सक्रिय तौर पर फिट रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन नियमित रूप से ऐसा नहीं कर पाते। इसका अर्थ है कि चुनौती अब जागरूकता की नहीं, बल्कि स्वस्थ आदतों को रोजमर्रा के जीवन में शामिल करने की है। सर्वे में रोजमर्रा के समझौते जैसे व्यायाम छोड़ना, घर के काम के कारण टहलने में देरी करना, या नींद में कटौती करना स्वास्थ्य को प्राथमिकताओं की सूची में नीचे रखने के उदाहरण बताए गए हैं।

अध्ययन में यह भी सामने आया कि 46 फीसद प्रतिभागी सक्रियता के माध्यम से फिट रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन नियमितता बनाए रखने में विफल रहते हैं। करीब 90 फीसद प्रतिभागी 45 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाएं थीं।

अध्ययन में लिंग विशिष्ट बाधाओं का भी खुलासा हुआ। महिलाओं में परिवार और घरेलू जिम्मेदारियों के कारण स्वास्थ्य को कम प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति अधिक पाई गई, जिससे उनकी दिनचर्या असंगत हो जाती है, जबकि पुरुषों के मामले में उच्च इच्छाशक्ति होने के बावजूद अनुशासन और पालन में कठिनाई आती है। जीवनशैली संबंधी दबाव स्वास्थ्य बनाए रखने में मुख्य बाधा बने हुए हैं। सर्वे में 28 फीसद प्रतिभागियों ने परिवार की जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दी।

प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस का शुभारंभ करेंगे : धामी

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून 7 अप्रैल।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबेडकर जयंती के दिन 14 अप्रैल को देहरादून में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे। यह जानकारी मंगलवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है इसलिए उन्होंने उत्तराखंड के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू करवाई है और जिनमें से अधिकतर योजनाओं का कार्य पूरा हो चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे से रोजगार, पर्यटन और व्यापार को मिलेगा बड़ा बढ़ावा मिलेगा और राज्य के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे से रोजगार, पर्यटन और व्यापार को मिलेगा बड़ा बढ़ावा मिलेगा और राज्य के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में आगामी 14 अप्रैल को प्रस्तावित प्रधानमंत्री के उत्तराखंड आगमन एवं दिल्लीझ्रदेहरादून एक्सप्रेसवे के शुभारंभ कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में एक उच्चस्तरीय बैठक ली। मुख्यमंत्री ने इस अवसर को राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक बताते हुए सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस भव्य आयोजन में समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ताकि यह कार्यक्रम जन-उत्सव का रूप ले सके।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूछा

बहुजन उद्यमी बड़े सरकारी ठेकों से बाहर क्यों

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद में पूछे गए प्रश्न और उस पर सरकार के उत्तर का हवाला देते हुए मंगलवार को सरकार से सवाल किया कि बहुजन उद्यमियों को देश के सबसे बड़े सार्वजनिक ठेकों से बाहर क्यों रखा जा रहा है।

राहुल ने बीते दो अप्रैल को लोकसभा में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित लिखित प्रश्न पूछे थे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया में यह सवाल सार्वजनिक किया। राहुल गांधी ने बताया कि संसद में सरकार से मैंने पूछा कि पिछले वर्ष 16,500 करोड़ रुपए के सार्वजनिक कार्यों के ठेकों में से कितने ठेके दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के व्यवसायियों को मिले? उनका जवाब बेहद चिंताजनक था,

उन्होंने कहा कि सरकार इस संबंध में कोई आंकड़ा ही नहीं रखती। उन्होंने ने कहा कि नीति के तहत सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया के तहत 25 फीसद खरीद एमएसएमई से होनी चाहिए, जिसमें से चार फीसद खरीद दलित और आदिवासी उद्यमियों से किया जाना निर्धारित है, लेकिन जब बात सबसे बड़े और लाभकारी ठेकों और सार्वजनिक कार्यों की आती है, तो सरकार कहती है कि यह 'अनिवार्य' नहीं है। राहुल गांधी ने ने दावा किया कि यह केवल एक प्रशासनिक कमी नहीं है। यह मोदी सरकार की नीतियों के जरिये जानबूझकर बनाई गई बहिष्कार की व्यवस्था है जो सामाजिक और आर्थिक न्याय को कमजोर करती है। उन्होंने कहा कि सवाल सीधा है कि बहुजन उद्यमियों को देश के सबसे बड़े सार्वजनिक ठेकों से बाहर क्यों रखा जा रहा है? आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने राहुल गांधी के प्रश्न के उत्तर में पिछले पांच साल के दौरान प्रदान किए गए लोक निर्माण और अवसंरचना ठेकों की वर्ष-वार संख्या और मूल्य की सूची उपलब्ध कराई थी।

अत्यावश्यक मामलों का उल्लेख केवल प्रधान न्यायाधीश के समक्ष ही संभव

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

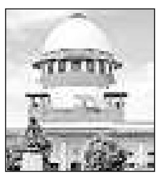

सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया से जुड़े एक अहम निर्देश में कहा है कि अत्यंत आवश्यक मामले, जिनमें सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया का इंतजार नहीं किया जा सकता, उनका सिर्फ प्रधान न्यायाधीश के सामने उल्लेख किया जा सकता है, भले ही वह किसी संविधान पीठ की अध्यक्षता करने में व्यस्त हों।

आम तौर पर, यदि प्रधान न्यायाधीश उपलब्ध नहीं हैं या किसी संविधान पीठ की अध्यक्षता में व्यस्त हैं तो अत्यावश्यक सुनवाई वाले मामलों को सूचीबद्ध करने और सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष उल्लेख किया जाता है। छह अप्रैल को जारी एक परिपत्र में शीर्ष न्यायालय ने कहा, अत्यंत आवश्यक मामलों का उल्लेख, जिनमें 29 नवंबर, 2025 के परिपत्र के अनुसार अदालत के समक्ष सूचीबद्ध करने का इंतजार नहीं किया जा सकता, उनमें अदालत संख्या 1 के समक्ष उल्लेख करने की अनुमति है, भले ही प्रधान न्यायाधीश किसी संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे हों। परिपत्र मुताबिक ऐसे मामलों का उल्लेख किसी अन्य पीठ के सामने करने की इजाजत नहीं है।

पेज 1 का बाकी

अदालत के निर्णय के बाद पहली सूची में 27 लाख नाम कटे

को मंजूरी देता है, तो उसे सूची में शामिल किया गया जाएगा। नई मतदाता सूची में कुल 60.06 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए थे, अंतिम सूची में करीब 32.68 लाख मतदाताओं के नाम सही पाए गए हैं, इन्हें राज्य की मतदाता सूची में शामिल किया गया है, जबकि 27.16 लाख अपात्र मतदाता पाए गए हैं। आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, सबसे अधिक मतदाता बांग्लादेश सीमा से सटे इलाके मुर्शिदाबाद और उत्तर 24 परगना के इलाकों से है। मुर्शिदाबाद से सबसे अधिक 4,55,137 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं।

इसी प्रकार उत्तर 24 परगना से 3,25,666 और मालदा से 2,39,375 अवैध मत हटाए गए हैं। इसके अतिरिक्त पूर्वी वर्धमान, दक्षिण 24 परगना, नादिया और मालदा से दो लाख से अधिक अवैध मतदाता हटाए गए हैं, जिन जिलों में एक लाख से अधिक मतदाताओं को हटाया गया है, उन जिलों में कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर, हावड़ा और हुगली जैसे प्रमुख इलाके शामिल हैं।

निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक सबसे कम अवैध मतदाता झारग्राम में हटाए गए हैं। यहां अवैध मतदाताओं की संख्या 1240 पाई गई है। इसी प्रकार कोलकाता दक्षिण में 28468 और कोलकाता उत्तर में 39164 मतदाताओं को हटाया गया है। राज्य में दो चरणों में कुल 294 सीटों के लिए मतदान कराया जाना है। कुल मिलाकर चुनाव आयोग द्वारा 28 फरवरी को जारी की गई अंतिम सूची के बाद अब 7.04 करोड़ मतदाता है।

निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक सबसे कम अवैध मतदाता झारग्राम में हटाए गए हैं। यहां अवैध मतदाताओं की संख्या 1240 पाई गई है। इसी प्रकार कोलकाता दक्षिण में 28468 और कोलकाता उत्तर में 39164 मतदाताओं को हटाया गया है। राज्य में दो चरणों में कुल 294 सीटों के लिए मतदान कराया जाना है। कुल मिलाकर चुनाव आयोग द्वारा 28 फरवरी को जारी की गई अंतिम सूची के बाद अब 7.04 करोड़ मतदाता है। सूची से 60 लाख नाम इसलिए हटाए गए थे, क्योंकि या तो ये लोग मर चुके हैं और या अब पश्चिम बंगाल में नहीं रहते। अंतिम सूची से नाम हटाए जाने के बाद मतदाताओं के पास उच्चतम न्यायालय के आदेशों के तहत राज्य में विशेष रूप से गठित न्यायाधिकरणों में जाने का विकल्प है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि न्यायाधिकरण के न्यायाधीशों द्वारा योग्य पाए गए मतदाता आगामी चुनावों में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं। आखिरी पूरक सूची जारी होने के साथ ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदाता सूची सोमवार आधी रात के बाद नियमों के अनुसार अंतिम रूप दे दी गई है।

पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा की 152 सीटों पर 23 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होगा, जबकि शेष 142 सीटों पर 29 अप्रैल को दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के लिए मतदाता सूची को नौ अप्रैल को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस चरण में मतदाता सूची में कोई और नाम शामिल नहीं किया जाएगा। पहले चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि के बाद सूची कानून के अनुसार आखिरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अब किसी भी बदलाव का फैसला उच्चतम न्यायालय के संभावित निर्देशों पर निर्भर करेगा। एसआइआर मामले पर उच्चतम न्यायालय अगली सुनवाई 13 अप्रैल को करेगा। शुद्धीकरण में 90 लाख से अधिक मतदाता हटे

निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल की सूची का शुद्धिकरण तीन चरणों में किया है।

इसके बाद 90, 83,345 लाख मतदाता सूची से हटाए गए हैं। दिसंबर 2025 में जब प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार किया गया था, तो उस समय आयोग ने 58.2 लाख और फरवरी 2026 में अंतिम सूची प्रकाशन तक 5.46 लाख मतदाता हटाए गए थे। वर्तमान में न्यायिक अधिकारियों के हस्तक्षेप और विस्तृत जांच के बाद 27 लाख से अधिक नामों को हटाने का फैसला लिया है। इन दोनों आंकड़ों के बाद सूची से हटाए गए नामों का आंकड़ा 90.83 लाख से अधिक मतदाताओं की संख्या को पार कर गया है।

आज एक संपूर्ण सभ्यता का अंत हो जाएगा

गई है। ईरानी अधिकारियों ने युवाओं से बिजली संयंत्रों की सुरक्षा के लिए मानव शृंखला बनाने की अपील की है। मीजान समाचार एजंसी के अनुसार तेहरान में हुए हमले में 24 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि, तुरंत यह स्पष्ट नहीं हो सका कि हमले में किसे निशाना बनाया गया था।

पिछले कुछ समय से ईरान की राजधानी तेहरान पर लगातार तीव्र हवाई हमले हो रहे हैं, जिनमें पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित संभावित हथियार भंडार और रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। इजराइल ने धर्मतंत्र और उसकी सेना में शीर्ष अधिकारियों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए हैं। घरेलू दबाव के बीच ट्रंप ने ईरान से जलमार्ग खोलने की मांग दोहराई है, अन्यथा बिजली संयंत्रों और पुलों को नष्ट करने की चेतावनी दी है। नागरिक ढांचे पर हमले की धमकी ने संभावित युद्ध अपराधों की चिंता बढ़ा दी। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने ट्रंप से ऐसा कदम न उठाने की अपील करते हुए कहा कि ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि यह संघर्ष और न बढ़े। पुलों व नागरिक ढांचे पर बमबारी जैसे कदम अस्वीकार्य होंगे। ईरान ने इसके जवाब में युवाओं, खिलाड़ियों, कलाकारों व विद्यार्थियों से बिजली संयंत्रों के चारों ओर मानव शृंखला बनाने का आह्वान किया।

दो बच्चों की मौत; सीआरपीएफ की चौकी पर धावा बोलने की कोशिश, दो लोग मारे गए

अपने घर छोड़ दिए क्योंकि जिस जगह हमला हुआ था, उससे कुछ ही मीटर की दूरी पर एक जिंदा राकेट-प्रोपेल्ड ग्रेनेड (आरपीजी) का खोल बरामद हुआ था। जैसे ही बच्चों की मौत की खबर फैली बिष्णुपुर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारियों ने ट्रोंगलाओबी से लगभग 500 मीटर पूर्व में स्थित एक सीआरपीएफ चौकी पर धावा बोलने की कोशिश की, और इस बात पर अपना गुस्सा जाहिर किया कि वे ऐसे हमले को रोकने में असमर्थ रहे। कई लोग सड़कों पर उतर आए और टायर जलाकर नाकेबंदी कर दी।

भीड़ ने तीन ट्रकों को भी आग के हवाले कर दिया, जिनमें दो तेल के टैंकर भी शामिल थे। अधिकारियों के अनुसार सीआरपीएफ जवानों को चौकी पर धावा बोलने की कोशिश कर रहे लोगों पर गोली चलानी पड़ी। गृह मंत्री गोविंददास कोंथौजम ने पुष्टि की कि सीआरपीएफ चौकी पर धावा बोलने की कोशिश के दौरान दो नागरिकों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य को गोली लगी है और उनका इलाज चल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मोइरांग पुलिस स्टेशन के गेट पर जलते हुए लट्ठे जमा करके उसे भी बंद कर दिया। इंफल में भी विरोध प्रदर्शन तेज हो गया, जहां कई लोगों ने सड़कों को बंद कर दिया, टायर जलाए और यातायात को बाधित किया। सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। ओइनम बिनिता गंभीर रूप से घायल हो गईं।

फिलहाल उनका इलाज पास के एक अस्पताल में चल रहा है। इस घटना के बाद दिन में ट्रोंगलाओबी के कुछ निवासियों ने अपने घर छोड़ दिए क्योंकि जिस जगह हमला हुआ था, उससे कुछ ही मीटर की दूरी पर एक जिंदा राकेट-प्रोपेल्ड ग्रेनेड (आरपीजी) का खोल बरामद हुआ था। जैसे ही बच्चों की मौत की खबर फैली बिष्णुपुर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारियों ने ट्रोंगलाओबी से लगभग 500 मीटर पूर्व में स्थित एक सीआरपीएफ चौकी पर धावा बोलने की कोशिश की, और इस बात पर अपना गुस्सा जाहिर किया कि वे ऐसे हमले को रोकने में असमर्थ रहे।

असम पुलिस पवन खेड़ा के आवास पहुंची

को संवाददाता सम्मेलन कर आरोप लगाया था कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास तीन पासपोर्ट और विदेश में संपत्ति है, जिसे मुख्यमंत्री के चुनावी हलफनामे में घोषित नहीं किया गया है। सूत्रों ने बताया कि एक दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी पूर्वाह्न करीब 11 बजे मध्य दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित खेड़ा के आवास पर पहुंचे और लगभग दो घंटे बाद वहां से चले गए।

कांग्रेस ने शर्मा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह नौ अप्रैल के चुनावों में हार के कारण परेशान और विचलित हैं और विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। वहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस खेड़ा को पाताल से भी ढूंढ निकालेगी और उनसे उन फर्जी दस्तावेजों के बारे में पूछताछ करेगी, जिनका इस्तेमाल उनके परिवार को निशाना बनाने के लिए किया था। आवास की तलाशी ली गई और इलेक्ट्रानिक उपकरण जब्त किए गए हैं। नाथ ने कहा कि कुछ दोष साबित करने वाली सामग्री मिली है, लेकिन जांच के इस स्तर पर इसकी विस्तृत जानकारी साझा नहीं की जा सकती। डीसीपी ने बताया कि गुवाहाटी की अपराध शाखा पुलिस थाना ने मामले में प्राथमिकी दर्ज की है।

शर्मा ने खेड़ा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। कांग्रेस प्रवक्ता खेड़ा ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन कर आरोप लगाया था कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास तीन पासपोर्ट और विदेश में संपत्ति है, जिसे मुख्यमंत्री के चुनावी हलफनामे में घोषित नहीं किया गया है। सूत्रों ने बताया कि एक दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी पूर्वाह्न करीब 11 बजे मध्य दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित खेड़ा के आवास पर पहुंचे और लगभग दो घंटे बाद वहां से चले गए।

एनएसए डोभाल ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री से द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के उपायों पर चर्चा की

नई दिल्ली, 7 अप्रैल (भाषा)।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने मंगलवार को बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान की रात्रिभोज पर मेजबानी की। रहमान तीन दिवसीय यात्रा पर मंगलवार को नई दिल्ली पहुंचे, जिसका उद्देश्य 18 महीने से अधिक समय से चले आ रहे कूटनीतिक तनाव के बाद द्विपक्षीय संबंधों में सुधार लाना है।

रहमान बांग्लादेश में प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) सरकार के फरवरी में सत्ता संभालने के बाद भारत की यात्रा पर आने वाले देश के पहले वरिष्ठ मंत्री हैं। घटनाक्रम से वाकिफ अधिकारियों के मुताबिक, डोभाल और रहमान ने भारत-बांग्लादेश संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, जिसमें संबंधों को नई गति देने पर विशेष जोर रहा। हालांकि, इस बैठक को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। रहमान के प्रतिनिधिमंडल में प्रधानमंत्री के विदेश सलाहकार हुमायूं कबीर भी शामिल थे। रहमान बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ विस्तृत वार्ता करेंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर कहा कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान का स्वागत किया गया।

फार्म नं. आईएनसी–26

{कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में}

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से अन्य राज्य में बदलने के लिए अखबार में प्रकाशित विज्ञापन

केन्द्र सरकार के समक्ष

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13(4) और कंपनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 30(6)(ए) के मामले में

और

मेडिसिस प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 59, सीएससी–9, डीडीए मार्केट नियर गुडविल अपार्टमेंट्स, सेक्टर–13 रोहिणी, नई दिल्ली, भारत–110085 के मामले में

.....याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु **09.02.2026** को आयोजित बैठक में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को **"दिल्ली राज्य" से "तमिल नाडु राज्य"** में बदलने हेतु पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत दर्ज करें अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित / विपक्ष के आधार हों, कारण देते हुए, **क्षेत्रीय निदेशक के पते पर, बी–2 विंग, दूसरी मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003** को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय पर इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों के भीतर भेज दें:

59, सीएससी–9, डीडीए मार्केट नियर गुडविल अपार्टमेंट्स, सेक्टर–13 रोहिणी, नई दिल्ली, भारत–110085

कृते और आवेदक की ओर से
मेडिसिस प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
राजेंद्रन महेश्वरन
निदेशक
डीआईएनः 07809004

दिनांकः 08.04.2026
स्थानः नई दिल्ली

भगवती गैस लिमिटेड

(सीआईएनः U24111RJ1974PLC005789)

रजि. कार्यालयः बनावास, खेतरी नगर–333504, जिला–झुंझुनू, राजस्थान
फोनः 01593–221478/80 फैक्सः 01593–221477
ईमेलः Bhagwatigases@gmail.com वेबसाइटः www.bglgroup.in

डाक मतपत्र सूचना और ई–मतदान सूचना

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 22 के तहत जारी सूचना)

भगवती गैस लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 और 110 तथा अन्य लागू प्रावधानों (यदि कोई हो) तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम,2014 के नियम 20 और 22 (समय–समय पर संशोधित) के अनुपालन में, एसईबीआई (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशन, 2015 (एलओडीआर रेगुलेशन) के विनियम 30 और 44, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी आम बैठकों पर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड (एसएस–2), और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए")द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020,17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 और सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) और एसईबीआई परिपत्र संख्या सेबी/एचओ /सीएफडी /सीएफडी–पीओडी –2/पी /सीआईएआर /2024/193 दिनांक 03 अक्टूबर, 2024 के अनुसार, कंपनी ने 7 अप्रैल, 2026 की डाक मतपत्र सूचना को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सभी सदस्यों को भेज दिया है जिनके नाम 3 अप्रैल, 2026 (कट–ऑफ तिथि) तक स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट से प्राप्त सदस्य रजिस्टर/लाभार्थी स्वामित्व सूची में दर्ज हैं और जिनके ईमेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास पंजीकृत हैं। उक्त सूचना में उल्लिखित प्रस्तावों के संबंध में दूरस्थ ई–मतदान के माध्यम से उनकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए यह सूचना भेजी गई है। डाक मतपत्र सूचना कंपनी की वेबसाइट **www.bglgroup.in** और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट **www.cdslindia.com** तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट **www.bseindia.com** पर उपलब्ध है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही अपना वोट डालें, क्योंकि भौतिक मतदान की अनुमति नहीं है। कंपनी ने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को ई–मतदान सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त किया है। ई–वोटिंग से संबंधित मुख्य विवरण नीचे दिए गए हैं:

ई–वोटिंग प्रारंभ :	बुधवार, 8 अप्रैल, 2026 को सुबह 9.00 बजे (आईएसटी)
ई–वोटिंग समाप्ति :	गुरुवार, 7 मई, 2026 शाम 5.00 बजे (आईएसटी)

ई–वोटिंग के निर्देश डाक मतपत्र सूचना में दिए गए हैं। उक्त सूचना में उन सदस्यों के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल संबंधी निर्देश भी शामिल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर हैं और जिन्होंने कंपनी या अपने संबंधित डीपीएस के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है। ई–वोटिंग की सुविधा ई–वोटिंग अवधि समाप्त होने के बाद उपलब्ध नहीं होगी।

निदेशक मंडल ने मेसर्स दीपक अरोरा एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज के पार्टनर श्री दीपक अरोरा (एफसीएस नंबर 5104) को डाक मतपत्र प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए स्क्रूटिनाइजर नियुक्त किया है। ई–वोटिंग अवधि समाप्त होने के दो कार्य दिवसों के भीतर या अधिकतम तीन दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, परीक्षक अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा। इसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे और कंपनी की वेबसाइट **www.bglgroup.in**, सीडीएसएल की वेबसाइट **www.cdslindia.com**, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध कराए जाएंगे और बीएसई लिमिटेड को भी भेजे जाएंगे। जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ उन्हें पंजीकृत कराएं। ई–वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न या समस्या के लिए, सदस्य सीडीएसएल से **helpdesk.evoting@cdslindia.com** पर या टोल–फ्री नंबर 1800 21 09911 पर संपर्क कर सकते हैं।

भगवती गैस लिमिटेड के लिए एवं उसकी ओर से
हस्ता./–
राकेश सम्राट भारद्वाज
प्रबंध निदेशक
(डीआईएनः 00029757)

स्थानः झुंझुनू
दिनांकः 07.04.2026

RAM RATNA WIRES LIMITED

(CIN: L31300MH1992PLC067802)

Regd. Off.: Ram Ratna House, Victoria Mill Compound (Utopia City), Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai 400 013.
Tel: +91 - 22 - 6828 6000
Website: www.rrshramik.com • Email Id: investorrelations.rrwl@rrglobal.com

"Saksham Niveshak"- Second 100 Days Campaign

Notice is hereby given to all shareholders that the Company has launched the **Second 100-Day Campaign - "Saksham Niveshak"** from **April 01, 2026 to July 09, 2026**, with the objective of facilitating the direct credit of unpaid/unclaimed dividends to rightful shareholders and preventing transfer of such amounts and underlying shares to the Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA).

During this Campaign all the shareholders who have unpaid/unclaimed dividends or have not updated their KYC and nomination details or face any issues related to unclaimed dividends and shares may write to the Company's Registrar and Transfer Agent (RTA) i.e. Datamatics Business Solutions Limited at E-mail: investorsqry@datamaticsbpm.com, and Company's mail id at investorrelations.rrwl@rrglobal.com. The Shareholders may also visit the Company's website under 'Announcements' section at www.rrshramik.com for further details.

Reminder - Special Window for Transfer and Dematerialisation of Physical Securities

This is in continuation of our earlier newspaper notices published on February 13, 2026 pursuant to SEBI Circular dated January 30, 2026, we hereby reiterate that the special window for Transfer and Dematerialisation of Physical Securities will remain open upto February 04, 2027. This window is available for the transfer deeds lodged prior to the deadline April 01, 2019, which were rejected/returned/not attended due to the deficiency in the documents/process/or otherwise and for cases where original share transfer request(s) are not lodged prior to April 01, 2019 and the shareholder is holding original share certificate. Eligible shareholders may contact to the Company's Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") i.e., Datamatics Business Solutions Limited at E-mail: investorsqry@datamaticsbpm.com.

For Ram Ratna Wires Limited
Sd/-
Saurabh Gupta
AGM - Company Secretary

Place : Mumbai
Date : April 07, 2026

VOITH

वॉयथ पेपर फैब्रिक्स इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 113/114ए, सेक्टर–24, फरीदाबाद–121005, हरियाणा
सीआईएनः L74899HR1968PLC004895; फोनः +91 129 4292200
फैक्सः +91 129 2232072; ई-मेलः voithfabrics.faridabad@voith.com
वेबसाईटः www.voithpaperfabricsindia.com

भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोध को पुनः प्रस्तुत करने हेतु विशेष विंडो के संबंध में वॉयथ पेपर फैब्रिक्स इंडिया लिमिटेड के शेयरधारकों को सूचना

सेबी के पूर्व परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 दिनांक 2 जुलाई, 2025 एवं सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/38/13/11(2) 2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 दिनांक 30 जनवरी, 2026 के अनुसार, कंपनी के सभी शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि उन भौतिक शेयरों के हस्तांतरण आवेदन को पुनः प्रस्तुत करने हेतु **05 फरवरी, 2026 से 04 फरवरी, 2027 तक, एक वर्ष के लिए, एक विशेष विंडो खोला गया है** जो 1 अप्रैल, 2019 की समय सीमा से पहले जमा किए गए थे और जिन्हें दस्तावेजों/ प्रक्रिया या अन्यथा किसी कमी के कारण अस्वीकृत/वापस कर दिया गया/उन पर ध्यान नहीं दिया गया था।

जिन निवेशकों ने 31 मार्च, 2021 (हस्तांतरण विलेख को दोबारा जमा करने की कट–ऑफ तिथि) तथा 06 जनवरी, 2026 की समय सीमा चूक दी है, **उन्हें कंपनी के रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट, एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, 179–180, तृतीय तल, डीएसआईडीसी शेड, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–1, नई दिल्ली – 110020** के पास आवश्यक दस्तावेज जमा कर के इस अवसर का लाभ उठाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

यदि शेयरधारकों के पास इस संबंध में कोई प्रश्न हो, तो वे कंपनी सचिव से टेलीफोन नंबर +91 129 4292 200 पर या कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में पत्र भेजकर या investorcare.vffa@voith.com पर ईमेल भेज कर संपर्क कर सकते हैं।

कृते **वॉयथ पेपर फैब्रिक्स इंडिया लिमिटेड**
हस्ता./–
दीपक बहल
कम्पनी सचिव
एसीएस नंबरः 40924

स्थानः फरीदाबाद
तिथिः 07 अप्रैल, 2026

EXIT OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS OF THE PETERHOUSE INVESTMENTS INDIA LIMITED

CIN: U31300WB1979PLC032347;
Registered Office: Godrej Waterside, Tower - 2, Room No: 1206, 12th Floor, Block-DP, Sector-V, Salt Lake City, Kolkata - 700 091;
Tel. No.: +91-33-6810 3700;
Email ID: debjit.bhattacharya@ushamartintech.com; Website: www.piil.co.in

This Exit Offer Public Announcement dated April 07, 2026 **("Exit Offer PA4")** is being issued by Intelligent Money Managers Private Limited **("Manager to the Exit Offer")** for and on behalf of Uma Devi Jhawar, member of the Promoter Group **("the Acquirer")** of Peterhouse Investments India Limited **("PIIL"/"the Company")** to the remaining Public Shareholders **("Residual Public Shareholders")** of the Company pursuant to Regulation 27(1)(a) of Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 **("SEBI Delisting Regulations")** in accordance with terms and conditions set out in the Exit Letter of Offer dated August 08, 2025 **("Exit LOF")**.

This Exit Offer PA4 is in continuation to and should be read in conjunction with the Exit LOF. Capitalized terms used but not defined in this Exit Offer PA4 shall have the same meaning assigned to them in the Exit LOF.

1. DATE OF DELISTING

1.1 The Calcutta Stock Exchange Limited **("CSE")** vide its letter reference no. CSE/LD/DL/16848/2025 dated July 10, 2025 has informed that the equity shares of the Company have been delisted from CSE effective from July 11, 2025 **("Delisting Date")**.

2. INVITATION TO RESIDUAL PUBLIC SHAREHOLDERS TO AVAIL THE EXIT OFFER

2.1 A separate Exit LOF along with Exit Offer Application Form containing the terms and conditions for participation of the Residual Public Shareholders during the period of one year starting from the date of delisting i.e., from Friday, July 11, 2025 to Friday, July 10, 2026 (both days inclusive) **("Exit Period")** has already been dispatched on August 08, 2025 by the Acquirer to the Residual Public Shareholders whose names appears in the register of members as on Friday, August 01, 2025. The Residual Public Shareholders are requested to avail the Exit Offer by tendering their equity shares at Rs.385/- per equity share **("Exit Price")** during the Exit Period, by submitting the required documents to the Registrar to the Exit Offer as set out in Exit LOF.

2.2 In the event the Residual Public Shareholders do not receive or misplace the Exit LOF, they may obtain a copy by writing to the Registrar to the Exit Offer with the envelope marked **"PETERHOUSE INVESTMENTS INDIA LIMITED - EXIT OFFER"**. A soft copy of this Exit LOF along with Exit Offer Application Form can be downloaded from the website of the Company i.e., www.piil.co.in or the website of the Manager to the Exit Offer i.e. www.intelligentgroup.org.in/.

2.3 For the period/ quarter starting from April 01, 2026 and ending on July 10, 2026, follow-up communication to Residual Public Shareholders has been sent on April 07, 2026 by courier in terms Regulation 27(1)(b) of SEBI Delisting Regulations by the Acquirer to the Residual Public Shareholders whose names appears in the register of members as on Friday, April 03, 2026.

3. PAYMENT OF CONSIDERATION TO RESIDUAL PUBLIC SHAREHOLDERS

Subject to fulfilment of the terms and conditions mentioned in the Exit LOF, the Acquirer intends to make payment on a monthly basis, within 10 working days at the end of the calendar month in which equity shares have been validly tendered **("Monthly Payment Cycle")**. Payments will be made only to those Residual Public Shareholders who have validly tendered their equity shares by following the instructions as set out in the Exit LOF and Exit Offer Application Form. The Acquirer reserves the right to make payment earlier. No equity shares have been validly tendered during the period from January 01, 2026 and ending on March 31, 2026.

If any Residual Public Shareholders have any query with regard to this Exit Offer/ Exit Period, they may contact the Registrar to the Exit Offer or the Manager to the Exit Offer. All other terms and conditions of the Exit Offer as set forth in the Exit Offer PA and Exit Offer LOF shall remain unchanged.

Intelligent Money Managers Private Limited **CIN:** U65923WB2010PTC156220 2nd Floor, YMCA Building, 25, Jawaharlal Nehru Road, Kolkata - 700 087; **Tel. No.:** +91-33-4065 6289; **Email:** info@intelligentgroup.org.in; **Website:** www.intelligentgroup.org.in/; **Contact Person:** Mr. Amit Kumar Mishra; **SEBI Registration No.:** INM000012169; **Validity Period:** Permanent.	**ABS Consultant Private Limited** **CIN:** U74140WB1991PTC053081 4, B. B. D. Bag (East), Stephen House, Room No. 99, 6th Floor, Kolkata - 700 001 **Tel. No.:** +91-33-2230 1043, +91-33-2243 0153; **Fax:** +91-33-2243-0153; **Email:** absconsultant99@gmail.com; **Website:** https://www.absconsultant.in/; **Contact person:** Mr. Uttam Chand Sharma; **SEBI Registration Number:** INR000001286; **Validity Period:** Permanent.

For and on behalf of Acquirer
Sd/-
Uma Devi Jhawar

Date: April 07, 2026
Place: Kolkata

रुल्का इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

(पूर्व में "रुल्का इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड" के नाम से ज्ञात)
CIN: U31103MH2013PTC243817
पंजीकृत कार्यालयः – ए–20, शिवा इंडस्ट्रियल एस्टेट, लेक रोड, भांडुप (पश्चिम) मुंबई – 400 078, भारत
ईमेल आईडीः Info@relservices.in | वेबसाइटः www.relservices.in

सदस्यों को पोस्टल बैलेट सूचना

(कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के अनुसार संशोधित)

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 110 तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के अनुसार, जिसे कंपनियाँ (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 ("प्रबंधन नियम") के साथ पढ़ा जाए (जिसमें समय–समय पर लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन को सम्मिलित किया गया है), तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 एवं अन्य संबंधित परिपत्रों सहित सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" कहा गया है) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") के (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सेबी एलओडीआर") के विनियम 44 और उसके अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, जो समय–समय पर लागू और संशोधित किए जाते हैं, तथा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक ("एसएस–2") के अनुसार, कंपनी के सदस्यों की स्वीकृति 30 मार्च, 2026 दिनांकित डाक मतपत्र सूचना (पोस्टल बैलेट नोटिस) के साथ संलग्न स्पष्टीकरणात्मक विवरण ("नोटिस") में उल्लिखित विशेष कार्य हेतु केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (अर्थात् रिमोट ई–वोटिंग) के माध्यम से साधारण प्रस्ताव द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

नोटिस की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियों का प्रेषण 7 अप्रैल, 2026 को पूर्ण कर लिया गया है, उन सदस्यों को जिनके नाम सदस्यों के रजिस्टर/लाभकारी स्वामियों की सूची में, जैसा कि डिपॉजिटरी से शुक्रवार, 03 अप्रैल, 2026 ("कट–ऑफ तिथि") तक प्राप्त हुआ है, सम्मिलित हैं और जिन्होंने अपने ई–मेल पते डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत किए हैं।

एमसीए परिपत्रों में प्रदान की गई छूट के अनुरूप, इस पोस्टल बैलेट हेतु सदस्यों को पोस्टल बैलेट नोटिस की भौतिक प्रतियां, पोस्टल बैलेट फॉर्म तथा प्री–पेड बिजनेस रिप्लाई लिफाफे नहीं भेजे जा रहे हैं। पोस्टल बैलेट नोटिस में उल्लिखित दस्तावेज निरीक्षण हेतु उपलब्ध हैं और जो सदस्य निरीक्षण करना चाहते हैं, वे info@relservices.in पर ई–मेल भेज सकते हैं।

जिन सदस्यों ने अभी तक अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपना ई–मेल पता और मोबाइल नंबर सत्यापित/अपडेट करें। सदस्य कंपनी की आरटीए–बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ अपना ईमेल पता और मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं।

पोस्टल बैलेट नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.relservices.in स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई लिमिटेड) की वेबसाइट www.nseindia.com तथा अन्य संबंधित वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

कंपनी अपने सदस्यों को आरटीए– बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई ई–वोटिंग सेवाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मतदान करने का अधिकार उपयोग करने की सुविधा प्रदान करती है। ई–वोटिंग से संबंधित विस्तृत निर्देश नोटिस में प्रदान किए गए हैं। ई–वोटिंग की अवधि गुरुवार, 9 अप्रैल, 2026 को प्रातः 9:00 बजे (आईएसटी) से प्रारंभ होकर शुक्रवार, 8 मई, 2026 को सायं 5:00 बजे (आईएसटी) तक रहेगी। इसके पश्चात ई–वोटिंग सुविधा निष्क्रिय कर दी जाएगी।

सदस्यों के मतदान अधिकार, कट–ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात में होंगे। केवल वे सदस्य जिनके नाम कट–ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) द्वारा संधारित लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, वे ही ई–वोटिंग के माध्यम से अपना मत देने के पात्र होंगे। जो व्यक्ति कट–ऑफ तिथि के अनुसार सदस्य नहीं है, वह इस पोस्टल बैलेट नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से माना जाए।

निदेशक मंडल ने 30 मार्च, 2026 को श्री अश्विन शाह, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज (सदस्यता संख्या एफसीएस 1640 एवं सीपी संख्या 1640) को पोस्टल बैलेट ई–वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संचालित करने हेतु स्क्रूटिनाइजर ("स्क्रूटिनाइजर") के रूप में नियुक्त किया है।

ई–वोटिंग की जांच पूरी होने के बाद जांचकर्ता ई–वोटिंग के परिणाम कंपनी के अध्यक्ष या कंपनी के किसी अधिकृत अधिकारी (अधिकारियों) को प्रस्तुत करेगा और एनएसई को सूचित किया जाएगा। परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.relservices.in पर भी अपलोड किए जाएंगे।

यदि शेयरधारकों/निवेशकों के पास ई–वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न हैं, तो आप अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों ('अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न') और आई–वोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को डाउनलोड अनुभाग के तहत https://ivote.bigshareonline.com पर उपलब्ध करा सकते हैं या आप हमें ivote@bigshareonline.com पर ईमेल कर सकते हैं या हमें 1800 22 54 22 पर कॉल कर सकते हैं वैकल्पिक रूप से, सदस्य किसी भी प्रश्न/जानकारी के लिए कंपनी को info@relservices.in पर एक ई–मेल भी लिख सकते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते रुल्का इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
केजल शाह
कंपनी सचिव

दिनांकः 08.04.2026
स्थानः मुंबई

सार्वजनिक सूचना

कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली II के समक्ष

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि डॉल्फिन वर्ल्डवाइड इंटरनेशनल एलएलपी, एलएलपी अधिनियम, 2008 की धारा 13(3) के तहत अपने पंजीकृत कार्यालय को "408, **प्लॉट नं. ए09, जीडी–आईटीएल नॉर्थ एक्स टावर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, उत्तर पश्चिम दिल्ली–110034**" से स्थानांतरित कर "**दुकान नं.–5031, 3री मंजिल, रुस्तमजी ईज जोन मॉल, गोरेगांव मुलुंड, लिंक ओ, मलाड (पश्चिम), मुंबई–400064**" ले जाने का प्रस्ताव रखती है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 21 (इक्कीस) दिनों के भीतर अपनी आपत्तियों को, अपने हित की प्रकृति और विरोध के आधारों को बताते हुए एक शपथ पत्र के साथ, कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली कक्ष को स्वयं या पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या पहुँचा सकता है जिसकी एक प्रति ऊपर दिए गए पते पर याचिकाकर्ता एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय को भी भेजी जानी चाहिए।

एलएलपी का नामः डॉल्फिन वर्ल्डवाइड इंटरनेशनल एलएलपी
एलएलपीआईएनः AAM-8158

दिनांकः 07.04.2026
स्थानः दिल्ली

प्ररूप संख्या आईएनसी–26

{कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में}

केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय 1, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

और

अनंत राज क्लाउड प्राइवेट लिमिटेड

(सीआईएन: U72200DL2021PTC377196)

जिसका पंजीकृत कार्यालय : **एच–65, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली,भारत – 110001** में हैं, के मामले में

....आवेदक कंपनी/याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह आवेदक कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"हरियाणा राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए **25 मार्च, 2026** को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पुष्टि करने की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय 1, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली–110003** पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें।

एच–65, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली, भारत – 110001

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
अनंत राज क्लाउड प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/–
रविंदर कुमार (निदेशक)
डीआईएन: 06552789

दिनांक: 07.04.2026
स्थान: नई दिल्ली

"फार्म नं. आईएनसी–25क"

क्षेत्रीय निदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, निदेशालय–I, नई दिल्ली
कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामले में

और

खंडेलवाल लेमिनेटस लिमिटेड

CIN : U24119DL1987PLC028448

जिसका पंजीकृत कार्यालय : 324 जागृति एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली–110092 में स्थित है के मामले में,

.....आवेदक

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि कंपनी को ऐसे संपरिवर्तन का अधिकार देने के लिए वित्तीय वर्ष 2026–2027 के लिए 02 अप्रैल, 2026 को प्रथम असाधारण सामान्य आम बैठक के अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प की शर्तों के अनुसार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में संपरिवर्तन करने की इच्छा रखने वाली कंपनी ने पूर्वोक्त नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अधीन आवेदन किया है।

कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन/स्थिति के कारण यदि किसी व्यक्ति के हित पर प्रभाव पड़ने की संभावना है तो वह व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिन के भीतर निम्नलिखित पते पर आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को भेजी गई प्रति सहित किसी हलफनामें द्वारा अपनी आपत्ति भेज सकता है या किसी के माध्यम से भिजवा सकता है या पंजीकृत पोस्ट द्वारा भेज सकता है जिसमें संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, निदेशालय–I, बी–2, विंग, दूसरा फ्लोर, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली–110003 का संपूर्ण पते का उल्लेख होना आवश्यक है को उसके हित और आपत्ति के आधार की प्रकृति का उल्लेख किया जाएगा।

पंजीकृत कार्यालय : 324 जागृति एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली–110092

आवेदक के लिए और उसकी ओर से
खंडेलवाल लेमिनेटस लिमिटेड
हस्ता/–
संदीप खंडेलवाल
निदेशक
डीआईएन : 00948380

दिनांक : 08.04.2026
स्थान : नई दिल्ली
पता : 324 जागृति एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली–110092

सार्वजनिक सूचना

एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलने के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित किया जाना

एलएलपी (एलएलपी का समावेश) नियम, 2009 के नियम 17 के साथ पठित सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 के मामले में

सोर्सराइट प्रोडक्ट्स एण्ड सर्विसेज एलएलपी

इसका पंजीकृत कार्यालय : डी–923, एसएफ, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नियर सुजान मोहिंदर हॉस्पिटल, नई दिल्ली–110065, में है, के मामले में,

आम जनता को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि एलएलपी ने मंगलवार, 07 अप्रैल, 2026 को आयोजित बैठक में एलएलपी के अपने पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में बदलने में सक्षम बनाने के लिए पारित संकल्प के अनुसार एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय में परिवर्तन की पुष्टि के लिए देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 के तरत रजिस्ट्रार को आवेदन करने का प्रस्ताव दिया है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित एल.एल.पी. के पंजीकृत कार्यायल के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह या तो एम.सी.ए.–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फॉमे दाखिल करके या अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कारण दर्ज कर सकता है अथवा अपनी रुचि की प्रकृति और विरोध के आधार को बताते हुए एक हलफनामा द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियों को कार्यालय–कंपनी रजिस्टर, चौथी मंजिल, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली–110019 को तथा उसकी एक प्रति, आवेदक एलएलपी को उसके पंजीकृत कार्यालय में ऊपर उल्लिखित पते पर इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 21 दिन के अंदर पंजीकृत डाक से भेज सकता है।

कृत्ते की ओर से
सोर्सराइट प्रोडक्ट्स एण्ड सर्विसेज एलएलपी
हस्ता/–
(कपिल गोयल)
(नामित भागीदार)
(डीआईएन : 05354231)

दिनांक : 07.04.2026
स्थान : नई दिल्ली

प्ररूप संख्या आईएनसी–26

{कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में}

केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय 1, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

और

मुसाशी ऑटो पार्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

(सीआईएन: U34300DL2002PTC116292)

जिसका पंजीकृत कार्यालय : **यूजी–17सी, सोम दत्त चैम्बर्स–1, 5– भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066** में हैं, के मामले में

....आवेदक कंपनी/याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह आवेदक कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"हरियाणा राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए **16 फरवरी, 2026** को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पुष्टि करने की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय 1, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली–110003** पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें।

यूजी–17सी, सोम दत्त चैम्बर्स–1, 5– भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
मुसाशी ऑटो पार्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/–
पूजा शर्मा (कंपनी सचिव)
सदस्यता सं : A25055

दिनांक : 07.04.2026
स्थान : नई दिल्ली

न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्स्पोर्ट्स लिमिटेड

NUCLEUS SOFTWARE

सीआईएनः L74899DL1989PLC034594
पंजीकृत कार्यालयः 33–35, त्यागराज मार्केट, नई दिल्ली – 110003, भारत
फोनः + 91-120-4031400 | **फैक्सः** +91- 120- 4031672
कॉर्पोरेट कार्यालयः ए–39, सेक्टर–62, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201307, भारत
ईमेलः investorrelations@nucleussoftware.com; **वेबसाइटः** www.nucleussoftware.com

डाक मतपत्र की सूचना

सदस्यों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108 एवं धारा 110 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, यथा समय यथा संशोधित, के नियम 20 एवं नियम 22 के साथ पठित सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांकित 22 सितंबर, 2025, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 44, इंस्टिट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा सामान्य बैठकों पर जारी सेक्रेटेरियल स्टैण्डर्ड्स (एसएस–2 तथा किसी भी अन्य लागू कानून एवं विनियमन (तत्समय लागू एवं यथा समय यथा संशोधित किसी भी वैधानिक संशोधन(ओं) अथवा उनके पुनः अधिनियमन(ओं) सहित) के अनुपालन में रिमोट ई–वोटिंग (**"ई–वोटिंग"**) प्रक्रिया के माध्यम से निम्नलिखित प्रस्तावों हेतु न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (**"कम्पनी"**) के सदस्यों का अनुमोदन माँगा गया है:

क्र. संख्या	प्रस्ताव के प्रकार (विशेष/साधारण)	प्रस्ताव का विवरण
1	साधारण प्रस्ताव	श्री पराग भिसे (डीआईएनः **08719754**) को पूर्ण–कालिक निदेशक व सीईओ के तौर पर पुनः नियुक्ति और कंपनी का लाभ की अपर्याप्तता होने की स्थिति में पारिश्रमिक देने पर विचार करना।
2	विशेष प्रस्ताव	डॉ. नितिन आर गोकर्ण (डीआईएनः **07619691**) की कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति।
3	विशेष प्रस्ताव	कंपनी की न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर आरएसयू स्कीम–2026 पर विचार और अनुमोदन करना।
4	विशेष प्रस्ताव	न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर आरएसयू स्कीम – 2026 के अंतर्गत कंपनी की भारत में या भारत के बाहर, सब्सिडियरी कंपनी के योग्य कर्मचारियों को रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स देने पर विचार और अनुमोदन।
5	विशेष प्रस्ताव	न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर आरएसयू स्कीम–2026 के अंतर्गत न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर इक्विटी इंसेंटिव ट्रस्ट द्वारा कंपनी के इक्विटी शेयरों के द्वितीयक अधिग्रहण पर विचार और अनुमोदन।
6	विशेष प्रस्ताव	न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर आरएसयू स्कीम–2026 के अंतर्गत कर्मचारियों के हित हेतु न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर इक्विटी इंसेंटिव ट्रस्ट द्वारा कंपनी के अपने शेयर खरीदने के लिए ऋण के प्रावधान पर विचार और अनुमोदन।

एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, कम्पनी ने **मंगलवार, 07 अप्रैल, 2026** को उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा व्याख्यात्मक विवरण सहित डाक मतपत्र सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ भेजने का काम पूरा कर लिया है, जिनका ईमेल पता शुक्रवार, 27 मार्च, 2026 (**"कट–ऑफ तिथि"**) तक कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के साथ पंजीकृत है।

उक्त डाक मतपत्र सूचना की प्रति कम्पनी की वेबसाइट **https://www.nucleussoftware.com/**, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात् बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड **www.bseindia.com** एवं **www.nseindia.com** क्रमशः पर तथा केफिनटेक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की वेबसाइट **https://www.kfintech.com/** पर भी उपलब्ध है। जिन सदस्यों को डाक मतपत्र सूचना प्राप्त नहीं होता है, वे इसे उपरोक्त वेबसाइटों से डाउनलोड कर सकते हैं।

एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार, सदस्य केवल ई–वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। सदस्यों के मतदान अधिकार की गणना कट–ऑफ तिथि पर उनके पास प्रतिरक्षित कम्पनी के इक्विटी शेयरों के आधार पर की जाएगी। वह व्यक्ति जो कट–ऑफ तिथि पर सदस्य नहीं है, उसे डाक मतपत्र सूचना को केवल जानकारी के उद्देश्य से व्यवहृत करना चाहिए।

कम्पनी ने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने में सक्षम बनाने हेतु ई–वोटिंग की सुविधा के लिए कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट– केफिनटेक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (**"केफिनटेक"**) की सेवाएँ ली हैं। ई–वोटिंग सुविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध होगी:

ई–वोटिंग अवधि का आरम्भ	बुधवार, 8 अप्रैल, 2026 को प्रातः 10:00 बजे आईएसटी
ई–वोटिंग अवधि का समापन	बृहस्पतिवार, 07 मई, 2026 को सायं 5:00 बजे आईएसटी
वोट देने की पात्रता हेतु कट–ऑफ तिथि	शुक्रवार, 27 मार्च, 2026

ई–वोटिंग सुविधा बृहस्पतिवार, 07 मई, 2026 को सायं 5:00 बजे आईएसटी के तुरंत बाद केफिनटेक द्वारा अक्षम कर दी जाएगी।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य और जिन्होंने कम्पनी के साथ अपना ईमेल पता अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि कम्पनी को ईमेल के माध्यम से सभी संचार प्रदान करने में सक्षम बनाने हेतु डाक मतपत्र सूचना के नोट संख्या 10 के अंतर्गत उल्लिखित निर्देशों का पालन करें।

कम्पनी के निदेशक मंडल ने श्री देवेश कुमार वशिष्ठ, (**एफसीएस नंबरः 8488** एवं **सीपी नंबरः 13700**) प्रबंध पार्टनर, डीपीवी एंड एसोसिएट्स, एलएलपी, संव्यावसायिक कम्पनी सचिव, को डाक मतपत्र प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तौर पर संचालित करने हेतु संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, आप **https://evoting.kfintech.com** पर सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) एवं "डाउनलोड" अनुभाग पर उपलब्ध ई–वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल संदर्भित कर सकते हैं अथवा केफिनटेक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से 1800 3094001 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं।

ई–वोटिंग की जाँच पूरी होने के बाद संवीक्षक अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा तथा परिणाम ई–वोटिंग के समापन के 48 घंटों के भीतर घोषित किए जाएंगे और इन्हें कम्पनी की वेबसाइट **https://www.nucleussoftware.com/**, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट **www.bseindia.com** एवं **www.nseindia.com** क्रमशः पर तथा केफिनटेक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की वेबसाइट **https://www.kfintech.com/** पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

मंडल के आदेशानुसार
कृते **न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड**
हस्ताक्षर/–
पूनम भसीन
कम्पनी सचिव व अनुपालन अधिकारी

स्थानः नोएडा
दिनांकः 7 अप्रैल, 2026

फॉर्म नं. आईएनसी–26

(कंपनी निगमन नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(6)(a) के मामले में

तथा

कोमिडा फूड वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 51/760, लक्ष्मी नगर बगीचा, यमुना पार, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत, 281001 पर स्थित है, के मामले में

.........याचिकाकर्ता

एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "उत्तर प्रदेश" से "दिल्ली राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 16/02/2026 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत आवेदक कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे दिए गए पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह (14) दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र को उनके पतेः बी–2 विंग, 2 रा तल, पर्यावरण भवन भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजेः

कोमिडा फूड वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
51/760, लक्ष्मी नगर बगीचा, यमुना पार, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत, 281001

आवेदक की ओर से और उनके लिए
कोमिडा फूड वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
रवि चौधरी
निदेशक
डीआईएनः 07528513

दिनांकः 08/04/2026
स्थानः मथुरा

केंद्र सरकार, कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली - II के समक्ष

सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) और सीमित देयता भागीदारी नियम, 2009 के नियम 17 के मामले में

तथा

सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 (3) के मामले में और **'यूनो मिंडा इंफ्रास्ट्रक्चर एलएलपी'** के मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय B-64/1, वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110052 पर स्थित है

– याचिकाकर्ता

एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यह एलएलपी सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 (3) के तहत कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली के समक्ष एक याचिका दायर करने का प्रस्ताव रखती है, जिसमें अपने पंजीकृत कार्यालय को **"दिल्ली"** राज्य से बदलकर **"हरियाणा"** राज्य में ले जाने की अनुमति मांगी गई है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 21 (इक्कीस) दिनों के भीतर अपनी आपत्तियों को, अपने हित की प्रकृति और विरोध के आधारों को बताते हुए एक शपथ पत्र के साथ, कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली-II को स्वयं या पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है जिसकी एक प्रति ऊपर दिए गए पते पर याचिकाकर्ता एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय को भी भेजी जानी चाहिए।

यूनो मिंडा इंफ्रास्ट्रक्चर एलएलपी की ओर से और उनके लिए
हस्ता./-
पलक मिंडा
नामित भागीदार
डीआईएनः 07991658

दिनांकः 07/04/2026
स्थानः दिल्ली

सार्वजनिक सूचना

केंद्रीय सरकार के समक्ष, रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, हरियाणा

एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के एक राज्य से अन्य राज्य में परिवर्तन के लिए विज्ञापन

सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप–धारा (3) और सीमित देयता भागीदारी नियम, 2009 के नियम 17 के मामले में

और

ज़ीलइन्फ्रा कंस्ट्रक्शन्स एलएलपी

(एलएलपीआईएन : एसीए–4956)

जिसका पंजीकृत पता : **यूनिट संख्या डीजी–बी–02–001, दूसरी मंजिल, टॉवर–बी,एमार डिजिटल ग्रीन्स, सेक्टर–61, गुरुग्राम, हरियाणा–122011, भारत**

...........आवेदक/याचिकाकर्ता एलएलपी

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **"ज़ीलइन्फ्रा कंस्ट्रक्शन्स एलएलपी"** ने सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 (3) के तहत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, हरियाणा को एक याचिका का प्रस्ताव किया है, जिसमें पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में बदलने की अनुमति मांगी गई है।

एलएलपी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर **एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 21 दिनों के भीतर **रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज सह–आधिकारिक परिसमापक, हिमाचल प्रदेश, तीसरी मंजिल, कॉर्पोरेट भवन, प्लॉट नंबर 4–बी, सैक्टर 27–बी, चंडीगढ़ पिन 160019** पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक एलएलपी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें।

यूनिट संख्या डीजी–बी–02–001, दूसरी मंजिल, टॉवर–बी, एमार डिजिटल ग्रीन्स, सैक्टर–61, गुरुग्राम, हरियाणा–122011, भारत

आवेदक के लिए और उसकी ओर से
ज़ीलइन्फ्रा कंस्ट्रक्शन्स एलएलपी
हस्ता/–
नैन्सी सिंह
(नामित साझेदार)
डीपीआईएन : 10105633

दिनांकः 08 अप्रैल 2026
स्थानः गुरूग्राम

फॉर्म नं. आईएनसी–26

(कंपनी निगमन नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

केंद्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5)(ए) के मामले में:

तथा

फूजीफिल्म सोनोसाइट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (**CIN: U33112DL2007FTC327990**), जिसका पंजीकृत कार्यालयः बिजनेस सेंटर ऑफिस नं. 521, लेवल V, कैडी कमर्शियल टॉवर, हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट, एरोसिटी, आईजीआई एयरपोर्ट, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110037 पर स्थित है, के मामले में

..... (आवेदक)

एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए सोमवार, 9 मार्च 2026 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत आवेदक कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे अपनी आपत्ति **MCA-21** पोर्टल (**www.mca.gov.in**) पर निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा उसके पंजीकृत कार्यालयः बिजनेस सेंटर ऑफिस नं. 521, लेवल V, कैडी कमर्शियल टॉवर, हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट, एरोसिटी, आईजीआई एयरपोर्ट, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110037 में आवेदक कंपनी को और सुश्री साक्षी गोयल, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, यूनिट नं. 26, ग्राउंड फ्लोर, जेएमडी मेगापोलिस, सेक्टर 48, गुरुग्राम, भारत, 122018 को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली को उनके पतेः बी–2 विंग, 2 रा तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजेः

निदेशक मंडल की ओर से और उनके लिए
फूजीफिल्म सोनोसाइट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
नितिन गुप्ता
(प्रबंध निदेशक)
DIN: 07408308
निवास स्थानः बी–3/504, कृष्णा अप्रा गार्डन्स, शिप्रा मॉल के सामने, प्लॉट नं.–7, वैभव खंड, इंदिरापुरम, आई.ई, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201010, भारत

दिनांकः 07 अप्रैल 2026
स्थानः दिल्ली

जम्मू-कश्मीर में लश्कर के आतंकी तंत्र का भंडाफोड़, पांच गिरफ्तार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के एक अंतरराज्यीय आतंकवादी तंत्र का भंडाफोड़ करते हुए पिछले 16 साल से फरार अब्दुल्ला उर्फ अबू हुरैरा समेत पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों के अनुसार अब्दुल्ला के अलावा एक अन्य पाकिस्तानी आतंकी उस्मान उर्फ खुबैब को भी इस बड़े अभियान में गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई जम्मू और कश्मीर पुलिस द्वारा फरीदाबाद के अल फलाह विश्वविद्यालय में स्थित एक सफेदपोश आतंकी तंत्र का भंडाफोड़ करने के छह महीने बाद हुई है जिसके तार कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए थे। अधिकारियों ने बताया कि गत कुछ दिनों में जांचकर्ताओं ने जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और हरियाणा सहित 19 स्थानों पर छापेमारी की और चार एके असॉल्ट राइफलों सहित बड़ी मात्रा में हथियार और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की। उन्होंने बताया कि केंद्रीय एजंसियों के साथ समन्वय कर की गई जांच के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों को साजो-सामान और वित्तीय सहायता करने वाले एक विशाल नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ।

> **यह** कार्रवाई जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा फरीदाबाद के अल फलाह विश्वविद्यालय में स्थित एक सफेदपोश आतंकी तंत्र का भंडाफोड़ करने के छह महीने बाद हुई है।

सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बीवी नागरत्ना ने कहा

किसी महिला को तीन दिन अछूत नहीं माना जा सकता

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बीवी नागरत्ना ने मंगलवार को कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी महिला को महीने में तीन दिन अछूत माना जाए और फिर चौथे दिन अछूत मानना बंद कर दिया जाए।

यह टिप्पणी तब आई जब नौ न्यायाधीशों की एक पीठ केरल के सबरीमला मंदिर सहित धार्मिक स्थलों पर महिलाओं से भेदभाव और विभिन्न धर्मों द्वारा पालन की जाने वाली धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे और सीमा से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इस संविधान पीठ में प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, न्यायमूर्ति आगस्टिन जार्ज मसीह, न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले, न्यायमूर्ति आर महादेवन और न्यायमूर्ति जायमाल्य बागची शामिल हैं। सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें 2018 के सबरीमला फैसले में की गई उस टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति है, जिसमें कहा गया है कि 10-50 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश से रोकना अस्पृश्यता का एक रूप है, जो संविधान के अनुच्छेद 17 का उल्लंघन करता है।

> **सालिसिटर** जनरल तुषार मेहता ने कहा कि भारत उतना पितृसत्तात्मक या लैंगिक रूढ़िवादिता वाला देश नहीं है जितना पश्चिम समझता है।

सबरीमला मामले में न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ का मत था कि उम्र या मासिक धर्म की स्थिति के आधार पर महिलाओं को केरल के सबरीमला मंदिर में प्रवेश से रोकना अस्पृश्यता का एक रूप है जो उन्हें अधीनस्थ स्थिति में रखता है, पितृसत्ता को कायम रखता है और उनकी गरिमा के लिए अपमानजनक है। मेहता ने कहा कि भारत उतना पितृसत्तात्मक या लैंगिक रूढ़िवादिता वाला देश नहीं है जितना पश्चिम समझता है। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने तब कहा कि सबरीमला के संदर्भ में अनुच्छेद 17 पर बहस कैसे की जा सकती है, यह मुझे समझ नहीं आता। एक महिला होने के नाते, मैं कह सकती हूं कि हर महीने तीन दिन अस्पृश्यता नहीं हो सकती और चौथे दिन कोई अस्पृश्यता नहीं होती।

खबर कोना

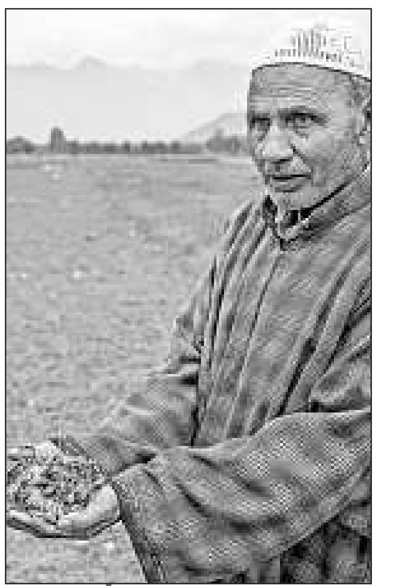

दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के पंपोर में मंगलवार को एक किसान खराब हुई केसर की फसल को दिखाता हुआ।

शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन तेजी, सूचकांक 510 अंक चढ़ा

मुंबई, 7 अप्रैल (भाषा)।

स्थानीय शेयर बाजारों में मंगलवार को लगातार चौथे कारोबारी सत्र में तेजी जारी रही और बीएसई सूचकांक 510 अंक चढ़ गया, जबकि एनएसई निफ्टी 23,000 अंक के पार पहुंच गया। कच्चे तेल के दाम में नरमी और दुनिया के अन्य बाजारों में तेजी से निवेशकों की धारणा मजबूत हुई। इसके अलावा, आइटी शेयरों में लिवाली से शुरुआती गिरावट के बाद बाजार में सुधार हुआ। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सूचकांक 509.73 अंक यानी 0.69 फीसद बढ़कर 74,616.58 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान, यह ऊंचे में 74,686.32 अंक तक गया और नीचे में 73,282.41 अंक तक आया। इससे बाजार में 1,403.91 अंक का उतार-चढ़ाव आया। पचास शेयरों पर आधारित एनएसई निफ्टी 155.40 अंक यानी 0.68 फीसद चढ़कर 23,123.65 अंक पर बंद हुआ।

जमा वृद्धि के मामले में निजी क्षेत्र के बैंकों का प्रदर्शन सार्वजनिक बैंकों से बेहतर

मुंबई, 7 अप्रैल (भाषा)।

निजी क्षेत्र के बैंकों ने जमा वृद्धि के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पीछे छोड़ते हुए मजबूत वृद्धि दर्ज की है। हालांकि, कुल मिलाकर बैंकों को जमा जुटाने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। रिजर्व बैंक के अस्थायी आंकड़ों को समग्र रूप से देखने पर पता चलता है कि वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में निजी बैंकों ने जमा में 12 से 17 फीसद की वृद्धि दर्ज की, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यह वृद्धि दो से 14 प्रतिशत रही। संकलित आंकड़ों के मुताबिक, कम लागत वाली जमाओं पर लगातार दबाव के कारण, बैंक हाल की तिमाहियों में जमा प्रमाणपत्र के माध्यम से कोष जुटाने पर अधिक निर्भर रहे हैं। जमा जुटाना विशेष रूप से चालू खाता एवं बचत खाता (सीएएसए) के मामले में चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।

चीन ने 15 दिन में दूसरी बार पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए गए

बेजिंग, 7 अप्रैल (भाषा)।

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में तेजी के बीच चीन ने करीब 15 में दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने की घोषणा की है। चीन की शीर्ष आर्थिक योजना संस्था राष्ट्रीय विकास एवं सुधार आयोग (एनडीआरसी) ने मंगलवार को कहा कि कीमतों में यह नई वृद्धि बुधवार से लागू होगी। अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध को लेकर संभावित ईंधन संकट की आशंकाओं के बीच चीन ने इससे पहले 23 मार्च को भी पेट्रोल तथा डीजल की कीमतें बढ़ाई थीं। एनडीआरसी ने बयान में कहा कि मार्च के अंत में घरेलू तेल कीमतों में किए गए समायोजन के बाद अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया है।

रेल परिचालन क्षमता का विस्तार कर रहा उत्तर पश्चिम रेलवे

नई दिल्ली, 7 अप्रैल (ब्यूरो)।

उत्तर पश्चिम रेलवे अपने ट्रेनों के रखरखाव अवसंरचना को मजबूत करके अपनी रेल परिचालन क्षमता को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि ट्रेनों के रखरखाव के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे के अधिकार क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर 22 रेल पिट लाइनें हैं। साथ ही अपने विभिन्न स्थानों पर रेल रखरखाव के लिए 20 नई रेल पिट लाइनों के निर्माण का कार्य शुरू किया है। इसमें मदार (एक लाइन), उमरा (दो लाइन), लालगढ़ (चार लाइन), श्रीगंगानगर (दो लाइन), हिसार (दो लाइन), सूरतगढ़ (दो लाइन), खातीपुरा (चार लाइन), बाड़मेर (एक लाइन) और जैसलमेर (दो लाइन) शामिल हैं। इस विस्तार से मौजूदा रखरखाव क्षमता लगभग दोगुनी होने की उम्मीद है।

पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित हो रहा कारोबार, सरकार का एलान

छोटे उद्यमियों के लिए 2.5 लाख करोड़ की ऋण गारंटी योजना पर विचार

नई दिल्ली, 7 अप्रैल (भाषा)।

सरकार पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित कारोबारों, विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को राहत देने के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए की ऋण गारंटी योजना लाने पर विचार कर रही है।

सूत्रों ने यह जानकारी दी। इस योजना के तहत अमेरिका-ईरान संघर्ष के कारण उधारकर्ताओं द्वारा ऋण चुकाने में चूक होने की स्थिति में उधारदाताओं को 100 करोड़ रुपए तक के ऋणों पर करीब 90 फीसद की ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी। बैंक ऋण पर यह गारंटी नैशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) देगी जो सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है। इस योजना के लिए सरकार को करीब 17,000 करोड़ से 18,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करना होगा।

> **इस** योजना के तहत अमेरिका-ईरान संघर्ष के कारण उधारकर्ताओं द्वारा ऋण चुकाने में चूक होने की स्थिति में उधारदाताओं को 100 करोड़ रुपए तक के ऋणों पर करीब 90 फीसद की ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी।

सूत्रों ने बताया कि ऐसी ही योजना कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान भी लागू की गई थी, जो काफी सफल रही और विभिन्न क्षेत्रों के कई कारोबारों को काम जारी रखने एवं बकाया चुकाने में मदद मिली।

सरकार ने मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आपात ऋण गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) शुरू की थी। इसका उद्देश्य कोविड-19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न व्यवधान के बीच पात्र एमएसएमई और अन्य कारोबारी इकाइयों को परिचालन देनदारियां पूरी करने और कारोबार फिर से शुरू करने में मदद देना था। इस योजना के तहत अर्थव्यवस्था के करीब सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया था और पात्र उधारकर्ताओं को दिए गए ऋण पर सदस्य ऋणदाता संस्थानों को 100 फीसद गारंटी प्रदान की गई थी।

योजना की संरचना ऐसी थी कि उधारकर्ताओं को ऋण आसानी से मिल सके। ऋणदाता संस्थान उधारकर्ता के मौजूदा ऋण के आधार पर पूर्व-स्वीकृत ऋण देते थे और अतिरिक्त ऋण के लिए नया मूल्यांकन नहीं किया जाता था। इसके अलावा ऋण पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा तय की गई थी ताकि कर्ज की लागत कम रहे एवं ऋण बिना ह्रासप्रोसेसिंग (प्रक्रिया) शुल्क, पूर्व भुगतान शुल्क और गारंटी शुल्क के दिए जाते थे। यह योजना 31 मार्च 2023 तक लागू रही। इस बीच सरकार ने आम लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए हाल में कई कदम भी उठाए हैं जिनमें पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती शामिल है।

रुपया 16 पैसे टूटकर 93.06 प्रति डालर पर पहुंचा

मुंबई, 7 अप्रैल (भाषा)।

रुपया मंगलवार को 16 पैसे टूटकर अमेरिकी डालर के मुकाबले 93.06 पर बंद हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा होर्मुज जलमार्ग को खोलने की समयसीमा और भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा से पहले निवेशकों में चिंता बनी रही, जिससे घरेलू मुद्रा पर दबाव देखा गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार, अस्थिर वैश्विक हालात के बीच विदेशी पूंजी की लगातार निकासी, मजबूत डालर और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण रुपया डालर के मुकाबले दबाव में बना हुआ है।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया डालर के मुकाबले 93.05 पर खुला। इसके बाद इसमें गिरावट आई और यह 93.12 प्रति डालर तक नीचे चला गया। कारोबार के दौरान रुपया 92.86 प्रति डालर के उच्च स्तर तक भी गया। कारोबार के अंत में रुपया 93.06 प्रति डालर पर रहा, जो पिछले बंद भाव से 16 पैसे की गिरावट है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सट्टेबाजी पर रोक लगाने और मुद्रा में उतार-चढ़ाव कम करने के लिए उठाए गए कदमों के बाद, सोमवार को रुपया अमेरिकी डालर के मुकाबले 28 पैसे मजबूत होकर 92.90 पर बंद हुआ था।

आरबीआइ ने सट्टेबाजी पर नियंत्रण के लिए नियम सख्त किए हैं और बैंकों की नेट ओपन पोजिशन (बैंकों के पास शुद्ध रूप से रखी जाने वाली विदेशी मुद्रा) की सीमा 10 करोड़ डालर तय की है। भारतीय रिजर्व बैंक की ब्याज दर तय करने वाली समिति ने सोमवार से चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति पर तीन दिन की बैठक शुरू कर दी है। आरबीआइ के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का निर्णय बुधवार को घोषित किया जाएगा। इस बीच, दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डालर की स्थिति को दर्शाने वाला डालर सूचकांक 0.15 फीसद घटकर 99.83 पर आ गया। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड का भाव 1.97 फीसद की गिरावट के साथ 107.61 डालर प्रति बैरल रहा। घरेलू शेयर बाजार की बात करें तो सूचकांक 509.73 अंक चढ़कर 74,616.58 अंक पर रहा, जबकि निफ्टी 155.40 अंक बढ़कर 23,123.65 अंक पर पहुंच गया।

'बैंक खातों को धोखाधड़ी घोषित करने से पूर्व उधारकर्ता निजी सुनवाई के हकदार नहीं'

नई दिल्ली, 7 अप्रैल (भाषा)।

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि बैंकों द्वारा खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले उधारकर्ता व्यक्तिगत सुनवाई का अनिवार्य रूप से अवसर दिए जाने के हकदार नहीं हैं। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले को निरस्त कर दिया, जिसमें उधारकर्ता को धोखाधड़ी वाला खाता घोषित करने से पहले व्यक्तिगत सुनवाई देने का बैंक को निर्देश दिया गया था।

शीर्ष अदालत ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन से जुड़े नियमों की व्याख्या करते हुए कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के लिए कारण बताओ नोटिस देना, जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराना, उधारकर्ता के जवाब पर विचार करना और कारण के साथ आदेश पारित करना पर्याप्त है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि बैंक किसी खाते को धोखाधड़ी घोषित करने में आडिट रपट (फारेंसिक आडिट समेत) पर निर्भर करते हैं, तो उसकी प्रति उधारकर्ता को देनी होगी ताकि वह उस पर अपनी आपत्ति या जवाब दे सके।

इसके साथ ही पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में निर्णय मुख्य रूप से दस्तावेजी साक्ष्यों- जैसे वित्तीय रिकार्ड, लेन-देन विवरण और आडिट रपट पर आधारित होता है इसलिए हर मामले में मौखिक सुनवाई जरूरी नहीं होती। पीठ ने कहा कि हर मामले में व्यक्तिगत सुनवाई अनिवार्य करने से प्रक्रिया में देरी होगी और धोखाधड़ी वाले खातों की समय पर पहचान और जांच प्रभावित हो सकती है।

उद्घाटन ठाणे: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार और अन्य मंगलवार को ठाणे-बोरिवली ट्विन टनल परियोजना के उद्घाटन के दौरान।

एअर इंडिया उड़ानों पर ईंधन अधिभार लगाएगा

मुंबई, 7 अप्रैल (भाषा)।

एअर इंडिया समूह घरेलू उड़ानों के लिए 299 रुपए से 899 रुपए तक और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 24 डालर से 280 डालर तक का ईंधन अधिभार लगाने जा रहा है।

हालांकि, कुछ मार्गों पर ईंधन अधिभार नहीं लगाया जाएगा। एअर इंडिया ने मंगलवार को बयान में कहा कि आठ अप्रैल से प्रभावी संशोधित ईंधन अधिभार एअरलाइन की किफायती सेवाएं देने वाली अनुषंगी कंपनी एअर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा संचालित उड़ानों पर भी लागू होगा।

बयान में कहा गया कि बांग्लादेश और जापान, हांगकांग और दक्षिण कोरिया जैसे सुदूर पूर्व गंतव्यों के लिए आने-जाने वाली उड़ानों पर ईंधन अधिभार में संशोधन की जानकारी आवश्यक नियामकीय अनुमोदनों के अधीन उचित समय पर दी जाएगी।

एअरलाइन ने कहा कि सरकार द्वारा घरेलू विमान ईंधन (एटीएफ) की कीमतों में 25 फीसद की अधिकतम वृद्धि तय करने के बाद समूह ने इस संतुलित दृष्टिकोण को अपनाया है और घरेलू स्तर पर एक समान अधिभार की जगह दूरी-आधारित अधिभार लगाने का फैसला लिया है।

> **एअर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन का इस्तीफा, उत्तराधिकारी की तलाश**
>
> एअर इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एवं प्रबंध निदेशक कैंपबेल विल्सन ने इस्तीफा दे दिया है। एअरलाइन ने उनके उत्तराधिकारी की तलाश के लिए एक समिति का गठन किया है। टाटा समूह के स्वामित्व वाली कंपनी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। न्यूजीलैंड मूल के विल्सन पिछले चार वर्ष से टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। एयरलाइन ने बयान में कहा कि विल्सन ने 2024 में ही एअर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को 2026 में पद छोड़ने की अपनी इच्छा से अवगत करा दिया था। तब से वह यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि संगठन और नेतृत्व दल बदलाव के लिए स्थिर स्थिति में हो। एअर इंडिया के निदेशक मंडल ने आने वाले महीनों में नए प्रमुख की नियुक्ति के लिए एक समिति का गठन किया है, जो उनके उत्तराधिकारी की तलाश करेगी।

न्यायिक कार्यों में कृत्रिम मेधा के इस्तेमाल पर लगाई रोक

चंडीगढ़, 7 अप्रैल (ब्यूरो)।

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों को फैसला लिखने और कानूनी शोध के लिए कृत्रिम मेधा (एआइ) उपकरणों का उपयोग न करने का निर्देश दिया है।

> **पंजाब** और हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला।

न्यायालय के महापंजीयक की ओर से सोमवार को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को जारी किए गए पत्र के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें अपने अधीन कार्यरत न्यायिक अधिकारियों को यह निर्देश देने को कहा है कि वे फैसले लिखने और कानूनी शोध के लिए चैटजीपीटी, जेमिनी, कोपायलट, मेटा सहित किसी भी एआइ उपकरण का उपयोग न करें। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि इन निर्देशों का उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा। इससे पहले, गुजरात हाई कोर्ट ने किसी भी प्रकार के निर्णय लेने, न्यायिक तर्क, आदेश का प्रारूप तैयार करने, जमानत संबंधी सजा पर विचार करने या किसी भी महत्त्वपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया में एआइ के उपयोग पर रोक लगा दी थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह कदम न्यायिक प्रक्रिया की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

ग्रामीण भारत में शीर्ष पांच फीसद परिवार 32 फीसद जमीन के मालिक | अध्ययन | जबकि शीर्ष एक फीसद परिवारों के पास 18 फीसद कृषि भूमि है

ग्रामीण भारत में 10 फीसद परिवारों के पास 44 फीसद जमीन

नई दिल्ली, 7 अप्रैल (भाषा)।

देश के ग्रामीण इलाकों में शीर्ष 10 फीसद परिवारों के पास 44 फीसद जमीन है, जबकि 46 फीसद भूमिहीन हैं। ह्यवर्ल्ड इनइक्वैलिटी लैब्ह के एक अध्ययन में यह बात कही गई है। भारत में भूमि असमानताः प्रकृति, इतिहास एवं बाजार शीर्षक वाले इस कार्य-पत्र में कहा गया है कि ग्रामीण भारत में शीर्ष पांच फीसद परिवार 32 फीसद जमीन के मालिक हैं, जबकि शीर्ष एक फीसद परिवारों के पास 18 फीसद कृषि भूमि है।

यह अध्ययन नितिन कुमार भारती, डेविड ब्लेकस्ली और समरीन मलिक ने संयुक्त रूप से किया है। अध्ययन में करीब 65 करोड़ लोगों और 2.7 लाख गांवों के भूमि आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है।

रपट के मुताबिक, ग्रामीण स्तर पर भूमि असमानता का औसत गिनी सूचकांक (0 से 100 के पैमाने पर) भूमिहीन परिवारों को शामिल करने पर 71 तक पहुंच जाता है जबकि 46 फीसद ग्रामीण परिवार पूरी तरह भूमिहीन हैं। अध्ययन रपट कहती है कि औसतन किसी गांव में सबसे बड़ा जमींदार लगभग 12 फीसद जमीन नियंत्रित करता है, जबकि कुछ गांवों में एक ही व्यक्ति के पास आधे से अधिक भूमि है। राज्यों के बीच असमानता के स्तर में भी बड़ा अंतर देखा गया है, जो वैश्विक स्तर पर देशों के बीच पाए जाने वाले अंतर के लगभग बराबर है। अध्ययन के अनुसार, जिन क्षेत्रों में कृषि के लिए अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियां हैं, वहां भूमि का केंद्रीकरण अधिक देखने को मिलता है। ऐतिहासिक कारकों का भूमि वितरण पर गहरा असर बना हुआ है। ब्रिटिश शासन के सीधे नियंत्रण वाले क्षेत्रों में भूमि असमानता अपेक्षाकृत अधिक पाई गई, जबकि रियासतों के अधीन रहे इलाकों में भूमि असमानता कम रही है। इसके अलावा भूमि स्वामित्व पर सामाजिक संरचना का प्रभाव भी स्पष्ट है।

> **यह** अध्ययन नितिन कुमार भारती, डेविड ब्लेकस्ली और समरीन मलिक ने संयुक्त रूप से किया है। अध्ययन में करीब 65 करोड़ लोगों और 2.7 लाख गांवों के भूमि आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। रपट के मुताबिक, ग्रामीण स्तर पर भूमि असमानता का औसत गिनी सूचकांक (0 से 100 के पैमाने पर) भूमिहीन परिवारों को शामिल करने पर 71 तक पहुंच जाता है जबकि 46 फीसद ग्रामीण परिवार पूरी तरह भूमिहीन हैं। अध्ययन रपट कहती है कि औसतन किसी गांव में सबसे बड़ा जमींदार लगभग 12 फीसद जमीन नियंत्रित करता है, जबकि कुछ गांवों में एक ही व्यक्ति के पास आधे से अधिक कृषि भूमि है।

अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) की अधिक आबादी वाले गांवों में भूमिहीनता की दर ज्यादा है। हालांकि, लंबे समय तक वामपंथी शासन के अधीन रहे केरल एवं पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में यह प्रवृत्ति अपेक्षाकृत कम दिखती है।

अध्ययन रपट के मुताबिक, बाजार और बुनियादी ढांचे तक बेहतर पहुंच भी ऐतिहासिक रूप से बनी इस असमानता को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाई है।

This is only an advertisement for information purpose and not an offer document announcement. Not for publication, distribution or release directly orindirectly into the United States or otherwise outside India. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated March 24, 2026 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with stock exchange BSE Limited ("BSE") ("the "Stock Exchange"). and the Securities and the Exchange Board of India ("SEBI") for information and dissemination on the SEBI's website pursuant to proviso to Regulation 3 of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("SEBI ICDR Regulations").

GUJARAT COTEX LIMITED

(CIN: L46695DN1996PLC000116)

Registered Office: Shop No. 3, Shanti Complex, Opp. Patel Petrol Pump, Amli, Silvassa, Dadra & Nagar Haveli, India – 396230. **Corporate Office:** 2007, Shankar Plaza Nanpura, Timaliyawad, Surat, Gujarat, India – 395001. **Email:** info@gujcotex.co | **Website:** www.gujcotex.co |**Phone:** +91-0261 3100550;

Our Company was originally incorporated as "Gujarat Cotex Limited" under the provisions of the Companies Act, 1956, and received its Certificate of Incorporation from the Registrar of Companies, Gujarat, on August 24, 1992, commencing business on August 25, 1992. Pursuant to a Scheme of Amalgamation approved by the Hon'ble High Court of Gujarat on February 23, 1993, the Company took over the undertaking of Jayant Texturising Private Limited as a going concern, engaged in the yarn texturing business. Subsequently, the Company's Registered Office was relocated from State of Gujarat, located at Morbi Memon Jamatkhana Building, Tankshal Pole, Ranitalav, Surat – 395003, Gujarat, India to the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli, located at 52, Government Industrial Estate, Phase-II, Piparia, Silvassa, Dadra and Nagar Haveli, India, as approved by an order of the Company Law Board and a fresh certificate was issued effective November 20, 1996. Thereafter, the name of the Company was changed from "Gujarat Cotex Limited" to "Octagon Industries Limited" pursuant to a fresh Certificate of Incorporation issued on May 26, 1997. Further, the Registered Office of the Company was shifted to Cassia-702, Garden City, Opposite Samarvani Panchayat, Khanvel Road, Silvassa, Dadra & Nagar Haveli – 396230, with effect from October 5, 2011. Subsequently, with effect from June 4, 2021, the Registered Office was relocated to Shop No. 4, 1st Floor, Shanti Complex, Opp. Patel Petrol Pump, Amli, Silvassa, Dadra & Nagar Haveli, India – 396230. Later, with effect from August 29, 2025, the Registered Office was shifted from Shop No. 4, 1st Floor, Shanti Complex, Opp. Patel Petrol Pump, Amli, Silvassa, Dadra & Nagar Haveli, India – 396230 to Shop No. 3, Shanti Complex, Opp. Patel Petrol Pump, Amli, Silvassa, Dadra & Nagar Haveli, India – 396230. Further, the name of the Company was reverted to its original name "Gujarat Cotex Limited" pursuant to a fresh Certificate of Incorporation issued on December 27, 2006. Please see ***'Summary of the Letter of Offer'*** on page 19 of the Letter of Offer.

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITYSHAREHOLDERS OF GUJARAT COTEX LIMITED ("OUR COMPANY"/" THE ISSUER")

RIGHTS ISSUE OF UP TO 8,54,64,000 FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5/- EACH OF OUR COMPANY ("RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 5/- (RUPEES FIVE ONLY) EACH PER RIGHTS EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO AN AMOUNT OF ₹ 4,273.20 LAKHS* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 6 RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 1 FULLY PAID UP EQUITY SHARE HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON APRIL 01, 2026 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS ONE TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, KINDLY REFER TO THE SECTION TITLED 'TERMS OF THE ISSUE' ON PAGE 87 OF THE LETTER OF OFFER (LOF). (*Assuming full subscription)

NOTICE TO ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

ISSUE PROGRAMME

ISSUE OPENS ON	LAST DATE FOR ON-MARKET RENUNCIATIONS**	ISSUE CLOSES ON#
April 10, 2026	May 05, 2026	May 08, 2026

**Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the Demat account of the Renouncee(s) on or prior to the Issue Closing Date.
#Our boardwill have the right to extend the Issue period as it may determine from time to time but not exceeding 30 (Thirty) days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date). Further, no withdrawal of the Application shall be permitted by any Applicant after the Issue Closing Date.

ASBA*	Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it!!!	*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same.For further details, check section on ASBA below.

Facilities for Application in this Issue

In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, the SEBI Rights Issue Circulars and the ASBA Circulars, all Investors desiring to make an Application in this Issue are mandatorily required to use the ASBA process. Investors should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA. For details, see "Procedure for Application through the ASBA Process"on pageno. 91of the Letter of Offer, respectively.

APPLICATION THROUGH ASBA FACILITY

An investor, wishing to participate in this Issue through the ASBA facility, is required to have an ASBA enabled bank account with an SCSB, prior to making the Application. Investors desiring to make an Application in this Issue through ASBA process, may submit the Application Form to the Designated Branch of the SCSB or online/electronic Application through the website of the SCSBs (if made available by such SCSB) for authorizing such SCSB to block Application Money payable on the Application in their respective ASBA Accounts.

Please note that subject to SCSBs complying with the requirements of SEBI Circular CIR/CFD/DIL/13/2012 dated September 25, 2012, within the periods stipulated therein, ASBA Applications may be submitted at the Designated Branches of the SCSBs. Further, in terms of the SEBI circular bearing reference number CIR/CFD/DIL/1/2013 dated January 2, 2013, it is clarified that for making Applications by SCSBs on their own account using ASBA facility, each such SCSB should have a separate account in its own name with any other SEBI registered SCSB/s. Such account shall be used solely for the purpose of making an application for the Issue and clear demarcated funds should be available in such account for such an application. SCSBs shall have a separate account in its own name with any other SEBI registered SCSBs. Such account shall be used solely for the purpose of making an application in the Issue and clear demarcated funds should be available in such account for such an application. SCSBs applying through ASBA shall submit their Applications to the Registrar.

CREDIT OF RIGHTS ENTITLEMENTS IN DEMAT ACCOUNTS OF ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS

pursuant to provisions of the SEBI ICDR Regulations and the SEBI Issue Circular, the Rights Entitlements shall be credited in dematerialized form in respective demat accounts of the Eligible Equity Shareholders before the Issue Opening Date. In case of demat accounts which are frozen or details of which are unavailable or the demat accounts the details of which could not be traced from the details provided by the Eligible Equity Shareholders, the Rights Entitlements shall be kept in suspense escrow demat account and shall be transferred to the demat account of the Eligible Equity Shareholder as and when such details are provided/rectified.

Prior to the Issue Opening Date, our Company shall credit the Rights Entitlements to (i) the demat accounts of the Eligible Equity Shareholders holding the Equity Shares in dematerialised form; and (ii) a demat suspense escrow account opened by our Company, for the Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in dematerialized form at least one day before the Issue Closing Date, to enable such Eligible Equity Shareholders to make an application in this Issue, and where the time to credit the Rights Entitlements or unblock the funds in the ASBA account expires post the Issue Closing Date, to enable such Eligible Equity Shareholders to make an application in this Issue. Eligible Equity Shareholders can obtain the details of their respective Rights Entitlements from the website of the Registrar (i.e., www.purvashare.com) by entering their DP ID and Client ID or Folio Number (in case of Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form) and PAN. The Registrar to the Issue will send/dispatch a serialised intimation letter, along with the Application Form, to any Eligible Equity Shareholder who has submitted a valid e-mail address, containing the link to download the Application Form. Such Eligible Equity Shareholders can make an Application only after downloading and printing the Application Form from the aforementioned link.

Prior to the Issue Opening Date, the Rights Entitlements of those Eligible Equity Shareholders, among others, who hold Equity Shares in physical form, and whose demat account details are not available with our Company or the Registrar, shall be credited in a demat suspense escrow account opened by our Company.

PROCEDURE FOR APPLICATION - In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, SEBI Rights Issue Circulars and ASBA Circulars, all investors desiring to make an application in this issue are mandatorily required to use the ASBA process. Investors should carefully read the provisions applicable to such applications before making their application through ASBA. For details of procedure for application by the resident eligible shareholders holding equity shares in physical form as on record date, please see "Making of an application by eligible equity shareholders holding equity shares in physical form" on page 95 of the Letter of Offer.

Procedure for Application through the ASBA process: Investors desiring to make an Application in this Issue through ASBA process, may submit the Application Form to the Designated Branch of the SCSB or online/electronic Application through the website of the SCSBs (if made available by such SCSB) for authorising such SCSB to block Application Money payable on the Application in their respective ASBA Accounts. Investors should ensure that they have correctly submitted the Application Form, or have otherwise provided an authorisation to the SCSB, via the electronic mode, for blocking funds in the ASBA Account equivalent to the Application Money mentioned in the Application Form, as the case may be, at the time of submission of the Application. For the list of banks which have been notified by SEBI to act as SCSBs for the ASBA process, please refer to https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognise=yes&intmId=34. For details on Designated Branches of SCSBs collecting the Application Form, please refer the above-mentioned link.

Application by eligible equity shareholders holding equity shares in physical form

Please note that in accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circulars, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Equity Shares shall be made in dematerialised form only. Accordingly, Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date and desirous of subscribing to Equity Shares in this Issue are advised to furnish the details of their demat account to the Registrar or our Company at least two Working Days prior to the Issue Closing Date, to enable the credit of their Rights Entitlements in their respective demat accounts at least one day before the Issue Closing Date.

PLEASE NOTE THAT THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS WHO HOLD EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM AS ON RECORD DATE AND WHO HAVE NOT FURNISHED THE DETAILS OF THEIR RESPECTIVE DEMAT ACCOUNTS TO THE REGISTRAR OR OUR COMPANY PRIOR TO THE ISSUE CLOSING DATE SHALL NOT BE ELIGIBLE TO MAKE AN APPLICATION FOR RIGHTS EQUITY SHARES AGAINST THEIR RIGHTS ENTITLEMENTS WITH RESPECT TO THE EQUITY SHARES HELD IN PHYSICAL FORM.

Allotment of Rights Equity Shares in Dematerialised Form: Please note that the Rights Equity Shares applied for in this Issue can be allotted only in dematerialised form and to the same demat account in which the equity shares are held by such investors on the Record Date.

Dispatch of the Letter of Offer (LOF) and Application: The dispatch of the LOF and the Application Form was completed on April 07, 2026, by the Registrar for the Issue.

Credit of Rights Entitlements in Demat Accounts of Eligible Equity Shareholders:

In accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circulars, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Equity Shares shall be made in dematerialised form only. Prior to the Issue Opening Date, the Rights Entitlements shall be credited in (i) a demat suspense escrow account opened by our Company, for the Eligible Equity Shareholders holding the Equity Shares in dematerialised form, or (ii) a demat suspense escrow account pursuant to Regulation 40 of the SEBI ICDR Regulations, which would comprise Rights Entitlements relating to (a) Equity Shares held in demat suspense account pursuant to Regulation 39 of the SEBI ICDR Regulations; or (b) Equity Shares held in the account of any authority or (c) the demat account of the Eligible Equity Shareholder which are frozen or details of which are unavailable with our Company or with the Registrar on the Record Date, or (d) Equity Shares held by the Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on the Record Date where details of demat accounts are not provided by an Eligible Equity Shareholder to our Company or Registrar; or (e) credit of the Rights Entitlements returned/refunded/lapsed, or (f) the ownership of the Equity Shares under dispute, including any legal proceedings, as applicable or of ineligible equity shareholders in the United States.

Application on Plain Paper under ASBA:

An Eligible Equity Shareholders may make an Application to subscribe to this Issue on plain paper. An Eligible Equity Shareholder shall submit the plain paper Application to the Designated Branch of the SCSB for authorising such SCSB to block Application Money in the said bank account maintained with them. Application on plain paper shall be accepted from applicants on an absolute basis.

Alternatively, Eligible Equity Shareholders may also fill the Application Form available online on the websites of our Company, the Registrar to the Issue or the Stock Exchange to provide requisite details.

Please note that the Eligible Equity Shareholders who are making the Application on plain paper shall be entitled to renounce their Rights Entitlements and should not utilize the Application Form for any purpose including renunciation over what is received subsequently.

The application on plain paper, duly signed by the Eligible Equity Shareholder including joint holders, in the same order and as per specimen recorded with his bank, must reach the office of the Designated Branch of the SCSB before the Issue Closing Date and should contain the following particulars:

1. Name of our Company, being **Gujarat Cotex Limited.**
2. Name and address of the Eligible Equity Shareholder including joint holders (in the same order and as per specimen recorded with our Company or the Depository);
3. Folio number (in case of Eligible Equity Shareholders who hold Equity Shares in physical form as at Record Date) / DP and Client ID;
4. PAN of the Eligible Equity Shareholders and for each Eligible Equity Shareholder in case of joint names, irrespective of the total value of the Rights Equity Shares applied for pursuant to this Issue;
5. Number of Equity Shares held as at Record Date;
6. Allotment option – only dematerialised form;
7. Number of Rights Equity Shares entitled to;
8. Number of Rights Equity Shares entitled to;
9. Number of Rights Equity Shares applied for within the Rights Entitlements;
10. Number of Additional Rights Equity Shares applied for, if any (applicable only if entire Rights Entitlements have been applied for);
11. Total number of Rights Equity Shares applied for;
12. Total amount payable at the rate of Rs. 5/- per Rights Equity Share;
13. Details of the ASBA Account such as the SCSB account number, name, address and branch of the relevant SCSB;
14. In case of non-resident Rights Equity Shareholders making an application with an Indian address, details of the NRE / FCNR/NRO account such as the account number, name, address and branch of the SCSB with which the account is maintained;
15. Authorization to the Designated Branch of the SCSB to block an amount equivalent to the Application Money in the ASBA Account;
16. Signature of the Eligible Equity Shareholder (in case of joint holders, to appear in the same sequence and order as they appear in the records of the SCSB);
17. An approval obtained from any regulatory authority, if required, shall be obtained by the Eligible Equity Shareholders and a copy of such approval from any regulatory authority, as may be required, shall be sent to the Registrar to the issue at support@purvashare.com.
18. All such Eligible Equity Shareholders shall be deemed to have made the representations, warranties and agreements set forth in "***Restrictions on Purchases and Resale***" on page no118 and shall include the following:

*"I (We) hereby make representations, warranties and agreements set forth in '**Restrictions on Purchases and Resale**' on page no.118.
I (We) acknowledge that the Company, its affiliates and others will rely upon the truth and accuracy of the representations, warranties and agreements set forth therein."*

In cases where multiple Application Forms are submitted for Applications pertaining to Rights Entitlements credited to the same demat account or in demat suspense escrow account, including cases where an investor submits Application Forms along with a plain paper Application, such Applications shall be liable to be rejected.

Investors are requested to strictly adhere to these instructions. Failure to do so could result in an Application being rejected, with our Company and the Registrar not having any liability to the Investor. The plain paper Application format will be available on the website of the Registrar. Our Company and the Registrar shall not be responsible if the Applications are not uploaded by SCSB or funds are not blocked in the Investor's ASBA Account on or before the Issue Closing Date.

Last date for Application: The last date for submission of the duly filled Application Form or a plain paper Application is, May 08, 2026, i.e., Issue Closing Date. Our Board or any committee thereof reserves the right to extend the Issue period as it may determine from time to time, subject to the Issue Period not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Closing Date).

If the Application Form is not submitted with a SCSB or notification of the Stock Exchange or the Application Money is not blocked with the SCSB on or before the Issue Closing Date or such date as may be determined by our board or any committee thereof, the intention to offer consideration in the form of office shall be deemed to have been denied and our Board or any committee thereof shall be at liberty to dispose of the Rights Equity Share hereby offered, as provided in the section, "***Terms of the Issue,***" on page 87.

Procedure for Renunciation: The Investor may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts, either in full or in part (a) by using the secondary market platform of the Stock Exchange or (b) through an off-market transfer, during the Renunciation Period. The Investors should hold the demat Rights Entitlement and may renounce by transferring the Rights Entitlements. The rules for On Market Renunciation and Off Market Renunciation shall be applicable. Renunciation by transferring the Rights Entitlements through the depository system may be subject to stamp duty or other tax or legal consequences as a matter of trading in the Rights Entitlements; investors who intend to trade in the Rights Entitlements should consult their tax advisers or stock-broker regarding any renunciation. In addition, the Nomination facility is available for the Rights Entitlements. Our Company accepts no responsibility to bear any cost, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage), and such costs will be incurred solely by the Investor. Please note that the Rights Entitlements which are neither renounced nor subscribed by the Investors on or before the Issue Closing Date shall lapse and shall be extinguished after the Issue Closing Date.

a. On Market Renunciation

The Eligible Equity Shareholders may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts by trading/selling them on the secondary market platform of the Stock Exchange through a registered stock-broker in the same manner as the existing equity shares of our Company.

In this regard, in terms of provisions of the SEBI ICDR Regulations and the SEBI Rights Issue Circulars, the Rights Entitlements credited to the respective demat accounts of the Eligible Equity Shareholders shall be admitted for trading on the Stock Exchange under the ISIN: INE004C20010 subject to requisite approvals. Prior to the Issue Closing Date, our Company will obtain the approval from the Stock Exchange for the same. No assurance can be given regarding the volume or sentiment for On Market Renunciation or the price at which the Rights Entitlements will trade. The details for trading in Rights Entitlements will be as specified by the Stock Exchange from time to time.

The Rights Entitlements are tradable in dematerialised form only. The market lot for trading of Rights Entitlements is 1 (one) Rights Entitlement.

The On Market Renunciation shall take place only during the Renunciation Period for On Market Renunciation, i.e., from April 10, 2026,to May 05, 2026(both days inclusive).

The On Market Renunciation shall take place electronically on the secondary market platform of BSE under an automatic order matching mechanism and on a 'T+1 rolling settlement basis', where 'T' refers to the date of trading. The transactions will be settled on a trade-for-trade basis. Upon execution of the order, the stock-broker will issue a contract note in accordance with the requirements of the Stock Exchange and SEBI.

b. Off Market Renunciation

The Eligible Equity Shareholders may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts, by way of an off-market transfer through a depository participant. The Rights Entitlements can be transferred in dematerialised form only.

Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that consideration for an off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncee on or prior to the Issue Closing Date to enable the Renouncee to subscribe to the Equity Shares in the Issue.

The Investors holding the Rights Entitlements who desire to transfer them will have to do so through their depository participant by issuing a delivery instruction slip, quoting the ISIN: INE004C20010 the details of the buyer, and the number of Rights Entitlements they intend to transfer. The buyer of the Rights Entitlements (unless already having given a standing receipt instruction) has to issue a receipt instruction slip to their depository participant. The Investors can transfer Rights Entitlements only to the extent available in their demat account.

The instructions for the transfer of Rights Entitlements can be issued during the working hours of the depository participant.

Please note that the Rights Entitlements which are neither renounced nor subscribed by the investors on or before the Issue Closing Date shall lapse and shall be extinguished after the Issue Closing Date.

Listing and Trading of the Equity Shares to be Issued Pursuant to this Issue:The existing Equity Shares are listed and traded on BSE (Scrip Code: 514386) under the ISIN: INE004C01028.The Rights Equity Shares shall be credited to a temporary ISIN which will be frozen until the receipt of the final listing/trading approvals from the Stock Exchange. Upon receipt of such approvals, the Rights Equity Shares shall be debited from such temporary ISIN and credited to the new ISIN for the Rights Equity Shares, after which they will be available for trading. The temporary ISIN shall then be permanently deactivated in the depository systems of CDSL and NSDL.

Disclaimer Clause of BSE:"It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the Disclaimer Clause of BSE Limited."

Availability of Issue Materials:In accordance with the SEBI ICDR Regulations, the Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter, and other Issue material will be sent/dispatched only to the Eligible Equity Shareholders who have provided an Indian address and who have made a request in this regard. For such Eligible Equity Shareholders who have provided a valid e-mail address, these documents will be sent electronically. For those who have not provided an e-mail address, the documents will be dispatched, on a reasonable effort basis, to the Indian addresses provided by them.

Investors can access the Letter of Offerand the Application Form (provided that the Eligible Equity Shareholder is eligible to subscribe for the Equity Shares under applicable laws) on the websites of:

a. Our Company at www.gujcotex.co
b. the Registrar to the issue at www.purvashare.com and
c. the Stock Exchange at www.bseindia.com

Allotment Banker Account and Bankers to the Issue and Refund Banker – ICICI Bank Limited

For Risk Factors and other details, kindly refer to page no. 25 of the Letter of Offer.

Other important links and helpline

The investors can visit following links for the below-mentioned purposes:

a. Frequently asked questions and online/ electronic dedicated investor helpdesk for guidance on the Application process and resolution of difficulties faced by the Investor: www.sebi.gov.in
b. Updation of Indian address/ e-mail address/ phone or mobile number in the records maintained by the Registrar or our Company: www.purvashare.com
c. Updation of demat account details by Eligible Equity Shareholders holding shares in physical form: www.purvashare.com
d. Submission of self-attested PAN, client master sheet and demat account details by non-resident Eligible Equity Shareholders: www.purvashare.com

REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER
PURVA SHAREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED **Address:** Unit No. 9, Shiv Shakti Industrial Estate, J. R. Boricha Marg, Opp. Kasturba Hospital Lower, Mumbai, Maharashtra, India – 400 011 **Contact No.:** 022-49614132 **Email id:**support@purvashare.com **Investor Grievance Email id:** newissue@purvashare.com **Website:** www.purvashare.com **Contact Person:** Ms. DeepaliDhuri **SEBI Registration No.:** INR000001112 **CIN:** U67120MH1993PTC074079	**GUJARAT COTEX LIMITED** Ms. Shweta Naresh Kumar Temani **Registered Office:** Shop No. 3, Shanti Complex, Opp. Patel Petrol Pump, Amli, Silvassa, Dadra & Nagar Haveli, India – 396230. **CIN:** L46695DN1996PLC000116 **Email:** info@gujcotex.co **Contact No:** +91-0261 3100550 **Website:** www.gujcotex.co

Investors may contact the Registrar or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre issue or post issue related matter. All grievances relating the ASBA process may be addressed to the Registrar, with a copy to the SCSBs in case of ASBA process), giving full details such as name, address of the Applicant contact number(s), e- mail address of the sole first holder, folio number or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked (in case of ASBA process), ASBA Account number, and the Designated Branch of the SCSBs where the Application Form or the plain paper applications as the-case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip (in case of ASBA process).

For, Gujarat Cotex Limited
Mr. ShaileshkumarJayantkumar Parekh
Managing Director
(DIN: 01246270)

Date:April 08, 2026
Place:Silvassa

खबर कोना

नेपाल ने छह देशों से अपने राजदूत वापस बुलाए

काठमांडो, 7 अप्रैल (भाषा)।

नेपाल ने भारत समेत छह देशों से अपने राजदूत वापस बुला लिए हैं, जिन्हें केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली पिछली सरकार के कार्यकाल में नियुक्त किया गया था। सरकार ने भारत, आस्ट्रेलिया, श्रीलंका, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका में कार्यरत राजदूतों को वापस बुला लिया है। जिन राजदूतों को वापस बुलाया गया है, उनमें शंकर प्रसाद शर्मा (भारत), चित्रलेखा यादव (आस्ट्रेलिया), सुमनिमा तुलाधर (डेनमार्क), पूर्ण बहादुर नेपाली (श्रीलंका), शिवमाया तुम्बाहम्फे (दक्षिण कोरिया) और कपिलमान श्रेष्ठ (दक्षिण अफ्रीका) शामिल हैं।

हनोई में वियतनाम के शीर्ष नेता तो लाम ने देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हुए।

बांग्लादेश की पूर्व महिला संसद अध्यक्ष गिरफ्तार

ढाका, 7 अप्रैल (भाषा)।

बांग्लादेश संसद की पूर्व अध्यक्ष शिरीन शरमीन चौधरी को मंगलवार को ढाका मेट्रोपालिटन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मीडिया में आई खबरों में यह जानकारी दी गई है। समाचार पत्र प्रथम आलो की खबर के अनुसार, चौधरी को ढाका मेट्रोपालिटन पुलिस की खुफिया शाखा (डीबी) ने लालबाग थाने में दर्ज एक मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया। यह मामला जनआंदोलन के दौरान हुई हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं से जुड़ा है। डीबी के एक सूत्र ने बताया कि चौधरी विभिन्न स्थानों पर छिप कर रह रही थीं। अभी वह धनमंडी में एक रिश्तेदार के घर में रह रही थीं, जहां से उन्हें मंगलवार सुबह हिरासत में लिया गया। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक, ढाका मेट्रोपालिटन पुलिस के मीडिया प्रभाग के उपायुक्त एम एन नसीरुद्दीन ने बताया कि चौधरी से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा, 'जहां तक हमें जानकारी है, राजधानी के बनानी और उत्तरा थानों में जुलाई आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं को लेकर उनके खिलाफ मामले दर्ज हैं।

श्रीलंका से रिहा हुए 30 भारतीय मछुआरे स्वदेश लौटे

कोलंबो, 7 अप्रैल (भाषा)।

श्रीलंका से रिहा किए गए 30 भारतीय मछुआरों को मंगलवार को वापस भेज दिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'भारत के 30 मछुआरों को आज श्रीलंका से वापस भेजा गया।' उन्होंने बताया कि ये मछुआरे स्वदेश लौट रहे हैं। श्रीलंका की नौसेना के अनुसार, उसने इस साल अब तक मछली पकड़ने वाली 15 नौकाएं जब्त की और 102 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है। उसने कहा कि 2025 में श्रीलंका के जल क्षेत्र में 346 मछुआरों को गिरफ्तार किया गया था। नौसेना के प्रवक्ता कमांडर बुद्धिका संपत ने बताया कि वह नहीं बता सकते कि रिहा किए गए 30 मछुआरे किस समूह से थे।

अल्बोर्ज प्रांत में हवाई हमले में 18 लोगों की मौत, बिजली संयंत्र बचाने की अपील

अमेरिका ने ईरान के तेल उद्योग के अहम केंद्र खार्ग द्वीप पर फिर किया हमला

वाशिंगटन, 7 अप्रैल (एपी)।

अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के तेल उद्योग के लिए अति अहम खार्ग द्वीप पर हमला किया है। वाइट हाउस के एक अधिकारी ने पहचान गुप्त रखने की शर्त पर यह जानकारी दी। अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि अमेरिका ने द्वीप पर स्थित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वहीं, ईरानी अधिकारियों ने युवाओं से बिजली संयंत्रों की सुरक्षा के लिए मानव शृंखला बनाने की अपील की।

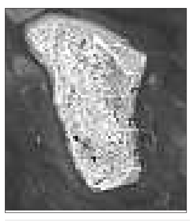

सऊदी अरब ने उसके तेल समृद्ध पूर्वी प्रांत पर ईरान के मिसाइल हमलों के बाद बहरीन से जोड़ने वाले एकमात्र सड़क मार्ग को मंगलवार को बंद कर दिया।

ईरान की राजधानी तेहरान के उत्तर पश्चिमी अल्बोर्ज प्रांत में हुए एक हवाई हमले में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई है।

ट्रंप ने द्वीप पर महत्त्वपूर्ण तेल अवसंरचना पर कब्जा करने के लिए जमीन पर सैनिकों को भी उतारने की धमकी दी है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के अभियान में कई अमेरिकी सैन्य कर्मियों की जान जाएगी और यह युद्ध को समाप्त करने की दिशा में निर्णायक कदम नहीं होगा।

वहीं सऊदी अरब ने उसके तेल समृद्ध पूर्वी प्रांत पर ईरान के मिसाइल हमलों के बाद बहरीन से जोड़ने वाले एकमात्र सड़क मार्ग को मंगलवार को बंद कर दिया। वहीं, ईरानी अधिकारियों ने युवाओं से बिजली संयंत्रों की सुरक्षा के लिए मानव शृंखला बनाने की अपील की, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा तय की गई समयसीमा नजदीक आ रही है, जिसमें ईरान से होर्मुज जलमार्ग को खोलने की मांग की गई है।

ट्रंप ने धमकी दी है कि यदि ईरान मंगलवार रात आठ बजे तक इस रणनीतिक जलमार्ग में जहाजों की आवाजाही पूरी तरह बहाल नहीं करता, तो वह ईरान के सभी बिजली संयंत्रों और पुलों पर बमबारी करेंगे। ट्रंप ने कहा, 'पूरे देश को एक रात में खत्म किया जा सकता है।' इजराइल की सेना ने फारसी भाषा में ईरानियों को दिनभर ट्रेनों से दूर रहने की चेतावनी दी, जो संभवतः रेल नेटवर्क पर हमलों का संकेत था। चेतावनी में कहा गया है, 'आपकी मौजूदगी आपके जीवन को खतरे में डालती है।'

ईरान ने 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद इस जलमार्ग में जहाजों की आवाजाही रोक दी थी, जिससे युद्ध शुरू हुआ। सोमवार को तेहरान ने 45 दिन के युद्धविराम प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि वह युद्ध का स्थायी अंत चाहता है। पिछले कुछ समय से ईरान की राजधानी तेहरान पर लगातार तीव्र हवाई हमले हो रहे हैं।

मेरे समेत 1.4 करोड़ ईरानी युद्ध में जान देने के लिए तैयार : मसूद पेजेश्कियन

दुबई, 7 अप्रैल (एपी)।

अमेरिका की आसन्न समयसीमा के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने मंगलवार को कहा कि उनके समेत 1.4 करोड़ ईरानी स्वयंसेवक युद्ध में अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने यह टिप्पणी एक्स पर उस समय की, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वह समयसीमा करीब आ रही है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि यदि ईरान होर्मुज जलमार्ग को दोबारा नहीं खोलता है तो उसके बिजली संयंत्रों और पुलों पर बमबारी की जाएगी।

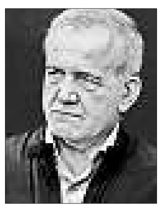

यह संख्या पहले सरकारी मीडिया द्वारा बताए गए स्वयंसेवकों के आंकड़ों से लगभग दोगुनी है। सरकार युद्ध के दौरान संदेशों और मीडिया के जरिए लोगों से इस तरह के स्वयंसेवी अभियान में शामिल होने की अपील कर रही है। लगभग नौ करोड़ की आबादी वाले ईरान में कई लोग सरकार से नाराज भी हैं, खासकर देशभर में हुए प्रदर्शनों पर की गई सख्त कार्रवाई को लेकर। माना जा रहा है कि 1.4 करोड़ का यह आंकड़ा संभावित अमेरिकी हमले को रोकने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। पेजेश्कियन ने कहा, '1.4 करोड़ से अधिक ईरानी लोगों ने अभियान में अपनी जान देने के लिए तैयार रहने का इरादा जताया है। मैं भी ईरान के लिए अपनी जान देने के लिए पहले भी तैयार था, अब भी हूं और आगे भी रहूंगा।'

रूस, चीन ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को वीटो किया

संयुक्त राष्ट्र, 7 अप्रैल (भाषा)।

रूस और चीन ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के उस प्रस्ताव को वीटो कर दिया, जिसका उद्देश्य होर्मुज जलमार्ग को फिर से खोलना था और जिसमें बार-बार संशोधन किया गया था। प्रस्ताव में बार-बार संशोधन इस उम्मीद के साथ किया गया था कि ये दोनों देश इस पर मतदान से दूर रहेंगे। पंद्रह सदस्यीय यूएनएससी में बहरीन की ओर से लाए गए प्रस्ताव के पक्ष में 11 वोट और विरोध में दो वोट पड़े। वहीं, दो सदस्यों ने मतदान से दूरी बनाई।

प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो सका, क्योंकि वीटो शक्ति रखने वाले सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों–रूस और चीन ने इसके विरोध में मतदान किया। मतदान से पहले, संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के मिशन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं। कच्चे माल और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति अवरुद्ध है। ईरान की अवैध कार्रवाइयों के कारण दुनिया भर में अरबों लोग बुनियादी वस्तुओं के लिए अधिक कीमत चुका रहे हैं। अब समय आ गया है कि होर्मुज जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई की जाए।'

मजाक में बोले ट्रंप, बेनेजुएला में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता हूं

वाशिंगटन, 7 अप्रैल (भाषा)।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वह वेनेजुएला में काफी लोकप्रिय हैं और अमेरिका में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद वहां राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने पर विचार कर सकते हैं। ट्रंप ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में मजाकिया अंदाज में कहा कि वह वेनेजुएला में अब तक किसी भी नेता से ज्यादा लोकप्रियता (पोल रेटिंग) हासिल कर सकते हैं।

यह बयान ऐसे समय में आया है जब जनवरी में अमेरिकी बल वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार करके मादक पदार्थ की तस्करी के मामलों का सामना करने के लिए अमेरिका लाए थे। ट्रंप ने कहा, 'वेनेजुएला के लोग कहते हैं कि अगर मैं वहां राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ूं, तो मेरी लोकप्रियता अब तक किसी भी व्यक्ति से ज्यादा होगी। इसलिए जब मैं यहां (अमेरिका में) अपना काम खत्म कर लूंगा, तो वेनेजुएला जा सकता हूं।'

उन्होंने कहा, 'मैं जल्दी ही स्पेनिश सीख लूंगा। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं भाषाओं के ज्ञान में अच्छा हूं और मैं वेनेजुएला जाऊंगा। मैं राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ूंगा। लेकिन फिलहाल हम वहां के निर्वाचित राष्ट्रपति से बहुत खुश हैं।' वेनेजुएला में तीन जनवरी को निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जिम्मेदारी संभाली।

सुरक्षा

इस्तांबुल में मंगलवार को इजरायली वाणिज्य दूतावास की इमारत पर बंदूकधारियों के हमले के बाद तुर्की पुलिस इलाके को सुरक्षित करने की तैयारी में।

विक्रम मिसरी आज से अमेरिका की तीन दिवसीय यात्रा पर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

विदेश सचिव विक्रम मिसरी बुधवार से वाशिंगटन डीसी की तीन दिवसीय यात्रा पर जाएंगे, जहां वह द्विपक्षीय व्यापार और रक्षा संबंधों की समीक्षा करेंगे तथा पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मिसरी की आठ से 10 अप्रैल तक की यह यात्रा भारत-अमेरिका द्विपक्षीय सहयोग के व्यापक पहलुओं की समीक्षा करने और प्रमुख क्षेत्रों में जारी सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी।

यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब दोनों पक्ष अनिश्चितता और तनाव के दौर के बाद संबंधों को स्थिर करने के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिका द्वारा भारत पर दंडात्मक शुल्क लगाए जाने और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पिछले साल मई में भारत-पाकिस्तान सैन्य झड़पों को कम करने में अपनी भूमिका को लेकर विवादास्पद दावे किए जाने के बाद द्विपक्षीय संबंधों में बड़ी गिरावट आई थी।

बताया जा रहा है कि मिसरी की इस यात्रा के दौरान दोनों पक्ष प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने पर भी विचार-विमर्श कर सकते हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'यह यात्रा भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों के व्यापक पहलुओं की समीक्षा करने और प्रमुख क्षेत्रों में जारी सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर देगी।' विदेश मंत्रालय ने बताया कि विदेश सचिव अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यापार, रक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहित कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा वह, क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर भी बातचीत करेंगे जो दोनों देशों के लिए महत्त्वपूर्ण है।

चंद्रमा के आसपास सबसे अधिक दूरी तय करने का बनाया रिकार्ड

ह्यूस्टन, 7 अप्रैल (एपी)।

अमेरिकी अंतरिक्ष एजंसी नासा के आर्टेमिस-2 मिशन के अंतरिक्ष यात्री सोमवार रात चंद्रमा के पिछले हिस्से से निकलकर पृथ्वी की ओर रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने चंद्रमा के उस हिस्से को देखा, जिसे पहले कभी इतने करीब से नहीं देखा गया था और मानव इतिहास में चंद्रमा के आसपास सबसे ज्यादा दूरी तय करने का नया रिकार्ड भी बनाया।

नासा के आर्टेमिस-2 मिशन के अंतरिक्ष यात्री।

करीब सात घंटे का यह सफर इस मिशन का सबसे खास हिस्सा रहा। अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम के बाद पहली बार नासा ने मनुष्यों को फिर से चंद्रमा पर भेजा। इस मिशन में तीन अमेरिकी और एक कनाडाई अंतरिक्ष यात्री हैं। इसका लक्ष्य अगले दो साल में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास मनुष्य को भेजना है। आर्टेमिस-2 ने अपोलो 13 का पुराना रिकार्ड तोड़ दिया। साल 1970 में अपोलो 13 मिशन में 4,00,171 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी, जिसे आर्टेमिस-2 मिशन के तहत पार कर लिया गया है।

कनाडाई अंतरिक्ष यात्री जेरेमी हैनसेन ने कहा, 'बिना कोई उपकरण लगाए आंखों से चंद्रमा से जो दिख रहा है, वह रोमांचित करने वाला है। यह अविश्वसनीय है।' उन्होंने कहा कि अगली पीढ़ी को इस रिकार्ड को जल्द तोड़ना चाहिए। रिकार्ड तोड़ने के तुरंत बाद अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर दो नए गड्ढों (क्रेटर) के नाम रखने की अनुमति मांगी। उन्होंने एक का नाम अपने कैप्सूल के नाम पर 'इंटेग्रिटी' और दूसरे का नाम कमांडर रीड वाइजमैन की पत्नी की याद में 'कैरल' रखने का प्रस्ताव दिया।

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की मामला

सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई छह मई से शुरू

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 अप्रैल।

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तारीख तय कर दी है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने अंतिम सुनवाई के लिए 6 और 7 मई की तारीख तय की है। इससे पहले कोर्ट ने सरकार सहित सभी पक्षकारों को मामले में लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया था।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने अंतिम सुनवाई के लिए 6 और 7 मई की तारीख तय की है। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को मामले में लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया था।

याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कानून के मुताबिक तीन सदस्यीय समिति में तीसरे सदस्य के चयन में बदलाव किया जाना चाहिए। बता दें कि मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने फैसला दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधान न्यायाधीश की समिति की सलाह पर होनी चाहिए। यही कारण है कि प्रधान न्यायाधीश ने इस कानून पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि इसमें हितों का टकराव है। मुझ पर इसका आरोप लगाया जाएगा। अब यह मामला विचार-विमर्श के लिए एक नई पीठ को सौंपा जाएगा। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने ये भी कहा कि यह मामला एक ऐसी पीठ को सौंपा जाए, जिसमें शामिल जज प्रधान न्यायाधीश बनने की दौड़ में न हों।

दरअसल, जनहित याचिकाओं में 2023 के उस कानून को चुनौती दी गई है, जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली समिति से प्रधान न्यायाधीश को हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस कानून पर रोक नहीं लगाई है। अब इस मामले की सुनवाई दूसरी पीठ करेगी। याचिकाओं में कहा गया है कि प्रधान न्यायाधीश का पैनल से बाहर होना नियुक्ति प्रक्रिया की स्वतंत्रता को कमजोर करता है। इस कानून को कांग्रेस नेता जया ठाकुर समेत कई याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी है।

चुनाव की प्रक्रिया इसी महीने शुरू हो रही | **संयुक्त राष्ट्र** | कुल चार उम्मीदवार मैदान में

महासचिव पद की दौड़ में दो महिला नेता शामिल

संयुक्त राष्ट्र, 7 अप्रैल (भाषा)।

संयुक्त राष्ट्र के अगले महासचिव पद की दौड़ में इस बार दो महिला नेताओं सहित कुल चार उम्मीदवार मैदान में हैं। यह चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब 80 वर्षों के इतिहास में पहली बार किसी महिला को इस वैश्विक संगठन का प्रमुख बनाए जाने की मांग तेज हो गई है। संयुक्त राष्ट्र के अगले महासचिव के चुनाव की प्रक्रिया इसी महीने शुरू हो रही है। चारों उम्मीदवार 21 और 22 अप्रैल को न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में होने वाले संवाद सत्रों में भाग लेंगे।

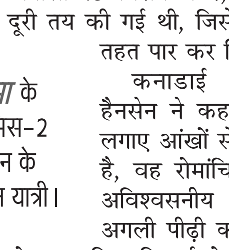

रेबेका ग्रिन्स्पैन

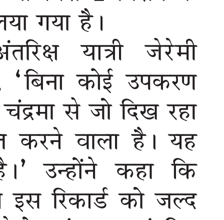

मिशेल बैचलेट

संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंतोनियो गुतारेस, पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वह दिसंबर 2026 में अपना दूसरा पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। उन्होंने 2017 में पद संभाला था और संगठन के 80 साल के इतिहास में अब तक इस पद पर कोई महिला नहीं रही है।

संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंतोनियो गुतारेस, पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त रह चुके हैं। वह दिसंबर 2026 में अपना दूसरा पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। उन्होंने 2017 में पद संभाला था और संगठन के 80 साल के इतिहास में अब तक इस पद पर कोई महिला नहीं रही है। इस पद के लिए प्रमुख दावेदारों में चिली की पूर्व राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकारों के लिए उच्चायुक्त मिशेल बैचलेट, कोस्टा रिका की पूर्व उपराष्ट्रपति और व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की महासचिव रेबेका ग्रिन्स्पैन, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजंसी के प्रमुख राफेल ग्रोसी और सेनेगल के पूर्व राष्ट्रपति मैकी साल शामिल हैं।

इनमें बैचेलेट को ब्राजील और मैक्सिको, ग्रिन्स्पैन को कोस्टा रिका, ग्रोसी को अर्जेंटीना और साल को बुरुंडी ने नामित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष एनालेना बिअरबाक ने बताया कि प्रत्येक उम्मीदवार के लिए 21 और 22 अप्रैल को तीन-तीन घंटे के संवाद सत्र आयोजित होंगे। महासचिव की नियुक्ति 193 सदस्यीय महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर की जाती है, जहां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका वीटो शक्ति रखते हैं।

पिछले वर्ष सितंबर में पारित एक प्रस्ताव में इस बात पर खेद जताया गया कि अब तक कोई महिला महासचिव नहीं बनी और सदस्य देशों से महिलाओं को नामित करने का आग्रह किया गया। कई अधिकार संगठनों और अभियानों, जैसे वुमेन एसजी और 1 फार 8 बिलियन ने महिला उम्मीदवार के चयन की मांग करते हुए कहा है कि यह केवल प्रतीकात्मक कदम नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता, प्रभावशीलता और भविष्य के लिए आवश्यक है।

भारत में अमेरिकी राजदूत गोर की वेंस से मुलाकात

वाशिंगटन, 7 अप्रैल (भाषा)।

भारत में अमेरिका के राजदूत सर्गेई गोर ने यहां अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात की और भारत के साथ संबंधों पर ध्यान देने के लिए उनका आभार जताया। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका में मौजूद गोर मंगलवार को रात्रिभोज पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। गोर ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, 'अभी-अभी उपराष्ट्रपति के साथ एक शानदार बैठक समाप्त हुई। अमेरिका-भारत संबंधों के मामले में निरंतर नेतृत्व और ध्यान के लिए उपराष्ट्रपति वेंस का आभार। राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में वाइट हाउस इस क्षेत्र पर पूरी तरह से ध्यान दे रहा है।'

इस बीच अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने यहां गोर से मुलाकात की और कहा कि दोनों देश रणनीतिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

प्ररूप संख्या आईएनसी –26

लाइफ़फ़्लैश प्राइवेट लिमिटेड
CIN: U24233DL2011PTC220354
पंजीकृत कार्यालयः हरगोबिंद एन्क्लेव मेज़ानाइन फ्लोर, आनंद विहार के पास, नई दिल्ली, दिल्ली, 110092,
ईमेल ruchiraj3010@gmail.com
केंद्र सरकार के समक्ष
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के मामले मेंऔर कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(a) के मामले में
तथा लाइफ़फ़्लैश प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय स्थित है हरगोबिंद एन्क्लेव मेज़ानाइन फ्लोर, आनंद विहार के पास, नई दिल्ली, दिल्ली, 110092
आवेदक कंपनी

सार्वजनिक सूचना

एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि **"लाइफ़फ़्लैश प्राइवेट लिमिटेड"** द्वारा उसके पंजीकृत कार्यालय को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली' से 'उत्तर प्रदेश राज्य' में स्थानांतरित करने के लिए कंपनी को केंद्र सरकार के पास आवेदन करने के प्रस्ताव के संबंध में, दिनांक 16 मार्च, 2026 (सोमवार) को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉज II के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय नई दिल्ली के माध्यम से केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, तो वह एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फॉर्म में जमा कर सकता है या अपने हितों की प्रकृति और विरोध के आधार बताते हुए शपथ पत्र के साथ अपनी आपत्तियां पंजीकृत डाक से क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र के पते **बी–2 विंग, द्वितीय तल, पी. टी. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003** ईमेलः rd.north@mca.gov.in पर इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों के भीतर भेज सकता है और उसकी एक प्रति कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय में नीचे उल्लिखित पते पर भेजनी होगीः

हरगोबिंद एन्क्लेव मेज़ानाइन फ्लोर, आनंद विहार के पास, नई दिल्ली, दिल्ली–110092

लाइफ़फ़्लैश प्राइवेट लिमिटेड
की ओर से
हस्ताक्षर/–
रुचिर गर्ग
निदेशक
DIN 03529880

दिनांकः 08.04.2026
स्थानः दिल्ली

COURT NOTICE

(U/o 5 Rule 20 CPC)
In The Court Of Ms. Arshpreet Kaur Thind Civil Judge (Junior Division), Ludhiana
Ms Nature Touch Nutrition
Vs.
All Pack International
CNR NO: PBLD02-013714-2025
Next Date: 20-04-2026
Publication Issued To: Sahil P. Panchal Proprietor Of All Pack International Arti Society Part-2-F-77 payalnagar society naroda ahmedabad gurjarat 382330 2nd address. plot no. 35, 36 kathwada GIDC road no. 5 ahmedabad 382330 Gujarat india
In above titled case, the defendant(s)/ respondent(s) could not be served. It is ordered that defendant(s)/ respondent (s) should appear in person or through counsel on 20-04-2026 at 10:00 a.m. for details logon to:
https://highcourtchd.gov.in/?mod=district_notice&district=ludhiana
Civil Judge (Junior Division) Ludhiana

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

प्ररूप संख्या आईएनसी–26

{कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में}
केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय 1, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में
और
विनरकॉम संधार टैक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड
(**सीआईएन:** U29100DL2019PTC354114)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : **बी–6/20, एलएससी, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली, भारत, 110029** में हैं, के मामले में
....आवेदक कंपनी/याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह आवेदक कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"कनार्टक राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए **30 मार्च, 2026** को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पुष्टि करने की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय 1, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली–110003** पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें।
बी–6/20, एलएससी, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली, भारत, 110029

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
विनरकॉम संधार टैक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/–
दिनांक : 07.04.2026 **गुरविंदर जीत सिंह** (निदेशक)
स्थान : नई दिल्ली **डीआईएन :** 02129467

एमको इंडिया लिमिटेड

CIN : L74899DL1987PLC029035
पंजीकृत कार्यालय : डी–948, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली–110065
कॉर्पोरेट कार्यालय : सी 53–54, सैक्टर–57, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301
फोन : 0120-4601500, ई–मेल : amco.india@ymail.com, वेबसाइट : www.amcoindialimited.com

ई–मेल पते एवं बैंक खाता विवरण पंजीकरण कराने हेतु सदस्यों के लिए सूचना

भारत सरकार द्वारा की गई हरित–अपनाएं पहल और सदस्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए कम्पनी अपने सभी सदस्यों से अनुरोध करती है कि वे कम्पनी के रिकार्ड में अपने ई–मेल पते एवं बैंक खाता विवरणों को अपडेट कराएं जिससे उन्हें कम्पनी द्वारा भेजे गए सभी संवाद समय पर मिल जाएं और कम्पनी द्वारा समय–समय पर घोषित लाभांश सीधे उनके बैंक खातों में पहुंच जाएं।

इसलिए, सदस्यगण जिन्होंने अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है या अपना बैंक खाता विवरण अपडेट नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे इसे रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड या डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) के पास पंजीकृत कराएं।

फिजिकल होल्डिंग	कम्पनी के रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) को अनुरोध भेजेंः बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बीटल हाउस, तीसरा तल, 99, मदनगीर, एलएससी के पीछे, नई दिल्ली–110062 फोन : 011-29961281-283, 26051061, 26051064 ई–मेल : investor@beetalfinancial.com
डिमेट होल्डिंग	कृपया अपने डीपी से सम्पर्क करें और आपके डीपी द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ई–मेल पता, बैंक खाता विवरण एवं मोबाइल नंम्बर पंजीकृत कराएं।

यह जानकारी कंपनी के वेबसाइट पर www.amcoindialimited.com पर भी उपलब्ध है।

कृते एमको इंडिया लिमिटेड
हस्ता/–
राजीव गुप्ता
प्रबंध निदेशक

स्थान : नोएडा, यूपी
दिनांक : 07.04.2026

HDFC BANK

एचडीएफसी बैंक लि., श्यामजी कॉम्प्लेक्स, दिल्ली रोहतक रोड, नेशनल हाईवे 10, जिला-झज्जर, बहादुरगढ़, हरियाणा

नीलामी सूचना

अधोलिखित देनदार ने प्लेज स्टॉक के खिलाफ ऋण प्राप्त किया है। बैंक द्वारा डिमांड/ लिक्विडेशन नोटिस जारी किये जाने के बावजूद देनदार ने पूर्णतः बकाया नहीं चुकाया। अतः बैंक ने इंडियन कांट्रेक्ट एक्ट 1872 की सेक. 176 के तहत तथा निम्न गोदाम में स्टोर सामान के स्टॉक को इच्छुक पार्टियों से जैसी है जहां है व कोई ''रिकोर्स नही'' आधार पर बेचना तय किया है। कॉमोडिटी यानि **राजमा, स्टार एग्री वेयरहाउसिंग एण्ड कोलैटरल मैनेजमेंट लि.** की लॉक व चाबी के तहत गोदाम में स्टोर है यदि चाहे तो निम्न देनदार मौजूद रह सकता है।

नीलामी का स्थान : एचडीएफसी बैंक लि., श्यामजी कॉम्प्लेक्स, दिल्ली रोहतक रोड, नेशनल हाईवे 10, जिला–झज्जर, बहादुरगढ़, हरियाणा

ऋणकर्ता का नाम	गोडाउन का पता	कमोडिटी की मात्रा एमटी में	कमोडिटी का आरक्षित मूल्य प्रति एमटी
डीएम इंटरनेशनल	मृगेश एग्रो एंड कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, शिव पुरी बैरियर, नरेला प्याऊ मनिहारी रोड, कुंडली जिला सोनीपत हरियाणा- 131028	राजमा (चित्रा) : 102.85	₹ 43,000/-
		राजमा (कॉमन) : 35.755	₹ 43,000/-
	एसवीके कूल चेन्स प्राइवेट लिमिटेड, वाजिदपुर सबोली कुंडली, सोनीपत हरियाणा- 131028	राजमा (कॉमन) : 206.895	₹ 43,000/-
		राजमा (प्रीमियम) : 255.365	₹ 43,000/-

बोली आवेदन के साथ, **एचडीएफसी बैंक लि., श्यामजी कॉम्प्लेक्स, दिल्ली रोहतक रोड, नेशनल हाईवे 10, जिला–झज्जर, बहादुरगढ़, हरियाणा** के पक्ष में डीडी के माध्यम से **रुपये 1 लाख** की अप्रतिदेय बयाना राशि कार्यदिवस में दिनांक **08.04.2026 से 13.04.2026 तक प्रातः 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे** के बीच जमा करें। बैंक इस बयाना राशि का अपने विवेकानुसार उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

बिड को बैंक के प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा **15.04.2026** को **दोपहर 12.00 बजे से 1.00 बजे** के बीच (नीलामी की तिथि) उपलब्ध/ इच्छुक बिडर्स के सामने **एचडीएफसी बैंक लि., श्यामजी कॉम्प्लेक्स, दिल्ली रोहतक रोड, नेशनल हाईवे 10, जिला–झज्जर, बहादुरगढ़, हरियाणा** की ब्रांच पर खोली जाएगी।

निविदाकर्ताओं/संभावित खरीददारों को यदि वे चाहें तो निविदाएं खोले जाने के बाद अपने प्रस्तावों को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। इसलिए, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे स्वयं/व्यक्तिगत रुप से या अपने विधिवत अधिकृत और अधिकार प्राप्त प्रतिनिधियों के माध्यम से प्राधिकरण के दस्तावेज के साथ उपस्थित रहें।

प्राधिकार के दस्तावेज के साथ नीलामी की शर्ते श्री सत्येन्द्र सिंह मो. 9166142638 के पास हमारी उक्त ब्रांच पर उपलब्ध है।

हस्ता–
प्राधिकृत अधिकारी
एचडीएफसी बैंक लि.

दिनांक : 08-04-2026
स्थान : सोनीपत

फॉर्म संख्या यूआरसी 2

अधिनियम अध्याय XXI के भाग 1 के अंतर्गत पंजीकरण के बारे में सूचना विज्ञापन (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(बी) और कंपनी (रजिस्ट्रार को प्राधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4(1) के अनुसार)

1. इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उपधारा (2) के अनुसरण में, आरओसी–दिल्ली के रजिस्ट्रार को एक आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है कि सार्वभौमिक व्यावसायिक सेवा एलएलपी, एक सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) को कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग 1 के तहत शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।
2. कंपनी के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैंः
   परामर्श का व्यवसाय चलाना, वित्तीय और प्रबंधन सलाहकार, सचिवीय कार्य, तकनीकी सलाहकार, विपणन सलाहकार के रूप में कार्य करना तथा सामान्य उद्योगों में सलाहकार सेवाएं और परामर्श प्रदान करना।
3. प्रस्तावित कंपनी के मसौदा ज्ञापन और एसोसिएशन के लेखों की एक प्रति का निरीक्षण आरजेड–51 टी/एफ केएच नंबर 386 गली नंबर 2 मुख्य सागर पुर, दिल्ली–110046 स्थित कार्यालय में किया जा सकता है।
4. इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस आवेदन पर आपत्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रार, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6. 7, 8, सेक्टर 5, आईएमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा) 122050 को लिखित रूप में अपनी आपत्ति बता सकता है, इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर, एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भेज दें।

कृते यूनिवर्सल प्रोफेशनल सर्विसेज एलएलपी
1. सुमन कुमार वर्मा
2. अभिषेक कुमार

दिनांकितः 08 अप्रैल 2026

संस्कृति मंत्रालय

भारत सरकार

समसामयिक अध्ययन केन्द्र
प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय
द्वारा आयोजित
सार्वजनिक व्याख्यान
इमैजिनिंग एंड रीक्रिएटिंग ऑथेंटिसिटी: द फूड ब्लॉग्स ऐज विजुअल आर्काइव्स
में
आप सादर आमंत्रित हैं।
वक्ता:
प्रो. किरणमयी भूषी
प्रोफेसर (समाजशास्त्र), इग्नू, नई दिल्ली
दिनाँक : 09 अप्रैल 2026, समय अपराह्न 3.00 बजे
स्थल :
संगोष्ठी कक्ष, पुस्तकालय भवन
प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय
तीन मूर्ति भवन, नई दिल्ली
सभी का स्वागत है।
आमंत्रण प्राप्त करने के लिए हमें ईमेल करें:
rajnishpmml@gmail.com
CBC 09142/12/0002/2627

एजीएस ट्रांसैक्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

(कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के अंतर्गत)
पंजीकृत कार्यालयः 605–606, ट्रेड वर्ल्ड, बी–विंग, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई – 400013

आम जनता, मकान मालिक, संपत्ति के मालिक और सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि एजीएस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (''कॉर्पोरेट देनदार''), जो वर्तमान में दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के प्रावधानों के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) से गुजर रही है, और कॉर्पोरेट देनदार ने संबंधित संपत्ति मालिकों/मकान मालिकों के साथ निष्पादित किराये/छुट्टी और लाइसेंस व्यवस्था के तहत भारत भर में विभिन्न परिसरों में ऑफ–साइट स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम)/कैश रीसायकल मशीन (सीआरएम) स्थापित और संचालित की थी।

कॉर्पोरेट देनदार के सीआईआरपी के अंतर्गत प्रवेश के अनुसार, अधोहस्ताक्षरी ने दिनांक 27 अगस्त, 2025 को फॉर्म 'ए' में (i) फ्री प्रेस जर्नल – महाराष्ट्र संस्करण (अंग्रेजी) तथा (II) नवशक्ति – महाराष्ट्र संस्करण (मराठी) में सार्वजनिक घोषणा जारी की थी, जिसमें आम जनता से, जिसमें वे मकान–मालिक भी शामिल हैं जिनकी देय राशि कॉर्पोरेट देनदार के विरुद्ध लंबित है, दावों को आमंत्रित किया गया था। तत्पश्चात, उक्त सार्वजनिक घोषणा के संबंध में 3 सितंबर, 2025 को एक शुद्धिपत्र भी प्रकाशित किया गया था।

यह सूचित किया जाता है कि कुछ ऑफ–साइट एटीएम स्थान वर्तमान में गैर–कार्यशील हैं, और तदनुसार सीआईआरपी की शुरुआत के कारण ऐसे गैर–कार्यशील एटीएम स्थानों के संबंध में किराया / छुट्टी और लाइसेंस समझौते 25 अगस्त 2025 से रद्द और / या समाप्त हो गए हैं।

उपरोक्त के मद्देनजर, कंपनी सीआईआरपी के प्रारंभ होने की तारीख यानी 25–08–2025 से ऐसे गैर–कार्यशील एटीएम स्थानों के संबंध में किराया, लाइसेंस शुल्क, बिजली शुल्क, रखरखाव शुल्क या किसी भी अन्य बकाया के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

इसके अलावा, यदि कोई दावा या मांग अभी या इसके बाद प्रस्तुत की जाती है, तो उस पर दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार विचार किया जाएगा और उसका निपटारा किया जाएगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे स्थानों पर स्थापित एटीएम मशीनें, वॉल्ट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, साइनेज और अन्य संबंधित परिसंपत्तियां कॉर्पोरेट देनदार और/या संबंधित बैंकों की संपत्ति हैं, और कोई भी मकान मालिक, संपत्ति का मालिक या तीसरा पक्ष नीचे हस्ताक्षरकर्ता की लिखित अनुमति के बिना किसी भी संपत्ति को नष्ट या हटा नहीं सकता है। ऐसी कोई भी बाधा उचित कानूनी कार्रवाई को आमंत्रित कर सकती है।

यह नोटिस केवल आम जनता को सूचित करने तथा ऐसे एटीएम स्थानों के संबंध में भविष्य में किसी विवाद या अनधिकृत दावे से बचने के उद्देश्य से जारी किया गया है।

एसडी/–
सीए ब्रिजेन्द्र कुमार मिश्रा
डीम्ड समाधान पेशेवर
एजीएस ट्रांसैक्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड–सीआईआरपी के तहत
आईबीबीआई पंजीकरण संख्याः
IBBI/IPA-002/IP-N00109/2017-2018/10257
AFA विवरण: AA2/10257/02/311226/204257 वैद्यता 31.12.2026
दिनांक 08.04.2026

ट्रूहोम फाइनैंस लिमिटेड

(पूर्व में श्रीराम हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के नाम से प्रसिद्ध)

Truhome FINANCE

पंजीकृत कार्यालय : श्रीनिवास टावर, प्रथम तल, डोर नंबर 5, पुराना नंबर 11, दूसरी लेन, सेनाटोफा रोड, अलवरपेट, तेयनामपेट, चेन्नई–600018
प्रधान कार्यालय : लेवल 3, वोकहार्ट टावर्स, ईस्ट विंग सी–2, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई–400051
वेबसाइट : http://www.truhomefinance.in

सांकेतिक कब्जा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने, ट्रूहोम फाइनैंस लिमिटेड (पूर्व में श्रीराम हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के नाम से प्रसिद्ध) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचनाएं जारी की थीं, जिनमें नीचे तालिका में वर्णित कर्जदारों से उक्त मांग सूचनाओं में वर्णित बकाया राशि चुकाने की मांग की गई थी। कर्जदार राशि चुकाने में असफल रहे हैं, अतः कर्जदारों और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 07–04–2026 को नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा ले लिया है।
कर्जदार को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार ट्रूहोम फाइनैसस लिमिटेड (पूर्व में श्रीराम हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड) की नीचे वर्णित बकाया राशि + ब्याज के प्रभार के अधीन होगा।
कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

कर्जदार का नाम और पता

श्रीमती दुर्गा नेगी पत्नी श्री महेश चंद्र सिंह
श्री महेश चंद्र सिंह पुत्र श्री मान सिंह नेगी
पता – प्रेम नगर रोड, निकट दुर्गा मंदिर, बनियावाला, आर्केडिया ग्रांट, देहरादून, उत्तराखंड– 248007

मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि

मांग सूचना दिनांक – 27–जनवरी–2026
ऋण खाता संख्या SHLHDRDN0000027 के संबंध में रु. 5,97,314/– (रुपये पाँच लाख, सत्तानवे हजार, तीन सौ चौदह मात्र) 21–जनवरी–2026 तक + आगे संविदात्मक दर पर ब्याज, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर।

बंधक सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति–1. संपत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति खाता खतौनी नंबर 1596 (फसली वर्ष 1399–1404), खसरा नंबर 1438 मिन, जो मौजा आर्केडिया ग्रांट, परगना पछवादून, देहरादून में स्थित है। संपत्ति का क्षेत्रफल–61.31 वर्ग मीटर.
सीमा : उत्तर – 12 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण – अन्य की भूमि (भुजा माप 22 फीट)
पूर्व – अन्य की भूमि (भुजा माप 31 फीट) पश्चिम – अन्य की भूमि (भुजा माप 29 फीट)

स्थान : देहरादून
तिथि : 07–04–2026
हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी– ट्रूहोम फाइनैंस लिमिटेड
(पहले श्रीराम हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के नाम से मशहूर)

उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग लिमिटेड

(कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के अंतर्गत)
नोएडा में ऊंचे टावरों के निर्माण के लिए ईओआई

ईओआई भवन ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती है (उच्च–ऊंचाई टावर परियोजनाओं के निर्माण में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव आवश्यक) ताकि नोएडा परियोजना स्थल पर 3 टावरों (लगभग 500 फ्लैट्स) का निर्माण किया जा सके।
इच्छुक पक्ष अपना प्रोफाइल एवं कोटेशन unnati.fortune@aaainsolvency.com पर ई–मेल के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

YARN SYNDICATE LIMITED

CIN: L51109GJ1946PLC153972
Registered Office & Corporate office: 188/2, Ranipur Village Opp. CNI Church, Narol, Ahmedabad, Daskroi, Gujarat, India, 382405
Contact person: Shwetambery Khurana, Company Secretary and Compliance Officer
E-mail: ysl@yarnsyndicate.in, Contact No: +91 78628 68215

NOTICE FOR REVISED RECORD DATE FOR FIRST AND FINAL CALL ON PARTLY PAID-UP RIGHTS EQUITY SHARES OF THE COMPANY

The Board of Directors of the Company at its meeting held on Tuesday, April 07, 2026, has approved Revision of Record Date as **Friday, May 15, 2026** instead of Friday, April 10, 2026 as the record date for the purpose of determining the eligible holders of partly paid-up equity shares to whom the Call notice will be sent. The intimation of the said Record date has also been disseminated to BSE Limited i.e. the stock exchange where the equity shares of the Company are listed.
This notice is hereby given in terms of applicable provisions of Companies Act, 2013, as amended and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended.

For, Yarn Syndicate Limited
On behalf of Board of Directors
Shwetambery Khurana
Company Secretary and Compliance Officer

Date: 07.04.2026
Place: Ahmedabad

एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

SMFG India Credit
Pragati Ki Nayi Pehchaan

कॉर्पोरेट कार्यालयः 10वीं मंजिल, कार्यालय सं. 101,102 और 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, प्रगति की नई पहचान मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई – 400051

कब्जा सूचना (अचम सम्पत्ति हेतु)
(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (1) के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट) जिसका पंजीकृत कार्यालय मेघ टावर्स, तीसरी मंजिल, पुराना नंबर 307, नया नंबर 165, पूनमल्ली हाई रोड मदुरवॉयल, चेन्नई, तमिलनाडु–600095 और कॉर्पोरेट कार्यालय मंजिल 5 और 6, बी विंग, सुप्रीम आईटी पार्क, सुप्रीम सिटी, बिहाइंड लेक कैसल, पवई, मुंबई 400076 का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत ऋण खाता सं. 266720911550529 के तहत उधारकर्ता 1) रजेश कुमार (2) पूनम देवी **को** मांग सूचना दिनांक 22-01-2026 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि **रु. 50,23,390.00 (रु. पचास लाख तेईस हजार तीन सौ नब्बे मात्र) दिनांक 14.01.2026 तक** उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।
उधारकर्ता राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4), उक्त नियमों 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **08 अप्रैल 2026** को लिया है।
विशेष रूप से **उधारकर्ता** तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड के प्रभार वास्ते **रु. 50,23,390.00 (रु. पचास लाख तेईस हजार तीन सौ नब्बे मात्र) दिनांक 14.01.2026 तक और उस पर भावी ब्याज इत्यादि सहित** के अधीन होगा।
उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति का स्वामीः राजेश कुमार
सम्पत्ति का विवरणः सम्पत्ति अर्थात मकान जिसका सम्पत्ति आईडी सं. 1DAT85F0 खसरा नं. 103//6(8–0), का भाग नई खेवत संख्या 583//519, न्यू खटोनी नं. 714 वर्ष 2020–21 के लिए जमाबंदी के अनुसार, माप 0K-6M (173.70 वर्ग गज), हनुमान कॉलोनी, सातरोद कलां, तहसील और जिला हिसार, हरियाणा, हिसार–125001 सीमाएंः – पूर्वः सीवेज 23 फीट, पश्चिम 23 फीट 16 फीट चौड़ाई का रास्ता, उत्तरः अन्य 68 फीट की संपत्ति, दक्षिणः विजेंदर 68 फीट की संपत्ति

स्थान : हिसार
तिथिः 06.04.2026
हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी
एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट)

MARUSHIKA

मारुशिका टेक्नोलॉजी लिमिटेड

(**CIN:** L62099DL2010PLC205156)
पंजीकृत कार्यालय: दुकान नं. 5, आचार्य निकेतन, मयूर विहार, नई दिल्ली -110091
वेबसाईट: www.marushika.in
ई-मेल: info@marushika.in, **दूरभाष :** 0120-4290383, 4290384

डाक मतपत्र सूचना और रिमोट ई-वोटिंग

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि 30 मार्च, 2026 की सूचना पत्र सूचना में लिखित व्यापार के लिए सदस्यों की साधारण रुप से सहमति प्राप्त करने हेतु जो कि ईलेक्ट्रोनिक माध्यम से, मतदान द्वारा डाक मतपत्र निम्नलिखित प्रस्ताव के माध्यम से निष्पादित किया जाता है, **मारुशिका टेक्नोलॉजी लिमिटेड (''कंपनी'')** ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और 110 एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के अध्याय VII नियम नं. 20 और 22 के अनुसार पात्र सदस्यों को सूचना का प्रेषण 07 अप्रैल, 2026 को पूर्ण कर दिया है।

प्रस्ताव का प्रकार	प्रस्ताव का विवरण
विशेष प्रस्ताव	कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली-I के अधिकार क्षेत्र से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली-II के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित करने की स्वीकृति।

सामान्य परिपत्र नं. 14/2020, दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 17/2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 22/2020, दिनांक 15 जून, 2020, 33/2020, दिनांक 28 सितंबर, 2020, 39/2020, दिनांक 31 दिसंबर, 2020, 10/2021, दिनांक 23 जून, 2021, 20/2021, दिनांक 08 दिसंबर, 2021, 3/2022, दिनांक 05 मई, 2022, 11/2022, दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और 09/2023, दिनांक 25 सितंबर, 2023, 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 और 03/2025 दिनांक 22, सितंबर,2025 जो कारपोरेट कार्य मंत्रालय (**''एमसीए''**) द्वारा प्रसारित है, और लागू नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप, दिनांक 03 अप्रैल, 2026 (निर्धारित तिथि) के अनुसार डाक मतपत्र सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक जरिए से उन सदस्यों को भेजा गया है जिनका ई-मेल आईडी उनके कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों कंपनी रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (**''आरटीए''**) यानी स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड के साथ पंजीकृत है।

जो सदस्य अपने मतदान का प्रयोग ई-वोटिंग से करना चाहता हैं, जिसका प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम नं. 20 और सेबी (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 44 में है, उनके लिए कंपनी **नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)** के माध्यम से ई-वोटिंग की व्यवस्था प्रदान कर रही है। ई-वोटिंग की प्रक्रिया उक्त सूचना में और ई-वोटिंग (**एनएसडीएल**) वेबसाईट **www.evoting.nsdl.com** पर उपलब्ध है।

ई-वोटिंग गुरूवार, 09 अप्रैल, 2026 को सुबह 9 बजे से शुरू होगी और शुक्रवार, 08 मई, 2026 शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। शुक्रवार, 08 मई, 2026 शाम 5 बजे के बाद ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध नही होगी।

सदस्यों के लिए ई-मतदान की निर्धारित तिथि **शुक्रवार, दिनांक 03 अप्रैल, 2026** तय की गई है। जिन सदस्यों का नाम इस निर्धारित तिथि पर सदस्य - रजिस्ट्रार या लाभकारी स्वामी पत्रक में पंजीकृत होगा वही ई-मतदान का लाभ ले सकेंगे।

कंपनी की पूरी शेयरधारिता डीमैट मोड में है। इसलिए, जिन सदस्यों की ईमेल आईडी डिपॉज़िटरी में पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपनी ईमेल आईडी अपने संबंधित डिपॉज़िटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत करवाएं और क्लाइंट मास्टर की स्कैन की हुई कॉपी **Cs@marushika.in** पर भेजें; या फिर, पोस्टल बैलेट नोटिस में दिए गए प्रस्ताव के लिए ई-वोटिंग हेतु यूज़र आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए **evoting@nsdl.com** पर अनुरोध भेज सकते हैं। नोटिस में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं।

कंपनी की वेबसाईट **www.marushika.in** के अनुभाग से ई-वोटिंग निर्देशों सहित व्याख्यात्मक विवरण के साथ डाक मतपत्र की सूचना डाउनलोड कर सकते है या प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए कंपनी अथवा आरटीए को आवेदन कर सकते हैं। नोटिस **www.evoting.nsdl.com** और **www.nseindia.com** पर भी उपलब्ध है।

परिणाम 12 मई, 2026 को या उससे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ घोषित किए जाएंगे और कंपनी की वेबसाइट **www.marushika.in**, और आरटीए की वेबसाइट यानी **www.skylinerta.com** और **एनएसडीएल** की वेबसाइट यानी **www.evoting.nsdl.com** पर भी रखे जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

बोर्ड के आदेशद्वारा
मारुशिका टेक्नोलॉजी लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षरित
मोनिका अग्रवाल
प्रबंध निदेशक
डीआईएन नं. : 02718537

दिनांक : 07 अप्रैल 2026
स्थान : नोएडा

फॉर्म संख्या यूआरसी 2

अधिनियम अध्याय XXI के भाग 1 के अंतर्गत पंजीकरण के बारे में सूचना विज्ञापन (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(बी) और कंपनी (रजिस्ट्रार को प्राधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4(1) के अनुसार)

1. इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उपधारा (2) के अनुसरण में, इसके पंद्रह दिन बाद लेकिन इसके बाद तीस दिन की समाप्ति से पहले कंपनियों के रजिस्ट्रार, हरियाणा, चंडीगढ़ को आवेदन किया जाना प्रस्तावित है, जो सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत पंजीकृत एलएलपी, मैसर्स स्टारगेज ग्लोबल एलएलपी, कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग I के तहत शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।
2. कंपनी के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैंः
   1. सभी प्रकार के विद्युत और गैर–विद्युत घरेलू और वाणिज्यिक उपकरणों (जैसे मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर, फूड प्रोसेसर, चॉपर, हैंड ब्लेंडर, आयरन, हीटर, वॉटर हीटर, इलेक्ट्रिक केतली, सभी प्रकार के ओवन, राइस कुकर, आटा गूंथने वाला, सिट्रस जूसर, इंडक्शन कुकर, सभी प्रकार के पंखे, कूलर, सभी प्रकार के टोस्टर आदि) और इसके सभी प्रकार के भागों के विनिर्माण का व्यवसाय करना।
   2. सभी प्रकार के विद्युत और गैर–विद्युत घरेलू और वाणिज्यिक उपकरणों (जैसे मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर, फूड प्रोसेसर, चॉपर, हैंड ब्लेंडर, आयरन, हीटर, वॉटर हीटर, इलेक्ट्रिक केतली, सभी प्रकार के ओवन, राइस कुकर, आटा गूंथने वाला, सिट्रस जूसर, इंडक्शन कुकर, सभी प्रकार के पंखे, कूलर, सभी प्रकार के टोस्टर आदि) की बिक्री और खरीद का व्यवसाय करना।) और यह सभी प्रकार के भागों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफार्मों, थोक और खुदरा से निर्दिष्ट और गैर–निर्दिष्ट दुकानों तक पहुंचाता है।
   3. सभी प्रकार के विद्युत और गैर–विद्युत घरेलू और वाणिज्यिक उपकरणों (जैसे मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर, फूड प्रोसेसर, चॉपर, हैंड ब्लेंडर, आयरन, हीटर, वॉटर हीटर, इलेक्ट्रिक केतली, सभी प्रकार के ओवन, राइस कुकर, आटा गूंथने वाला, सिट्रस जूसर, इंडक्शन कुकर, सभी प्रकार के पंखे, कूलर, सभी प्रकार के टोस्टर आदि) के आयात और निर्यात का व्यवसाय करना।) और यह सभी प्रकार के भागों को थोक और खुदरा के माध्यम से निर्दिष्ट और गैर–निर्दिष्ट दुकानों तक पहुंचाता है
   4. होटल और मोटल, सराय, रिसॉर्ट का व्यवसाय चलाना, जो अल्पावधि आवास सुविधाएं प्रदान करते हैं – इसमें हाउस बोट, रेस्तरां, बार, भोज, कैफेटेरिया, फास्ट–फूड रेस्तरां और बाजार के स्टॉल में अन्य भोजन तैयार करना, इवेंट कैटरिंग, इवेंट मैनेजमेंट, चाय/कॉफी की दुकानें, बहु–व्यंजन के साथ फलों के रस बार, खेल क्षेत्र, मनोरंजन क्षेत्र, मनोरंजन पार्क में आवास शामिल हैं।
   5. डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंसल्टेंसी, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, मोल्ड डिजाइनिंग आदि की सेवाएं प्रदान करने का व्यवसाय करना।
3. प्रस्तावित कंपनी के मसौदा ज्ञापन और एसोसिएशन के लेखों की प्रति का निरीक्षण कार्यालय क्रमांक 158, अमरावती एन्क्लेव, पिंजौर, जिला पंचकूला, हरियाणा–134107 पर किया जा सकता है।
4. इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस आवेदन पर आपत्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रार, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6. 7, 8, सेक्टर 5, आईएमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा) 122050 को लिखित रूप में अपनी आपत्ति बता सकता है, इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर, एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भेज दें।

दिनांकितः
आवेदक का नामः
1. श्री सुरेश कुमार गुप्ता (नामित भागीदार)
2. श्रीमती उषा गुप्ता (नामित भागीदार)
3. सुश्री सांच्या (नामित भागीदार)
4. श्री गौरव गर्ग (पार्टनर)
5. श्रीमती जूही गर्ग (पार्टनर)
6. श्री बलविंदर (पार्टनर)
7. श्री भगवती प्रसाद (पार्टनर)

फॉर्म ए

सार्वजनिक सूचना
(भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड के विनियम 6 के अंतर्गत)
(कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016)

मधुवन टाईअप प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

प्रासंगिक विवरण

1.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	मधुवन टाईअप प्राइवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट के निगमन की तिथि	28.03.2026
3.	प्राधिकरण जिसके तहत कॉर्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या / कॉर्पोरेट देनदार की सीमित देयता पहचान संख्या	सीआईएनः U51909DL1996PTC264255
5.	कॉर्पोरेट देनदारों के पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालयः हाउस नंबर 28, पॉकेट–1, पश्चिम पुरी, उत्तर पश्चिम दिल्ली–110063
6.	कॉरपोरेट देनदार के संबंध में दिवाला प्रारंभ होने की तिथि	06.04.2026
7.	दिवाला समाधान प्रक्रिया के बंद होने की अनुमानित तिथि	03.10.2026 (दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू होने की तिथि से 180वां दिन)
8.	अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में कार्य करने वाले दिवाला पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	नामः उमेश गुप्ता पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-001/IP-P00848/2017-2018/11431 एएफए वैधता अवधिः 30.06.2027
9.	बोर्ड के साथ पंजीकृत अंतरिम समाधान पेशेवर का पता और ई–मेल	यूनिट संख्या 112, पहली मंजिल, टावर–ए, स्पैजेज, सेक्टर–47, सोहना रोड, गुरुग्राम, हरियाणा–122018 ईमेलः umesh@vamindia.in
10.	अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई–मेल	यूनिट संख्या 112, पहली मंजिल,टावर–ए, स्पैजेज कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर–47, सोहना रोड, गुरुग्राम–122018 ईमेल आईडीः cirp.madhuvantieup@gmail.com
11.	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	20.04.2026
12.	अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा सुनिश्चित धारा 21 की उप–धारा (6ए) के खंड (बी) के तहत लेनदारों के वर्ग, यदि कोई हो,	NA
13.	ऋणशोधन अक्षमता पेशेवरों के नाम जिन्हें एक वर्ग में ऋणदाताओं के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए चिह्नित किया गया है। (प्रत्येक वर्ग के लिए तीन नाम)	NA
14.	(क) प्रासंगिक प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां उपलब्ध हैः	क) वेब लिंकः https://ibbi.gov.in/home/downloads (ख) NA

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, बेंच–V, नई दिल्ली ने मधुवन टाईअप प्राइवेट लिमिटेड की कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया को 6 अप्रैल, 2026 से शुरू करने का आदेश दिया है।
मधुवन टाईअप प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों को सबूत के साथ अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए 20 अप्रैल, 2026 को या उससे पहले प्रविष्टि संख्या 10 के सामने उल्लिखित पते पर अंतरिम समाधान पेशेवर को कहा जाता है।
वित्तीय लेनदारों को अपने दावों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रमाण के साथ प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रमाण के साथ दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।
दावे के झूठे या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर दंड लगाया जाएगा।

हस्ता./–
उमेश गुप्ता
अंतरिम समाधान पेशेवर
कृते मेसर्स मधुवन टाईअप प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-001/IP-P00848/2017-2018/11431
एएफए वैधता अवधिः 30.06.2027

दिनांकः 07.04.2026
स्थान : गुडगाँव

डीसीएम श्रीराम इंटरनेशनल लिमिटेड

CIN : U17299DL2022PLC404291
पंजीकृत कार्यालयः 6वीं मंजिल, कंचनजंगा बिल्डिंग, 18 बाराखंभा रोड, नई दिल्ली – 110001 **टेलीफोन :** 011-43745000
ई–मेल: investorservices@dcmsil.com, **वेबसाइट:** www.dcmsil.com

सदस्यों को डाक मतपत्र की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108 और 110 तथा अन्य लागू प्रावधानों (यदि कोई हो) के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 ("नियम") के संशोधित नियम 20 और 22 के साथ, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 (एमसीए परिपत्र), एसईबीआई (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 का विनियम 44, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी आम बैठकों पर सचिवीय मानक ("एसएस–2") तथा अधिनियमों, नियमों, विनियमों, परिपत्रों के किसी अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, तथा इसके अंतर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं (जिसमें समय–समय पर लागू होने वाले और संशोधित किए गए किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनर्अधिनियमन शामिल हैं) के संबंध में, कंपनी ने मंगलवार, 7 अप्रैल, 2026 को, उन सदस्यों को, जिन्होंने निक्षेपागार सहभागी(ओं) या कंपनी के साथ अपनी ई–मेल आईडी पंजीकृत की हैं, दिनांक 4 अप्रैल, 2026 की डाक मतपत्र सूचना, अधिनियम की धारा 102 के अनुसार एक व्याख्यात्मक विवरण के साथ, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के माध्यम से ई–मेल द्वारा भेजी है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने डाक मतपत्र/ई–मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए श्री कमलजीत सिंह (सीओपी संख्या 16847) प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को स्क्रूटिनाइजर नियुक्त किया है।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवल ई–वोटिंग के माध्यम से ही अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करें। कंपनी ने शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए ई–वोटिंग की सुविधा हेतु कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की सेवाएं ली हैं। ई–वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया डाक मतपत्र सूचना के नोट्स में दी गई है। ई–वोटिंग अवधि का विवरण इस प्रकार हैः

कट–ऑफ तिथि	सोमवार, 6 अप्रैल, 2026
ई–वोटिंग की प्रारंभ	सोमवार, 13 अप्रैल, 2026, सुबह 9:00 बजे (भारतीय समयानुसार)
ई–वोटिंग का निष्कर्ष	मंगलवार, 12 मई, 2026, शाम 5.00 बजे (भारतीय समयानुसार)

एमसीए के परिपत्रों के अनुसार, डाक मतपत्र सूचना केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा रही है जिनके ईमेल पते कंपनी/निक्षेपागार के साथ पंजीकृत हैं। सदस्यों की सहमति या असहमति की सूचना केवल ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से ही दी जाएगी।

जो व्यक्ति निर्धारित तिथि तक सदस्य नहीं हैं, उन्हें डाक मतपत्र की यह सूचना केवल सूचना के उद्देश्य से ही समझनी चाहिए। डाक मतपत्र सूचना की प्रति कंपनी की वेबसाइट **https://dcmsil.com/wp-content/uploads/2026/04/Postal-Ballot-Notice_04.04.2026-1.pdf** स्टॉक एक्सचेंजों (बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) की वेबसाइटों **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** पर, और केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की वेबसाइट **https://evoting.kfintech.com/showallevents.aspx.** पर उपलब्ध है। जिन सदस्यों को डाक मतपत्र सूचना प्राप्त नहीं होती है, वे इसे उपरोक्त वेबसाइटों से डाउनलोड कर सकते हैं।

जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं और जिन्होंने कंपनी के साथ अपना ईमेल पता अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपना ईमेल पता अपडेट करने के लिए **investorservices@dcmsil.com** पर कंपनी को लिखें। इसके साथ ही, सदस्य का नाम और पता बताते हुए हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र फॉर्म आईएसआर–1, पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति और पते के समर्थन में किसी भी दस्तावेज (जैसेः आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट) की स्व–सत्यापित प्रति संलग्न करें। जिन सदस्यों के पास डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत/अपडेट करें। ईमेल पता पंजीकृत करने में किसी भी प्रश्न/कठिनाइयों के मामले में, सदस्य **investorservices@dcmsil.com** पर लिख सकते हैं।

डाक मतपत्र के परिणाम गुरुवार, 14 मई, 2026 को या उससे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में घोषित किए जाएंगे और कंपनी की वेबसाइट **https://dcmsil.com/** पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

किसी भी प्रश्न के लिए सदस्य कंपनी से 011–43745000 / ईमेल आईडीः **investorservices@dcmsil.com** पर संपर्क कर सकते हैं या कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से संपर्क कर सकते हैं, जिनका कार्यालय सेलेनियम बिल्डिंग, टावर बी, प्लॉट संख्या 31–32, गाचीबोवली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद – 500 032. में स्थित है। संपर्क विवरणः टोल फ्री नंबरः 1800–3094–001, या ईमेल आईडीः **einward.ris@kfintech.com** पर अनुरोध भेजें।

बोर्ड के आदेशानुसार
डीसीएम श्रीराम इंटरनेशनल लिमिटेड

आशीष झा
कंपनी सचिव एवं
अनुपालन अधिकारी
FCS: 11326

DCM SHRIRAM INTERNATIONAL

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07 अप्रैल, 2025

AUROBINDO PHARMA LIMITED

AUROBINDO
Committed to healthier life!

Corporate Identity Number (CIN): L24239TG1986PLC015190
Registered Office: Plot No. 2, Maithrivihar, Ameerpet, Hyderabad- 500 038, Telangana, India
Corporate Office: Galaxy, Floors: 22-24, Plot No.1, Survey No.83/1, Hyderabad Knowledge City, Raidurg Panmaktha, Ranga Reddy District, Hyderabad - 500032, Telangana, India
Tel.: +91 40 2373 6370/ 2374 7340; **Fax:** +91 40 2374 1080/ 2374 6833; **Website:** www.aurobindo.com; **Email:** cs@aurobindo.com
Contact Person: Mr. B. Adi Reddy, Company Secretary and Compliance Officer

PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS/ BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF AUROBINDO PHARMA LIMITED ("COMPANY") FOR THE BUYBACK OF EQUITY SHARES ON A PROPORTIONATE BASIS THROUGH TENDER OFFER ROUTE USING STOCK EXCHANGE MECHANISM AS PRESCRIBED UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUY-BACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED FROM TIME TO TIME ("BUYBACK REGULATIONS").

This public announcement ("**Public Announcement**"/ "**PA**") is being made pursuant to Regulation 7(i) of the Buyback Regulations, in relation to the buyback of fully paid-up equity shares, having a face value of ₹ 1/- (Rupee One only) each ("**Equity Share**"), by the Company from its Equity Shareholders/ Beneficial Owners through the Tender Offer route using the stock exchange mechanism in accordance with Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**") circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with the circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 09, 2016, circular SEBI/HO/CFD/DCR-III/CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021 and circular SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/35 dated March 8, 2023, including any further amendments thereof ("**SEBI Circulars**"), and contains the disclosures as specified in Schedule II to the Buyback Regulations.

OFFER TO BUYBACK UP TO 54,23,728 (FIFTY FOUR LAKH TWENTY THREE THOUSAND SEVEN HUNDRED AND TWENTY EIGHT) EQUITY SHARES AT A PRICE OF ₹ 1,475/- (RUPEES ONE THOUSAND FOUR HUNDRED AND SEVENTY FIVE ONLY) PER EQUITY SHARE, PAYABLE IN CASH, ON A PROPORTIONATE BASIS THROUGH THE TENDER OFFER ROUTE USING THE STOCK EXCHANGE MECHANISM FOR AN AGGREGATE CONSIDERATION OF UP TO ₹ 800,00,00,000/- (RUPEES EIGHT HUNDRED CRORE ONLY).

1 DETAILS OF THE BUYBACK OFFER AND BUYBACK PRICE

1.1 At the meeting held on Monday, April 6, 2026 ("**Board Meeting**"), the Board of Directors of the Company (hereinafter referred to as the "**Board**", which expression shall include any committee constituted by the Board to exercise its powers, including the powers conferred by the resolution passed by the Board at the Board Meeting), subject to such approvals of regulatory and/or statutory authorities as may be required under applicable laws, has approved the buyback of up to 54,23,728 (Fifty Four Lakh Twenty Three Thousand Seven Hundred and Twenty Eight) Equity Shares, representing approximately 0.93% of the total number of outstanding Equity Shares of the Company, at a price of ₹ 1,475/- (Rupees One Thousand Four Hundred and Seventy Five Only) per Equity Share ("**Buyback Price**"), subject to any increase to the Buyback Price as may be approved by the Board, payable in cash for an aggregate amount up to ₹ 800,00,00,000/- (Rupees Eight Hundred Crore Only) ("**Buyback Size**"), excluding transaction costs, applicable taxes and other incidental and related expenses, from all of the equity shareholders/ beneficial owners of the Company, including the members of the promoter and promoter group of the Company ("**Promoter & Promoter Group**"), who hold Equity Shares as of the Record Date (*as defined below*) on a proportionate basis through the "**Tender Offer**" route in accordance with the provisions of the Buyback Regulations, Companies Act, 2013, as amended ("**Companies Act**"), rules framed thereunder including the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, as amended ("**Share Capital Rules**"), and the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended ("**Management Rules**"), the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("**Listing Regulations**"), to the extent applicable, and the SEBI Circulars (hereinafter referred to as "**Buyback**").

1.2 The Buyback Size constitutes 3.93% and 2.62% of the aggregate of the total paid-up equity share capital and free reserves (including securities premium) of the Company as per the latest audited standalone and consolidated financial statements of the Company as at March 31, 2025, respectively, and is within the statutory limit of 10% of the aggregate of the total paid-up equity share capital and free reserves (including securities premium) of the Company based on the audited standalone and consolidated financial statements of the Company as at March 31, 2025, under the board approval route as per Section 68 and other applicable provisions of the Companies Act and Regulation 5 and other applicable provisions of the Buyback Regulations. Further, since the Equity Shares proposed to be bought back represent approximately 0.93% of the total number of outstanding Equity Shares of the Company as of March 31, 2025 and December 31, 2025, the same is within the 25% limit as per the provisions of the Companies Act and Regulation 4(i) of the Buyback Regulations.

1.3 The Buyback is in accordance with Article 40(b) of the Articles of Association of the Company and Sections 68, 69, 70 and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, and rules framed thereunder, including the Share Capital Rules, the Management Rules, the Listing Regulations to the extent applicable, Buyback Regulations read with SEBI Circulars, subject to such other approvals, permissions, consents, exemptions and sanctions, as may be necessary and subject to any modifications and conditions, if any, as may be prescribed by SEBI, Registrar of Companies, Telangana at Hyderabad, National Stock Exchange of India Limited ("**NSE**"), BSE Limited ("**BSE**") and/ or other authorities, institutions or bodies, as may be necessary and subject to such conditions and modifications as may be prescribed or imposed while granting such approvals, permissions, sanctions and exemptions, which may be agreed by the Board.

1.4 In terms of Regulation 5(via) of the Buyback Regulations, the Board or the committee constituted by the Board, may till 1 (One) working day prior to the Record Date, increase the Buyback Price and decrease the number of Equity Shares proposed to be bought back, such that there is no change in the Buyback Size.

1.5 The Buyback Size does not include transaction costs viz. brokerage costs, fees, turnover charges, applicable taxes such as securities transaction tax, goods and services tax, stamp duty, etc., expenses incurred or to be incurred for the Buyback like filing fees payable to SEBI, advisors/ legal fees, public announcement publication expenses, printing and dispatch expenses for Letter of Offer and other incidental and related expenses, etc. ("**Transaction Costs**").

1.6 The Equity Shares of the Company are listed on NSE and BSE ("**Stock Exchanges**"). The Buyback shall be undertaken on a proportionate basis (subject to reservation for small shareholders) from all the equity shareholders/ beneficial owners of the Company, including the members of the Promoter & Promoter Group, who hold Equity Shares as at **Friday, April 17, 2026** ("**Record Date**") (such shareholders "**Eligible Shareholders**") through the Tender Offer process prescribed under Regulation 4(iv)(a) of the Buyback Regulations and shall be implemented using the stock exchange mechanism as specified in the SEBI Circulars. In this regard, the Company will request BSE to provide the acquisition window for facilitating tendering of Equity Shares under the Buyback and, for the purposes of this Buyback, BSE will be the designated stock exchange.

1.7 The Buyback from the Eligible Shareholders who are residents outside India including non-resident Indians, foreign nationals, foreign corporate bodies (including erstwhile overseas corporate bodies), foreign institutional investors/ foreign portfolio investors, shall be subject to such approvals, if any, and to the extent necessary or required from the concerned authorities including approvals from the Reserve Bank of India ("**RBI**") under the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations framed thereunder, and that such approvals shall be required to be taken by such non-resident shareholders.

1.8 In terms of the Buyback Regulations, under Tender Offer route, the members of the Promoter & Promoter Group and persons in control of the Company have the option to participate in the Buyback. In this regard, the members of the Promoter & Promoter Group *vide* their letters dated April 7, 2026, have expressed their intention to participate in the Buyback. The extent of their participation in the Buyback has been detailed in Paragraph 6.3 of this Public Announcement.

1.9 The Buyback will not result in any benefit to Promoter & Promoter Group or persons in control of the Company or any directors of the Company except to the extent of the cash consideration received by them from the Company pursuant to their respective participation in the Buyback in their capacity as equity shareholders of the Company, and the change in their shareholding as per the response received in the Buyback, as a result of the extinguishment of Equity Shares, which will lead to reduction in the equity share capital of the Company post Buyback. The Buyback would be subject to the condition of maintaining minimum public shareholding requirements as specified in Regulation 38 of the Listing Regulations. Any change in voting rights of the Promoter & Promoter Group of the Company pursuant to completion of Buyback will not result in any change in control over the Company.

1.10 Participation in the Buyback by Eligible Shareholders may trigger capital gains taxation in India and in their country of residence. The transaction of Buyback would also be chargeable to securities transaction tax in India. In due course, Eligible Shareholders will receive a letter of offer, which will contain a more detailed note on taxation. However, in view of the particularized nature of tax consequences, Eligible Shareholders are advised to consult their own legal, financial and tax advisors for the applicable tax implications prior to participating in the Buyback.

A copy of this Public Announcement is available on the website of the Company (www.aurobindo.com), the website of Manager to the Buyback (www.axiscapital.co.in) and is expected to be available on the website of SEBI (www.sebi.gov.in) during the period of the Buyback and on the website of NSE (www.nseindia.com) and BSE (www.bseindia.com).

2 NECESSITY FOR THE BUYBACK

The Buyback is being undertaken, *inter-alia*, for the following reasons:

2.1 The Buyback will help the Company to reward its shareholders and enhance the overall return to shareholders;

2.2 The Buyback is expected to improve earnings per share and other key ratios such as return on net worth and return on assets over a period of time; and

2.3 The Buyback, which is being implemented through the Tender Offer route as prescribed under the Buyback Regulations, would involve allocation of number of Equity Shares as per their entitlement or 15% of the number of Equity Shares to be bought back, whichever is higher, reserved for small shareholders. The Company believes that this reservation for small shareholders would benefit a large number of public shareholders, who would get classified as "small shareholders" as per Regulation 2(i)(n) of the Buyback Regulations.

3 MAXIMUM NUMBER OF EQUITY SHARES THAT THE COMPANY PROPOSES TO BUYBACK

The Company proposes to buyback up to 54,23,728 (Fifty Four Lakh Twenty Three Thousand Seven Hundred and Twenty Eight) Equity Shares, representing 0.93% of the total number of oustanding Equity Shares of the Company as of March 31, 2025 and as of December 31, 2025.

4 MAXIMUM PRICE FOR BUYBACK OF THE EQUITY SHARES AND BASIS OF ARRIVING AT THE BUYBACK PRICE

4.1 The Equity Shares are proposed to be bought back at a price of ₹ 1,475/- (Rupees One Thousand Four Hundred and Seventy Five Only) per Equity Share.

4.2 The Buyback Price has been arrived at after considering various factors including, but not limited to the trends in the volume weighted average prices and the closing price of the Equity Shares at the Stock Exchanges.

4.3 The Buyback Price represents:

4.3.1 premium of 20.86% and 21.82% over the volume weighted average market price of the Equity Share on BSE and NSE, respectively, during the 3 (three) months preceding Tuesday, March 31, 2026, being the date of intimation to the Stock Exchanges for the Board Meeting to consider the proposal of the Buyback ("**Intimation Date**").

4.3.2 premium of 13.18% and 14.21% over the volume weighted average market price of the Equity Share on BSE and NSE, respectively, during the 2 (two) weeks preceding the Intimation Date.

4.3.3 premium of 13.18% and 13.08% over the closing price of the Equity Share on BSE and NSE, respectively, as on the trading day immediately preceding the Intimation Date, i.e., Monday, March 30, 2026.

4.3.4 premium of 10.09% and 10.04% over the closing price of the Equity Share on BSE and NSE, respectively, as on Monday, April 6, 2026, being the date of the Board Meeting.

4.4 The closing market price of the Equity Shares on the trading day immediately preceding the Intimation Date, i.e., Monday, March 30, 2026, was ₹ 1,303.20/- and ₹ 1,304.40/- and as on the date of the Board Meeting was ₹ 1339.80/- and 1340.40/- on BSE and NSE, respectively.

4.5 As required under Section 68(2)(d) of the Companies Act and Regulation 4(ii)(a) of Buyback Regulations, the ratio of the aggregate of secured and unsecured debts owed by the Company will not be more than twice the paid-up equity share capital and free reserves (including securities premium) after the Buyback based on standalone and consolidated financial statements of the Company as on March 31, 2025, whichever sets out a lower amount.

4.6 In terms of Regulation 5(via) of the Buyback Regulations, the Board may, till 1 (One) working day prior to the Record Date, increase the Buyback Price and decrease the number of Equity Shares proposed to be bought back, such that there is no change in the Buyback Size.

5 MAXIMUM AMOUNT OF FUNDS REQUIRED FOR THE BUYBACK, ITS PERCENTAGE OF THE TOTAL PAID-UP CAPITAL AND FREE RESERVES AND SOURCES OF FUNDS FROM WHICH BUYBACK WOULD BE FINANCED

5.1 The maximum amount required for the Buyback will not exceed ₹ 800,00,00,000/- (Rupees Eight Hundred Crore Only) (excluding Transaction Costs). The Buyback Size constitutes 3.93% and 2.62% of the aggregate of the total paid-up share capital and free reserves (including securities premium), as per the latest audited standalone and consolidated financial statements of the Company as at March 31, 2025, respectively, which is within the statutory limit of 10% of the total paid-up equity capital and free reserves (including securities premium) of the Company as at March 31, 2025, under the Board approval route as per Section 68 and other applicable provisions of the Companies Act and Regulation 5 and other applicable provisions of the Buyback Regulations.

5.2 The funds for implementation of the proposed Buyback will be sourced out of the free reserves (including securities premium) of the Company and/ or such other sources as may be permitted by Buyback Regulations or the Companies Act. Funds borrowed from banks and financial institutions, if any, will not be used for the Buyback.

5.3 The Company shall transfer from its free reserves and/ or such other sources as may be permitted by law, a sum equal to the nominal value of the Equity Shares bought back through the Buyback to the capital redemption reserve account and the details of such transfer shall be disclosed in its subsequent audited financial statements.

6 DETAILS OF HOLDING AND TRANSACTIONS IN THE EQUITY SHARES BY THE MEMBERS OF THE PROMOTER & PROMOTER GROUP, PERSONS IN CONTROL, DIRECTORS/ TRUSTEES OF MEMBERS OF THE PROMOTER & PROMOTER GROUP, DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL OF THE COMPANY AND INTENTION OF MEMBERS OF THE PROMOTER & PROMOTER GROUP AND PERSONS IN CONTROL OF THE COMPANY TO PARTICIPATE IN THE BUYBACK

6.1 The aggregate shareholding in the Company of (a) the members of the Promoter & Promoter Group and persons in control of the Company; (b) director(s)/ trustee(s) of the companies/ trusts forming part of the Promoter & Promoter Group; (c) the directors (other than members of the Promoter & Promoter Group) and key managerial personnel, as on the date of the Board Meeting, i.e., (Monday, April 6, 2026) and the date of this Public Announcement, are as follows:

6.1.1 Aggregate shareholding of the members of the Promoter & Promoter Group and persons in control of the Company in the Company:

Sr. No.	Name	Category	Number of Equity Shares held	% shareholding
1.	Venkata Ramprasad Reddy Penaka	Promoter	1,78,33,646	3.07
2.	K Nithyananda Reddy	Promoter	2,53,59,572	4.37
	Total (A)		**4,31,93,218**	**7.44**
3.	M Sivakumaran	Promoter Group	1,43,57,432	2.47
4.	K Rajeshwari	Promoter Group	18,08,631	0.31
5.	Suneela Rani Penaka	Promoter Group	1,28,799	0.02
6.	Prasada Reddy Kambham	Promoter Group	2,98,373	0.05
7.	K Suryaprakash Reddy	Promoter Group	7,380	0.00
8.	M Sumanth Kumar Reddy	Promoter Group	15,85,214	0.27
9.	Kirthi Reddy Kambam	Promoter Group	2,00,62,852	3.45
10.	Kambam Spoorthi	Promoter Group	69,39,173	1.19
11.	Penaka Neha Reddy	Promoter Group	Nil	Nil
12.	Trident Chemphar Limited	Promoter Group	7,82,241	0.13
13.	Axis Clinicals Limited	Promoter Group	6,51,920	0.11
14.	RPR Sons Advisors Private Limited, Suneela Rani (joint holding)	Promoter Group	19,45,61,357	33.50
15.	Axis Clinicals Limited, Trident Chemphar Limited, RPR Sons Advisors Private Limited (joint holding)	Promoter Group	1,65,72,131	2.85
	Total (B)		**25,77,55,503**	**44.38**
	Total (A+B)		**30,09,48,721**	**51.82**

6.1.2 Aggregate shareholding of the director(s)/ trustee(s) of the companies/ trusts forming part of the Promoter & Promoter Group in the Company:

Sr No	Name of Company/ Trust forming part of the Promoter & Promoter Group	Name of the Director/ Trustee	No. of Equity Shares	% shareholding
1.	Axis Clinicals Limited	Jayachandra Reddy Atluri	29,000	0.01
2.	RPR Sons Advisors Private Limited	Venkata Ramprasad Reddy Penaka	1,78,33,646	3.07
		Suneela Rani Penaka	1,28,799	0.02

6.1.3 Aggregate shareholding of the directors and key managerial personnel of the Company (other than members of the Promoter & Promoter Group) in the Company:

Sr. No.	Name	Number of Equity Shares held	% shareholding
1.	S. Subramanian	7,063	Negligible
2.	M. Madan Mohan Reddy	2,010	Negligible
	Total	**9,073**	Negligible

6.2 No Equity Shares or other specified securities in the Company were either purchased or sold by (a) the members of the Promoter & Promoter Group and persons who are in control of the Company; (b) the director(s)/ trustee(s) of the companies/ trusts forming part of the Promoter & Promoter Group; and (c) directors and key managerial personnel of the Company, during a period of 6 (six) months preceding the date of the Board Meeting where the Buyback was approved and until the date of this Public Announcement, except as set out below:

Name	Aggregate no. of Equity Shares allotted / transferred	Nature of transaction	Maximum price per Equity Share (₹)*	Date of maximum price	Minimum price per Equity Share (₹)*	Date of minimum price
Jayachandra Reddy Atluri	1,680	Sale	1,270	March 10, 2026	1,268	March 10, 2026

* Excluding transaction costs such as brokerage, securities transaction tax etc.

6.3 Intention of members of the Promoter & Promoter Group and persons in control of the Company to participate in the Buyback:

In terms of the Buyback Regulations, under Tender Offer route, the members of the Promoter & Promoter Group and persons in control of the Company have the option to participate in the Buyback. In this regard, the members of the Promoter & Promoter Group *vide* their letters dated April 7, 2026, have expressed their intention to participate in the Buyback and tender up to the number of Equity Shares set out in the table below, or such lower number of Equity Shares as permitted under the applicable law:

Sr. No.	Name	Number of Equity Shares held	Maximum number of Equity Shares intended to be tendered up to
1.	Venkata Ramprasad Reddy Penaka	1,78,33,646	3,22,000
2.	K Nithyananda Reddy	2,53,59,572	4,58,000
3.	M Sivakumaran	1,43,57,432	2,60,000
4.	K Rajeshwari	18,08,631	33,000
5.	Suneela Rani Penaka	1,28,799	3,000
6.	Prasada Reddy Kambham	2,98,373	6,000
7.	K Suryaprakash Reddy	7,380	Nil
8.	M Sumanth Kumar Reddy	15,85,214	29,000
9.	Kirthi Reddy Kambam	2,00,62,852	3,62,000
10.	Kambam Spoorthi	69,39,173	1,26,000
11.	Trident Chemphar Limited	7,82,241	15,000
12.	Axis Clinicals Limited	6,51,920	12,000
13.	RPR Sons Advisors Private Limited, Suneela Rani (joint holding)	19,45,61,357	35,07,000
14.	Axis Clinicals Limited, Trident Chemphar Limited, RPR Sons Advisors Private Limited (joint holding)	1,65,72,131	3,00,000
	Total	**30,09,48,721**	**54,33,000**

6.4 The entire shareholding of the members of the Promoter & Promoter Group is in demat mode. The details of the date and price of acquisition of the Equity Shares proposed to be tendered in the Buyback by the members of the Promoter & Promoter Group and persons in control of the Company who intend to participate in the Buyback are set out below:

6.4.1 Venkata Ramprasad Reddy Penaka

Sr. No.	Date of Acquisition	Nature of transaction	Face Value (in ₹)	Number of Equity Shares acquired	Issue price/ transfer price per Equity Share (in ₹)
1	July 22, 2015(1)	Bonus issue in the ratio of 1:1	1	3,22,000	Nil

***Note**: (1) Received a total of 90,00,000 equity shares pursuant to the bonus issuance, of which 1,66,354 equity shares have been accepted in the previous buyback undertaken by the Company which was settled on August 19, 2024.*

6.4.2 K Nithyananda Reddy

Sr. No.	Date of Acquisition	Nature of transaction	Face Value (in ₹)	Number of Equity Shares acquired	Issue price/ transfer price per Equity Share (in ₹)
1	July 22, 2015(1)	Bonus issue in the ratio of 1:1	1	4,58,000	Nil

***Note**: (1) Received a total of 1,37,62,350 equity shares pursuant to the bonus issuance.*

6.4.3 M Sivakumaran

Sr. No.	Date of Acquisition	Nature of transaction	Face Value (in ₹)	Number of Equity Shares acquired	Issue price/ transfer price per Equity Share (in ₹)
1	July 22, 2015(1)	Bonus issue in the ratio of 1:1	1	2,60,000	Nil

***Note**: (1) Received a total of 73,45,680 equity shares pursuant to the bonus issuance, of which 1,33,928 equity shares have been accepted in the previous buyback undertaken by the Company which was settled on August 19, 2024.*

6.4.4 K Rajeshwari

Sr. No.	Date of Acquisition	Nature of transaction	Face Value (in ₹)	Number of Equity Shares acquired	Issue price/ transfer price per Equity Share (in ₹)
1	July 22, 2015(1)	Bonus issue in the ratio of 1:1	1	33,000	Nil

***Note**: (1) Received a total of 8,87,750 equity shares pursuant to the bonus issuance, of which 16,869 equity shares have been accepted in the previous buyback undertaken by the Company which was settled on August 19, 2024.*

6.4.5 Suneela Rani Penaka

Sr. No.	Date of Acquisition	Nature of transaction	Face Value (in ₹)	Number of Equity Shares acquired	Issue price/ transfer price per Equity Share (in ₹)
1	September 30, 2021(1)	Gift from member of Promoter & Promoter Group	1	3,000	Nil

***Note**: (1) Received a total of 1,30,000 equity shares from Penaka Neha Reddy, a member of the Promoter & Promoter Group, of which 1,201 equity shares have been accepted in the previous buyback undertaken by the Company which was settled on August 19, 2024.*

6.4.6 Prasada Reddy Kambham

Sr. No.	Date of Acquisition	Nature of transaction	Face Value (in ₹)	Number of Equity Shares acquired	Issue price/ transfer price per Equity Share (in ₹)
1	July 22, 2015(1)	Bonus issue in the ratio of 1:1	1	6,000	Nil

***Note**: (1) Received a total of 2,00,578 equity shares pursuant to the bonus issuance, of which 2,783 equity shares have been accepted in the previous buyback undertaken by the Company which was settled on August 19, 2024.*

6.4.7 M Sumanth Kumar Reddy

Sr. No.	Date of Acquisition	Nature of transaction	Face Value (in ₹)	Number of Equity Shares acquired	Issue price/ transfer price per Equity Share (in ₹)
1	July 22, 2015(1)	Bonus issue in the ratio of 1:1	1	29,000	Nil

***Note**: (1) Received a total of 8,00,000 equity shares pursuant to the bonus issuance, of which 14,786 equity shares have been accepted in the previous buyback undertaken by the Company which was settled on August 19, 2024.*

Contd.

6.4.8 Kirthi Reddy Kambam

Sr. No.	Date of Acquisition	Nature of transaction	Face Value (in ₹)	Number of Equity Shares acquired	Issue price/ transfer price per Equity Share (in ₹)
1	July 22, 2015(1)	Bonus issue in the ratio of 1:1	1	3,62,000	Nil

***Note**: (1) Received a total of 1,03,50,000 equity shares pursuant to the bonus issuance, of which 1,87,148 equity shares have been accepted in the previous buyback undertaken by the Company which was settled on August 19, 2024.*

6.4.9 Kambam Spoorthi

Sr. No.	Date of Acquisition	Nature of transaction	Face Value (in ₹)	Number of Equity Shares acquired	Issue price/ transfer price per Equity Share (in ₹)
1	July 22, 2015(1)	Bonus issue in the ratio of 1:1	1	1,26,000	Nil

***Note**: (1) Received a total of 38,00,000 equity shares pursuant to the bonus issuance, of which 60,827 equity shares have been accepted in the previous buyback undertaken by the Company which was settled on August 19, 2024.*

6.4.10 Trident Chemphar Limited

Sr. No.	Date of Acquisition	Nature of transaction	Face Value (in ₹)	Number of Equity Shares acquired	Issue price/ transfer price per Equity Share (in ₹)
1	March 18, 2020(1)	Market purchase	1	15,000	392.82

***Note**: (1) Acquired a total of 1,30,000 equity shares through market purchase at a weighted average price of ₹ 392.82/-, of which 7,296 equity shares have been accepted in the previous buyback undertaken by the Company which was settled on August 19, 2024.*

6.4.11 Axis Clinicals Limited

Sr. No.	Date of Acquisition	Nature of transaction	Face Value (in ₹)	Number of Equity Shares acquired	Issue price/ transfer price per Equity Share (in ₹)
1	July 22, 2015(1)	Bonus issue in the ratio of 1:1	1	12,000	Nil

***Note**: (1) Received a total of 26,18,745 equity shares pursuant to the bonus issuance, of which 6,080 equity shares have been accepted in the previous buyback undertaken by the Company which was settled on August 19, 2024.*

6.4.12 RPR Sons Advisors Private Limited, Suneela Rani (Joint holding)

Sr. No.	Date of Acquisition	Nature of transaction	Face Value (in ₹)	Number of Equity Shares acquired	Issue price/ transfer price per Equity Share (in ₹)
1	January 19, 2017(1)	Contribution by partners through an off-market transfer	1	35,07,000	12.12

***Note**: (1) 19,63,76,250 Equity Shares of the Company were contributed by Suneela Rani Penaka, a member of the Promoter & Promoter Group, at a weighted average price of ₹ 12.12/- per equity share, of which 18,14,893 equity shares have been accepted in the previous buyback undertaken by the Company which was settled on August 19, 2024.*

6.4.13 Axis Clinicals Limited, Trident Chemphar Limited, RPR Sons Advisors Private Limited (Joint holding)

Sr. No.	Date of Acquisition	Nature of transaction	Face Value (in ₹)	Number of Equity Shares acquired	Issue price/ transfer price per Equity Share (in ₹)
1	March 30, 2017(1)	Contribution by partners through an off-market transfer	1	3,00,000	32.64

***Note**: (1) 45,79,490 equity shares of the Company were contributed by Axis Clinicals Limited and 1,21,47,226 Equity Shares of the Company were contributed by Trident Chemphar Limited both members of the Promoter & Promoter Group, at a weighted average price of ₹ 32.64/- per equity share, of which 1,54,585 equity shares have been accepted in the previous buyback undertaken by the Company which was settled on August 19, 2024.*

7 CONFIRMATIONS FROM THE COMPANY AS PER THE PROVISIONS OF THE BUYBACK REGULATIONS AND THE COMPANIES ACT

7.1 All the Equity Shares of the Company are fully paid up.

7.2 The Company shall not issue and allot any Equity Shares or other specified securities (including by way of bonus), from the date of the Board Meeting till the expiry of the Buyback period, i.e., the date on which the payment of consideration is made to the shareholders who have accepted the Buyback, except in discharge of subsisting obligations through conversion of warrants, stock option schemes, sweat equity or conversion of preference shares or debentures into equity shares. There are no subsisting obligations to issue or allot any Equity Shares or other specified securities through conversion of warrants, stock option schemes, sweat equity or conversion of preference shares or debentures into equity shares.

7.3 Unless otherwise specifically permitted by any relaxation issued by SEBI and/ or any other regulatory authority, the Company shall not raise further capital for a period of 1 (One) year, as prescribed under the provisions of Regulation 24(i)(f) of the Buyback Regulations, from the expiry of the Buyback period, i.e., the date on which the payment of consideration is made to the shareholders who have accepted the Buyback, except in discharge of its subsisting obligations.

7.4 The Company, as per the provisions of Section 68(8) of the Companies Act, will not make a further issue of the same kind of shares or other securities including allotment of new shares under Section 62(1)(a) or other specified securities within a period of 6 (Six) months except by way of a bonus issue or in the discharge of subsisting obligations such as conversion of warrants, stock option schemes, sweat equity or conversion of preference shares or debentures into equity shares.

7.5 The Company shall not withdraw the Buyback after the Public Announcement of the offer to Buyback is made.

7.6 The Company will ensure consequent reduction of its share capital post Buyback and the Equity Shares bought back by the Company will be extinguished and physically destroyed in the manner prescribed under the Buyback Regulations and the Companies Act within the specified timelines.

7.7 The Company shall not buyback locked-in Equity Shares and non-transferable Equity Shares until the pendency of the lock-in or till the Equity Shares become transferable.

7.8 The consideration for the Buyback shall be paid by the Company only by way of cash.

7.9 Funds borrowed from banks and financial institutions, if any, will not be used for the Buyback.

7.10 The Company shall not buyback its Equity Shares or other specified securities from any person through negotiated deals whether on or off the Stock Exchanges or through spot transactions or through any private arrangement in the implementation of Buyback.

7.11 There are no defaults (either in the past or subsisting) in the repayment of any deposits (including interest payable thereon), redemption of debentures or preference shares, payment of dividend or repayment of any term loans to any financial institution or banks (including interest payable thereon), as the case may be, and in case of defaults which have ceased to subsist, if any, a period of more than 3 (three) years has lapsed.

7.12 The Company has not undertaken a buyback of any of its securities during the period of 1 (One) year immediately preceding the date of the Board Meeting.

7.13 The Company has been in compliance with Sections 92, 123, 127 and 129 of the Companies Act.

7.14 The aggregate amount of the Buyback (i.e., up to ₹ 800,00,00,000/- (Rupees Eight Hundred Crore Only) does not exceed 10% of the aggregate of the total paid-up equity share capital and free reserves (including securities premium) of the Company as per the latest audited standalone and consolidated financial statements of the Company as at March 31, 2025.

7.15 The maximum number of Equity Shares proposed to be purchased under the Buyback (i.e., 54,23,728 (Fifty Four Lakh Twenty Three Thousand Seven Hundred and Twenty Eight) Equity Shares) does not exceed 25% of the total number of oustanding Equity Shares of the Company as at March 31, 2025 and December 31, 2025.

7.16 The Company shall not make any offer of buyback within a period of 1 (One) year reckoned from the date of expiry of the Buyback period i.e., the date on which the payment of consideration is made to the shareholders whose equity shares have been accepted in the Buyback.

7.17 The Company shall comply with the statutory and regulatory timelines in respect of the Buyback in such manner as prescribed under the Companies Act and/ or the Buyback Regulations and any other applicable laws.

7.18 The Buyback shall be completed within a period of 1 (One) year from the date of passing of the Board resolution approving the Buyback.

7.19 There is no pendency of any scheme of amalgamation or compromise or arrangement pursuant to the provisions of the Companies Act, as on date.

7.20 The ratio of the aggregate of secured and unsecured debts owed by the Company shall not be more than twice its paid-up capital and free reserves (including securities premium) after the Buyback, based on latest audited standalone and consolidated financial statements of the Company, as prescribed under the Companies Act and rules made thereunder and Buyback Regulations.

7.21 The Company is not buying back its Equity Shares so as to delist its shares or other specified securities from the Stock Exchanges.

7.22 The Company shall not directly or indirectly purchase its Equity Shares through any subsidiary company including its own subsidiary companies, or through any investment company or group of investment companies.

7.23 As per Regulation 24(i)(e) of the Buyback Regulations, the members of the Promoter & Promoter Group, and their associates, shall not deal in the Equity Shares or other specified securities of the Company either through the stock exchanges or off-market transactions (including inter-se transfer of Equity Shares among the members of the Promoter & Promoter Group) from the date of the Board resolution approving the Buyback till the closing of the Buyback offer.

7.24 In accordance with Regulation 6 of the Buyback Regulations, the Company shall reserve 15% of the number of Equity Shares which the Company proposes to buyback or such number of Equity Shares entitled as per the shareholding of small shareholders as on the Record Date, whichever is higher, for the small shareholders as part of the Buyback.

7.25 The Company shall transfer from its free reserves and/ or such other sources as may be permitted by law, a sum equal to the nominal value of the Equity Shares bought back through the Buyback to the capital redemption reserve account and the details of such transfer shall be disclosed in its subsequent audited financial statement.

7.26 The Company has outstanding facilities with its lenders. In accordance with Regulation 5(i)(c) and Clause (xii) of Schedule I of the Buyback Regulations, the Company shall not undertake the Buyback unless it has obtained prior consent of its lenders, in case of breach of any covenant with such lenders. The Company confirms that it has obtained the prior consent of its lenders, as necessary, for undertaking the Buyback.

8 CONFIRMATIONS FROM THE BOARD OF THE COMPANY

8.1 As required by Clause (x) of Schedule I of the Buyback Regulations, the Board has confirmed that it has made full enquiry into the affairs and prospects of the Company and has formed an opinion, that:

8.1.1 immediately following the date of the Board Meeting, i.e., Monday, April 6, 2026, approving the Buyback, there will be no grounds on which the Company could be found unable to pay its debts, if any;

8.1.2 as regards the Company's prospects for the year immediately following the date of Board Meeting and having regard to the Board's intention with respect to the management of the Company's business during that year and to the amount and character of the financial resources, which will, in the Board's view, be available to the Company during that year, the Company will be able to meet its liabilities as and when they fall due and will not be rendered insolvent within a period of 1 (One) year from the date of the Board Meeting; and

8.1.3 in forming its opinion aforesaid, the Board has taken into account the liabilities (including prospective and contingent liabilities) as if the Company were being wound up under the provisions of the Companies Act, or the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, as applicable.

9 REPORT ADDRESSED TO THE BOARD OF DIRECTORS BY THE COMPANY'S STATUTORY AUDITORS

The text of the report dated April 6, 2026, of M/s. Deloitte Haskins & Sells, Chartered Accountants, the statutory auditors of the Company, addressed to the Board of the Company is reproduced below:

Quote

To,
Board of Directors,
Aurobindo Pharma Limited
Galaxy, Floor 22-24; Plot No 1, Sy No 83/1
Hyderabad Knowledge City,
Raidurg Panmaktha Hyderabad,
Telangana – 500032

Re: Statutory Auditor's Report in respect of proposed buyback of equity shares by Aurobindo Pharma Limited (the "Company") in terms of Clause (xi) of Schedule I of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended ("the Buyback Regulations")

1. This Report is issued in accordance with the terms of our engagement letter March 25, 2026.

2. The Board of Directors of the Company have approved a proposal for buyback of Equity Shares by the Company at its meeting held on April 06, 2026, in pursuance of the provisions of Sections 68, 69 and 70 of the Companies Act, 2013, as amended (the "Act") and the Buyback Regulations.

3. We have been requested by the Management of the Company to provide a report on the accompanying "Statement of Permissible Capital Payment for the year ended and as at March 31, 2025" ('Annexure A') (hereinafter referred to as the "Statement"). This Statement has been prepared by the Management, which we have stamped for the purposes of identification only.

Management's Responsibility:

4. The preparation of the Statement in compliance with the proviso to Section 68(2)(b) of the Act and the proviso to Regulation 5(i)(b) of the Buyback Regulations and compliance with the Buyback Regulations, is the responsibility of the Management of the Company, including the computation of the amount of the permissible capital payment, the preparation and maintenance of all accounting and other relevant supporting records and documents. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal controls relevant to the preparation and presentation of the Statement and applying an appropriate basis of preparation; and making estimates that are reasonable in the circumstances.

5. As the Buyback Regulations and the Act do not define the term "insolvent", the Company has applied the guidance provided in paragraphs 25 and 26 of Ind AS 1, Presentation of Financial Statements, which relate to the assessment of the Company's ability to continue as a going concern for a period of one year from April 06, 2026. The Board of Directors are responsible to make a full inquiry into the affairs and prospects of the Company and to form an opinion as specified in (x) of Schedule I to the SEBI Buyback Regulations and that the Company will not, having regard to its state of affairs, be rendered insolvent within a period of one year from April 06, 2026 (date of passing of the Board Meeting resolution).

Auditor's Responsibility:

6. Pursuant to the requirements of the Buyback Regulations, it is our responsibility to provide a reasonable assurance that:

i. we have inquired into the state of affairs of the Company in relation to the annual audited standalone and consolidated financial statements for the year ended and as at March 31, 2025 which were approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on May 26, 2025, and adopted by the shareholders of the Company in the Annual General Meeting held on September 10, 2025.

ii. the amount of permissible capital payment as stated in Annexure A, has been properly determined considering the annual audited standalone and consolidated financial statements for the year ended and as at March 31, 2025 in accordance with the proviso to Section 68(2)(b) of the Act and the proviso to Regulation 5(i)(b) of the Buyback Regulations; and

iii. the Board of Directors of the Company, in their meeting held on April 06, 2026 have formed the opinion as specified in Clause (x) of Schedule I to the Buyback Regulations, on reasonable grounds and that the Company will not, having regard to its state of affairs, be rendered insolvent (as defined in management responsibility above) within a period of one year from the aforesaid date with regard to the proposed buyback is approved at Board meeting.

7. The annual standalone and consolidated financial statements referred to in paragraph 6 above, have been audited by us, on which we have issued an unmodified audit opinion in our reports each dated May 26, 2025. We conducted our audit of the annual standalone and consolidated financial statements in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act and other applicable authoritative pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. Our audit was not planned and performed in connection with any transactions to identify matters that may be of potential interest to third parties.

8. We conducted our examination of the Statement in accordance with the Guidance Note on Audit Reports and Certificates for Special Purposes (Revised 2016), issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "Guidance Note") and Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Companies Act, 2013, in so far as applicable for the purpose of this report. The Guidance Note requires that we comply with the ethical requirements of the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

9. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standard on Quality Control (SQC) 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements. Further our examination did not extend to any other parts and aspects of a legal or proprietary nature in the aforesaid Buyback.

Opinion

10. Based on inquiries conducted and our examination as above, we report that:

i. We have inquired into the state of affairs of the Company in relation to its annual audited standalone and consolidated financial statements for the year ended and as at March 31, 2025, which have been approved by the Board of Directors of the Company in their meeting held on May 26, 2025.

ii. The amount of permissible capital payment towards the proposed buy back of equity shares as computed in the Statement attached herewith, as Annexure A, in our view has been properly determined in accordance with the proviso to Section 68(2)(b) of the Act and the proviso to Regulation 5(i)(b) of the Buyback Regulations.

iii. The Board of Directors of the Company, at their meeting held on April 06, 2026 have formed their opinion as specified in clause (x) of Schedule I to the Buyback Regulations, on reasonable grounds and that the Company having regard to its state of affairs, will not be rendered insolvent (as defined in management responsibility above) within a period of one year from the date of passing the Board Resolution dated April 06, 2026.

Restriction on use

11. This report has been issued at the request of the Company solely for use of the Company

i. in connection with the proposed buyback of equity shares of the Company as mentioned in paragraph 2 above,

ii. to enable the Board of Directors of the Company to include in the Letter of offer and other documents pertaining to buyback to be filed with

a. the Registrar of Companies, Securities and Exchange Board of India, stock exchanges, and any other regulatory authority as per applicable law; and

b. the Central Depository Services (India) Limited, National Securities Depository Limited and

c. to share with the Manager to Buyback offer in connection with the proposed buyback of equity shares of the Company for onward submission to relevant authorities in pursuance to the provisions of Section 68 and other applicable provisions of the Act and the Buyback Regulations, and may not be suitable for any other purpose.

This report should not be used for any other purpose without our prior written consent. Accordingly, we do not accept or assume any liability or any duty of care for any other purpose or to any other person to whom this report is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

For **Deloitte Haskins & Sells**
Chartered Accountants
(Firm's Registration No.008072S)

Sd/-
C Manish Muralidhar
(Partner)
(Membership No. 213649)
(UDIN: 26213649FRKCFB8227)

Place: Denver, USA
Date: April 06, 2026

Annexure A - Statement of Permissible Capital Payment as at March 31, 2025:

Computation of amount of permissible capital payment towards buyback of equity shares in accordance with the proviso to Section 68(2)(b) of the Companies Act, 2013 ("the Act") and read with proviso to Regulation 5(i)(b) of Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended, based on annual audited standalone and consolidated financial statements as at and for the year ended March 31, 2025.

(Amount in ₹ millions)

Particulars		Amount - Standalone	Amount - Consolidated
Paid up Equity Share Capital as on March 31, 2025 (580,801,623 fully paid-up Equity Shares of ₹ 1 each)	(A)	580.8	580.8
Free Reserves as on March 31, 2025			
Securities Premium		-	751.1
General Reserve		2,013.9	2,257.0
Retained Earnings		200,904.0	302,216.5
Total Free Reserves	**(B)**	**202,917.9**	**305,224.6**
Total	**C=(A+B)**	**203,498.7**	**305,805.4**
Maximum amount permissible towards buyback of equity shares in accordance with the proviso to Section 68(2)(b) of the Companies Act, 2013 and read with proviso to Regulation 5(i)(b) of Buyback Regulations (10% of the total Paid-up equity capital and free reserves of standalone and consolidated financial statements)	C * 10%	20,349.9	30,580.5
Maximum amount permissible for buyback lower of Standalone and Consolidated amounts			20,349.9

Notes:

1) The amount of paid-up equity share capital and free reserves as at March 31, 2025 have been extracted from the annual audited standalone and consolidated financial statements of the Company as at and for the year ended March 31, 2025.

2) As the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended and the Act do not define the term "insolvent", the Company has applied the guidance provided in paragraphs 25 and 26 of Ind AS 1, Presentation of Financial Statements, which relate to the assessment of the Company's ability to continue as a going concern for a period of one year from April 06, 2026 as well as for a period of one year immediately following the date of passing of the Board Meeting resolution.

For and on behalf of **Board of Directors of Aurobindo Pharma Limited**

Sd/-
K. Nithyananda Reddy
Vice Chairman and Managing Director

Date : April 06, 2026

Unquote

10 RECORD DATE AND SHAREHOLDER ENTITLEMENT

10.1 As required under the Buyback Regulations, the Company has fixed Friday, April 17, 2026, as the Record Date for the purpose of determining the entitlement and the names of the Eligible Shareholders, who will be eligible to participate in the Buyback.

10.2 In due course, Eligible Shareholders will receive a letter of offer in relation to the Buyback ("**Letter of Offer**") along with a Tender Offer form indicating the entitlement of the Eligible Shareholder for participating in the Buyback. Even if the Eligible Shareholder does not receive the Letter of Offer along with a tender form, the Eligible Shareholder may participate and tender shares in the Buyback.

As required under the Buyback Regulations, the dispatch of the Letter of Offer shall be through electronic mode only, within 2 (Two) working days from the Record Date and, if any Eligible Shareholder requires a physical copy of the Letter of Offer, a request has to be sent to the Company or the Registrar to the Buyback and the same shall be provided.

10.3 The Equity Shares proposed to be bought back by the Company shall be divided into two categories: (a) reserved category for small shareholders; and (b) general category for all other Eligible Shareholders.

10.4 As defined in Regulation 2(1)(n) of the Buyback Regulations, a "**Small Shareholder**" is a shareholder of the Company who holds Equity Shares whose market value, on the basis of the closing price of the Equity Shares on the Stock Exchanges having the highest trading volume as on the Record Date, is not more than ₹ 2,00,000/- (Rupees Two Lakh Only).

10.5 In accordance with Regulation 6 of the Buyback Regulations, 15% of the number of Equity Shares which the Company proposes to buy back or the number of Equity Shares entitled as per the shareholding of Small Shareholders as on the Record Date, whichever is higher, shall be reserved for the Small Shareholders as part of this Buyback.

10.6 Based on the shareholding on the Record Date, the Company will determine the entitlement of each Eligible Shareholder, including Small Shareholders, to tender their Equity Shares in the Buyback. This entitlement for each Eligible Shareholder will be calculated based on the number of Equity Shares held by the respective Eligible Shareholder as on the Record Date and the ratio of Buyback applicable in the category to which such Eligible Shareholder belongs to. The final number of Equity Shares that the Company shall purchase from each Eligible Shareholder will be based on the total number of Equity Shares tendered by such Eligible Shareholder. Accordingly, the Company may not purchase all of the Equity Shares tendered by an Eligible Shareholder.

10.7 In accordance with Regulation 9(ix) of the Buyback Regulations, in order to ensure that the same Eligible Shareholder with multiple demat accounts/ folios do not receive a higher entitlement under the small shareholder category, the Company shall club together the Equity Shares held by such Eligible Shareholders with a common permanent account number ("**PAN**") for determining the category (small shareholder or general) and entitlement under Buyback. In case of joint shareholding, the Company will club together the Equity Shares held in cases where the sequence of PANs of the joint shareholders is identical. In case of Eligible Shareholders holding Equity Shares in physical form, where the sequence of PANs is identical or where the PAN of all joint shareholders are not available,

Contd.

the Company will check the sequence of the names of the joint holders and club together the Equity Shares held in such cases where the sequence of the PANs and the names of joint shareholders are identical. The shareholding of institutional investors like mutual funds, pension funds/ trusts, insurance companies etc. with common PAN will not be clubbed together for determining the category and will be considered separately, where these Equity Shares are held for different schemes and have a different demat account nomenclature based on information prepared by the registrar and transfer agent as per the shareholder records received from the depositories.

10.8 After accepting the Equity Shares tendered on the basis of entitlement, the Equity Shares left to be bought back, if any, in one category shall first be accepted, in proportion to the Equity Shares tendered over and above their entitlement in the offer by Eligible Shareholders in that category, and thereafter from Eligible Shareholders who have tendered over and above their entitlement in the other category.

10.9 The participation of Eligible Shareholders in the Buyback is voluntary. Eligible Shareholders holding Equity Shares of the Company can choose to participate and get cash in lieu of shares to be accepted under the Buyback or they may choose not to participate. Eligible Shareholders holding Equity Shares of the Company may also accept a part of their entitlement. Eligible Shareholders holding Equity Shares also have the option of tendering additional shares (over and above their entitlement) and participate in the shortfall created due to non-participation of some other shareholders, if any. Further, the Equity Shares held under the category of "clearing members" or "corporate body margin account" or "corporate body – broker" as per the beneficial position data as on Record Date with common PAN are not proposed to be clubbed together for determining their entitlement and will be considered separately, where these Equity Shares are assumed to be held on behalf of clients.

10.10 The maximum number of Equity Shares that can be tendered under the Buyback by any Eligible Shareholder cannot exceed the number of Equity Shares held by the Eligible Shareholder as on the Record Date. In case the Eligible Shareholder holds Equity Shares through multiple demat accounts, the tender through a demat account cannot exceed the number of Equity Shares held in that demat account.

10.11 The Equity Shares tendered as per the entitlement by Eligible Shareholders holding Equity Shares of the Company as well as additional shares tendered, if any, will be accepted as per the procedure laid down in the Buyback Regulations. If the Buyback entitlement for any shareholder is not a round number, then the fractional entitlement shall be ignored for computation of Buyback entitlement to tender Equity Shares in the Buyback. The settlement under the Buyback will be done using the mechanism notified under the SEBI Circulars.

10.12 Participation in the Buyback by Eligible Shareholders may trigger capital gains taxation in India and in their country of residence. The transaction of Buyback would also be chargeable to securities transaction tax in India. In due course, Eligible Shareholders will receive a letter of offer, which will contain a more detailed note on taxation. However, in view of the particularized nature of tax consequences, Eligible Shareholders are advised to consult their own legal, financial and tax advisors for the applicable tax implications prior to participating in the Buyback.

10.13 Detailed instructions for participation in the Buyback (tender of Equity Shares in the Buyback) as well as the relevant timetable will be included in the Letter of Offer to be sent to the Eligible Shareholder(s).

11 PROCESS AND METHODOLOGY FOR BUYBACK

11.1 The Buyback is open to all Eligible Shareholders holding Equity Shares either in physical and/ or in dematerialized form as on Record Date.

11.2 The Buyback shall be implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" as specified by the SEBI Circulars ("**Stock Exchange Mechanism**") and following the procedure prescribed in the Companies Act and the Buyback Regulations and as may be determined by the Board (including the committee of the Board authorized to complete the formalities of the Buyback) on such terms and conditions as may be permitted by law from time to time.

11.3 For implementation of the Buyback, the Company has appointed Axis Capital Limited as the registered broker to the Company ("**Company's Broker**") to facilitate the process of tendering of Equity Shares through the Stock Exchange Mechanism for the Buyback and through whom the purchases and settlements on account of the Buyback would be made by the Company. The contact details of the Company's Broker are as follows:

AXIS CAPITAL

AXIS CAPITAL LIMITED
1st Floor, Axis House, P. B. Marg, Worli, Mumbai - 400 025
Tel: +91 22 4325 5517; **Fax:** +91 22 4325 3000
Contact Person: Ankit Gala
Email: apl.buyback@axiscap.in
SEBI Registration Number: INZ000189931

11.4 BSE will be the designated stock exchange for the purpose of this Buyback. The Company will request BSE to provide the separate acquisition window ("**Acquisition Window**") to facilitate placing of sell orders by Eligible Shareholders who wish to tender Equity Shares in the Buyback. The details of the Acquisition Window will be specified by BSE from time to time.

11.5 During the tendering period, the order for selling the Equity Shares will be placed in the Acquisition Window by Eligible Shareholders through their respective stock broker(s) ("**Seller Member(s)**") during normal trading hours of the secondary market. The Seller Member can enter orders for Equity Shares held in dematerialized form and physical form. In the tendering process, the Company's Broker may also process the orders received from the Eligible Shareholders.

11.6 In the event the Seller Member(s) of any Eligible Shareholder is not registered with BSE as a trading member/ stock broker, then that Eligible Shareholder can approach any BSE registered stock broker and can register themselves by using quick unique client code ("**UCC**") facility through the BSE registered stock broker (after submitting all details as may be required by such BSE registered stock broker in compliance with applicable law). In case the Eligible Shareholders are unable to register using UCC facility through any other BSE registered broker, Eligible Shareholders may approach Company's Broker i.e., Axis Capital Limited, to place their bids, subject to completion of KYC requirements as required by the Company's Broker.

11.7 Modification/ cancellation of orders and multiple bids from a single Eligible Shareholder will only be allowed during the tendering period of the Buyback. Multiple bids made by a single Eligible Shareholder for selling Equity Shares shall be clubbed and considered as "one bid" for the purposes of acceptance.

The cumulative quantity tendered shall be made available on the website of BSE (www.bseindia.com) throughout the trading session and will be updated at specific intervals during the tendering period.

11.8 Further, the Company will not accept Equity Shares tendered for Buyback which are under restraint order of the court/ any other competent authority for transfer/ sale and/ or title in respect of which is otherwise under dispute or where loss of share certificates has been notified to the Company and the duplicate share certificates have not been issued either due to such request being under process as per the provisions of law or otherwise.

11.9 Procedure to be followed by Eligible Shareholders holding Equity Shares in dematerialized form:

11.9.1 Eligible Shareholders who desire to tender their Equity Shares held by them in dematerialized form under the Buyback would have to do so through their respective Seller Member by indicating to the concerned Seller Member, the details of Equity Shares they intend to tender under the Buyback.

11.9.2 The Seller Member(s) would be required to place an order/ bid on behalf of the Eligible Shareholders who wish to tender Equity Shares in the Buyback using the Acquisition Window of BSE. For further details, Eligible Shareholders may refer to the circulars issued by BSE and Indian Clearing Corporation Limited ("**Clearing Corporation**").

11.9.3 The details of the settlement number under which the lien will be marked on the Equity Shares tendered for the Buyback will be provided in a separate circular to be issued by BSE and the Clearing Corporation.

11.9.4 The lien shall be marked by the Seller Member in the demat account of the Eligible Shareholder for the shares tendered in Tender Offer. Details of shares marked as lien in the demat account of the Eligible Shareholder shall be provided by the depositories to the Clearing Corporation. In case, the Eligible Shareholder's demat account is held with one depository and clearing member pool and Clearing Corporation account is held with other depository, shares shall be blocked in the Eligible Shareholder's demat account at source depository during the tendering period. Inter depository Tender Offer ("**IDT**") instructions shall be initiated by the Eligible Shareholder at source depository to clearing member/ Clearing Corporation account at target depository. Source depository shall block the shareholder's securities (i.e., transfers from free balance to blocked balance) and send IDT message to target depository for confirming creation of lien. Details of shares blocked in the Eligible Shareholder's demat account shall be provided by the target depository to the Clearing Corporation.

11.9.5 For orders placed with respect to dematerialized Equity Shares, by clearing members entities who have been allocated a custodian participant code by the Clearing Corporation ("**Custodian Participant**"), early pay-in is mandatory prior to confirmation of order by custodian. The custodian shall either confirm or reject the orders not later than the closing of trading hours on the last day of the tendering period. Thereafter, all unconfirmed orders shall be deemed to be rejected. For all confirmed custodian participant orders, order modification by the concerned Selling Member shall revoke the custodian confirmation and the revised order shall be sent to the custodian again for confirmation.

11.9.6 Upon placing the bid, the Seller Member(s) shall provide a Transaction Registration Slip ("**TRS**") generated by the exchange bidding system to the Eligible Shareholder on whose behalf the bid has been placed. The TRS will contain the details of the order submitted like bid ID number, application number, DP ID, client ID, number of Equity Shares tendered etc. In case of non-receipt of the completed tender form and other documents, but lien marked on Equity Shares and a valid bid in the Exchange Bidding System, the bid by such Eligible Shareholder shall be deemed to have been accepted.

11.9.7 It is clarified that in case of dematerialized Equity Shares, submission of the tender form and TRS is not mandatory. After the receipt of the demat Equity Shares by the Clearing Corporation and a valid bid in the exchange bidding system, the Buyback shall be deemed to have been accepted, for Eligible Shareholders holding Equity Shares in demat form.

11.9.8 The Eligible Shareholders will have to ensure that they keep the depository participant ("**DP**") account active and unblocked to receive credit in case of return of Equity Shares due to rejection or due to prorated Buyback decided by the Company. Further, Eligible Shareholders will have to ensure that they keep the bank account attached with the DP account active and updated to receive credit remittance due to acceptance of Buyback of shares by the Company. In the event if any equity shares are tendered to Clearing Corporation, excess dematerialized equity shares or unaccepted dematerialized equity shares, if any, tendered by the Eligible Shareholders would be returned to them by the respective Clearing Corporation. If the securities transfer instruction is rejected in the depository system, due to any issue, then such securities will be transferred to the Seller Member's depository pool account for onward transfer to the eligible shareholder. On the date of the settlement, in case of Custodian Participant orders, excess dematerialized shares or unaccepted dematerialized shares, if any, will be returned to the respective custodian depository pool account.

11.9.9 Eligible Shareholders who have tendered their demat shares in the buyback shall also provide all relevant documents, which are necessary to ensure transferability of the demat shares in respect of the tender form to be sent. Such documents may include (but not be limited to): (i) duly attested power of attorney, if any person other than the Eligible Shareholder has signed the tender form; (ii) duly attested death certificate and succession certificate/legal heirship certificate, in case any Eligible Shareholder is deceased, or court approved scheme of merger/amalgamation for a company; and (iii) in case of companies, the necessary certified corporate authorizations (including board and/or general meeting resolutions).

11.10 Procedure to be followed by Eligible Shareholders holding Equity Shares in physical form:

In accordance with SEBI's circular dated July 31, 2020 (circular no. SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/ P/2020/144), shareholders holding Equity Shares in physical form are allowed to tender such shares in a buyback undertaken through the Tender Offer route. However, such tendering shall be as per the provisions of the Buyback Regulations. The procedure is as below:

11.10.1 Eligible Shareholders who are holding physical Equity Shares and intend to participate in the Buyback will be required to approach their respective Seller Member along with the complete set of documents for verification procedures to be carried out before placement of the bid. Such documents will include the (a) Tender Form duly signed by all Eligible Shareholders (in case shares are in joint names, in the same order in which they hold the shares), (b) original share certificate(s), (c) valid share transfer form(s)/ Form SH-4 duly filled and signed by the transferors (i.e. by all registered Shareholders in the same order and as per the specimen signatures registered with the Company) and duly witnessed at the appropriate place authorizing the transfer in favour of the Company, (d) self-attested copy of PAN card(s) of all Eligible Shareholders, (e) any other relevant documents such as power of attorney, corporate authorization (including board resolution/ specimen signature), notarized copy of death certificate and succession certificate or probated will, if the original shareholder is deceased, etc., as applicable. In addition, if the address of the Eligible Shareholder has undergone a change from the address registered in the register of members of the Company, the Eligible Shareholder would be required to submit a self-attested copy of address proof consisting of any one of the following documents: valid Aadhar card, voter identity card or passport.

11.10.2 Based on documents mentioned in paragraph 11.10.1 above, the concerned Seller Member shall place an order/ bid on behalf of the Eligible Shareholders holding Equity Shares in physical form who wish to tender Equity Shares in the Buyback, using the Acquisition Window of BSE. Upon placing the bid, the Seller Member shall provide a TRS generated by the exchange bidding system to the Eligible Shareholder. TRS will contain the details of order submitted like folio number, certificate number, distinctive number, number of Equity Shares tendered etc.

11.10.3 Any Seller Member/ Eligible Shareholder who places a bid for physical Equity Shares, is required to deliver the original share certificate(s) and documents (as mentioned above) along with TRS generated by exchange bidding system upon placing of bid, either by registered post, speed post or courier or hand delivery to the Registrar to the Buyback i.e., KFin Technologies Limited at the address mentioned at paragraph 14 below) on or before the Buyback closing date. The envelope should be super scribed as "Aurobindo Pharma Limited Buyback 2026". One copy of the TRS will be retained by Registrar to the Buyback and it will provide acknowledgement of the same to the Seller Member/ Eligible Shareholders.

11.10.4 The Eligible Shareholders holding physical Equity Shares should note that physical Equity Shares will not be accepted unless the complete set of documents are submitted. Acceptance of the physical Equity Shares for Buyback by the Company shall be subject to verification as per the Buyback Regulations and any further directions issued in this regard. The Registrar to the Buyback will verify such bids based on the documents submitted on a daily basis and till such verification, BSE shall display such bids as 'unconfirmed physical bids'. Once Registrar to the Buyback confirms the bids, they will be treated as 'confirmed bids'.

11.10.5 In case any Eligible Shareholder has submitted Equity Shares in physical form for dematerialization, such Eligible Shareholders should ensure that the process of getting the Equity Shares dematerialized is completed well in time so that they can participate in the Buyback before the closure of the tendering period of the Buyback.

11.10.6 An unregistered shareholder holding Equity Shares in physical form may also tender their Equity Shares in the Buyback by submitting the duly executed transfer deed for transfer of shares, purchased prior to the Record Date, in their name, along with the offer form, copy of their PAN card and of the person from whom they have purchased shares and other relevant documents as required for transfer, if any.

11.11 The Buyback from the Eligible Shareholders who are residents outside India including foreign corporate bodies (including erstwhile overseas corporate bodies), foreign portfolio investors, non-resident Indians, members of foreign nationality, if any, shall be subject to the Foreign Exchange Management Act, 1999 and rules and regulations framed thereunder, if any, Income Tax Act, 2025 and rules and regulations framed thereunder, as applicable, and also subject to the receipt/ provision by such Eligible Shareholders of such approvals, if and to the extent necessary or required from concerned authorities including, but not limited to, approvals from the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 and rules and regulations framed thereunder, if any.

11.12 The reporting requirements for non-resident shareholders under RBI, Foreign Exchange Management Act, 1999, as amended and any other rules, regulations, guidelines, for remittance of funds, shall be made by the Eligible Shareholders and/ or the Eligible Shareholder's broker through which the Eligible Shareholder places the bid.

11.13 Modification/cancellation of orders will only be allowed during the tendering period of the Buyback.

The cumulative quantity of Equity Shares tendered shall be made available on the website of BSE (www.bseindia.com) throughout the trading session and will be updated at specific intervals during the tendering period.

12 METHOD OF SETTLEMENT

Upon finalization of the basis of acceptance as per the Buyback Regulations:

12.1 The settlement of trades shall be carried out in the manner similar to settlement of trades in the secondary market.

12.2 The Company will pay the consideration to the Company's Broker who will transfer the funds pertaining to the Buyback to the Clearing Corporation's bank accounts as per the prescribed schedule. For Equity Shares accepted under the Buyback, the Clearing Corporation will make direct funds payout to respective Eligible Shareholders. If the Eligible Shareholders' bank account details are not available or if the funds transfer instruction is rejected by RBI/ bank, due to any reason, then such funds will be transferred to the concerned Seller Member's settlement bank account for onward transfer to such Eligible Shareholders.

12.3 Details in respect of shareholder's entitlement for Tender Offer process will be provided to the Clearing Corporation by the Registrar on behalf of the Company. On receipt of the same, the Clearing Corporation will cancel the excess or unaccepted blocked shares in the demat account of the Eligible Shareholder. On settlement date, all blocked shares mentioned in the accepted bid will be transferred to the Clearing Corporation.

12.4 In case the demat account of the Eligible Shareholder is held with one depository and the Clearing Member pool/ Clearing Corporation account is held with another depository, the Clearing Corporation that holds the Clearing Member pool and Clearing Corporation account of the Eligible Shareholder will cancel the excess or unaccepted shares in the depository that holds the demat account. Source depository will not be able to release the lien without a release of IDT message from target depository. Further, release of IDT message shall be sent by target depository either based on cancellation request received from Clearing Corporation or automatically generated after matching with bid accepted details as received from the Company or the Registrar to the Buyback. Post receiving the IDT message from target depository, source depository will cancel/release excess or unaccepted blocked shares in the demat account of the Eligible Shareholder. Post completion of tendering period and receiving the requisite details viz., demat account details and accepted bid quantity, source depository shall debit the securities as per the communication/message received from target depository to the extent of accepted bid shares from Eligible Shareholder's demat account and credit it to the Clearing Corporation settlement account in target Depository on settlement date.

12.5 In relation to the Equity Shares in physical form:

a) If Equity Shares in physical form tendered by Eligible Shareholders are not accepted, the share certificate would be returned to such Eligible Shareholders by registered post or by ordinary post or courier at the Eligible Shareholders' sole risk. The Company also encourages Eligible Shareholders holding Equity Shares in physical form to dematerialize their such Equity Shares.

b) If however, only a portion of the Equity Shares in physical form held by an Eligible Shareholder is accepted in the Buyback, then the Company is authorised to split the share certificate and issue a Letter of Confirmation ("**LOC**") in accordance with SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2022/8 dated January 25, 2022 with respect to the new consolidated share certificate for the unaccepted Equity Shares tendered in the Buyback. The LOC shall be dispatched to the address registered with the Registrar and Transfer Agent of the Company ("**RTA**"). The RTA shall retain the original share certificate and deface the certificate with a stamp "Letter of Confirmation Issued" on the face/ reverse of the certificate to the extent of the excess Equity Shares. The LOC shall be valid for a period of 120 days from the date of its issuance, within which the Equity Shareholder shall be required to make a request to their depository participant for dematerializing the Equity Shares in physical form. In case the Equity Shareholder fails to submit the demat request within the aforementioned period, the RTA shall credit the Equity Shares to a separate demat account of the Company opened for the said purpose.

12.6 In case of certain client types viz. NRI, foreign clients etc. (where there are specific RBI and other regulatory requirements pertaining to funds pay-out) who do not opt to settle through custodians, the funds pay-out would be given to their respective Selling Member's settlement accounts for releasing the same to the respective Eligible Shareholder's account. For this purpose, the client type details would be collected from the depositories, whereas funds payout pertaining to the bids settled through custodians will be transferred to the settlement bank account of the custodian, each in accordance with the applicable mechanism prescribed by BSE and the Clearing Corporation from time to time.

12.7 Details in respect of shareholder's entitlement for Tender Offer process will be provided to the Clearing Corporation by the Company or Registrar to the Buyback. On receipt of the same, Clearing Corporation will cancel the excess or unaccepted blocked shares in the demat account of the shareholder. On settlement date, all blocked shares mentioned in the accepted bid will be transferred to the Clearing Corporation.

12.8 In the case of inter depository, Clearing Corporation will cancel the excess or unaccepted shares in target depository. Source depository will not be able to release the lien without a release of IDT message from target depository. Further, release of IDT message shall be sent by target depository either based on cancellation request received from Clearing Corporation or automatically generated after matching with bid accepted detail as received from the Company or the Registrar to the Buyback. Post receiving the IDT message from target depository, source depository will cancel/ release excess or unaccepted block shares in the demat account of the shareholder. Post completion of tendering period and receiving the requisite details viz., demat account details and accepted bid quantity, source depository shall debit the securities as per the communication/ message received from target depository to the extent of accepted bid shares from shareholder's demat account and credit it to Clearing Corporation settlement account in target depository on settlement date.

12.9 The Equity Shares bought back in dematerialized form would be transferred directly to the demat escrow account of the Company opened for the Buyback ("**Company Demat Escrow Account**") provided it is indicated by the Company's Broker or it will be transferred by the Company's Broker to the Company Demat Escrow Account on receipt of the Equity Shares from the clearing and settlement mechanism of BSE.

12.10 Eligible Shareholders who intend to participate in the Buyback should consult their respective Seller Member(s) for details of any cost, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage) etc., that may be levied by the Seller Member(s) upon the selling shareholders for tendering Equity Shares in the Buyback (secondary market transaction). The Buyback consideration received by the Eligible Shareholders in respect of accepted Equity Shares could be net of such costs, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage) and the Manager to the Buyback and Company accepts no responsibility to bear or pay such additional cost, charges and expenses (including brokerage) incurred solely by the Eligible Shareholders.

12.11 The Seller Member(s) would issue contract note and pay the consideration for the Equity Shares accepted under the Buyback and return the balance unaccepted Equity Shares to their respective clients/ will unblock the excess unaccepted Equity Shares. The Company's Broker would also issue a contract note to the Company for the Equity Shares accepted under the Buyback.

12.12 The Equity Shares accepted, bought and lying to the credit of the Company Demat Escrow Account and the Equity Shares bought back and accepted in physical form will be extinguished in the manner and following the procedure prescribed in the Buyback Regulations.

13 COMPLIANCE OFFICER

13.1 The Company has designated the following as the Compliance Officer for the Buyback:

Name	:	Mr. B. Adi Reddy
Designation	:	Company Secretary and Compliance Officer
Address	:	Galaxy, Floors: 22-24, Plot No.1, Survey No.83/1, Hyderabad Knowledge City, Raidurg Panmaktha, Ranga Reddy District, Hyderabad - 500 032, Telangana, India.
Tel no.	:	+91 40 6672 5333
Email	:	cs@aurobindo.com

13.2 In case of any clarifications or to address investor grievance, the shareholders may contact the Compliance Officer, from Monday to Friday between 10:00 am (IST) to 5:00 pm (IST) on all working days except public holidays, at the above-mentioned address.

14 INVESTOR SERVICE CENTER AND REGISTRAR TO THE BUYBACK

14.1 The Company has appointed the following as the Registrar to the Buyback:

KFINTECH

KFin Technologies Limited
Address: Selenium, Tower- B, Plot No 31 & 32
Gachibowli, Financial District Nanakramguda,
Serilingampally, Hyderabad, Telangana - 500032
Tel. no.: +91 40 6716 2222
Fax no.: +91 40 6716 1563;
Contact person: M Murali Krishna
Toll Free number: 18003094001
Email: aurobindo.buyback2026@kfintech.com
Website: www.kfintech.com
Investor Grievance mail: einward.ris@kfintech.com
SEBI Registration Number: INR000000221
Validity: Permanent
CIN: L72400MH2017PLC444072

14.2 In case of any query, the shareholders may also contact the Registrar to the Buyback, from Monday to Friday between 10:00 am (IST) to 5:00 pm (IST) on all working days except public holidays at the above-mentioned address.

15 MANAGER TO THE BUYBACK

The Company has appointed the following as Manager to the Buyback:

AXIS CAPITAL

AXIS CAPITAL LIMITED
1st Floor, Axis House
P. B. Marg, Worli, Mumbai - 400 025,
Maharashtra, India
Tel.: +91 22 4325 2183; **Fax**: +91 22 4325 3000
Contact Person: Harish Patel/ Simran Gadh
Email: apl.buyback@axiscap.in
Website: www.axiscapital.co.in
SEBI Registration Number: INM000012029

16 DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

In terms of Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board accepts full and final responsibility for all the information contained in this Public Announcement and confirms that this Public Announcement contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of **Aurobindo Pharma Limited**

K. Nithyananda Reddy	**M. Madan Mohan Reddy**	**B. Adi Reddy**
Managing Director	Whole-time Director	Company Secretary and Compliance Officer
DIN: 01284195	**DIN:** 01284266	**Membership No.**: ACS 13709

Date : April 7, 2026
Place : Hyderabad

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड

AU SMALL FINANCE BANK — A SCHEDULED COMMERCIAL BANK

सूचना

निम्न लिखित ऋणी, सह-ऋणी व गारण्टर को सूचित किया जाता है सरफेसी अधिनियम 2002 के अन्तर्गत आपकी सम्पत्ति को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा विक्रय किया जा रहा है। यदि आप द्वारा नोटिस दिनांक से ''15 दिवस'' के भीतर बंधक सम्पत्ति में रखा हुआ सामान नहीं हटाया जाता है तो उक्त सामान का बेचान अथवा अन्यत्र किरायाशुदा स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया जायेगा। जिसके हर्जे, खर्चे व स्थानान्तरण के दौरान होने वाले नुकसान के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। सामान प्राप्त करने व इस सम्बन्ध में अन्य जानकारी हेतु सम्पर्क सूत्र : सने आलम - 8130809314 या नजदीकी शाखा में सम्पर्क करे।

ऋण खाता संख्या एवं ऋणी /सह-ऋणी/ बंधककर्ता/ जमानतदार का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण
खाता संख्या : L9001060829925370 **अमित कुमार पुत्र जवाहर साह (ऋणी),** श्रीमती रोशनी कुमारी पत्नी अमित कुमार (सह-ऋणी)	सम्पत्ति स्थित - सम्पत्ति नं. डी-3/416, खसरा नं. 130, ग्राम सादत पुर गुर्जन सोनिया विहार, इलाका शाहदरा, दिल्ली

दिनांक- 07-04-2026
स्थान - दिल्ली

S/d प्राधिकृत अधिकारी
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

वसूली अधिकारी- II का कार्यालय
ऋण वसूली न्यायाधिकरण-II, दिल्ली
4थी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

कुर्की हेतु कारण बताओ सूचना

ऋण वसूली और दिवाला अधिनियम, 1993 की धारा 25 और 28 तथा आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 2 के तहत सूचना

टीआरसी सं.: 228/2022
मामले में:

पंजाब नेशनल बैंक बनाम मैसर्स सार्की ट्रेडिंग कंपनी

सेवा में,
सीडी#1: मैसर्स सार्की ट्रेडिंग कंपनी, 4, गुप्ता एन्क्लेव, विकास नगर, नई दिल्ली-110059
अन्य पताः डब्लू आर-38, ज्वाला हेरी मार्केट, पश्चिम विहार, नई दिल्ली
सीडी#2: श्री सुनील सार्की, प्रोप्राइटर/प्रमोटर (मैसर्स सार्की ट्रेडिंग कंपनी), पुत्र श्री डमर,
निवासीः 4, गुप्ता एन्क्लेव, विकास नगर, नई दिल्ली-110059
सीडी#3: श्री राज कुमार, पुत्र श्री हरबंस सिंह,
निवासीःटी-19, 15 इंदिरा कॉलोनी, नरेला, नई दिल्ली-110040 (गारंटर)
सीडी#4: श्रीमती सुषमा, पत्नी श्री राज कुमार,
निवासीः टी-19, 15 इंदिरा कॉलोनी, नरेला, नई दिल्ली-110040 (गारंटर)।

उपरोक्त मामला आज वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन आपकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। आपको निर्देशित किया जाता है कि आप स्वयं या अपने कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से 27.04.2026 को सुबह 11:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों।
आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि अगली सुनवाई की तारीख से पहले इस कारण बताओ सूचना का जवाब दाखिल करें कि वर्तमान आरसी के बकाया की वसूली के लिए एवेन्यू रियल एस्टेट, एमजी रोड, गुरुग्राम स्थित अचल संपत्ति, जो कि सीडी/सीडी की है, को क्यों न कुर्क किया और बेचा जाए। आपको फिलहाल इस संपत्ति में किसी भी प्रकार का तीसरे पक्ष का हित उत्पन्न करने से प्रतिबंधित किया जाता है।
ध्यान दें कि आपकी अनुपस्थिति में कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।
आज दिनांक 19.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मुहर के तहत जारी किया गया।

(वात्सल्य कुमार)
वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली

ऋण वसूली न्यायाधिकरण-I, दिल्ली

चौथी मंजिल, जीवन तारा भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

टी.ए. संख्या 153/2023

नैनीताल बैंक लिमिटेड आवेदक
बनाम
मैसर्स फ्यूचरमेट एंटरप्राइजेज एवं अन्य प्रतिवादी

सेवा में,
1. मैसर्स फ्यूचरमेट एंटरप्राइजेज, बी-12, सेक्टर 5-6, ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102
2. मोहम्मद सामी, 1544, गली कोटान, सुईवालान, दरियागंज, दिल्ली-110006
3. मोहम्मद अजीज, 1544, गली कोटान, सुईवालान, दरियागंज, दिल्ली-110006
4. श्रीमती फरहाना सामी, 1544, गली कोटान, सुईवालान, दरियागंज, दिल्ली-110006
5. श्रीमती उज़मा अजीज, 1544, गली कोटान, सुईवालान, दरियागंज, दिल्ली-110006

उपरोक्त नामित आवेदक ने आपके विरुद्ध रु. 1,84,90,350/- (रुपये एक करोड़ चौरासी लाख नब्बे हजार तीन सौ पचास मात्र) की वसूली हेतु वाद दायर किया है, और जबकि न्यायाधिकरण की संतुष्टि के लिए यह प्रदर्शित किया गया है कि आपको सामान्य तरीके से समन की सेवा करना संभव नहीं है। अतः यह नोटिस विज्ञापन के माध्यम से जारी किया जाता है, जिसमें आपको दिनांक 10.04.2026 को माननीय रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। (अधिक जानकारी के लिए कृपया डीआरटी वेबसाइट (www.tribunal.gov.in देखें, फोन नंबर : 011-23748473))।
कृपया ध्यान दें कि यदि आप उपर्युक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहते हैं, तो वाद की सुनवाई आपकी अनुपस्थिति में की जाएगी और निर्णय भी उसी आधार पर दिया जाएगा।
(i) सभी संबंधित व्यक्ति अपने मामलों में हाइब्रिड मोड (न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर या CISCO WEBEX वीसी लिंक के माध्यम से) शामिल हो सकते हैं।
(ii) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति के लिए सभी अधिवक्ताओं/वादकारियों को Cisco Webex एप्लिकेशन/सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा।
(iii) अगली सुनवाई की तिथि के लिए माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार/रिकवरी अधिकारी- I/रिकवरी अधिकारी- II द्वारा लिए जाने वाले मामलों के लिए मीटिंग आईडी और पासवर्ड, अगली तिथि से एक दिन पूर्व डीआरटी के आधिकारिक पोर्टल drt.gov.in पर "Public Notice" अनुभाग में उपलब्ध होंगे।
(iv) किसी भी आकस्मिक स्थिति में अधिवक्ता/वादकारी संबंधित अधिकारी से फोन नंबर- 23748473 पर संपर्क कर सकते हैं।
यह आदेश मेरे हस्ताक्षर और न्यायाधिकरण की मुहर सहित दिनांक 22 दिसंबर, 2025 को जारी किया गया।

अधिकरण के आदेशानुसार

ई-नीलामी तिथिः 11.06.2026
फॉर्म संख्या 22 [विनियमन 36(1) देखें

पंजीकृत ए/डी/दस्ती/एफिक्सेशन/ड्रम बजाकर
बिक्री उद्घोषणा
ऋण वसूली अधिकरण में वसूली अधिकारी का कार्यालय-देहरादून में
द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड 248171

आर.सी. संख्या 455/2023 **दिनांकः 09.03.2026**

ऋण वसूली और शोधन क्षमता अधिनियम 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 38,52(2) के अंतर्गत बिक्री की उद्घोषणा
बैंक ऑफ इंडिया बनाम नसीम अहमद एवं अन्य

सेवा में,
सीडी नंबर 1. नसीम अहमद पुत्र श्री उमरदीन, निवासी निमलाना रोड, रहमानिया कॉलोनी, शाहबुद्दीनपुर, मुजफ्फरनगर- 251002, उत्तर प्रदेश।
सीडी नंबर 2. अजमुद्दीन पुत्र श्री दीन मोहम्मद, निवासी नया सरवत गांव, 1- मदीना कॉलोनी, सरवट मुजफ्फरनगर- 251001, उत्तर प्रदेश।
सीडी नंबर 3. मेहबूब पुत्र श्री जरीफ, निवासी नया सरवत गांव, 1- मदीना कॉलोनी, सरवट मुजफ्फरनगर- 251001, उत्तर प्रदेश।
सीडी नंबर 4. श्रीमती रिहाना पत्नी मोहम्मद मोहतशिम, निवासी मदीना कॉलोनी, नई मंडी, तहसील और जिला मुजफ्फरनगर- 251001, उत्तर प्रदेश।
जैसा कि वर्तमान मामले में पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून द्वारा जारी ओए मामला संख्या 211/2022 में वसूली प्रमाण पत्र के संबंध में रु. 78,90,965.40 (रुपये अठहत्तर लाख नब्बे हजार नौ सौ पैंसठ एवं चालीस पैसे मात्र) की राशि, 01/04/2022 से वसूली तक 10.15% साधारण ब्याज की दर से लंबित और भावी ब्याज सहित तथा रु. 1,35,005/- (रुपये एक लाख पैंतीस हजार पांच मात्र) की लागत का आदेश सीडी के विरुद्ध दिया जाता है।
जबकि प्रमाण पत्र संख्या आरसी 455/2023 के संबंध में देय (सी.डी.) 31.10.2025 तक रु. 1,10,18,271.81 (रुपये एक करोड़ दस लाख अठारह हजार दो सौ इकहत्तर और इक्यासी पैसे मात्र) (सी.डी.) द्वारा बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहा है।
और जबकि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाण पत्र की संतुष्टि में नीचे अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।
एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि किसी भी स्थगन आदेश के अभाव में, उक्त संपत्ति 11.06.2026 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे के बीच (यदि आवश्यक हो तो दोपहर 12:00 बजे के बाद 5 मिनट की अवधि के विस्तार के साथ) ई-नीलामी द्वारा बेची जाएगी और बोली मेसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की वेबसाइट **https://drt.auctiontiger.net** के माध्यम से 'ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली' के माध्यम से होगी।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: कार्यालय वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून, सम्पर्क नं. 0135-2974077 तथा सम्पत्ति के निरीक्षण के लिए संपर्क करें श्री दिनेश सिंह, मुख्य प्रबंधक, संपर्क नंबर 9984726611
बिक्री ऊपर नामित प्रतिवादी की संपत्ति की होगी जैसा कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित है और उक्त संपत्ति से जुड़ी देनदारियां और दावे, जहां तक उनका पता लगाया गया है, वे प्रत्येक लॉट के खिलाफ अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।
संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताए गए हैं, लेकिन अधोहस्ताक्षरी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलतबयानी या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
1. आरक्षित मूल्य जिसके नीचे संपत्ति लॉट नं. 1, लॉट नं. 2 तथा लॉट नं. 3 नहीं बेची जाएगी, क्रमशः रु. 23,00,000/-, रु. 18,00,000/- और 18,06,000/- है।
2. जिस राशि से बोली बढ़ाई जानी है, वह सम्पत्ति लॉट नं. 1 तथा लॉट नं. 2 के लिए निम्नवत होगी :

लॉट नं.	वृद्धि राशि
1.	रु. 50,000/-
2.	रु. 50,000/-
3.	रु. 50,000/-

बोली की राशि या बोलीदाता संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में, लॉट को तुरंत फिर से नीलामी में रखा जाएगा।
3. उच्चतम बोलीदाता को किसी भी लॉट का खरीदार घोषित किया जाएगा, बशर्ते कि उसके द्वारा बोली गई राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। जब प्रस्तावित मूल्य इतना अपर्याप्त प्रतीत होता है कि ऐसा करना अनुचित है तो उच्चतम बोली को अस्वीकार / स्वीकार करना अधोहस्ताक्षरी के विवेक पर होगा।
4. सम्पत्ति लॉट नं. 1, लॉट नं. 2 तथा लॉट नं. 3 में उल्लिखित सम्पत्ति की ईएमडी रु. 2,30,000/-, रु. 1,80,000/- तथा रु. 1,80,000/- 08.06.2026 तक डीडी के माध्यम से वसूली अधिकारी, डीआरटी देहरादून के पक्ष में वसूली अधिकारी, डीआरटी देहरादून के पास जमा की जानी है और संपत्ति का विवरण पैन कार्ड की प्रति, पता प्रमाण और पहचान प्रमाण, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर और कंपनी के मामले में या कंपनी के प्रतिनिधित्व/अटमीट की पुष्टि करने वाले किसी अन्य दस्तावेज के साथ और भौतिक रूप में इस तरह के जमा की रसीद/काउंटर फाइल अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। ईएमडी की अंतिम तिथि के बाद जमा किए गए ईएमडी और अपेक्षित दस्तावेजों को ई-नीलामी में भाग लेने के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
5. सफल बोलीदाता को अगली तिथि अर्थात 12.06.2026 को अपराह्न 3:00 बजे तक ईएमडी के समायोजन के बाद बिक्री आय का 25% आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से सीधे खाता संख्याः 7360878086, खाता नामः वसूली अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण देहरादून जिसका आईएफएससी कोड संख्याः **IDIB000D557** है, में जमा करना होगा या वसूली अधिकारी, डीआरटी देहरादून के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से वसूली अधिकारी, डीआरटी देहरादून के पास जमा करना होगा। यदि अगला दिन अवकाश या रविवार है, तो अगले पहले कार्यालय दिवस पर जमा करना होगा।
6. क्रेता को बिक्री आय का शेष 75% संपत्ति की बिक्री की तारीख से 15वें दिन या उससे पहले जमा करना होगा, उस दिन को छोड़कर, या यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश हो, तो 15वें दिन के बाद पहले कार्यालय दिवस पर निर्धारित तरीके से आरटीजीएस/एनईएफटी/सीधे खाता संख्याः 7360878086, खाता नामः वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण देहरादून जिसका आईएफएससी कोड संख्याः **IDIB000D557** है, में जमा करना होगा या वसूली अधिकारी, डीआरटी देहरादून के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से वसूली अधिकारी, डीआरटी देहरादून के पास जमा करना होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त क्रेता को वसूली अधिकारी, डीआरटी देहरादून के पास 1,000/- रुपये तक 2% की दर से पाउंडेज शुल्क और 1,000/- रुपये की उक्त राशि से अधिक का 1% डीडी के माध्यम से रजिस्ट्रार, डीआरटी देहरादून के पक्ष में जमा करना होगा।
निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक होने की स्थिति में, बिक्री के व्ययों को डिफ्रे करने के बाद जमा राशि, यदि अधोहस्ताक्षरी उचित समझे, सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी और चूककर्ता क्रेता संपत्ति या उस राशि के किसी भी हिस्से पर सभी दावों को खो देगा, जिसके लिए इसे बाद में बेचा जा सकता है। बिक्री की नई घोषणा जारी होने के बाद संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा।
संपत्ति ''जैसी है, जहाँ है'' के आधार पर बेची जा रही है।
अधोहस्ताक्षरी अनुचित पाए जाने पर किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
इस बिक्री पर संबंधित कानूनों के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क आदि लागू होंगे। इससे संबंधित सभी खर्च और आनुषंगिक शुल्क नीलामी क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे।

लॉट सं.	बेची जाने वाली संपत्ति का विवरण, अन्य सह-स्वामी के नाम के साथ, जहां संपत्ति चूककर्ता की है और कोई अन्य व्यक्ति सह-स्वामी है।	संपत्ति या उसके किसी भाग पर निर्धारित राजस्व	संपत्ति पर लगने वाले किसी अन्य ऋणभार का विवरण	संपत्ति के संबंध में किए गए दावे, यदि कोई हों, तथा उसकी प्रकृति और मूल्य से संबंधित कोई अन्य ज्ञात विवरण।
1	वह समस्त आवासीय संपत्ति, जिसका क्षेत्रफल 122.90 वर्ग मीटर है, जो खसरा संख्या 168, सरवत (बाहर हदूद), मदीना पार्क और मदरसा के पास, मदीना कॉलोनी, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है और श्री आजमुद्दीन के नाम पर दर्ज है। इसकी सीमाएं और चौहद्दी इस प्रकार हैः पूर्व 40'-3'' - सानो तेली का मकान; पश्चिम 40'-3'' - रास्ता; उत्तर 31'-0'' - श्री मोहम्मद जमील का मकान; दक्षिण 34'-5'' - दूसरों का प्लॉट	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं
2	वह समस्त आवासीय संपत्ति, जिसका क्षेत्रफल 83.61 वर्ग मीटर है, जो खसरा संख्या 167, सितारा पब्लिक स्कूल लेन के पास, मदीना कॉलोनी, सरवत (बाहर हदूद), मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है और श्रीमती रिहाना (पत्नी श्री मोहितशिम) के नाम पर दर्ज है। इसकी सीमाएं और चौहद्दी इस प्रकार हैः पूर्व 51'-0'' - दूसरों का प्लॉट; पश्चिम 51'-0'' - गय्यूर का मकान; उत्तर 17.65' - दूसरों की संपत्ति; दक्षिण 17.65' - रास्ता।	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं
3	वह समस्त आवासीय संपत्ति, जिसका क्षेत्रफल 87.64 वर्ग मीटर है, जो खसरा संख्या 168, सरवत (बाहर हदूद), लेन - मदीना कॉलोनी, भाग-क् मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है और श्री महबूब के नाम पर दर्ज है। इसकी सीमाएं और चौहद्दी इस प्रकार हैः उत्तर - 18.50 फीट; दक्षिण - 18.50 फीट; पूर्व - 51.00 फीट; पश्चिम - 51.00 फीट।	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं

मेरे हस्ताक्षर व मुहर सहित 09.03.2026 को दिया गया

वसूली अधिकारी डीआरटी, देहरादून

"IMPORTANT"
Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

Chola — Enter a better life

कार्पोरेट कार्यालय : "चोला क्रेस्ट", सी 54 एवं 55, सुपर बी-4, थिरू वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिन्डी, चेन्नई-600032, भारत
शाखा कार्यालय : प्रथम एवं द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 6, मेन पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 कॉन्टैक्ट नंबर : श्री श्रीनिवास वी, मोबाइल नंबर 9643344410

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(1) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।
एतद्द्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधकदता(ओं) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक निम्नवर्णित अचल सम्पत्तियां, जिनका **भौतिक कब्जा** चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड इसमें आगे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड कही जाएगी, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है। प्रतिभूत आस्तियां "जैसा है जहां है", "जो है जैसा है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर ई-नीलामी के माध्यम से बेची जाएंगी।
एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि हम ई-नीलामी का संचालन वेबसाइट https://chola-lap.procure247.com/ एवं www.cholamandalam.com/news/auction-notices के माध्यम से करेंगे।

क्र. सं.	खाता संख्या तथा कर्जदार, सह-कर्जदार, बंधकदाताओं का नाम	धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि एवं राशि	सम्पत्ति/सम्पत्तियों का वर्णन	सुरक्षित मूल्य, धरोहर राशि जमा एवं बोली वृद्धि राशि (रू. में)	ई-नीलामी की तिथि एवं समय, ईएमडी जमा की अंतिम तिथि, निरीक्षण की तिथि
1.	ऋण खाता सं. **HE01DES00000027636** **1. प्रफुल कुमार (आवेदक)** 19, आलोक, हापुड़, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-245101 (एम) - 9971133680 **2. सुरभि अग्रवाल (सह-आवेदक)** 19, आलोक, हापुड़, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-245101 (एम) - 9971133680 **3. टेराकास्ट (इसके अधिकृत कार्यालय/अधिकृत प्रतिनिधि/पार्टनर/निदेशक/ स्वामीगण के माध्यम से) (सह-आवेदक)** 19, आलोक, हापुड़, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-245101 (एम) - 9971133680 **4. सुरभि एंटरप्राइजेज (इसके अधिकृत कार्यालय/अधिकृत प्रतिनिधि/पार्टनर/निदेशक / स्वामीगण के माध्यम से) (सह-आवेदक)** 19, आलोक, हापुड़, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-245101 (एम) - 9971133680 **5. अनिल कुमार (सह-आवेदक)** 19, आलोक, हापुड़, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-245101 (एम) - 9971133680 **6. मेटालोन मार्केटिंग (इसके अधिकृत कार्यालय/अधिकृत प्रतिनिधि/पार्टनर/निदेशक / स्वामीगण के माध्यम से) (सह-आवेदक)** 19, आलोक, हापुड़, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-245101 (एम) - 9971133680 **7. मृदुला रानी (सह-आवेदक)** 19, आलोक, हापुड़, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-245101 (एम) - 9971133680	17-05-2023 रु. 2,07,05,038.00 **कब्जा का प्रकार** भौतिक	आवासीय मकान - नगर पालिका नंबर 734, 734/219, 19, प्लॉट नंबर 19 पर निर्मित, कुल क्षेत्रफल परिमाप 439.11 वर्ग गज यानी 367.28 वर्ग मीटर, स्थित मोहल्ला आलोक हापुड़, नगर निगम हापुड़ की सीमांतर्गत, परगना एवं तहसील एवं जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश, जो निम्नानुसार परिबद्ध है : पूरब : अन्य, पश्चिम : 40 फीट चौड़ी रोड, उत्तर : अन्य का मकान, दक्षिण : अन्य का मकान	**रू. 2,30,00,000 /-** **रू. 23,00,000/ -** **रू. 1,00,000/ -**	25-04-2026 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे तक 24-04-2026 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे तक भेंट के निर्धारित समयानुसार

ज्ञात ऋणभार

कंपनी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, बेची जाने वाली सम्पत्ति पर कंपनी और निम्नवर्णित के अतिरिक्त किसी भी तरह के ऋणभार के बारे में कंपनी को जानकारी नहीं हैः- विषयगत सम्पत्ति दूसरे बैंकों और एफआईज जैसे - यूग्रो फाइनेंस लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड और फुलरटोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास भी बंधक रखी है। इन बैंकों और एफआईज का प्रभार सीआईएफसीएल के प्रभार के अतिरिक्त है।

1.आईओएन-नोटिसेज। विस्तृत विवरण, सहायता, प्रक्रिया और ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सम्पर्क करें (मुहम्मद रहीस - 81240 00030), Ms.procure247 (सम्पर्क व्यक्ति : वासु पटेल - 9510974587)
2. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए नियम और शर्तों के बारे में अतिरिक्त विवरण के लिए कृपया **https://chola-lap.procure247.com/** एवं **https://cholamandalam.com/auction-notices** देखें।

यह सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(1) के तहत बिक्री के संबंध में 15 दिन का कानूनी नोटिस भी है

स्थान : हापुड़
दिनांक : 07-04-2026

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी,
चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (कथित नियम) के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (कथित अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत। कथित नियमों के नियम 3 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (आईआईएफएल एचएफएल) (पूर्व की इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) के अधिकृत प्राधिकारी ने कथित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत सर्जदार(रों) से उन्हें निर्गत संबंधित मांग सूचना(ओं) में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए मांग सूचनाएं निर्गत की हैं। उपर्युक्त के संदर्भ में एतद्द्वारा कर्जदार(रों) को एक बार पुनः भुगतान की तिथि तक मांग सूचना की तिथि(यों) से भावी ब्याज सहित यहां नीचे उल्लिखित राशियों का इस सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए कहा जाता है। कर्जदार(रों), मांग सूचना की तिथि तक बकाया राशि और ऋण राशि के पुनर्भुगतान की ओर प्रस्तावित प्रतिभूति का विवरण निम्नलिखित है :-

कर्जदार(रों)/जमानती(यों) के नाम	मांग सूचना की तिथि एवं राशि	प्रतिभूति आस्ति (अचल सम्पत्ति) का विवरण
श्री नरेश सिंह, श्रीमती दीपा तोमर (प्रॉस्पेक्ट नंबर 726429)	24-मार्च-2026, रु. 876957.58/- (रुपये आठ लाख छिहत्तर हजार नौ सौ सत्तावन रुपये और अट्ठावन पैसे मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः फ्लैट नंबर एसएफ-3, एलआईजी, दूसरी मंज़िल, पीछे की तरफ, प्लॉट नंबर एमएम-94 पर बना हुआ, जो डीएलएफ अंकुर विहार नामक आवासीय कॉलोनी में स्थित है, गाँव सदुल्लाबाद, परगना और तहसील लोनी, गाज़ियाबाद, 201102. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकारः क्षेत्रफल। संपत्ति का क्षेत्रफलः 431.95
श्री अमृत सिंह, श्रीमती मीना सिंह (प्रॉस्पेक्ट नंबर IL10104022)	17-मार्च-2026, रु. 2587002/- (रुपये पच्चीस लाख सतासी हजार दो मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः प्लॉट नंबर सी-90, तीसरी मंज़िल, सामने की तरफ, खसरा नंबर 11/12, ब्लॉक सी, गाँव मटियाला, मानसा राम पार्क, उत्तम नगर, पश्चिम दिल्ली-110059. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकारः जमीन का क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल। संपत्ति का क्षेत्रफलः 871.20, 885.00
श्री दीपक कुमार, महादेव एंटरप्राइज; श्रीमती सुमन देवी (प्रॉस्पेक्ट नंबर IL10149424, IL10109332)	17-मार्च-2026, IL10109332 है रु. 3308044.00/- (रुपये तैंतीस लाख आठ हजार चौवालीस मात्र) और IL10149424 है रु. 1101045.00/-(रुपये ग्यारह लाख एक हजार पैंतालीस मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः मकान नंबर-15, ब्लॉक जी-1, सेक्टर 16 रोहिणी, आवासीय योजना रोहिणी, नई दिल्ली 110085. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकारः क्षेत्रफल। संपत्ति का क्षेत्रफलः 233
श्री आलोक दुबे, श्रीमती रीता कुमारी (प्रॉस्पेक्ट नंबर IL10130000)	16-मार्च-2026, रु. 1597214/- (रुपये पंद्रह लाख संतानवे हजार दो सौ चौदह मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः प्लॉट नंबर 1, दूसरी मंज़िल, प्राइवेट नंबर सी-2, खसरा नंबर 841 मिन, विस्तारित लाल डोरा, बुराड़ी, उत्तरी दिल्ली-110084. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकारः बिक्री योग्य क्षेत्रफल, कारपेट क्षेत्रफल। संपत्ति का क्षेत्रफलः 441.00, 375.00
श्रीमती पूनम, स्वर्गीय श्री डाल चंद के कोई अन्य ज्ञात/अज्ञात वारिस और कानूनी प्रतिनिधि (यदि कोई हों) (प्रॉस्पेक्ट नंबर IL10189642)	27-मार्च-2026, 13,65,684.86/- (रुपये तेरह लाख पैंसठ हजार छह सौ चौरासी और छियासी पैसे मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः संपत्ति जिसका प्लॉट नंबर-39 है, यूजीएफ पीछे की तरफ, खसरा नंबर-29/23, गाँव हस्तसाल, सैनिक एन्क्लेव गली नंबर 1, विकास नगर, उत्तम नगर, नई दिल्ली 110059. क्षेत्रफलः जमीन का क्षेत्रफल- 900.00 वर्ग फुट।
श्री कंवलजीत, श्रीमती शिक्षा बामरा (प्रॉस्पेक्ट नंबर IL10190826)	17-मार्च-2026, रु. 2778465/- (रुपये सत्ताईस लाख अठहत्तर हजार चार सौ पैंसठ मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः संपत्ति संख्या आरजेड-टी-111, दूसरी मंज़िल - पीछे की ओर - बाईं ओर, खसरा संख्या-11, ग्राम बिंदापुर, टी-ब्लॉक, उत्तम नगर, नई दिल्ली 110059; क्षेत्रफल (माप) वर्ग फुट में: सम्पत्ति का प्रकारः बिक्री योग्य क्षेत्र, कारपेट क्षेत्र सम्पत्ति का क्षेत्रफलः 630.00, 504.00
श्री नवाज़िश, श्रीमती मुस्कान; रॉयल लुक सैलून (प्रॉस्पेक्ट नंबर IL10206522)	16-मार्च-2026, रु. 1949027/- (रुपये उन्नीस लाख उनचास हजार सत्ताईस मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः एसएफ (छत के अधिकारों के बिना) निर्मित सम्पत्ति पर, जिसका नंबर 403 है, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज है, खसरा नंबर 14/10 का हिस्सा है, जो संत गढ़, तिलक नगर क्षेत्र में, गांव केशोपुर, नई दिल्ली 110018 में स्थित है। क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): सम्पत्ति का प्रकारः क्षेत्रफल सम्पत्ति का क्षेत्रफलः 450
श्री अखिलेश चौधरी, श्रीमती तराना (प्रॉस्पेक्ट नंबर IL10227914)	16-मार्च-2026, रु. 832533/- (रुपये आठ लाख बत्तीस हजार पाँच सौ तैंतीस मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः फ्रीहोल्ड निर्मित फ्लैट नंबर 262, जनता श्रेणी के अंतर्गत, भूतल पर, क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर है, पॉकेट-1, सेक्टर ए-5, जो नरेला आवासीय योजना के लेआउट प्लान में स्थित है, नरेला, दिल्ली- 110040. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): सम्पत्ति का प्रकारः क्षेत्रफल सम्पत्ति का क्षेत्रफलः 215
श्री सावन कुमार, श्रीमती राधा (प्रॉस्पेक्ट नंबर IL10452960)	16-मार्च-2026, रु. 5022566/- (रुपये पचास लाख बाईस हजार पाँच सौ छियासठ मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः फ्लैट नंबर 140-बी, पहली मंजिल, डीडीए एलआईजी फ्लैट, मोतिया खान, पहाड़गंज, मध्य दिल्ली, दिल्ली, 110055. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): सम्पत्ति का प्रकारः निर्मित क्षेत्र सम्पत्ति का क्षेत्रफलः 344.00
श्रीमती विशाखा, श्री रमेश, श्रीमती कृष्णा देवी (प्रॉस्पेक्ट नंबर IL10686309)	17-मार्च-2026, रु. 2345833/- (रुपये तेईस लाख पैंतालीस हजार आठ सौ तैंतीस मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः प्लॉट नंबर 31, दूसरी मंजिल (पीछे, दाईं ओर), गांव हस्तसाल, मोहन गार्डन, ब्लॉक के-5, उत्तम नगर, नई दिल्ली- 110059. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): सम्पत्ति का प्रकारः बिक्री योग्य क्षेत्र, कारपेट क्षेत्र सम्पत्ति का क्षेत्रफलः 438.00, 402.00
सुश्री पिंकी, श्रीमती मैना देवी; माँ दुर्गा जनरल स्टोर (प्रॉस्पेक्ट नंबर IL11033781)	17-मार्च-2026, रु. 2863219.09/- (रुपये अट्ठाईस लाख तिरसठ हजार दो सौ उन्नीस रुपये और नौ पैसे मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः प्लॉट नंबर 3, यूजीएफ, पीछे (दाईं ओर), खसरा नंबर 510, लाल डोरा बुराड़ी, बुराड़ी, उत्तरी दिल्ली, 110084, दिल्ली, भारत। क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): सम्पत्ति का प्रकारः बिक्री योग्य क्षेत्र, कारपेट क्षेत्र सम्पत्ति का क्षेत्रफलः 540.00, 459.00
श्री विनीत कुमार, श्रीमती कीर्ति (प्रॉस्पेक्ट नंबर IL10133959)	16-मार्च-2026, रु. 999558/- (रुपये नौ लाख निन्यानवे हजार पाँच सौ अट्ठावन मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः फ्लैट नंबर -103, तीसरी मंज़िल, प्लॉट नंबर - एम-24-25, ब्लॉक-एम-24, खसरा नंबर - 1466, बालाजी एन्क्लेव, गाँव- रायसपुर, गाज़ियाबाद, उ.प्र.-201002 क्षेत्रफल (वर्ग फीट में): सम्पत्ति का प्रकारः बिक्री योग्य क्षेत्रफल, कारपेट क्षेत्रफल सम्पत्ति का क्षेत्रफलः 495.00, 385.00
श्री हिमांशु मांगा, श्री सुरेंद्र मांगा, श्रीमती शशि मांगा; हिमांशु ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरिंग वर्क (प्रॉस्पेक्ट नंबर IL10213283)	17-मार्च-2026, रु. 3402467/- (रुपये चौंतीस लाख दो हजार चार सौ सड़सठ मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः फ्लैट दूसरी मंज़िल, प्लॉट नंबर बी-54, सरस्वती लोक, मेरठ, फेज 1 कॉलोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, 250002, भारत क्षेत्रफल (वर्ग फीट में): सम्पत्ति का प्रकारः क्षेत्रफल सम्पत्ति का क्षेत्रफलः 753
श्री कैलाश ओमप्रकाश अग्रवाल; फ्रेंड फूड कॉर्नर; श्री ओमप्रकाश अग्रवाल, श्रीमती मुन्नीदेवी अग्रवाल (प्रॉस्पेक्ट नंबर IL10917435)	17-मार्च-2026, रु. 4143288/- (रुपये इकतालीस लाख तैंतालीस हजार दो सौ अट्ठासी मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः तीसरी मंज़िल पिछला हिस्सा प्लॉट नंबर-3 ब्लॉक-ई खेवट/खाता नंबर 1409/1576, गाँव चौमा, साई कुंज, गुरुग्राम, हरियाणा 122001 क्षेत्रफल (वर्ग फीट में): सम्पत्ति का प्रकारः बिक्री योग्य क्षेत्रफल, कारपेट क्षेत्रफल सम्पत्ति का क्षेत्रफलः 495.00, 415.00
श्री सोनू कुमार, श्रीमती सोनम कुमारी (प्रॉस्पेक्ट नंबर IL10005819)	16-मार्च-2026, रु. 2089466/- (रुपये बीस लाख नवासी हजार चार सौ छियासठ मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः यूनिट नंबर - के-1107, 11वीं मंज़िल, टावर - के, द रोसेलिया, सेक्टर- 95ए, गुड़गाँव हरियाणा 122505 क्षेत्रफल (वर्ग फीट में): सम्पत्ति का प्रकारः कारपेट क्षेत्रफल सम्पत्ति का क्षेत्रफलः 569.24

यदि कर्जदार उपर्युक्त के अनुसार आईआईएफएल एचएफएल का भुगतान करने में असफल रहते हैं तो आईआईएफएल एचएफएल कथित अधिनियम की धारा 13(4) तथा प्रयोज्य नियमों के तहत कर्जदारों के पूर्ण जोखिम, लागतों तथा परिणामों पर उपर्युक्त प्रतिभूत आस्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। अधिक विवरण के लिए अधिकृत प्राधिकारी से सम्पर्क करें : शाखा कार्यालयः प्लॉट संख्या 30/30ई, ऊपरी भूतल, मुख्य शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ रोड, जगुआर शोरूम के पास, मोती नगर, नई दिल्ली/डी-11/151, दूसरी मंजिल, सेक्टर-8, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 या कॉर्पोरेट कार्यालयः आईआईएफएल टावर, प्लॉट नंबर 98, उद्योग विहार, पीएच-IV गुड़गांव, हरियाणा।

स्थान : दिल्ली, तिथि : 08.04.2026 **ह./- अधिकृत प्राधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड**

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

SMFG Grihashakti

कॉरपोरेट कार्यालयः 503 और 504, 5वीं मंजिल, जी-ब्लॉक, इंस्पायर बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई-400051
पंजीकृत कार्यालयः कॉमर्जोन आईटी पार्क, टॉवर बी, पहली मंजिल, नंबर 111, माउंट पूनमल्ली रोड, पोरुर, चेन्नई-600116, तमिलनाडु

माँग सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (''नियम'') के प्रावधानों के तहत अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम के तहत एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्व की फुलर्टन इंडिया होम फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड) (इसके बाद एसएमएचएफसी संदर्भित) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते एवं नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग निम्नलिखित कर्जदारों को कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सम्बद्ध सूचना(ओं) में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना(एं) जारी की थीं। अधोहस्ताक्षरी को तार्किक रूप से विश्वास है कि कर्जदार माँग सूचना(ओं) की सेवा की अनदेखी कर रहे हैं अतः सूचना की सेवा नियमों के अनुसार चिपकाकर तथा प्रकाशन द्वारा प्रभावी की जा रही है। माँग सूचना की विषय सामग्री निम्नवत है :

क्र. सं.	ऋण खाता सं. एवं कर्जदार/सहकर्जदारों/सम्पत्ति धारकों, जैसा मामला हो, के नाम	प्रतिभूत आस्ति/बंधक सम्पत्ति का विवरण	धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि तथा कुल बकाया
1	लैनः 609139212171205 **1. मोहम्मद शाहिद** **2. नाजिया बानो अंसारी** पताः पुत्र मोहम्मद शाहिद मकान नंबर 248 गली नंबर 4 राजीव गांधी नगर न्यू मुस्तफाबाद दिल्ली - 110094	निर्मित सम्पत्ति, जिसका क्षेत्रफल 100 वर्ग गज (यानी 83.61 वर्ग मीटर) है। यह खसरा नंबर 335/1 में से है, और इसका सम्पत्ति नंबर A-173 (पुराना नंबर 75) है। इसमें साइट के अनुसार जो कुछ भी बना है, वह सब शामिल है, और इसमें आखिरी मंज़िल तक इस्तेमाल करने और निर्माण करने का अधिकार भी शामिल है। यह मुस्तफाबाद गांव के इलाके में, नेहरू विहार, दयालपुर, दिल्ली-110094 की आबादी में स्थित है। इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं:- पूर्वः मिश्राजी की सम्पत्ति। पश्चिमः सुधा रानी की सम्पत्ति। उत्तरः दूसरों की सम्पत्ति। दक्षिणः 25 फुट चौड़ी सड़क।	16.03.2026 **रु. 82,86,344.56/-** (रुपये बयासी लाख छियासी हजार तीन सौ चौवालीस और छप्पन पैसे मात्र) दिनांक 11.03.2026 तक एनपीए दिनांकः 07.03.2026
2.	लैनः 613839211671480 **1. कौशल किशोर** **2. कंठ श्री** पताः पुत्र दाता राम, प्लॉट नंबर 12 गली नंबर 5 साईं कॉलोनी, मौजा मबल, ओल्ड फरीदाबाद हरियाणा - 121002।	प्लॉट नंबर 3, सम्पत्ति का क्षेत्रफल 52.5 वर्ग गज है, जो खसरा नंबर 1606(0-1), 1608(0-16), 1610(0-18) में से है। यह फरीदाबाद गांव, तहसील और जिला फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित है। इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं:- पूर्वः 15 फुट का रास्ता, पश्चिमः 30 फुट का रास्ता, उत्तरः अन्य सम्पत्ति, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति।	16.03.2026 **रु. 34,01,574.07/-** (रुपये चौंतीस लाख एक हजार पाँच सौ चौहत्तर और सात पैसे मात्र) दिनांक 09.03.2026 तक एनपीए दिनांकः 07.03.2026
3.	लैनः 609139211643614 **1. राजेश कुमार कश्यप** **2. कमलेश कश्यप** पताः पुत्र राम लखन, डब्ल्यूजेड-513 बी, बसई दारापुर रमेश नगर, पो. रमेश नगर, जिला पश्चिमी दिल्ली - 110015	निर्मित पहली मंज़िल का दाहिना हिस्सा (छत के अधिकारों के बिना)। यह सम्पत्ति नंबर हे-401 का हिस्सा है, जिसमें 50 वर्ग गज जमीन शामिल है, जो खसरा नंबर 698 (पुराना लाल डोरा) में से है। यह बसाई दारापुर गांव, नई दिल्ली 110015 के इलाके में स्थित है। इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं:- उत्तरः गली, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति, पश्चिमः अन्य सम्पत्ति, पूर्वः उक्त सम्पत्ति का बचा हुआ हिस्सा।	16.03.2026 **रु. 20,45,284.73/-** (रुपये बीस लाख पैंतालीस हजार दो सौ चौरासी और तिहत्तर पैसे मात्र) दिनांक 09.03.2026 तक एनपीए दिनांकः 07.03.2026
4.	लैनः 605438011579395 **1. मोहम्मद मुंशरीफ** **2. रुखसाना कमरुद्दीन** पताः पुत्र अब्दुल्ली खान पता-139, एफ बंजारा बस्ती शिव मंदिर के पास, शावित्री नगर मालिव्य नगर साउथ दिल्ली - 110017, इसके अलावा पता- मकान नंबर 187, मलिक अपार्टमेंट की चौथी मंजिल, शिव मंदिर के पास, सावित्री नगर, दक्षिण दिल्ली 110017	सम्पत्ति नंबर 187, जिसका क्षेत्रफल 50 वर्ग गज है। यह तीसरी मंज़िल है, जिसमें छत के अधिकार (आसमान की सीमा तक) शामिल हैं। यह खसरा नंबर 548/135 में शामिल है। यह शेख सराय गांव (अब सावित्री नगर), नई दिल्ली-110017 में स्थित है।	16.03.2026 **रु. 13,81,746.09/-** (रुपये तेरह लाख इक्यासी हजार सात सौ छियालीस और नौ पैसे मात्र) दिनांक 09.03.2026 तक एनपीए दिनांकः 07.03.2026
5.	लैनः 609139511717730 **1. मुशर्रफ अशरफ** **2. रजिया मिर्जा** पताः पुत्र अशरफ, ए-97/98, जेजे कॉलोनी कैंप-2 नांगलोई बक्करवाला, पश्चिमी दिल्ली-110041 इसके अलावा हो पता नंबर 50, खसरा नंबर 8, 16, 8 -25 जी एफ, खूब्रम पार्क प्रेम नगर 1 नांगलोई नई दिल्ली - 110041	पूरी पहली मंज़िल (छत/टेरेस के अधिकारों के बिना)। यह फ्रीहोल्ड निर्मित सम्पत्ति नंबर 4/5 के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 90 वर्ग गज (यानी 75.24 वर्ग मीटर) है, जिसे अब प्राइवेट नंबर के रूप में चिह्नित किया गया है। 4/5-सी, रेक्टेंगल नंबर 12, किला नंबर 13 मिन का हिस्सा, जो गांव नांगलोई जाट, दिल्ली - 110041 के राजस्व क्षेत्र में स्थित है (वास्तविक फ्लैट/मंजिल संख्या 6, पहली मंजिल, बिना छत के अधिकार के, दाईं ओर के अनुसार)। पिछली तरफ गांव नांगलोई जाट कॉलोनी, कविता कॉलोनी, नांगलोई, दिल्ली - 110041. और इसे एमसीडी द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या 2236, दिनांक 19.07.1982 के माध्यम से नियमित किया गया है।	16.03.2026 **रु. 25,24,558.16/-** (रुपये पच्चीस लाख चौबीस हजार पाँच सौ अट्ठावन और सोलह पैसे मात्र) दिनांक 09.03.2026 तक एनपीए दिनांकः 07.03.2026
6.	लैनः 609139212063452 **1. दमन कक्कड़** **2. परवीन कुमार कक्कड़** **3. कोमल कक्कड़** पताः पुत्र परवीन कक्कड़ पता- डब्ल्यूजेड-3/2, प्लॉट नंबर -14 सेकेंड फ्लोर विष्णु गार्डन वेस्ट दिल्ली - 110018 इसके अलावा पता- सम्पत्ति नंबर एफ-214, अपर सेकेंड फ्लोर, विष्णु गार्डन नई दिल्ली -110018।	संपत्ति संख्या जे-46 में निर्मित पहली मंजिल (बिना छत के अधिकार के), जिसका क्षेत्रफल 83 वर्ग गज है। यह खसरा संख्या 15/2 का हिस्सा है और गांव ख्याला कॉलोनी, विष्णु गार्डन, नई दिल्ली के क्षेत्र में स्थित है। सीमाएं:- पूर्वः 20 फुट चौड़ी सड़क, पश्चिमः संपत्ति संख्या जे-46, दक्षिणः 20 फुट चौड़ी सड़क, उत्तरः 10 फुट चौड़ी गली।	16.03.2026 **रु. 72,16,455.15/-** (रुपये बहत्तर लाख सोलह हजार चार सौ पचपन और पंद्रह पैसे मात्र) दिनांक 09.03.2026 तक एनपीए दिनांकः 07.03.2026
7.	लैनः 610338011700899 **1. आकाश, पुत्र दौलत राम** **2. गौरव** पताः पुत्र दौलत राम, निवासी लोहिया नगर, बालेश्वर, आगरा उ.प्र. पिन - 282001	संपत्ति प्लॉट संख्या 52, जिसका क्षेत्रफल 152.77 वर्ग गज या 127.74 वर्ग मीटर है। यह खसरा संख्या 174 ए और 174बी का हिस्सा है और कृष्णा धाम कॉलोनी, मौजा कौलक्खा, जिला आगरा में स्थित है। पूर्वः श्रीमती रीना का प्लॉट संख्या 53, पश्चिमः प्लॉट संख्या 51, उत्तरः 6.09 मीटर चौड़ा रास्ता और निकास, दक्षिणः प्लॉट संख्या 19	13.03.2026 **रु. 9,83,763.64/-** (रुपये नौ लाख तिरासी हजार सात सौ तिरसठ और चौंसठ पैसे मात्र) दिनांक 10.03.2026 को एनपीए दिनांकः 07.03.2026
8.	लैनः 613339211647865 **1. अशोक, पुत्र सरजीत** **2. ममता** पताः निवासी. अलीपुरा, नकुड़, सहारनपुर, उ.प्र., पिन	आवासीय प्लॉट, जिसका क्षेत्रफल 132 वर्ग गज या 111.62 वर्ग मीटर है। यह राधा स्वामी सत्संग विहार कॉलोनी, कस्बा सरसावा, परगना सरसावा, तहसील नकुर, जिला सहारनपुर में स्थित है। पूर्वः अन्य का प्लॉट, पश्चिमः 15 फुट चौड़ा रास्ता, उत्तरः अन्य का प्लॉट, दक्षिणः 15 फुट चौड़ा रास्ता।	13.03.2026 **रु. 8,33,580.30/-** (रुपये आठ लाख तैंतीस हजार पाँच सौ अस्सी और तीस पैसे मात्र) दिनांक 11.03.2026 को एनपीए दिनांकः 07.03.2026
9.	लैनः 616539511818035 **1. बनवारी लाल** **2. ऋचा** पताः पुत्र राजा राम, निवासी कोलया अलीपुर, बांगर, मथुरा उ.प्र. - 281006	भूमि संख्या 83, जिसका क्षेत्रफल 83.61 वर्ग मीटर है। यह खसरा संख्या 390 मिन, मौजा कोयला अलीपुर बांगर, तहसील और जिला मथुरा में स्थित, पूर्वः 18 फुट का रास्ता, पश्चिमः रमेश और हरेंद्र का मकान, उत्तरः 12 फुट चौड़ी सड़क, दक्षिणः अशोक का मकान।	13.03.2026 **रु. 7,79,605.67/-** (रुपये सात लाख उन्यासी हजार छह सौ पाँच और सड़सठ पैसे मात्र) दिनांक 11.03.2026 को एनपीए दिनांकः 07.03.2026

कर्जदारों को माँग सूचना(ओं) का अनुपालन करने तथा उसमें यहाँ ऊपर उल्लिखित माँग राशि को भुगतान की वसूली की तिथि तक प्रयोज्य ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस प्रभार, लागत तथा व्यय के साथ इस प्रकाशन की तिथि के 60 दिनों के भीतर अदा करने का परामर्श दिया जाता है। कर्जदार कृपया ध्यान दें कि **एसएमएचएफसी** प्रतिभूत लेनदार है और कर्जदार(रों) द्वारा ली गयी ऋण सुविधा कर्जदार(रों) द्वारा बन्धककृत प्रतिभूत आस्ति(याँ) होने के कारण अचल सम्पत्ति/सम्पत्तियों के विरुद्ध एक प्रतिभूत ऋण है। यदि कर्जदार निर्धारित समय-सीमा में अपनी देयताएँ चुकाने में असफल रहते हैं तो **एसएमएचएफसी** बिक्री द्वारा अथवा अधिनियम तथा उसके तहत नियमों के अधीन उपलब्ध किसी अन्य उपचार द्वारा शामिल किन्तु सीमित नहीं, अन्तरण सहित प्रतिभूत आस्ति(यों) का कब्जा लेने हेतु अधिनियम की धारा 13(4) के तहत समस्त अधिकारों का उपयोग करने का अधिकारी होगा और भुगतान की वसूली करेगा। **एसएमएचएफसी** को बिक्री या अन्तरण के अधिकार का प्रयोग करने से पूर्व प्रतिभूत आस्ति(यों) को कुर्की तथा/अथवा सील करने की भी शक्ति प्राप्त है। प्रतिभूत आस्ति(यों) की बिक्री के अनुक्रम में **एसएमएचएफसी** को, यदि बन्धककृत सम्पत्तियों का मूल्य **एसएमएचएफसी** के बकाया देयताओं की पूर्ति के लिए अपर्याप्त हो तो शेष बकायों की वसूली के लिए अलग से विधिक कार्यवाही करने का भी अधिकार है। यह उपचार किसी अन्य कानून के तहत **एसएमएचएफसी** के पास उपलब्ध अन्य समस्त उपचारों के अतिरिक्त तथा स्वतन्त्र है। प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के सन्दर्भ में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर तथा अधिनियम की धारा 13(13) आकृष्ट किया जाता है जिसके द्वारा कर्जदार **एसएमएचएफसी** की लिखित पूर्व सहमति के बिना प्रतिभूत आस्ति(यों) का निस्तारण या उससे संव्यवहार अथवा किसी भी प्रतिभूति आस्ति की बिक्री, पट्टे या अन्य विधि से अन्तरण (सामान्य व्यवसाय की प्रक्रिया को छोड़कर) नहीं कर सकेगा और उपर्युक्त का अनुपालन न करना कथित अधिनियम की धारा 29 के तहत एक दण्डनीय अपराध है। माँग सूचना की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और कर्जदार, यदि चाहें तो इसे अधोहस्ताक्षरी से कार्यालयी घण्टों के दौरान किसी भी कार्यकारी दिवस में प्राप्त कर सकते हैं।

स्थान : दिल्ली, फरीदाबाद, आगरा, सहारनपुर, मथुरा
तिथि : 13.03.2026/16.03.2026

हस्ता./-
अधिकृत प्राधिकारी, एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

ऋण वसूली अधिकरण – II, दिल्ली के समक्षीय मामलों, जीवन तारा भवनसंसद मार्ग, नई दिल्ली – 110001

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के तहत सूचना (ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियम), 1993 के नियम 12 और 13 के साथ पठित), निम्नलिखित मामले के संबंध में:

OA संख्या 558/2024 दिनांक: 06.04.2026

ड्यूश बैंक AG ...आवेदक

बनाम

M/S लक्ष्मी सेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य ...प्रतिवादी

सेवा में, प्रतिवादी D1. M/s Laxmi Sales India Pvt Ltd अपने निदेशक श्री प्रियांशु गुप्ता और रवि कुमार के माध्यम सेप्लॉट नंबर E-95 साइट 4 UPSIDC इंडस्ट्रियल एरिया ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर- 201306 UP. D2. श्री प्रियांशु गुप्ता पुत्र श्री भूषण कुमार गुप्तानिवासी Sec-1/7 राज नगर गाजियाबाद UP – 201001. D3. श्री रवि कुमार अग्रवाल निवासी Sect – 1/7 राज नगर गाजियाबाद UP 201001

चूंकि ऊपर नामित आवेदक (आवेदकों) ने आपके विरुद्ध **30,88,517/- रुपये (केवल तीस लाख अठासी हजार पांच सौ सत्रह रुपये)** की वसूली के लिए एक मामला दायर किया है, और चूंकि ट्रिब्यूनल को यह संतोषजनक रूप से दिखाया गया है कि आपको सामान्य तरीके से नोटिस तामील कराना संभव नहीं है, इसलिए यह नोटिस विज्ञापन के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसमें आपको निर्देश दिया जाता है कि आप दिनांक **14.08.2026** को **सुबह 11:00** बजे ट्रिब्यूनल के समक्ष उपस्थित हों।

कृपया ध्यान दें कि यदि आप उक्त तारीख को उपस्थित नहीं होते हैं, तो मामले की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में ही किया जाएगा। सभी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या व्यक्तिगत रूप से की जाएगी, और इस उद्देश्य के लिए:

(I) सभी वकील/पक्षकार "Cisco Webex" (प्लेटफॉर्म/एप्लिकेशन डाउनलोड करें)।

(II) माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार द्वारा सुनवाई की तारीख के लिए "मीटिंग ID" और पासवर्ड, DRT के आधिकारिक पोर्टल (drt.gov.in) पर उपलब्ध दैनिक कार्यसूची (Cause List) में प्रदर्शित किए जाएंगे।

(III) इस संबंध में किसी भी आपात स्थिति में, वकील/पक्षकार संबंधित अधिकारी से फोन नंबर 23748478 पर संपर्क कर सकते हैं।

मेरे हस्ताक्षर और ट्रिब्यूनल की मुहर के तहत, आज दिनांक **06 अप्रैल, 2026** को जारी किया गया।

ट्रिब्यूनल के आदेश से,
प्रशासनिक अधिकारी, DRT-II, दिल्ली

ऋण वसूली अधिकरण – II, दिल्ली के समक्षीय मामलों, जीवन तारा भवनसंसद मार्ग, नई दिल्ली – 110001

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के तहत सूचना (ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियम), 1993 के नियम 12 और 13 के साथ पठित), निम्नलिखित मामले के संबंध में:

OA संख्या 436/2024 दिनांक: 02.04.2026

ड्यूश बैंक AG ...आवेदक

बनाम

M/s स्टार एंटरप्राइजेज ...प्रतिवादी

सेवा में, प्रतिवादी D1. **M/s STAR ENTERPRISES** अपने प्रोपराइटर श्री अदनान खान के माध्यम सेप्रॉपर्टी नंबर 12, दुर्गापुरी, खसरा नंबर 480, ग्राउंड फ्लोर, गली नंबर 1, नई दिल्ली – 94 **D2.** श्री अदनान खान, पुत्र श्री उस्मान खान **D3.** श्री उस्मान खान, पुत्र श्री वासिम खान दोनों का पता: RQ प्लॉट नंबर 24135, टावर-10, वेस्टर्न, महागुन मैनहट्टन, गौर सिटी-2, नोएडा – 201001

चूंकि ऊपर बताए गए आवेदक (आवेदकों) ने आपके खिलाफ **24,68,442/- रुपये (केवल चौबीस लाख अड़सठ हजार चार सौ बयालीस रुपये)** की वसूली के लिए एक मामला दायर किया है, और चूंकि ट्रिब्यूनल का यह संतोषजनक रूप से विश्वास है कि आपको सामान्य तरीके से नोटिस देना संभव नहीं है, इसलिए यह नोटिस विज्ञापन के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसमें आपको **10.08.2026** को सुबह **11:00 बजे** ट्रिब्यूनल में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

कृपया ध्यान दें कि यदि आप उक्त तारीख को उपस्थित नहीं होते हैं, तो मामले की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में ही किया जाएगा। सभी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या व्यक्तिगत रूप से की जाएगी, और इस उद्देश्य के लिए:

(I) सभी वकील/पक्षकार "Cisco Webex" (प्लेटफॉर्म/एप्लिकेशन डाउनलोड करें)।

(II) माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार द्वारा सुनवाई की तारीख के लिए "मीटिंग ID" और पासवर्ड, DRT के आधिकारिक पोर्टल (drt.gov.in) पर उपलब्ध दैनिक कार्यसूची (Cause List) में प्रदर्शित किए जाएंगे।

(III) इस संबंध में किसी भी आपात स्थिति में, वकील/पक्षकार संबंधित अधिकारी से फोन नंबर 23748478 पर संपर्क कर सकते हैं।

मेरे हस्ताक्षर और ट्रिब्यूनल की मुहर के तहत, आज दिनांक **02 अप्रैल, 2026** को जारी किया गया।

ट्रिब्यूनल के आदेश से,
प्रशासनिक अधिकारी, DRT-II, दिल्ली

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण

नई दिल्ली खंडपीठ (न्यायालय - II)

कंपनी याचिका (आईबी)

सं. 694/2025

(दिवाला और दिवालियापन (निर्णायक प्राधिकारी को आवेदन) नियम, 2016 के नियम 4 के साथ पठितदिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 7 के तहत)

आईबी-694/एनडी/2025 नई आईए-1159/एनडी/2026

श्री अशोक कुमार भारद्वाज (माननीय सदस्य जे) और सुश्री रीना सिन्हा पुरी (माननीय सदस्य (टी), एनसीएलटी ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली द्वारा पारित

मैसर्स ऑक्सीजो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड — आवेदक

बनाम

मैसर्स हिमस्कैफ सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड — प्रत्यर्थी

नोटिस सेवा में: कॉर्पोरेट देनदार और उसके निदेशक

1. मैसर्स हिमस्कैफ सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय हैः दुकान नं. 1, संपत्ति नं.-26बी, खसरा नं. 1606/2, 176/1, 1797, 1798/1, सी-3 ब्लॉक, मंदिर के पास, फेज-4 आया नगर एक्सटेंशन, दक्षिण दिल्ली, भारत-110047
   अन्य पताः 35ए/1, 2री मंजिल, शाहपुर जाट, नई दिल्ली, भारत-110049
   अन्य पताः बी-15, आरआरआईसीओ औद्योगिक क्षेत्र, फेज-2, भिवाड़ी, राजस्थान- 301019
2. श्री सुभाष शर्मा (निदेशक), पुत्र श्री हरि कृष्ण शर्मा, मकान नं. 308, हेरिटेज सिटी, ब्लॉक 40, एम.जी. रोड मेट्रो स्टेशन के पास, गुरुग्राम, हरियाणा, भारत-122002
3. श्री प्रणव शर्मा (निदेशक), पुत्र श्री सुभाष शर्मा, मकान नं. 308, हेरिटेज सिटी, ब्लॉक 40, एम.जी. रोड मेट्रो स्टेशन के पास, गुरुग्राम, हरियाणा, भारत-122002

जैसाकि उपरोक्त कॉर्पोरेट देनदार को कंपनी याचिका (आईबी) सं. 694/2025 में प्रस्तुत किया गया है, जो पहली बार 17.01.2026 को और उसके बाद अन्य अगली तारीखों पर भी अधिकरणके समक्ष सूचीबद्ध हुई थी।और जैसाकि अधिकरण के संतोष के लिए यह सिद्ध हो गया है कि आपको सामान्य तरीके से सीपी (आईबी) 694/2025 का नोटिस नहीं दिया जा सकता है, इसलिए एतद्द्वारा आपको प्रकाशन के माध्यम से नोटिस जारी किया जाता है।

यदि आप उपरोक्त याचिका का बचाव करना चाहते हैं, तो आप दिनांक 20.04.2026 को अधिकरण के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या इस उद्देश्य के लिए आपके द्वारा विधिवत नियुक्त अधिवक्ता के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। यदि उक्त तिथि पर आपके द्वारा, आपके वकील द्वारा या कानून द्वारा आपकी ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा कोई उपस्थिति दर्ज नहीं कराई जाती है, तो उक्त अपील की सुनवाई की अगली तारीख का कोई और नोटिस नहीं दिया जाएगा और आपकी अनुपस्थिति में मामले की सुनवाई की जाएगी और एकपक्षीय निर्णय ले लिया जाएगा।

मांग सूचना

जबकि फीनिक्स एआरसी लिमिटेड (पूर्व की 'फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड') के अधिकृत प्राधिकारी (फीनिक्स ट्रस्ट-एफवाई 26-14 के ट्रस्टी की क्षमता में कार्यरत) (इसके बाद 'फीनिक्स एआरसी लिमिटेड' के रूप में संदर्भित) को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित किया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद इसे 'सरफेसी अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) के साथ एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया है और जबकि नीचे उल्लिखित कर्जदार/सह-कर्जदार और आईआईएफएल - होम फाइनेंस लिमिटेड, मूल ऋणदाताओं से ऋण प्राप्त किया है और जबकि फीनिक्स एआरसी लिमिटेड ने नीचे उल्लिखित ऋण खातों से संबंधित वित्तीय संपत्ति हासिल की है और जबकि फीनिक्स एआरसी लिमिटेड सरफैसी अधिनियम के तहत प्रतिभूत लेनदार है, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 2 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों को नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर अतिरिक्त ब्याज के साथ नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया, लेकिन विभिन्न कारणों से उनमें से कुछ को नोटिस सर्व नहीं किया जा सका।

कर्जदार का नाम/सह-कर्जदार का नाम/गारंटर	मांग सूचना की तिथि तथा राशि	सम्पत्ति का विवरण
श्री सुरेश चंद श्रीमती विमला देवी (प्रॉस्पेक्ट नंबर 919733, 862793)	11/03/2026, 862793, रु. 773382.89/- (रुपये सात लाख तिहत्तर हजार तीन सौ बयासी और नवासी पैसे मात्र) और 919733 है रु. 158199.56/- (रुपये एक लाख अट्ठावन हजार एक सौ निन्यानवे और छप्पन पैसे मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः सी-44/276, एस/एफ, खसरा नं. -602, गली नंबर-12A, सुधामपुरी, सुधामपुरी, भागीरथी स्कूल, दिल्ली, दिल्ली, भारत 110053 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकारः जमीन का क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल संपत्ति का क्षेत्रफलः 225.00, 606.00
श्री राम अवतार रावत श्री मनोज रावत श्रीमती उमा रावत (प्रॉस्पेक्ट नंबर 906496)	11-मार्च-2026, रु. 1361395.46/- (रुपये तेरह लाख इकसठ हजार तीन सौ पचानवे और छियालीस पैसे मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः 50 वर्ग गज क्षेत्रफल का उत्तरी भाग, जिसका संपत्ति नंबर बी-402-ए है, खसरा नंबर 660 में स्थित, गांव सबोली, बी ब्लॉक, गली नंबर 3 अशोक नगर, इलाका शाहदरा दिल्ली 110093 में स्थित। क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकारः जमीन का क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल संपत्ति का क्षेत्रफलः 450.00, 800.00
श्री सुशील कुमार श्रीमती रेनू (प्रॉस्पेक्ट नंबर 929129)	11-मार्च-2026, रु. 2331725.79/- (रुपये तेईस लाख इकत्तीस हजार सात सौ पच्चीस और उन्यासी पैसे मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः मकान नंबर V/4682, दो मंज़िला, शोरा कोठी, पहाड़गंज, नई दिल्ली 110055 में स्थित, क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकारः जमीन का क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल संपत्ति का क्षेत्रफलः 297.00, 654.60
श्री मुकेश कुमार मैसर्स मुकेश कुमार श्रीमती सुमन अग्रवाल (प्रॉस्पेक्ट नंबर 960007, 962200)	11-मार्च-2026, 960007, रु. 582181.62/- (रुपये पाँच लाख बयासी हजार एक सौ इक्यासी और बासठ पैसे मात्र) और 962200 है रु. 82626.72/- (रुपये बयासी हजार छह सौ छब्बीस और बहत्तर पैसे मात्र)	खसरा संख्या 16/8 का एक हिस्सा, जो गांव असालतपुर खादर, कॉलोनी महिंद्रा पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली- 110059 के क्षेत्र में स्थित है। क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकारः निर्मित क्षेत्रफल। संपत्ति का क्षेत्रफलः 292
श्रीमती दीपमाला चौहान मैसर्स दीपमाला चौहान श्री राम कुमार चौहान श्रीमती संतोष राम कुमार चौहान (प्रॉस्पेक्ट नंबर 974397, 979756)	11-मार्च-2026, 974397, रु. 2254775.28/- (रुपये बाईस लाख चौवन हजार सात सौ पचहत्तर और अट्ठाईस पैसे मात्र) और 979756 है रु. 103070.04/- (रुपये एक लाख तीन हजार सत्तर और चार पैसे मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः संपत्ति संख्या (म्युनिसिपल नंबर) 52/36-ई-5, गली नंबर 16, नई बस्ती, आनंद पर्वत, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, आनंद पर्वत, मध्य दिल्ली, दिल्ली, भारत 110005. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकारः जमीन का क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल। संपत्ति का क्षेत्रफलः 570.00, 1284.00
श्री दिनेश त्यागी प्रीति बिल्डटेक श्री राहुल त्यागी श्री सागर राजपूत श्रीमती पूजा त्यागी (प्रॉस्पेक्ट नंबर 984528)	11-मार्च-2026, रु. 2606171.89/- (रुपये छब्बीस लाख छह हजार एक सौ इकहत्तर और नवासी पैसे मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः प्लॉट संख्या 50, क्षेत्रफल 80 वर्ग गज, खसरा संख्या 66/11 का एक हिस्सा, जो गांव हस्तसाल, दिल्ली राज्य, कॉलोनी ओम विहार, फेज- V, उत्तम नगर, नई दिल्ली- 110059 के क्षेत्र में स्थित है। क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकारः जमीन का क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल। संपत्ति का क्षेत्रफलः 720.00, 3600.00
श्री सुमित राय सुमित राय श्रीमती सुशीला राय (प्रॉस्पेक्ट नंबर 983952, IL10431857)	11-मार्च-2026, 983952, रु. 89972.24/- (रुपये नवासी हजार नौ सौ बहत्तर और चौबीस पैसे मात्र) और IL10431857 है रु. 3885038.30/- (रुपये अड़तीस लाख पचासी हजार अड़तीस और तीस पैसे मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः खसरा संख्या 259, गांव सलारपुर, खादर तहसील, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, 203207। क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकारः जमीन का क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल। संपत्ति का क्षेत्रफलः 1800.00, 1440.00
श्री मनोज कुमार वीआर हैंडीक्राफ्ट्स श्रीमती पूजा रुहेला (प्रॉस्पेक्ट नंबर IL10973907)	11-मार्च-2026, रु.2242726.77/- (रुपये बाईस लाख बयालीस हजार सात सौ छब्बीस और सतहत्तर पैसे मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः खसरा संख्या 957 में स्थित मकान, रकबा- 52.69 वर्ग मीटर, भोगपुर, मिथोनी सरकाई, तहसील और ज़िला- मुरादाबाद 244001 क्षेत्र का माप (वर्ग फीट में): संपत्ति का प्रकारः जमीन का क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल; संपत्ति का क्षेत्रफलः 567.00, 649.00
श्री राजीव सिंह श्री महेंद्र सिंह श्रीमती खेमवती (प्रॉस्पेक्ट नंबर IL11035584)	11-मार्च-2026, रु. 1553467.86/- (रुपये पंद्रह लाख तिरपन हजार चार सौ सड़सठ और छियासी पैसे मात्र)	संपत्ति का समस्त भागः खसरा संख्या 223-B में स्थित संपत्ति, जो मौजा जयंतिपुर पश्चिमी, तहसील और ज़िला मुरादाबाद, उ.प्र. 244001 में स्थित है। क्षेत्र का माप (वर्ग फीट में): संपत्ति का प्रकारः जमीन का क्षेत्रफल, कारपेट एरिया; संपत्ति का क्षेत्रफलः 376.70, 676.00

इसलिए, जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, कर्जदारों/सह-कर्जदारों को नोटिस दिया जाता है, जिसमें उनसे इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर संबंधित कर्जदार/सह-कर्जदार के खिलाफ ऊपर दर्शाई गई कुल बकाया राशि का भुगतान करने का आह्वान किया जाता है। संबंधित कर्जदार/सह-कर्जदार द्वारा अतिरिक्त ब्याज के साथ कुल बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, फीनिक्स एआरसी लिमिटेड ऊपर वर्णित संपत्तियों पर प्रतिभूति हित को लागू करने के लिए धारा 13(4) के तहत कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा, अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित अन्य तरीकों से नोटिस की सेवा के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। आपको सूचित किया जाता है कि उक्त बंधक को बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के लिए सार्वजनिक नीलामी या निजी संधि के लिए नोटिस के प्रकाशन की तारीख से पहले किसी भी समय फीनिक्स एआरसी लिमिटेड द्वारा किए गए लागत, शुल्क और व्यय के साथ देय पूरी राशि के भुगतान पर विमोचित किया जा सकता है, जैसा कि सरफैसी अधिनियम की धारा 13 (8) में बताया गया है।

ध्यान दें कि सरफैसीअधिनियम के S-13 (13) के अनुसार, आपको बिक्री, पट्टे या किसी अन्य तरीके से प्रतिभूत संपत्तियों को स्थानांतरित करने और/या उनके साथ व्यवहार करने से रोका जाता है।

दिनांकः 08.04.20261 स्थानः दिल्ली — हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, फीनिक्स एआरसी लिमिटेड (ट्रस्टी के रूप में)

फीनिक्स एआरसी लिमिटेड (पूर्व की 'फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड')
सीआईएन नंबर- U67190MH2007PLC168303 वेबसाइटः www.phoenixarc.co.in, पंजीकृत कार्यालयः तीसरी मंजिल, वालेस टावर्स, 139/140/बी/1, सहार रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का क्रॉसिंग, विले पार्ले ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र, 400057. फोनः +91 02268492450.

शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

कार्पो. कार्यालय : 425, उद्योग विहार फेस -IV, गुरूग्राम -122015 (हरियाणा)
फोन: 0124-4212530/31/32, ईमेल : customercare@shubham.co, वेबसाईट - www.shubham.co

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (इसमें आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

यह आपको सूचित किया जाता है कि धरोहर ऋणकर्ता **शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कंपनी लिमिटेड** जिसका पंजीकृत कार्यालय 608, 609, छठवीं मंजिल, ब्लॉक-सी अंसल एम्पेरियल टॉवर, कम्युनिटी सेन्टर, नारायणा विहार, न्यू दिल्ली-110028 (इसके पश्चात 'एसएचडीएफसीएल' के रूप में संबोधित) द्वारा आपके ऋण खाते को एनपीए के तौर पर घोषित कर चुका है एवं एसएचडीएफसीएल के आपके ऋण खाते के विरूद्ध संपूर्ण ऋण का भुगतान करने के उत्तरदायी है। आपको उपरोक्त राशि पर अनुबंध दर पर लागू भविष्य ब्याज के साथ प्रासंगिक व्यय, मूल्य, शुल्क आदि का भुगतान करने के उत्तरदायी है। इसलिए इस सूचना के दिनांक से 60 दिवस में एसएचडीएफसीएल को आपके संपूर्ण दायित्व का भुगतान करने के लिए आपको बुलाया जाता है असफल रहने पर एसएचडीएफसीएल को कानून की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करने में सक्षम होगी। ऋणकर्ताओं एवं धरोहर संपत्ति का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र. स.	ऋण खाता क्रं. ऋणकर्ता (ओं) का नाम	ऋणी का पता	मांग सूचना दिनांक एवं मांग राशि	सुरक्षित संपत्ति
1	लोन नं. 0MRT2409000005090114 फरजाना, शरीफ	मकान नंबर 459/32, बाजार मोहल्ला अब्दुल्लापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश – 250001	12-03-2026 एवं ₹ 5,20,082 /-	आवासीय मकान नगर निगम संख्या 35/2 गरघी मोहल्ला ग्राम अब्दुल्लापुर परगना तहसील एवं जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश – 250001, क्षेत्रफल– 17 वर्ग गज, चतुर्सीमाः पूर्व – उम्मीद का घर, पश्चिम – जय सिंह का घर, उत्तर – 7 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण – 8 फीट चौड़ी सड़क
2	लोन नं. 0MHV2410000005092025 देवेंद्र कुमार, कैलाशी देवी	RZ 139, इंदिरा पार्क बिंदापुर रोड, उत्तम नगर, पश्चिम दिल्ली, दिल्ली – 110059	12-03-2026 एवं ₹ 13,43,553 /-	संपत्ति संख्या C–12, ऊपरी भूतल के दाहिने–पीछे की ओर, छत के अधिकार के बिना, खसरा संख्या 238, आदर्श नगर कालोनी, गाँव बिंदापुर जीवन पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली – 110059, क्षेत्रफल– 37.5 वर्ग गज, चतुर्सीमाः पूर्व – संपत्ति नंबर C–11, पश्चिम – संपत्ति नंबर C–13, उत्तर – संपत्ति का भाग, दक्षिण – गली
3	लोन नं. 0DMV2407000005087062 इखलाक, साजिदा	पुत्र मुस्ताक, बिलोचपुरा, बागपत, उत्तर प्रदेश – 250606	12-03-2026 एवं ₹ 8,54,204 /-	संपत्ति खसरा नंबर 438 के अंतर्गत आबादी गांव बिलोचापुर परगना तहसील और जिला बागपत, उत्तर प्रदेश – 250609 में स्थित है, क्षेत्रफल– 183.94 वर्ग मीटर
4	लोन नं. 0GZB2407000005087043, प्रशांत, लता, बिमलेश देवी, प्रमोद	पुत्र लखन सिंह, मकान नंबर 698, कलार पट्टी, सपनावत, हापुड, उत्तर प्रदेश – 245101	12-03-2026 एवं ₹ 6,27,636 /-	खसरा नंबर 1894 पर बना मकान, ग्राम सपनावत परगना डासना तहसील धौलाना और जिला हापुड, उत्तर प्रदेश – 245101, क्षेत्रफल– 136.88 वर्ग गज, चतुर्सीमा : पूर्व दिशा – 8 फुट चौड़ी सड़क, पश्चिम दिशा – जय भगवान का घर, उत्तर दिशा – करण सिंह का घर, दक्षिण दिशा – भानु का घर
5	लोन नं. 0ALG2308000005068087, लोकेश कुमार, रामश्री, महेंद्र सिंह	पुत्र महेंद्र सिंह, मोहल्ला दाऊजी हरदुआगंज, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश–202125	12-03-2026 एवं ₹ 14,96,446 /-	खसरा संख्या–784, मोहल्ला–सिद्ध कस्बा–हरदुआगंज, परगना और तहसील–कोइल, जिला–अलीगढ़, उत्तर प्रदेश – 202125 में स्थित संपत्ति, क्षेत्रफल– 100 वर्ग गज, चतुर्सीमाः पूर्व दिशा – कंचन लता की संपत्ति, पश्चिम दिशा – श्रीमती हरीश कुमारी की संपत्ति, उत्तर दिशा – विनोद का घर, दक्षिण दिशा – 18 फीट चौड़ा रास्ता
6	लोन नं. 0NDA2108000005038498, करम जीत सिंह, अजीत पाल कौर	6/134, निरंकारी कॉलोनी, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली – 110009	12-03-2026 एवं ₹ 15,98,078 /-	छत के अधिकार के साथ तीसरी मंजिल (दाहिनी ओर पीछे की ओर) खसरा नंबर 11/21, गली नंबर 2, ब्लॉक बी, गांव कमलपुर माजरा बुरारी, पश्चिमी संत नगर, दिल्ली – 110084, क्षेत्रफल– 50 वर्ग गज, चतुर्सीमाः पूर्व – अन्य संपत्ति, पश्चिम – प्रवेश/अन्य फ्लैट (सामने का दाहिना भाग), उत्तर – अन्य फ्लैट (पीछे का बायां भाग), दक्षिण – अन्य संपत्ति
7	लोन नं. 0NDA2107000005037386, गुरपाल सिंह, कुलदीप कौर	मकान नंबर 6/134, निरंकारी कॉलोनी, मुखर्जी नगर, दिल्ली – 110009	12-03-2026 एवं ₹ 9,01,967 /-	पहली मंजिल, दाहिनी ओर पीछे की तरफ, छत के अधिकार के बिना, खसरा संख्या 11/21, गली संख्या 02, ब्लॉक बी, गांव कमलपुर माजरा, बुराड़ी, दिल्ली – 110084, क्षेत्रफल– 50 वर्ग गज, चतुर्सीमाः पूर्व – संपत्ति का हिस्सा, पश्चिम – 16 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर – 16 फीट, दक्षिण – अन्य संपत्ति
8	लोन नं. 0AGR2012000005032394, तौफीक खान, नगीना	4–C/15 केसर विहार अलीपुर, शाहगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश – 282010	12-03-2026 एवं ₹ 10,23,540 /-	संपत्ति खसरा नंबर 644, वाके अलीपुर, नगला अलबतिया, तहसील और जिला आगरा, उत्तर प्रदेश – 282010 पर स्थित है, क्षेत्रफल– 450 वर्ग फुट, चतुर्सीमाः पूर्व – दिगर की भूमि, पश्चिम – 8 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर – दिगर की भूमि, दक्षिण – 8 फीट चौड़ी सड़क
9	लोन नं. 0ALG2012000005031959, राज रानी, लवली चंद्रा	गढ़ी तमना न्यू कॉलोनी, हाथरस, उत्तर प्रदेश – 204101	12-03-2026 एवं ₹ 13,66,360 /-	खसरा नंबर 179 के भाग पर स्थित संपत्ति, ग्राम गढ़ी तमना परगना तहसील एवं जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश – 204101, क्षेत्रफल– 167.22 वर्ग मीटर, चतुर्सीमाः पूर्व दिशा – हर चरण का प्लॉट, पश्चिम दिशा – रतिराम का प्लॉट, उत्तर दिशा – सुखदेवी जादुन का प्लॉट, दक्षिण दिशा – 12 फीट चौड़ी सड़क
10	लोन नं. 0NHP2007000005028515, मधुरंजन कुमार पांडे, आरती	जी–3, हरकेश नगर, ओखला टैंक, ओखला फेज 2, दिल्ली – 110020	12-03-2026 एवं ₹ 14,26,303 /-	प्लॉट नंबर 326–ए का हिस्सा, अराजी खेवट नंबर–4 खतौनी नंबर–5 किला नंबर–21 (8–0) राजस्व संपदा सेहतपुर, फरीदाबाद, हरियाणा – 121003, क्षेत्रफल– 396 वर्ग फुट
11	लोन नं. 0SAH2001000005026230, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद आरिफ, दिलशाद	मोहल्ला आतिश बाजान, निकट हकीर हरि तारिक, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश – 247001	12-03-2026 एवं ₹ 7,32,828 /-	प्लॉट नंबर 38 का हिस्सा, खसरा नंबर 271 Mi प्रगति विहार कॉलोनी करनल की कोठी और डिफेंस कॉलोनी के पास बेहट रोड, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश – 247001, क्षेत्रफल– 63 वर्ग गज, चतुर्सीमाः पूर्व – 15 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिम – अन्य की संपत्ति, उत्तर – अन्य मकान, दक्षिण – प्लॉट संख्या 38 का भाग
12	लोन नं. 0GGN1812000005016894, जीतेन्द्र कुमार, रेखा देवी	मकान नंबर 495, सेक्टर–37, खान डीएसए (104), गुड़गांव, हरियाणा – 122004	12-03-2026 एवं ₹ 14,18,209 /-	संपत्ति आईडी नंबर 187C616U204, जोन– 4, अंदरून आबादी लाल डोरा, मौजा शिवना, बेगमपुर खटोला, तहसील कादीपुर, जिला गुरुग्राम, हरियाणा – 122004, क्षेत्रफल– 149.33 वर्ग गज
13	लोन नं. SHB_1406_024375, शाहनवाज, जकारा खातून	मकान नंबर – 222, इब्बू का भट्टा, लालटेन फैक्ट्री के पास, उत्तर प्रदेश – 201001	12-03-2026 एवं ₹ 11,73,106 /-	मकान नं. 326, ग्राम कैला परगना लोनी तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201102
14	लोन नं. 0NNL2312000005075654 सुभाष कुमार, नरेश कुमार	पुत्र ओम प्रकाश, शामपुरा 1, महेंद्रगढ़, हरियाणा – 123024	12-03-2026 एवं ₹ 9,25,665 /-	संपत्ति खेवट संख्या 443, खतौनी संख्या 569, खसरा संख्या 54//21/1/0/3, वाका रकबा मौजा श्यामपुरा उपतहसील सतनाली, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा – 123024, क्षेत्रफल– 72 वर्ग गज

स्थान : गुडगाँव
दिनांकः 07.04.2026

प्राधिकृत अधिकारी
शुभम हाउसिंग डेवलपमेन्ट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

Satin Housing Finance Ltd. THE ANSWER IS HOME

पंजीकृत कार्यालयः 5वीं मंजिल, कुंदन भवन, आजादपुर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आजादपुर, नई दिल्ली-110033
कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नं. 492, उद्योग विहार, फेज-3, गुरुग्राम, हरियाणा-122016

नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत साटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसंपत्तियों का कब्जा लेने के बाद, उधारकर्ता से बकाया राशि की वसूली के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा सीलबंद लिफाफों में नीचे वर्णित अचल संपत्ति की खरीद के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं जो संपत्ति भौतिक कब्जे में है और 08-05-2026 को "जैसा है जहां है और जैसा है जो है" के आधार पर बेची जाएगी, जिसका विवरण नीचे दिया गया हैः

उधारकर्ता (ओं)/गारंटर (ओं)	मांग सूचना की तिथि और राशि	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि जमा (ईएमडी)
ऋण सं.: LAGZB0719-00000924 1. सुनील, पुत्र लाल सिंह (उधारकर्ता) 2. सीमा देवी पुत्री बाबूलाल (सह-उधारकर्ता) निवासीः नबी करीम 12, हापुड़ एच. ओ., गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-245101 फोन नं.: 7055021602	16-12-2022 रू. 3,28,873/- (रुपये तीन लाख अठाइस हजार आठ सौ तिहत्तर मात्र) 09-दिसंबर-2022 तक की बकाया राशि	रू. 5,90,400/- (रुपये पांच लाख नब्बे हजार चार सौ मात्र) रू. 59,040/- (रुपये उनसठ हजार चालीस मात्र)

अचल संपत्ति का विवरणः प्लॉट नं.: एनए, बिल्डिंग नं.: एनए, बिल्डिंग/सड़क का नामः मोहल्ला नबी करीम, हापुड़, मंजिल नं.: एनए, फ्लैट/मकान नं.: एनए, हापुड़ एच.ओ., गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश (भारत) पिनकोड-245101

1. सीलबंद प्रस्तावों को निर्धारित निविदा फॉर्म में ईएमडी के साथ जमा करने की अंतिम तिथि 04-05-2026 है, जो ऊपर उल्लिखित कॉर्पोरेट कार्यालय के पते पर जमा किए जाएंगे। अधूरे भरे हुए या अंतिम तिथि के बाद प्राप्त हुए निविदा अमान्य माने जाएंगे और तदनुसार खारिज कर दिए जाएंगे। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
2. ऊपर उल्लिखित कॉर्पोरेट कार्यालय के पते पर संपत्ति के लिए प्रस्तावों को खोलने की तिथि 30-04-2026 सुबह 11:00 बजे है। निविदा अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में खोले जाएंगे।
3. अचल संपत्ति का निरीक्षण करने की तिथि सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे के बीच 30-04-2026 है।
4. ऋण समझौते के अनुसार, सूचना में बकाया राशि पर लागू होने वाला ब्याज और आकस्मिक व्यय, लागत आदि वसूली होने तक देय रहेंगे।
5. उधारकर्ता और गारंटर को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे बिक्री के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें और वे ऊपर वर्णित अचल संपत्ति को खरीदने के लिए इच्छुक खरीदारों/क्रयकताओं को ला सकते हैं, जैसा कि बिक्री के नियम और शर्तों के विवरण में दिया गया है।
6. उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को सरफेसी एक्ट 2002 के तहत 30 दिन का बिक्री सूचना दिया जाता है कि वे नीलामी की तारीख से पहले ऊपर उल्लिखित राशि का भुगतान करें, अन्यथा अचल संपत्ति की नीलामी कर दी जाएगी और यदि कोई शेष राशि होगी तो वह ब्याज और लागत के साथ वसूल की जाएगी। यदि उधारकर्ता बिक्री की तारीख से पहले साटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को पूरी बकाया राशि का भुगतान कर देता है, तो नीलामी रोकी जा सकती है।
7. नीलामी की विस्तृत नियम और शर्तें निर्धारित निविदा फॉर्म में दी गई हैं। निविदा फॉर्म उपरोक्त कॉर्पोरेट कार्यालय में उपलब्ध हैं।
8. अचल संपत्ति सबसे ऊंचे बोली लगाने वाले को बेची जाएगी। हालांकि, अधोहस्ताक्षरी यदि आवश्यक समझे तो आपसी बोली की अनुमति देने का पूर्ण विवेक सुरक्षित रखता है।
9. कंपनी संपत्ति पर किसी भी ऐसी देनदारी के लिए जिम्मेदार नहीं है जिसकी जानकारी कंपनी को नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए, अधिकृत अधिकारी श्री लवी धारीवाल से उनके मोबाइल नंबर 8979788166 पर, ऊपर उल्लिखित कॉर्पोरेट कार्यालय के पते पर संपर्क करें।

स्थानः गुरुग्राम, — हस्ता./-अधिकृत अधिकारी
दिनांकः08.04.2026 — सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

सार्वजनिक सूचना
पैराककोट इन्वेस्टमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में)

पंजीकरण कार्यालयः सी-206, घाटकोपर इंडस्ट्रियल एस्टेट, एल.बी.एस. मार्ग, एनासिन कंपनी के पास, घाटकोपर (पश्चिम), मुंबई शहर, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत, 400086

ई-नीलामी की सार्वजनिक घोषणा की तिथि – 08 अप्रैल 2026

माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, मुंबई बेंच ("एनसीएलटी") के आदेश दिनांक 03-01-2025 द्वारा दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 ("कोड") के प्रावधानों के तहत, "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है", "जो भी है" और "बिना किसी सहारा" के आधार पर स्टैंडअलोन आधार पर, पैराकोट इन्वेस्टमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) की संपत्ति की नीलामी हेतु ई-नीलामी की तिथि – 02 मई 2026 दोपहर 2:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक

भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (लिक्विडेशन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 32 के अनुसार, एतद् द्वारा सार्वजनिक घोषणा की जाती है कि मैसर्स पैराककोट इन्वेस्टमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (लिक्विडेशन में) की परिसंपत्तियों की स्वतंत्र आधार पर नीलामी के संबंध में बोली प्रस्तुत करने हेतु संभावित बोलीदाताओं से अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है।

परिसंपत्तियों की बिक्री "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है", "जो भी है" और "बिना किसी सहारा" के आधार पर मैसर्स पैराककोट इन्वेस्टमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (लिक्विडेशन में) के स्वामित्व में, लिक्विडेटर द्वारा गठित लिक्विडेशन एस्टेट का हिस्सा होने के नाते की जा रही है, जिन्हें माननीय एनसीएलटी, मुंबई पीठ द्वारा दिनांक 03 जनवरी, 2025 के आदेश के माध्यम से नियुक्त किया गया है। उक्त बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, वेब पोर्टल https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi. पर की जाएगी।

नीलामी की तिथिः 02.05.2026

परिसंपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु.)	जमा धरोहर राशि (रु.)	बोली वृद्धि (रु.)
प्रथम तल पर वाणिज्यिक परिसर जिसका नगरपालिका संख्या 1588-89, अजीस गंज बहादुरगढ़ रोड, दिल्ली 110006 की "जैसा है, जहां है", "जैसा है, जो है", "जो कुछ भी है" और "कोई सहारा नहीं" के आधार पर की परिसंपत्ति की बिक्री	74,70,000	7,47,000	50,000

महत्वपूर्ण नोटः

1. परिसमापक ई-नीलामी प्रक्रिया के विनियमन 32 के तहत परिकल्पित प्रथम तल, जिसका नगरपालिका संख्या 1588-89, अजीस गंज बहादुरगढ़ रोड, दिल्ली 110006 पर स्थित हॉल की नीलामी बिक्री ई-नीलामी सेवा प्रदाता अर्थात बैंकनेट नीलामी मंच अपने वेब पोर्टल पर (https://baanknet.com/) के माध्यम से "जैसा है, जहां है", "जैसा है, जो है", "जो कुछ भी है" और "कोई सहारा नहीं" के आधार पर करेगा।
2. प्रक्रिया और समयसीमा का विवरण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज में उल्लिखित है। उक्त ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज बैंकनेट नीलामी मंच की वेबसाइट पर उपलब्ध है, वेबसाइट का पताः https://baanknet.com/)
3. परिसमापक को किसी भी या सभी प्रस्ताव (ओं) को स्वीकार या अस्वीकार करने या ई-नीलामी को स्थगित/रोकने/रद्द/संशोधित/समाप्त करने या किसी भी स्तर पर नीलामी कार्यवाही से उसकी किसी भी संपत्ति को बिना कोई कारण बताए वापस लेने का पूर्ण अधिकार है।
4. संहिता की धारा 35(1) के खंड (एफ) के प्रावधान के अनुसार, इच्छुक बोलीदाता बोली प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होंगे यदि वह संहिता की धारा 29ए (समय-समय पर संशोधित) में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है।
5. संभावित बोलीदाताओं को अपेक्षित दस्तावेज (जैसा कि विस्तृत ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज में उल्लिखित है) प्रस्तुत करने होंगे, जिसमें यह वचन भी शामिल होगा कि वे लागू सीमा तक संहिता की धारा 29ए के अंतर्गत किसी भी अयोग्यता से ग्रस्त नहीं होंगे। यदि संभावित बोलीदाता किसी भी स्तर पर अयोग्य पाया जाता है, तो जमा की गई बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।
6. ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज में बताई गई प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि गुरुवार, 30 अप्रैल, 2026 है।
7. योग्य बोलीदाताओं द्वारा बयाना राशि जमा करने की अंतिम तिथि गुरुवार, 30 अप्रैल, 2026 से शाम 06:00 बजे तक केवल ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से होगी।

हस्ता/-
एस. गोपालकृष्णन
पैराककोट इन्वेस्टमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के परिसमापक
पंजीकरण संख्याः **IBBI/IPA-002/IP-N00151/2017-18/10398**

स्थानः मुंबई
दिनांकः 08 अप्रैल 2026

Mahindra FINANCE

पंजीकृत कार्यालयः गेटवे बिल्डिंग, अपोलो बंदर, मुंबई- 400 001
कॉर्पोरेट कार्यालयः बी विंग, तीसरी मंजिल, अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, पीरामल अमिति बिल्डिंग, कमानी जंक्शन,कुर्ला पश्चिम, मुंबई- 400 070

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना [सरफेसी अधिनियम के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8(6) के अंतर्गत]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (नियम) के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के तहत बैंक को गिरवी रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी सूचना]

आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता, गारंटर और बंधककर्ता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां (सामूहिक रूप से "संपत्ति") जो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (सुरक्षित लेनदार/एनबीएफसी) के पास गिरवी/बंधक हैं, जिनका कब्जा बैंक के अधिकृत अधिकारी द्वारा एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13(4) के तहत नियमों के अनुसार ले लिया गया है, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है, को बैंक के बकाया और ब्याज की वसूली के लिए निम्न दिनांक को "जैसा है, जहां है", "जैसा है, जो है", "जो भी है" और "बिना किसी सहारा के" आधार पर बेची जाएंगी। यह नीलामी नियमों के नियम 8 और 9 के तहत नीचे विवरण दिए गए ब्याज सहित बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे दिए गए ई-नीलामी कार्यक्रम के अनुसार बोलियां आमंत्रित करके की जाएगीः पक्षों,

बकाया राशि और संपत्ति का संक्षिप्त विवरण

उधारकर्ता और बंधककर्ता का नाम	मांग राशि, मांग सूचना तिथि और कब्जा सूचना की तिथिः	संपत्ति निरीक्षण की तिथि और समय	दस्तावेजों सहित बोलियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि	ई-नीलामी की तिथि और समय	आरक्षित मूल्य, ईएमडी और बीआईए	अधिकृत अधिकारी का नाम, संपर्क नंबर और ईमेल आईडी
1. मेसर्स जोनी मोबाइल्स(उधारकर्ता) 2.श्री अरविंद कुमार (सह-उधारकर्ता 1) 3.श्री हर्षवर्धन (सह-उधारकर्ता 2) 4.श्रीमती पूजा अग्रवाल (सह- उधारकर्ता 3)	10 अक्टूबर 2025 तक 44,26,068/- रुपये (केवल चौवालीस लाख छब्बीस हजार अड़सठ रुपये)	13.04.2026 से 17.04.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच	27.04.2026	ई-नीलामी तिथिः 28.04.2026 ई-नीलामी समयः सुबह 10.00 बजे से शाम 4.00 बजे	आरक्षित मूल्यः 50,00,000 रुपये (पचास लाख रुपये मात्र) बयाना जमाः 5,00,000 रुपये (पांच लाख रुपये मात्र) बोली वृद्धि राशिः रु.25,000/- (पच्चीस हजार रुपये मात्र)	श्री रवि कुमार शर्मा, +91 9928042866, RAVI.SHARMA3@mahindrafinance.com श्री आरिफ खान, +91 9822548464, ARIF.KHAN@mahindrafinance.com, श्री अनुरोध कुमार तिवारी, +91 9752002281, ANURODH.TIWARI@mahindrafinance.com, श्री वरद भारनुके, +91 8097185044, varad.bharnuke@mahindrafinance.com

अचल संपत्तियों का विवरणः मद संख्या-1-सुमेर कॉलोनी, ग्राम कोसली, तहसील कोसली, जिला रेवाड़ी, हरियाणा में स्थित खेवट संख्या 559, खतोनी संख्या 573, मुस्तिल संख्या 68, किल्ला संख्या 1/3(3-9) वाली आवासीय संपत्ति का सम्पूर्ण भाग एवं अंश,जिसका क्षेत्रफल 3 कनाल 9 मरला है और जो इसका 22/261वां हिस्सा है, अर्थात् 0 कनाल 5 मरला 8 सरसाई, यानी 176 वर्ग गज है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व की ओरः- 11 फुट चौड़ा रास्ता – 22''-0'', पश्चिम की ओर- बीएसीडीबी बैंक की संपत्ति- 22''-0'', उत्तर की ओरः – विक्रेता की शेष भूमि – 71'9'', दक्षिण की ओरः – गिरीश की संपत्ति – 71'9'',

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया **https://www.mahindrafinance.com/sme-loans/auction-notices** पर दिए गए लिंक को देखें या अधिकृत अधिकारियों से संपर्क करें।
ई-नीलामी संबंधी मार्गदर्शन के लिए, श्री बालाजी मन्नूर से,मोबाइल नंबरः 7977701080, ईमेल आईडीः **Mannur.govindarajan@c1india.com** पर संपर्क करें।

दिनांकः 08.04.2026 , स्थानः रेवाड़ी, हरियाणा — हस्ताक्षरकर्ता/- अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

मनीवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड www.smcfinance.com

smc finance

मुख्य पताः 11-6बी, शांति चौंबर्स, पूसा रोड, नई दिल्ली – 110005
फोन नंबरः +91-11-30111000, nbfccare@smcfinance.com

कब्जा नोटिस
(सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत)

अधोहस्ताक्षरी, मनीवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, **(सीआईएन संख्या U51909WB1996PTC078352)** के अधिकृत अधिकारी ने सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े गए धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऋण खाता संख्या **ME00073** और **ME00074** – ऑस्कर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल (ऋणकर्ता), एक साझेदारी फर्म के लिए दिनांक 12-01-2026 को मांग नोटिस जारी किया,जिसके साझेदार और सह-ऋणकर्ता हैं:- **1. श्री नवीन सांगवान, 2. श्री विपिन सांगवान, 3. ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड का पता : "मेडिकल मोड़, दिल्ली रोड, रोहतक, हरियाणा-124001"**, अन्य पतेः **"पीजीआई रोड, मंगल पार्क मेडिकल मोड़ के सामने, दरियाओ नगर, रोहतक, हरियाणा 124001"**, अन्य पतेः **"मकान संख्या 19, सेक्टर 4, पानीपत के पास, रोहतक, हरियाणा-124001"**, अन्य पतेः **"सिविल अस्पताल के सामने, ऑस्कर अस्पताल, भगत सिंह चौक के पास, झज्जर, हरियाणा-124103"**, अन्य पतेः **"256/30, दरियाओ सिंह नगर, मेडिकल मोड़, पीजीआईएमएस रोड, रोहतक 124001"**, अन्य पतेः **"मकान संख्या 19, सेक्टर 4 वीटीसी रोहतक पोस्ट ऑफिस, रोहतक, हरियाणा- 124001"**, अन्य पतेः **"प्लॉट संख्या 2केएच संख्या 52, पोल संख्या सीई II, तहसील रोड" नजफगढ़, दिल्ली 110043"**, और यह भी पताः रोहतक झज्जर रोड,सिविल अस्पताल के सामने, हरियाणा 124103" को

नोटिस में उल्लिखित राशि, **यानी 2,45,76,091/-रुपये (दो करोड़ पैंतालीस लाख छिहत्तर हजार इक्यानबे रुपये मात्र)** और **15,12,783/- रुपये (पंद्रह लाख बारह हजार सात सौ तिरासी रुपये मात्र)** दिनांक 07.01.2026 तक, और उस पर ब्याज सहित, उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा गया है।

ऋणकर्ता द्वारा राशि का भुगतान न कर पाने के कारण, ऋणकर्ता(ओं) और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत,, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 03.04.2026 को नीचे वर्णित संपत्ति (अचल संपत्तियों के विवरण में उल्लिखित) का भौतिक कब्जा ले लिया है।

ऋणकर्ता को विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन मनीवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा **15,91,563/-रुपये (पंद्रह लाख इक्यानबे हजार पांच सौ तिरसठ रुपये मात्र)** और 01.04.2026 तक **2,54,35,147/- रुपये (दो करोड़ चौवन लाख पैंतीस हजार एक सौ सैंतालीस रुपये मात्र)** की राशि तथा उस पर ब्याज के अधीन होगा।

ऋणकर्ता का ध्यान गिरवी रखी गई संपत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से सम्बंधित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	उपकरण का विवरण/मॉडल	निर्माता	आपूर्तिकर्ता का नाम	चालान की तिथि	नया/नवीनीकृत	मात्रा	इकाई मूल्य (राशि रुपये में, जीएसटी सहित)	चालान मूल्य (राशि रुपये में)	मार्जिन (राशि रुपये में)	वित्त राशि (राशि रुपये में)	एलटीवी	उपकरण का स्थान
1.	नया सैमसंग अल्ट्रासाउंड मशीन एचएस 30, कॉन्वेक्स टीवी और लीनियर प्रोब्स के साथ, 3 पोर्ट	सैमसंग	जीएन मेडिकल सिस्टम्स	10-10-2024	नया	1	15,00,000/-	15,00,000/-	2,25,000/-	12,75,000/-	85%	स्टार मेडिसिटी सुपर स्पेशलिटी एंड मेडिकल एंड ट्रॉमा सेंटर, बरन ग्रिड के पास, पटियाला-141001
2.	आईसीयु वेंटिलेटर AEONMED VG70 सभी एक्सेसरीज और अपडेटेड ETC02 के साथ, बिल्कुल नया, एडल्ट पीडिया विकल्प के साथ	AEONMED	बीएएमसी मेडिकल लिमिटेड	22-01-2025	नया	20	14,26,600/-	2,85,32,000/-	57,06,400/-	2,28,25,600/-	80%	स्टार मेडिसिटी सुपर स्पेशलिटी एंड मेडिकल एंड ट्रॉमा सेंटर, बरन ग्रिड के पास, पटियाला-141001
3.	हाई एंड मल्टीपैरा पेशेंट मॉनिटर (बीपीएल)	बीपीएल	बीएएमसी मेडिकल	22-01-2025	नया	25	97,754/-	24,43,840/-	7,33,152/-	17,10,688/-	70%	स्टार मेडिसिटी सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, बरन ग्रिड के पास, सरहिंद रोड, पटियाला-141001
							कुल	3,24,75,840/-	66,64,552/-	2,58,11,288/-	79.50	

दिनांक-03.04.2026, स्थान - रोहतक, हरियाणा — अधिकृत अधिकारी, मनीवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड

efl

पंजीकृत/कार्पोरेट/शाखा कार्यालय : ऑडम्बर, प्लॉट नंबर 101/1, डा. केतकर रोड, एरांडवाने, पुणे, महाराष्ट्र-411004

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

जबकि इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड (इसमें आगे "ईएफएल" कही गई है) के प्राधिकृत अधिकारी ने, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (संक्षेप में सरफासी अधिनियम) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरफासी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना जारी की थी, जिसमें निम्नवर्णित कर्जदारों/सह-कर्जदारों/बंधकदाताओं/गारंटरों से सूचना में वर्णितानुसार बकाया राशि उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर, भुगतान की तिथि तक संविदात्मक दर पर आगे ब्याज और सभी लागत, प्रभार और आकस्मिक व्यय आदि सहित चुकाने की मांग की गई थी।

निम्नलिखित कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधकदाता/गारंटर निर्दिष्ट अवधि के भीतर उपरोक्त राशि चुकाने में विफल रहे हैं अतः एतद्द्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा सह-कर्जदार(रों) को सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के साथ पठित सरफासी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है, जो इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) की 25-04-2025 तक तक बकाया **रू. 35,02,401/- (रूपये पैंतीस लाख दो हजार चार सौ एक मात्र)** की वसूली ईएफएल को देय ब्याज और अतिरिक्त/दंड सहित करने के लिए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 और 9 के तहत **"जैसी है जहां है", "जैसी है जो है", "जो भी है वहां है" और "कोई सहारा नहीं"** के आधार पर नीलामी के माध्यम से बेची जाएगी।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइट **https://sarfaesi.auctiontiger.net** के माध्यम से सार्वजनिक ई-नीलामी आयोजित करने जा रहे हैं।

कर्जदार, सह-कर्जदार, बंधकदाताओं का नाम	धारा 13(2) के तहत मांग सूचना के अनुसार तिथि और राशि और भौतिक कब्जे की तिथि, कब्जा सूचना की प्रकाशन तिथि	सम्पत्ति/सम्पत्तियों का विवरण	सुरक्षित मूल्य/धरोहर राशि जमा एवं बोली वृद्धि राशि (रू. में)	ई-नीलामी की तिथि और समय, ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि, निरीक्षण तिथि
1. कर्जदारः- श्री पारसनाथ ट्रेडिंग कंपनी प्रथम तल, 1/488 से 504, दिलशाद गार्डन औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली लैंडमार्क एचएफएफजीजी दिलशाद गार्डन पूर्वी दिल्ली नई दिल्ली-110032 **2. सह-कर्जदारः- नेहा जैन** ए-19 प्रथम तल, गली नंबर 2 जैन मंदिर, राधे पुरी, कृष्णा नगर, कृष्णा नगर, पूर्वी दिल्ली, लैंडमार्क – निकट एटीएम कृष्णा नगर, ईस्ट दिल्ली, नई दिल्ली 110051. **3. सह-कर्जदारः- मोहित जैन** ए-19 प्रथम तल, गली नंबर 2 जैन मंदिर, राधे पुरी, कृष्णा नगर, कृष्णा नगर, पूर्वी दिल्ली, लैंडमार्क – निकट एटीएम कृष्णा नगर, ईस्ट दिल्ली, नई दिल्ली 110051.	25 अप्रैल 2025 एवं रु. 35,02,401/- (रूपये पैंतीस लाख दो हजार चार सौ एक मात्र) 25 अप्रैल 2025 तक बकाया 18 अक्टूबर, 2025 25 अक्टूबर, 2025	**सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड :** संपत्ति फ्रीहोल्ड आवासीय प्रथम तल, क्षेत्रफल परिमाप 55.25 वर्ग मीटर यानि 62.5 वर्ग गज, प्लिंथ/कवर्ड एरिया 52.25 वर्ग मीटर, जो संपत्ति संख्या ए-19 पर निर्मित है, खसरा संख्या 2/34/2 का अंश, जो राधे पुरी आबादी गाँव खुरेजी खास, इलाका शदरा, दिल्ली-110051 के क्षेत्र में स्थित है। **सीमाओं का विवरण इस प्रकार हैः –** **उत्तर की ओरः** सड़क 18 फीट, **दक्षिण की ओरः** अन्य संपत्ति **पूर्व की ओरः** सम्पत्ति सं. 18 **पश्चिम की ओरः** उक्त सम्पत्ति का हिस्सा	**सुरक्षित मूल्य : रू. 25,49,718/-** (रूपये पच्चीस लाख उन्चास हजार सात सौ अठारह मात्र) **ईएमडी : रू. 2,54,972/-** (रूपये दो लाख चौवन हजार नौ सौ बहत्तर मात्र) **बोली वृद्धि राशि : रू. 5,000/-**	12-05-2026 पूर्वा. 11:00 बजे से अप.1:00 बजे तक (5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ) 08-05-2026 अप. 4:00 बजे तक 05-05-2026 पूर्वा. 11:00 बजे से अप. 1:00 बजे तक

1. सभी इच्छुक प्रतिभागियों/बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे **https://sarfaesi.auctiontiger.net** **https://www.electronicafinance.com** वेबसाइट पर जाएं। ई-नीलामी की विस्तृत जानकारी, सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से सम्पर्क कर सकते हैं; सम्पर्क करें : श्री राम शर्मा फोन नंबर : 8000023297. ईमेल आईडी : **ramprasad@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net**
2. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए नियम व शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया **https://www.electronicafinance.com** और **https://sarfaesi.auctiontiger.net** पर जाएं।

यह सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के तहत बिक्री के संबंध में 30 दिन का कानूनी नोटिस भी है

तिथि : 08-04-2026 — हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : दिल्ली एनसीआर — मैसर्स इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड

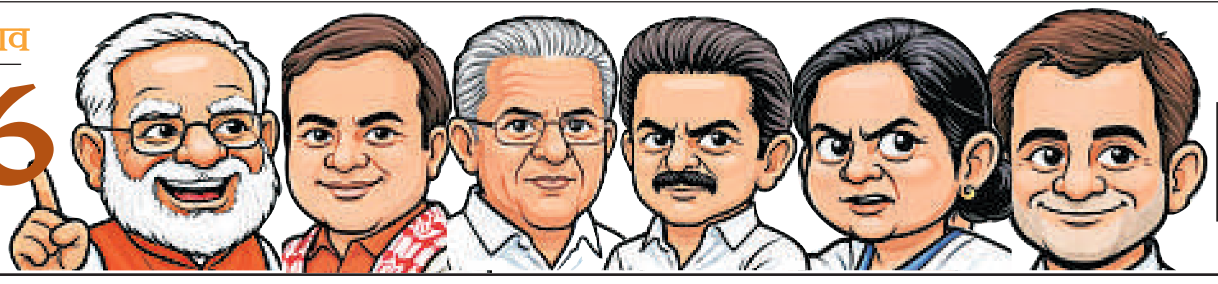

कांग्रेस का नए स्वायत्त क्षेत्र का दांव चला तो मिलेगा वित्तीय अधिकार

जनसत्ता ब्यूरो

असम

असम में सत्ता पाने की कोशिश में जुटी कांग्रेस नए स्वायत्त क्षेत्र के गठन विचार को बड़ा मुद्दा बना रही है। असम में छठी अनुसूची के तहत तीन प्रमुख स्वायत्त जिला परिषदें-बोडोलैंड, कार्बी आंगलोंग और उत्तर कछार हिल्स पहले से ही हैं। अब कांग्रेस ने सत्ता में आने पर चाय बागान वाले प्रमुख क्षेत्रों के लिए एक अलग से स्वायत्त क्षेत्र के गठन का वादा कर रही है। सांसद राहुल गांधी के इस विचार को कांग्रेस घोषणापत्र में भी शामिल किया गया है। स्वायत्त क्षेत्र के गठन से इन क्षेत्रों को विकास कार्य कराने के लिए कुछ वित्तीय अधिकार मिलेंगे।

इस बार विधानसभा चुनाव में संविधान का 244 ए लागू करने का मुद्दा कांग्रेस पार्टी लेकर आई है। इस पहल का सबसे अधिक असर असम में चाय बागान वाले क्षेत्रों और ऊपरी असम के जिले शामिल हैं। इस दायरे में तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट, और सोनितपुर जिले आते हैं। 0कारबी आंगलोंग और बोडोलैंड क्षेत्रीय क्षेत्र में भी आदिवासी मतदाता अहम भूमिका निभाते हैं। यहां के मतदाताओं के लिए यह एक बड़ा मुद्दा है। यही वजह है कि कांग्रेस ने व्यवस्था को अपने चुनावी घोषणा पत्र की गारंटियों में प्रमुखता से शामिल किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में यह

इस बार विधानसभा चुनाव में संविधान का 244 ए लागू करने का मुद्दा कांग्रेस पार्टी लेकर आई है।

घोषणापत्र जारी किया था। इसमें असम के छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा दिए जाने की भी घोषणा शामिल। इन मतदाताओं की राज्य में अधिक संख्या है और यह कांग्रेस पार्टी का पुराना वोट बैंक भी माना जाता है। राज्य में कांग्रेस पार्टी दूसरा बड़ा दल बनकर उभरी थी और बीते चुनाव में 60 ऐसी सीटें थीं, जहां पर कांग्रेस उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे। कम अंतर वाली इन सीटों पर ही पार्टी की नजर है।

विशेषज्ञ पीडी आचार्य बताते हैं कि असम में जनजाति वनवासी आदिवासियों की आबादी वाले जिले हैं। संविधान का 244 ए असम में एक स्वायत्त राज्य बनाने का प्रावधान देता हैं। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद विकास के कार्य इस निकाय के माध्यम से ही होते हैं। इस व्यवस्था को लागू करने से पहले इसके कानून व शक्तियां तय की जाती हैं। यह एक प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था होता है, जिसके पास राज्य के अधिकार से कम शक्ति होती है, लेकिन यह अपने विकास कार्य पूर्ण करने में सक्षम होती है। इसे लागू करने के लिए संसद से कानून बनान होगा और इसे पारित करने के लिए दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती।

स्वागत

पुदुचेरी में मंगलवार को भाजपा युवा मोर्चा की बाइक रैली को हरी झंडी दिखाने के कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को फूलों की माला पहनाते पार्टी नेता।

तीन राज्यों में चुनाव प्रचार खत्म

कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर

जनसत्ता ब्यूरो

असम, पुदुचेरी और केरल में मंगलवार शाम को चुनाव प्रचार का समापन हो गया। तीनों ही प्रदेशों में नौ अप्रैल को मतदान होना है। यहां चुनाव मैदान में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर हैं। असम में बड़ा चेहरा वर्तमान में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा हैं, जबकि केरल में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन व पुदुचेरी में मुख्यमंत्री एन रंगासामी हैं। नौ अप्रैल को इन दिग्गलों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी।

हिमंत सरमा जालुकबाड़ी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस ने इस सीट पर बिदिशा नियोग को टिकट दिया है। वहीं दूसरी ओर असम कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष के अध्यक्ष गौरव गोगोई जोरहाट विधानसभा से अपना भाग्य अजमा रहे हैं। जोरहाट सीट पर चार उम्मीदवार मैदान में हैं। यहां भाजपा ने हितेंद्रनाथ गोस्वामी को टिकट दिया है। असम की दिसपुर सीट से प्रद्युत बोरदोलाइ चुनाव मैदान में हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया, विधानसभा अध्यक्ष बिस्वजीत दैमारी और कई मंत्रिमंडल सहयोगी मैदान में है। केरल के मुख्यमंत्री और लेफ्ट डेमोक्रटिक फ्रंट के प्रमुख नेता पिनरई विजयनअपनी पारंपरिक सीट धर्मदम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजापूरावूर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। इसी प्रकार वीडी सतीशन परवूर सीट से चुनाव मैदान में हैं, इसके लिए खुद राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार किया था। राजीव चंद्रशेखर और के सुरेंद्रन दोनों राजग गठबंधन के दो बड़े चेहरे हैं। राजीव चंद्रशेखर नेमोम से और के सुरेंद्रन मंजेश्वरम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त मार्क्सवादी पार्टी से बागवत करने वाले नेता जी सुधाकरन अंबलप्पुझा सीट से मैदान में हैं। इनका सीधा मुकाबला माकपा के एच सलाम से है। यहां कांग्रेस समर्थन वाली यूडीएफ का कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं है।

मतदान कल

असम

126 सीटों के लिए 722 उम्मीदवार। कुल 2.5 करोड़ मतदाता। 1.25 करोड़ पुरुष, 1.25 करोड़ महिलाएं और 343 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं।

केरल

राज्य की140 सीटों पर 890 उम्मीदवार। कुल 2.71 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 1.32 करोड़ पुरुष, 1.39 करोड़ महिलाएं और 273 थर्ड जेंडर वोटर्स शामिल हैं।

पुदुचेरी

राज्य की 30 सीटों के लिए 294 उम्मीदवार। कुल 9.44 लाख मतदाता। 4.43 लाख पुरुष, 5 लाख महिलाएं और 139 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं।

इन दिग्गजों ने किया प्रचार

असम, केरल और पुदुचेरी में सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख प्रचारकों ने मंगलवार को चुनाव को अपने पाले में करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। हालांकि ये दिग्गज पूरे महीने एक के बाद एक रैलियां कर मतदाताओं को रिझाने की पूरी कोशिश की। भाजपा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा समेत आला नेताओं ने प्रचार का जिम्मा संभाला तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पवन खेड़ा, गौरव गोगोई ने तीनों राज्यों में जमकर प्रचार किया। पुदुचेरी में मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने राजग के लिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने केरल व पुदुचेरी में कांग्रेस के लिए और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केरल में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) के लिए जमकर प्रचार किया।

बंगाल में कांग्रेस ने किया महिलाओं को मुफ्त शिक्षा का वादा

जनसत्ता ब्यूरो

कांग्रेस ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी करते हुए महिलाओं के लिए स्नातकोत्तर तक मुफ्त शिक्षा और एक वर्ष के भीतर सभी रिक्त सरकारी पदों पर युवाओं की भर्ती करने समेत कई वादे किए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पार्टी का घोषणापत्र जारी किया तथा पार्टी को लोगों के सामने तृणमूल कांग्रेस एवं भाजपा के अलावा तीसरे विकल्प के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा, बंगाल में अपने 15 वर्षों के शासनकाल में तृणमूल कांग्रेस ने राज्य के विकास के लिए कुछ खास नहीं किया है। निवेश और रोजगार सृजन की जरूरत है। भाजपा भी अर्थव्यवस्था या रोजगार सृजन की बात नहीं करती, बल्कि उसकी सिर्फ ध्रुवीकरण में दिलचस्पी है। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में महिलाओं के लिए प्रति माह 2000 रुपये की सहायता, स्नातकोत्तर तक मुफ्त शिक्षा एवं मुफ्त परिवहन सेवा का वादा किया है।

पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के बीच

महिला आरक्षण बिल पर तेज हुई सियासी जंग

राकेश शर्मा

राजनीति

देश के पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच एक बार फिर से महिला आरक्षण बिल चुनावी बहस के केंद्र में आ गया है। इस बिल को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के नेता समर्थन करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन दबी जुबान में विपक्ष बिल पेश करने के समय पर सवाल उठा रहा है। इन दलों का मानना है कि सरकार ने चुनाव में फायदा लेने के लिए वह समय चुना जब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार भी चल रहा होगा। जबकि सरकार इसे बाद में भी ला सकती थी।

नेताओं की मानें तो सरकार 16 अप्रैल से शुरू हो रहे संसद के सत्र में इस बिल को पेश कर सकती है। महिला आरक्षण बिल का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसद सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करना है। बिल के पारित होने के बाद भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि देखने को मिलेगी। वर्तमान में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम है, जिसे बढ़ाने की मांग लंबे समय से उठती रही है। ऐसे में यह बिल पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। सत्तारूढ़ दल इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताकर पेश कर सकती है। इस बिल का असर खासतौर पर महिला मतदाताओं पर पड़ सकता है, जो हाल के वर्षों में चुनावों में निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी ने महिलाओं को ध्यान में रखकर पहले ही कई योजनाएं शुरू की है। ऐसे में वह इस बिल का समर्थन कर महिलाओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास करेंगी।

इस संबंध में केरल से कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने कहा कि कांग्रेस इस बिल का समर्थन करती हैं। संसद में बिल के पक्ष में अपना मत रखेगी। पार्टी ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। पार्टी ने नेता सोनिया गांधी ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर दिया है। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) अजित पवार गुट के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव ने कहा कि इस बिल से सदन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। हालांकि बिल को पूरी तरह से प्रभावी व लागू होने में दस साल का समय लग जाएगा।

इससे पहले स्थानीय निकाय में इस आरक्षण को लागू किया गया था, जिसे जमीन पर उतारने में दस साल लग गए थे। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि महिला बिल पर भाजपा ने कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी है। वह केवल चुनावी बयान बाजी कर रही है, भाजपा लोगों के हित में कुछ नहीं करती।

सोलह अप्रैल से शुरू हो रहे संसद के सत्र में रखा जा रहा है विधेयक, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में दिख सकता है असर।

विपक्ष बिल के समय को लेकर सवाल उठा रहा

भाजपा के तमिलनाडु के राज्य सचिव विनोज पी सेल्वम ने कहा कि विपक्ष बिल के समय को लेकर सवाल उठा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को विकास को लेकर काम कर रहे हैं। देश में हर साल चुनाव होते ही रहते हैं। ऐसे में संसद में लाने का सभी समय उचित है। भाजपा ने महिलाओं के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया। अब इस बिल को पास करवाकर महिलाओं को उनका उचित अधिकार भी देंगे। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में पहले चरण का प्रचार 21 अप्रैल को थम जाएगा। वहीं पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का प्रचार 27 अप्रैल को थमेगा। ऐसे में संभावना है कि 16 अप्रैल से शुरू होने वाले संसद के दौरान इस बिल का असर चुनावी चर्चाओं में देखने को मिल सकता है।

चेन्नई की एगमोर सीट पर नई पीढ़ी के बीच मुकाबला

सुशील राघव

तमिलनाडु

चेन्नई की एगमोर विधानसभा सीट इस बार सिर्फ एक चुनावी मैदान नहीं, बल्कि 'नई राजनीति की प्रयोगशाला' बन गई है। यहां सभी बड़ी पार्टियों ने अपने पुराने चेहरों को किनारे कर, पहली बार चुनाव लड़ रहे युवा उम्मीदवारों पर दांव खेला है।

द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) ने जहां तेज-तर्रार वकील और टीवी चर्चाओं में पहचान बना चुके तमिलन प्रसन्ना को उतारा है, वहीं अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) ने युवा उद्यमी अभिषेक रंगासामी पर भरोसा जताया है। अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कषगम (टीवीके) ने यूट्यूबर राज मोहन को मौका दिया है, तो नाम तमिलर काची (एनटीके) ने सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) पेशेवर सरन्या को मैदान में उतारा है। इस सीट पर चतुष्कोणीय मुकाबला मुकाबला देखने को मिल रहा है। इन चारों उम्मीदवारों में कुछ खास समानताएं हैं। वे सभी युवा हैं, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, और अपनी-अपनी पार्टियों में नेतृत्व की एक नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

प्रसन्ना लंबे समय से द्रमुक से जुड़े हैं और प्रवक्ता के तौर पर टेलीविजन चर्चाओं में एक जाना-पहचाना चेहरा हैं। उनका कहना है कि हमें पूरा भरोसा है कि एगमोर द्रमुक का किला बना रहेगा। द्रमुक ने कई बार एगमोर जीता है। उन्होंने कहा कि युवा हमारे साथ हैं जबकि टीवीके के समर्थक 18 साल से कम उम्र के हैं। हमारी सोच है कि हम हमेशा लोगों के लिए काम करते हैं। मेरे पास एगमोर के लिए एक दृष्टि है और हम मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में इस चुनाव क्षेत्र पर अधिक ध्यान दूंगा।

रंगासामी लगभग 18 वर्षों से पार्टी से जुड़े हुए हैं। इससे पहले उन्होंने 2022 के स्थानीय निकाय चुनावों में चेन्नई के एक वार्ड पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ा था। रंगासामी का कहना है कि चेन्नई द्रमुक का गढ़ नहीं है। यह मनगढ़ंत बात है। मैं अन्नाद्रमुक का सबसे युवा उम्मीदवार हूं और मैं अन्नाद्रमुक के वादों को पूरा करूंगा। एगमोर में बुनियादी ढांचे का विकास नहीं हुआ है, यह बाढ़-संभावित क्षेत्र रहा है और नशीले पदार्थ यहां एक बड़ी चिंता का विषय हैं। मोहन अपने चैनल 'तमिल वनक्कम' के लिए जाने जाते हैं और वर्तमान में टीवीके के कार्यक्रमों में प्रस्तोता के तौर पर काम करते हैं। मोहन को लोगों के बीच अच्छा बोलने के लिए जाना जाता है। उनका कहना है कि चेन्नई के हर घर में विजय बसते हैं। एगमोर में कई सुविधाओं की कमी है। हम पक्की सड़कों और साफ-सुथरे सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा विधायक ने कभी भी अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा नहीं किया है। टीवीके की युवा शक्ति से डरकर, सभी पार्टियों ने चुनाव में युवा चेहरों को उतारा है।

दो बच्चों की मां सरन्या एगमोर निर्वाचन क्षेत्र में लोगों की सेवा करने का मौका मांग रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं एकमात्र ऐसी उम्मीदवार हूं जिसका जन्म और पालन-पोषण एगमोर में ही हुआ है। दूसरों की तुलना में मुझे इस निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं की बेहतर जानकारी है। एगमोर की सड़कों पर साफ-सफाई की कमी है। यहां मानसून के दौरान आने वाली बाढ़ एक बड़ी चिंता का विषय है।

द्रमुक ने तमिलन प्रसन्ना को मैदान में उतारा है, जबकि एआइएद्रमुक ने अभिषेक रंगासामी को उम्मीदवार बनाया है। टीवीके ने राज मोहन को चुना है और एनटीके ने सरन्या को मैदान में उतारा है।

एगमोर निर्वाचन क्षेत्र पारंपरिक रूप से द्रमुक का गढ़ माना जाता रहा है। मौजूदा विधायक परंतमन को इस बार टिकट नहीं दिया गया है, क्योंकि पार्टी ने एक नए चेहरे को चुना है।

ऐ भाई...

वायनाड के पडिंजराथारा में मंगलवार को एक चुनावी नुक्कड़ सभा को संबोधित करतीं सांसद प्रियंका गांधी।

'आवासीय योजना में देरी के लिए सरकार जिम्मेदार'

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने मंगलवार को दावा किया कि केरल में मुंडक्कई-चूरलमाला भूस्खलन की घटना के पीड़ितों के लिए पार्टी की आवासीय परियोजना में राज्य की वाम सरकार से मंजूरी समय पर न मिलने की वजह से देरी हुई। प्रियंका ने यहां कलपेट्टा में यूडीएफ गठबंधन की एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि एलडीएफ की टाउनशिप के उद्घाटन के बाद ही कांग्रेस की परियोजना को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में मेरे साथियों को भी ये ही दिक्कतें हुई होंगी। प्रियंका की यह दलील वायनाड आवासीय परियोजना के लिए धन इकट्ठा करने और पैसे के इस्तेमाल के संबंध में कांग्रेस पर अनियमितताओं के आरोपों के बीच आई है। कांग्रेस महासचिव ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर भी हमला किया और सवाल किया कि भ्रष्टाचार के कई आरोपों का सामना करने के बावजूद उनके खिलाफ कोई मामला क्यों नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद मोदी और भाजपा का विरोध करने वालों के खिलाफ केंद्रीय एजंसियां जांच कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया, तो, यह साफ है कि उनके बीच एक गुप्त समझौता है। प्रियंका ने यह आरोप भी लगाया कि केरल में पिछले 10 सालों के एलडीएफ राज में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी है, राज्य पर बहुत ज्यादा कर्ज है। (ए)

'केरल चुनाव में एलडीएफ को मजबूत जनादेश का भरोसा'

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने नौ अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रचार समाप्त होने के साथ ही मंगलवार को विश्वास जताया कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेतृत्व वाले मोर्चे को एक दशक तक सत्ता में रहने के बावजूद जनता का समर्थन प्राप्त है। माकपा के वरिष्ठ नेता ने जनता से हाल में हुए संवाद के आधार पर यह दावा किया कि लोगों का रुझान वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) के पक्ष में है। कन्नूर में उन्होंने कहा, हमारी जनता से बातचीत से यह समझ में आया है कि केरल की सोच एलडीएफ के साथ है। विभिन्न स्तरों पर यूडीएफ को नकारा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एलडीएफ 2021 के मुकाबले अधिक सीटें जीतकर पहले से मजबूत जनादेश के साथ सत्ता में वापसी करेगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राज्य में खाता भी नहीं खोल पाएगा। आलोचनाओं को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि वे व्यापक जनविरोध में नहीं बदली हैं। विजयन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस आरोप को भी खारिज किया, जिसमें उन्होंने केरल में माकपा और भाजपा के बीच समझौते की बात कही थी। उन्होंने कहा, यह बेबुनियाद आरोप हैं और गांधी को जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। कांग्रेस की राजनीति पर सवाल उठाते हुए उन्होंने अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं का उदाहरण दिया। (ए)

'पुदुचेरी भाजपा की जनविरोधी नीतियों का परीक्षण स्थल बनी'

तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने मंगलवार को दावा किया कि भाजपा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी पर उसी तरह पूर्ण नियंत्रण चाहती है, जैसे वह एडप्पाडी के. पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली अन्नाद्रमुक के माध्यम से तमिलनाडु पर नियंत्रण हासिल करना चाहती है। द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेतृत्व वाले धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन (एसपीए) के उम्मीदवारों के लिए चुनावी प्रचार करते हुए उदयनिधि ने कहा कि पुदुचेरी की जनता ने इस प्रेम की भूमि में कभी नफरत की राजनीति करने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा, आज इस केंद्र शासित प्रदेश में फासीवादी भाजपा से जुड़ी ताकतों की घुसपैठ काफी बढ़ गई है। यह प्रदेश भाजपा की सभी जनविरोधी नीतियों का परीक्षण स्थल बन गया है। यहां भाजपा एआइएनआरसी के कंधों पर ठीक उसी तरह सवार है, जैसे तमिलनाडु में पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली अन्नाद्रमुक के कंधों पर। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की जनविरोधी नीतियों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी शामिल है और इसके माध्यम से जाति आधारित शिक्षा प्रणाली लागू की गई है। उदयनिधि ने कहा, वे ऐसी योजनाएं लागू कर रहे हैं जो पुदुचेरी में आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर देंगी, लेकिन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भाजपा की साजिशों को राज्य में प्रवेश करने से प्रभावी ढंग से रोक दिया है। (ए)

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी बण्डा, शाहजहाँपुर।

पत्रांकः 37/आकिंक/क्षे0पं0/नि0का0/नि0 प्रकाशन/2026-27 दिनांकः 07.04.2026

अल्पकालीन निविदा सूचना

समस्त पंजीकृत ठेकेदारो को सूचित किया जाता है कि विकास खण्ड बण्डा, शाहजहाँपुर द्वारा वित्तीय बर्ष 2025-26 में''पंचम राज्य वित्त आयोग/15वॉ केन्द्रीय वित्त आयोग (अनटाइड फण्ड / टाइड फण्ड)'' के अन्तर्गत नीचे दिये जा रहे विवरण के अनुसार कार्य किये जाने है जिसके लिये सीलबन्द निविदायें दिनांकः 07.04.2026 से दिनांक 21.04.2026 तक आमत्रित की जाती है प्राप्त होने वाली निविदाये दिनांक 21.04.2026 को अपराहन 03:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में खोली जायेगी। निविदा सम्बन्धी फार्म दिनांकः- 07.04.2026 से दिनांक 21.04.2026. तक प्रातः 12 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में निविदा धनराशि प्रति कार्य जमा कर कार्यालय से क्रय किया जा सकता है। निर्धारित दिनांक समय के उपरान्त प्राप्त होने वाली निविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी । निविदा के सम्बन्धित नियम व शर्ते विकास खण्ड पर निविदा प्रकाशन के उपरान्त किसी भी कार्य दिवस मे देखी जा सकती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम स्थान सहित	कार्य की माप लम्बाई	कार्य की प्रकालित लागत (लाख)	निविदा मूल्य	अर्नेस्ट मनी (2 प्रतिशत)	कार्य प्रारम्भ होने से कार्य पूर्ण होने की अवधि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	(पंचम राज्य वित्तआयोग से स्वीकृत कार्य)					
1.	महेन्द्र सिंह के मकान से रनधीर के खेत तक खण्डजा निर्माण कार्य।	450.00 मी0	9.51	600	19020.00	3 माह
2.	अवां बुजुर्ग मे मेन रोड से पुनित मिश्रा के मकान तक खण्डजा निर्माण कार्य	185.00 मी0	3.94	600	7880.00	3 माह
3.	मुनेश वर्मा के खेत से ढका की सीमा तक खण्डजा निर्माण कार्य	450.00 मी0	9.51	600	19020.00	3 माह
4.	बिहार की सीमा से ढुकुरी की सीमा तक खण्डजा निर्माण कार्य।	450.00 मी0	9.51	600	19020.00	3 माह
5.	मुडिया बनिगवां मार्ग से गुरुदीप सिंह के मकान तक खण्डजा निर्माण कार्य	450.00 मी0	9.53	600	19060.00	3 माह
6.	शेर बहादुर के खेत से बिहार की सीमा तक खण्डजा निर्माण कार्य।	450.00 मी0	9.53	600	19060.00	3 माह
7.	मनोज के मकान से तिन्दुआ की सीमा तक खण्डजा निर्माण कार्य	450.00 मी0	9.53	600	19060.00	3 माह
8.	नईम के मकान से पितम के मकान तक खण्डजा निर्माण कार्य।	450.00 मी0	9.55	600	19920.00	3 माह
9.	सडिया मे सरदुल सिंह के मकान से नहर तक खण्डजा निर्माण कार्य	250.00 मी0	5.31	600	10620.00	3 माह
10.	अल्हादादपुर मे सोहनलाल के मकान से श्यामलाल के मकान तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	88.00 मी0	4.42	600	8840.00	3 माह
11.	सडिया मे झरमल सिह के मकान से लिंक रोड तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	180.00 मी0	8.99	600	17980.00	3 माह
12.	बलवीर सिह के मकान से पी0डब्लु0डी0 रोड तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	150.00 मी0	7.50	600	15000.00	3 माह
13.	श्रीकान्त वाजपेई के मकान से बाजार तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	180.00 मी0	8.99	600	17980.00	3 माह
14.	गुरुद्वारा से मेन रोड तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	150.00 मी0	7.50	600	15000.00	3 माह
15.	धर्मापुर मे बलवीर इन्द्रसिंह के घर से गुरुद्वारा तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	170.00 मी0	8.49	600	16980.00	3 माह
16.	आवां बुजुर्ग मे सोनपाल के घर से बंसतलाल पांसी के मकान तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	70.00 मी0	3.52	600	7040.00	3 माह
17.	तिन्दुआ नगरिया मे मेन रोड से चरनजीत के मकान तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	150.00 मी0	7.50	600	15000.00	3 माह
18.	रक्षपाल के घर से जसपाल के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	100.00 मी0	4.99	600	9980.00	3 माह
19.	बिरहना बुजुर्ग मे रामकिशोर के मकान से प्राइमरी स्कूल तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	150.00 मी0	7.50	600	15000.00	3 माह
	(15वॉ केन्द्रीय वित आयोग, अनटाइड फण्ड से स्वीकृत)					
1.	कुइया महोलिया मे मैन रोड से अजायव सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	95.00 मी0	4.77	600	9540.00	3 माह
2.	ढुकुरी बुजुर्ग मे रविन्द्र के घर से विनय भदौरिया की जगह तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	180.00 मी0	8.99	600	17980.00	3 माह
3.	ररुआ मे तिराहे से मुजीम के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	180.00 मी0	8.99	600	17980.00	3 माह
4.	ढका मे मेन रोड से अनिल वर्मा के मकान तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	55.00 मी0	2.78	600	5560.00	3 माह
5.	प्राइमरी स्कूल से होली स्थान तक इण्टरलाकिंग का अवशेष कार्य व प्रा0वि0 के उत्तर कोने से दक्षिण कोने कन्याणपुर धरमाई रोड तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	160.00 मी0	7.99	600	15980.00	3 माह
6.	आवां मे मैन रोड से सुखदेव के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य	100.00 मी0	5.02	600	10040.00	3 माह
7.	बसन्तापुर मे मनोज के मकान से धमेन्द्र कुमार के मकान तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	50.00 मी0	2.53	600	5060.00	3 माह
	(15वॉ केन्द्रीय वित्तआयोग, टाइड फण्ड से स्वीकृत)					
1.	बेलावली मे रघुवीर के घर से नाला तक नाला निर्माण कार्य	240.00 मी0	6.40	600	7300	3 माह
2.	बरगदा मे मुण्शी के घर से शमशान घाट तक नाला निर्माण कार्य	374.00 मी0	9.94	600	9200	3 माह
3.	कैथ भगौतीपुर मे सुबोध कुमार के मकान के पास पेयजल ब्यवस्था कार्य	1 नग	2.29	600	4580	3 माह
4.	तिन्दुआ मे साधू के मकान के पास पेयजल ब्यवस्था कार्य	1 नग	2.29	600	4580	3 माह
5.	चिकटिया में बागीश के घर के पास पेय जल व्यवस्था।	1 नग	2.265	600	4530	3 माह
6.	बरीबरा में गुरूद्वारा में पेयजल व्यवस्था।	1 नग	2.265	600	4530	3 माह
7.	वैवहा में रामासरे पासी के घर पेयजल के पास पेयजल व्यवस्था।	1 नग	2.265	600	4530	3 माह
8.	भितिया श्याम में शिव मन्दिर के पास पेयजल व्यवस्था।	1 नग	2.265	600	4530	3 माह
9.	ढुकरी बुजुर्ग में चौराहे से रवि के मकान तक नाला निमार्ण कार्य।	200 मी0	10.00	1000	20000	3 माह
10.	ग्राम पं0 मझिगई जमुनिया नवदिया में कलक्टर दीक्षित के मकान के पास पेयजल व्यवस्था।	1 नग	2.265	600	4530	3 माह
11.	चरकी देवरी में पंचायत भवन के पास पेयजल व्यवथा	1 नग	2.265	600	4530	3 माह
12.	पटना में गुडडु बी0डी0सी0 के घर के पास पेयजल व्यस्था।	1 नग	2.265	600	4530	3 माह
13.	नवादा ढाह में शेर सिंह के मकान के पास पेयजल व्यस्था।	1 नग	2.265	600	4530	3 माह
14.	बरीबरा में जितेन्द्र के मकान के पास पेयजल व्यस्था।	1 नग	2.265	600	4530	3 माह
15.	ढुकरी बुजुर्ग में देवराज के मकान के पास पेयजल व्यवस्था।	1 नग	2.265	600	4530	3 माह
16.	आवा बुजुर्ग में आलोक शुक्ला के मकान के पास पेय जल व्यवस्था।	1 नग	2.265	600	4530	3 माह
17.	भगवन्तापुर में प्रमोद मिश्रा के मन्दिर के पास पेय जल व्यवस्था।	1 नग	2.265	600	4530	3 माह
18.	उदयपुर में हरीश वर्मा के मकान के पास पेय जल व्यवस्था।	1 नग	2.265	600	4530	3 माह
19.	मझिगई में नवीन प्रधान के घर के पास पेय जल व्यवस्था।	1 नग	2.265	600	4530	3 माह
20.	कुरा में बलजीत बी0डी0सी0 के मकान के पास पेयजल व्यवस्था।	1 नग	2.265	600	4530	3 माह
21.	ग्राम धर्मापुर में टीकराम व लोकराम के मकान के पास सिसोरा रोड नाला तक नाला निमार्ण कार्य।	225 मी0	10.00	10000	20000	3 माह
22.	नवाबपुर में अखिलेश कुमार के स्कूल के पास पेयजल व्यवस्था।	1 नग	2.265	600	4530	3 माह
23.	लालपुर में कृष्णा महाविद्यालय के पास पेयजल व्यवस्था।	1 नग	2.265	600	4530	3 माह
24.	हंसापुर में विपिन के मकान के पास पेयजल व्यवस्था।	1 नग	2.265	600	4530	3 माह
25.	बालेमऊ में अम्बेडकर पार्क के पास पेयजल व्यवस्था।	1 नग	2.265	600	4530	3 माह
26.	ढकाघनष्यामपुर में रामू बी0डी0सी0 के मकान के पास पेयजल व्यवस्था।	1 नग	2.265	600	4530	3 माह
27.	आवां बुजुर्ग में प्राथमिक विद्यालय के पास पेयजल व्यवस्था।	1 नग	2.265	600	4530	3 माह
28.	सार्वजनिक स्थलों के पास पेयजल व्यवस्था।	1 नग	2.265	600	4530	3 माह

नियम व शर्ते-

1. प्रत्येक निविदा के साथ 2 प्रतिशत धरोहरग्रा राशि की बैंक ड्राफ्ट/एन0एस0सी0/ एफ0डी0आर0 खण्ड विकास अधिकारी बण्डा, शाहजहांपुर के पक्ष में बन्धक करवा कर निविदा के साथ सलंग्न किया जाना एंव निविदा खोले जाने के पूर्व मूल प्रति कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
2. जमानत की धनराशि निविदा की 10 प्रतिशत होगी जो निविदा स्वीकृत के उपरान्त सम्बन्धित ठेकेदार को अवशेष 8 प्रतिशत जमानत धनराशि का बैंकड्राफ्ट/एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 खण्ड विकास अधिकारी बण्डा, शाहजहांपुर के पक्ष में अनिवार्य रूप से बन्धक करवा कर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। जिससे कार्य पूर्ण होने के 06 माह बाद वापस कर दिया जायेगा।
3. पंजीकृत ठेकेदारों की ही निविदा मान्य होगी।
4. किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी व मा0 अध्यक्ष क्षेत्र पंचायत बण्डा, शाहजहाँपुर को होगा।
5. सशर्त निविदा/ओवर राईटिंग कटिंग निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा।
6. एकल निविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
7. ठेकेदार को आयकर जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन, हैसियत प्रमाणपत्र, जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाणपत्र, श्रम विभाग का प्रमाणपत्र, कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र इसके अतिरिक्त कार्य प्रारम्भ से पूर्व व पूर्ति के पश्चात स्थलचित्र दिया जाना होगा।
8. कार्य गुणवत्ता के साथ 3 माह में पूर्ण कराया जाना होगा तथा गुणवत्ता के सत्यापन के उपरान्त कार्य संतोषनजनक पाये जाने पर तथा धन की उपलब्धता के आधार पर ही ठेकेदार को भुगतान किया जायेगा।
9. निविदा के साथ रू0 100/- के स्टाम्प पेपर अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा।
10. निविदादाता को प्रतिकार्य के साथ रू0 100/- का स्टाम्प पेपर निष्पादित करना होगा।
11. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत आदेश/शर्त ठेकदारो को मान्य होगे।
12. ब्लेक लिस्टेड तथा अन्य कारणो से बहिस्कृत ठेकेदारों की निविदा मान्य नही होगी।
13. निविदा खुलने की तिथि पर अवकाश होने पर निविदा अगले कार्य दिवस पर खोली जायेगी।
14. प्रत्येक कार्य मे प्रयुक्त होन वाली सामग्री की राजकीय प्रमाणित प्रयोगशाला प्रमाण पत्र कार्यालय मे उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
15. कार्य आदेश धन की उपलब्धता होने पर दिया जायेगा।

खण्ड विकास अधिकारी
बण्डा, शाहजहांपुर।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

शाखा,
नई सब्जी मंडी आजादपुर,
नई दिल्ली-110033

अचल संपत्तियों की बिक्री की सूचना

परिशिष्ट IV-ए में [नियम 8(6) और 9(1) के परंतुक देखें]

प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित।

एतत्द्वारा आम जनता को, और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं), बंधककर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को यह सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, जिसका कब्जा सुरक्षित लेनदार – बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उसे नीचे उल्लिखित खाते/खातों में बकाया राशि की वसूली के लिए 'जैसा है जहाँ है'', ''जैसा है वैसा है'', और ''जो कुछ भी है'' के आधार पर बेचा जाएगा। उधारकर्ता/ओं बंधककर्ता/ओं /गारंटर/ओं /सुरक्षित संपत्ति/बकाया राशि/आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की तिथि और समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है-

क्र. सं.	उधारकर्ता(ओ)/गारंटर (ओ)/बंधककर्ता(ओ) का नाम और पता	अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण दें, जिसमें यदि कोई ज्ञात भार हों, तो उनका भी उल्लेख करें (जैसेः बैंक ऑफ बड़ौदा के पास गिरवी)।	कुल देय राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	1.आरक्षित मूल्य 2. बयाना राशि जमा (ईएमडी) 3. बोली वृद्धि राशि	कब्जे की स्थिति (रचनात्मक/भौतिक)	संपत्ति निरीक्षण की तिथि और समय
1	1. उधारकर्ता- मेसर्स श्रीजी एंटरप्राइजेज रजि. कार्यालय- 714, 7वीं मंजिल, अग्रवाल साइबर, प्लाजा-1, नेताजी सुभाष प्लेस, दिल्ली-110034। बंधककर्ता – श्रीमति मीनाक्षी गर्ग निवासी मकान नं. 38, दूसरी मंजिल, पॉकेट-14, सेक्टर-24, रोहिणी, दिल्ली-110085	फ्रीहोल्ड संपूर्ण का न्यायसंगत बंधक संपति की पूरी दूसरी मंजिल (छत के अधिकारों के बिना) जिसका भवन संख्या 38, पॉकेट-14, सेक्टर-24 है और जिसका क्षेत्रफल 60.00 वर्ग मीटर है। यह संपत्ति रोहिणी आवासीय योजना, रोहिणी, दिल्ली- 110085 के लेआउट प्लान में स्थित है। जो संपत्ति श्रीमती मीनाक्षी गर्ग, पत्नी श्री अमित गर्ग की है।	रूप्ये 89,99,987.73 (केवल नवासी लाख, निन्यानवे हजार नौ सौ सत्तासी रुपये और तिहत्तर पैसे) दिनांक 11.06.2025 तक. +इस पर आगे का ब्याज, लागत, शुल्क और व्यय।	21.05.2026 दोपहर 12:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक	**आरक्षित मूल्य** रु. 54,12,000/- रु. 34,36,749/- **ईएमडी** रु. 5,41,200/- **बोली वृद्धि राशि** रु. 10,000/-	भौतिक कब्जा	16.05.2026 दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक

बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया वेबसाइट लिंक **https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm** और **https://baanknet.com** देखें। इच्छुक बोलीदाता अधिकृत अधिकारी/शाखा प्रबंधक से मोबाइल नंबर 8130999110 पर संपर्क कर सकते हैं।

दिनांकः 06.04.2026, स्थानः दिल्ली , **अधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा**

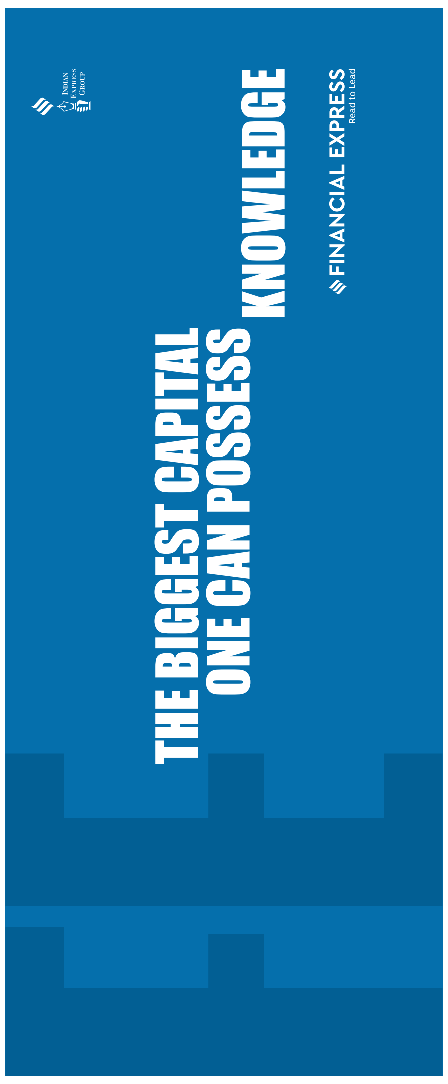

ASIAN FERTILIZERS LIMITED

CIN: L99999UP1986PLC007621
Regd. office: Flat No. 202, Preet Garden, 3A/172, Azad Nagar, Kanpur, 208002
Corporate office: P.W.D. officer's colony, Near Sahara Press, Park road, Gorakhpur-273001
E-mail. afl@asianfertilizers.com
Phone: (0551) 2203421, 2202436, **Website:** www.asianfertilizers.com

NOTICE

The amendment to Regulation 40 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 vide Gazette notification dated June 8, 2018 has mandated that transfer of securities would be carried out in dematerialized form only w.e.f. 01/04/2019.

Pursuant to the above amendment, Asian Fertilizers Limited (ISIN: INE01OY01018) is requesting to all its shareholders to get their shares converted into dematerialized form. It is requested to kindly approach Company at afl@asianfertilizers.com and your concerned Depository Participant with application letter along with original Share certificates, self-attested copy of Pan Card, self-attested Latest address proof, self-attested copy of Bank Passbook/ cancelled cheque leaf and bank verified signatures, as earliest possible.

SEBI vide circular no. SEBI/HO/MIRSD/DOP1/CIR/P/2018/73 dated April 20, 2018 has mandated the submission of copy of Permanent Account Number (PAN) by every participant in securities market. Therefore, members are requested to submit copy of their PAN and bank account details (original cancelled cheque leaf/ attested bank passbook showing name of account holder) to Company / RTA.

In the support of Green Initiative in Corporate Governance, members are requested to register their e-mail address(es) and changes therein from time to time, by directly sending the relevant e-mail address along with details of name, address, Folio No., shares held: i) To the registrar and share transfer agent, M/s Skyline Financial Services Pvt. Ltd or Company for shares held in physical form /Demat;

Upon registration of the email address (es), the Company proposes to send Notices, Annual Report and such other documents to those Members via electronic mode/e-mail.

For Asian Fertilizers Limited
Sd/- Ashok Kumar Matanhelia
Managing Director
DIN:01763776

Date:08-04-26

The Indian EXPRESS **Classifieds**
FROM ANYTHING TO EVERYTHING.

CLASSIFIED AD DEPOT (CAD)

Book classified ads at your nearest Express Group's authorised Classified Ad Depots

EAST

PATPARGANJ : CHAVI ADVERTISERS, Ph.: 9899701024, 22090987, 22235837, **PREET VIHAR :** AD BRIDGE COMMUNICATION, Ph.: 9810029747, 42421234, 22017210, **SHAKARPUR :** PARICHAY ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9350309890, 22519890, 22549890

WEST

JANAKPURI : TRIMURTI ADVERTISERS, Ph.: 9810234206, 25530307, **KAROL BAGH (REGHARPURA) :** K R ADVERTISERS, Ph.: 9810316618, 9310316618, 41547697, **KARAMPURA :** GMJ ADVERTISING & MARKETING PVT. LTD., Ph.: 9310333777, 9211333777, 9810883377, **NEW MOTI NAGAR :** MITTAL ADVERTISING, Ph.: 25178183, 9810538183, 9555945923, **MOTI NAGAR :** UMA ADVERTISERS, Ph.: 9312272149, 8800276797, **RAMESH NAGAR :** POSITIVE ADS, Ph.: 9891195327, 9310006777, 65418908, **TILAK NAGAR :** SHIVA ADVERTISERS, Ph.: 9891461543, 25980670, 20518836, **VIKAS PURI :** AAKAR ADVT. MEDIA Ph.: 9810401352, 9015907873, 9268796133

CENTRAL

CHANDNI CHOWK : RAMNIWAS ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9810145272, 23912577, 23928577, **CONNAUGHT PLACE :** HARI OM ADVERTISING COMPANY Ph.: 9811555181, 43751196

NORTH

TIS HAZARI COURT : SAI ADVERTISING, Ph.: 9811117748 **KINGWAY CAMP :** SHAGUN ADVERTISING, Ph.: 9818505505, 27458589, **PATEL CHEST (OPP. MORRIS NAGAR POLICE STATION) :** MAHAN ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9350304609, 7042590693, **PITAMPURA (PRASHANT VIHAR) :** PAAVAN ADVERTISER Ph.: 9311564460, 9311288839, 47057929

SOUTH

CHATTARPUR : A & M MEDIA ADVERTISING, Ph.: 9811602901, 65181100, 26301008, **KALKAJI :** ADWIN ADVERTISING, Ph.: 9811111825, 41605556, 26462690, **MALVIYA NAGAR :** POOJA ADVERTISING & MARKETING SERVICE, Ph.: 9891081700, 24331091, 46568866, **YUSUF SARAI :** TANEJA ADVERTISEMENT & MARKETING Ph.: 9810843218, 26561814, 26510090

NCR

FARIDABAD (NEELAM FLYOVER) : AID TIME (INDIA) ADVERTISING, Ph.: 9811195834, 0129-2412798, 2434654, **FARIDABAD (NIT, KALYAN SINGH CHOWK) :** PULSE ADVERTISING, Ph.: 9818078183, 9811502088, 0129-4166498, **FARIDABAD :** SURAJ ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9810680954, 9953526681, **GURGAON :** SAMBODHI MEDIA PVT. LTD., Ph.: 0124-4065447, 9711277174, 9910633399, **GURGAON :** AD MEDIA ADVERTISING & PR, Ph.: 9873804580, **NOIDA (SEC. 29) :** RDX ADVERTISING, Ph.: 9899268321, 0120-4315917, **NOIDA (SEC. 65) :** SRI SAI MEDIA, Ph.: 0120-4216117, **NOIDA (SEC. 58) :** JAI LAKSHMI ADVERTISERS, Ph.: 9873807457, 9911911719 **GHAZIABAD (HAPUR ROAD TIRAHA, NR GURUDWARA) :** TIRUPATI BALAJI ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9818373200, 8130640000, 0120-4561000

EDUCATION (IAS & PMT ACADEMIES)

FRIENDS PUBLICITY SERVICE 23287653, 23276901, 9212008155

For CAD enquiries please contact :
ROHIT JOSHI 9818505947, **ABHINAV GUPTA** 9910035901
For booking classified ads, please contact 011-23702148, 0120-6651215, E-mail : delhi.classifieds@expressindia.com

पूर्वोत्तर रेलवे

ई–टेन्डरिंग निविदा सूचना

वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर (समाडि), पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से निविदा सूचना सं. **M_249_2_1_CW_Pneumatic** के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य के लिए माध्यम से "सिंगल पैकेट सिस्टम" के आधार पर खुली ई–निविदायें आमंत्रित की जाती हैं:– **कार्य का नाम:** सप्लाई, इंस्टॉलेशन एवं कमीशनिंग ऑफ न्यूमैटिक पाइपलाइन एट वन वॉशिंग पिट ऑफ कोचिंग डिपो टीपीयू एण्ड केजीएम; **कार्य की अनुमानित लागत(₹ में):** ₹18,61,221.63; **बयाना राशि (₹ में):** ₹37,300/-; **निविदा प्रपत्र का मूल्य:** निल; **कार्य की अवधि:** स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से 120 दिन; **ई–निविदा बंद होने की तिथि एवं समय:** दिनांक 28.04.2026 को समय 15:00 बजे। • निविदाकार ई–निविदा को दिनांक 28.04.2026 को समय 15:00 बजे तक ऑनलाईन जमा कर सकेंगे। • पूर्ण विवरण एवं ई–निविदा को प्रस्तुत करने के लिए भारतीय रेलवे की वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर देखें।

मंयाई (समाडि)
मुजाधि/यांत्रिक–04 इज्जतनगर

ट्रेनों में बीड़ी/सिगरेट न पियें

THE BUSINESS DAILY FOR DAILY BUSINESS
FINANCIAL EXPRESS Read to Lead

सेव फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

कंपनी एवं पंजीकृत कार्यालय:– यूनिट नं.७८२, ७वीं मंजिल, वेगास मॉल, प्लॉट नं.६, सेक्टर–१४, द्वारका,नई दिल्ली –११००७५
संपर्क व्यक्ति – पिंटू कुमार – ८५१०८८९७५२

शुद्धिपत्र

जनसत्ता में ०७.०४.२०२६ को छपे ई–ऑक्शन सेल नोटिस के अनुसार, ऑक्शन की तारीख **११.०५.२०२६** थी। इस नोटिस में, उधार लेने वाले का नाम **वेद पाल पुत्र पीराम सिंह,** है। इस ई–ऑक्शन सेल नोटिस में हिंदी पब्लिकेशन में बताई गई ऑक्शन पोर्टल वेबसाइट और ईमेल खऊगलती से गलत प्रिंट हो गई है। सही ऑक्शन पोर्टल वेबसाइट **https://xpertauction.com** है और सही ईमेल ID **eauctions@xpertauction.com** है और ऑक्शन की तारीख भी **११.०५.२०२६** है। अंग्रेजी अखबार के पब्लिकेशन में भी यही बात सही लिखी गई थी। सेल नोटिस के बाकी सभी नियम और शर्तें वैसी ही रहेंगी।

किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें: +91 981 8997 856

स्थान: गाजियाबाद
दिनांक: ०८.०४.२०२६

प्राधिकृत अधिकारी
सेव फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

उत्तर रेलवे

(ई–नीलामी सूचना)

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक /यात्री सेवा, उत्तर रेलवे, दिल्ली मंडल, नई दिल्ली द्वारा पार्किंग लॉटस/साइट्स के आवंटन हेतु ई–नीलामी, IREPS पोर्टल (**https://ireps.gov.in/**) पर **ई–बोली** निम्नलिखित प्रकार से आमंत्रित की जाती है–

ई–कैटलॉग संख्या	ई–नीलामी की तिथि एवं समय	रेलवे स्टेशन / स्थान / पार्किंग लॉट
Parking-12-2026	23.04.2026 को 11:00 बजे	दिल्ली सराय रोहिल्ला (साईकिल–स्कूटर), दिल्ली किशनगंज, गढ़ी हरसरू, जाखल (प्रथम प्रवेश) = कुल 04 साइटें।

वेबसाइट विवरण जहां ई–नीलामी दस्तावेज का पूरा विवरण देखा जा सकता है	**https://ireps.gov.in/**

आईआरईपीएस के माध्यम से आयोजित ई–नीलामी में भाग लेने हेतु निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना अनिवार्य है:
1. इच्छुक बोलीदाताओं को आई आर ई पी एस (वाणिज्यिक नीलामी मोड्यूल) में ऑनलाइन पंजीकृत करना होगा। पहले से ही अन्य आई आर ई पी एस खाता रखने वाली संस्थाए भी खुद को वाणिज्यिक नीलामी मोड्यूल के लिए नामांकित करने में सक्षम होगी। **2.** एकमुश्त पंजीकरण शुल्क का भुगतान **3.** भारतीय स्टेट बैंक में चालु खाता **4.** आई आर ई पी एस खाते के साथ भारतीय स्टेट बैंक के खाते का एकीकरण **5.** फण्ड का लियन मार्किंग **6.** टर्नओवर का अद्यतनीकरण (Updation) **7.** जिन ठेकेदारों के पास आईआरपीएस के किसी भी मोड्यूल के लिए आई आर पी एस खाता नहीं है, वे आईआरईपीएस होम पेज पर नए विक्रेताओं/ठेकेदारों (ई–निविदा/ई–नीलामी लीजिंग) लिंक पर क्लिक करके पंजीकरण हेतु अपना अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं।

सम्बंधित जानकारी हेतु रेलवे प्राधिकारी	वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक / पीएस, डीआरएम कार्यालय, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली 110055; **Email: pkg.delhidivision@gmail.com Tel: 011-23743084**

संख्या–23AC/393/E-Auction/PKG/2026 दिनांक:- 07.04.2026 — 1156/2026

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

केन फिन होम्स लिमिटेड

CIN : L85110KA1987PLC008699
एनसीआर पीतमपुरा ब्रांच DP–11 पहली मंजिल, लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पीतमपुरा दिल्ली–110034, फोन 011–41761717, मोबाइल नंबर. 91–7625079150
ईमेल : **pitampura@canfinfomes.com**

कब्जे की सूचना
[नियम 8 (1)] [अचल संपत्ति के लिए]

नीचे हस्ताक्षर करने वाला, जो 'कैन फिन होम्स लिमिटेड' का अधिकृत अधिकारी है (वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत), और उक्त अधिनियम तथा 'प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002' के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 02.02.2026 को एक मांग नोटिस जारी किया। इस नोटिस के माध्यम से उधारकर्ताओं (आवेदक) श्रीमती रोजी, (सह–आवेदक) श्री प्रेम कुमार मेहरा, और (गारंटर) श्रीमती उषा सेठी से यह मांग की गई है कि वे नोटिस में उल्लिखित राशि, जो कि रू.24,29,881.32/– (चौबीस लाख उनतीस हजार आठ सौ इक्यासी रुपये और बत्तीस पैसे मात्र) है, को संविदात्मक दरों पर लगने वाले अतिरिक्त ब्याज सहित (राशि की वसूली की तिथि तक), उक्त नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुका दें।

चूँकि उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहा है, इसलिए इसके द्वारा उधारकर्ता और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने, उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (जिसे नियम 8 – सिक्योरिटी इंटरेस्ट एनफोर्समेंट नियम, 2002 के साथ पढ़ा जाए), दिनांक 06 अप्रैल 2026 को, नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

ऋण लेने वाले का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित हैं।

विशेष रूप से उधारकर्ता और आम तौर पर जनता को इसके द्वारा सचेत किया जाता है कि वे इस संपत्ति के संबंध में कोई लेन–देन न करेंय और इस संपत्ति के संबंध में किया गया कोई भी लेन–देन, कैन फिन होम्स लिमिटेड के रुपये 24,29,881.32/– (रुपये चौबीस लाख उनतीस हजार आठ सौ इक्यासी और बत्तीस पैसे मात्र) दिनांक 02.02.2026 तक तथा उस पर लगने वाले ब्याज के प्रभार के अधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

सम्पति का पता : ए 106, टी–2, तीसरी मंजिल, दिलशाद कॉलोनी, झिलमिल–ताहिरपुर, शाहदरा, दिल्ली–110095
संपत्ति की सीमाएँ मूल्यांकन/बिक्री विलेख के अनुसार हैं।
उत्तर में :– सड़क
पूर्व में :– सम्पति नंबर ए–105–ए
पश्चिम में :– प्रॉपर्टी नंबर ए–107
दक्षिण में :– शेष भाग

दिनांक : 06.04.2026
स्थान : पितमपुरा

हस्ता/–
प्राधिकृत अधिकारी
केन फिन होम्स लिमिटेड

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम — A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate

केनरा बैंक एआरएमबी – 1 करोल बाग, नई दिल्ली–110005
ई–नीलामी बिक्री सूचना

बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से ऋणी(यों) व गारंटरों को सूचित किया जाता है, कि प्रतिभूति ऋणदाताओं को बंधक/दृष्टि बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित चल/अचल सम्पत्ति, जिस पर केनरा बैंक, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया गया है, को ''जहां है जैसी है'', जो है कैसी है'' और जैसी भी है'' के आधार पर नीचे वर्णित दिनांकों को बंधक सम्पत्ति की ब्रिकी आयोजित की जाएगी। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) और 9 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का **प्रतिभूतिकरण** और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन धारा अधिनियम 2002 के अधिन बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया **E-bkray** (मैसर्स पीएसबी एलायंय **(Baanknet.com)**, (सम्पर्क नं. 8291220220, ईमेल : **support.BAANKNET@psballiance.com** या केनरा बैंक की वेबसाइट **www.canarabank.com** में दिए गए लिंक ''ई–नीलामी'' को देखें। आरक्षित मूल्य की 10% ईएमडी राशि मैसर्स पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड **(E-bkray)** पोर्टल के ई–वॉलेट में सीधे जमा की जानी है या चालान बनाकर उक्त चालान में उल्लिखित खाता विवरण में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से ईएमडी जमा करना है।

नाम और पता उधारकर्ता/ गारंटर	अचंल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण	कुल देयताएं (रू) : / आरक्षित मूल्य (रू) : / ईएमडी (रू) : / वेतन वृद्धि राशि (रू) :	नीलामी की तिथि एवं समय / ईएमडी दिनांक / विजिट की तारीख / सम्पर्क कर्ता का नाम व नं.
1. मेसर्स नेल्फ कॉस्मेटिक्स (इंडिया) लिमिटेड प्लॉट संख्या 6/8, कीर्ति नगर औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली – 110015 यहाँ भी:– मेसर्स नेल्फ कॉस्मेटिक्स (इंडिया) लिमिटेड एम–165, सेक्टर–3, बवाना औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली–110039 यहाँ भी संपर्क करें:– पंजीकृत पता मेसर्स नेल्फ कॉस्मेटिक्स (इंडिया) लिमिटेड मकान संख्या 151, दूसरी मंजिल, मंगोलपुर कलां, नई दिल्ली –110085 2. श्री राकेश बंसल पुत्र श्री नवल किशोर गुप्ता सी–174, महाराणा प्रताप एन्क्लेव, पीतमपुरा नई दिल्ली – 110034 3. श्री अंशुल शर्मा पुत्र विनय कुमार शर्मा मकान नंबर 1654 डी, काठ मंडी रेवाड़ी, हरियाणा – 123401	1. खाली प्लॉट जो पहले मकान संख्या 1654डी का एक हिस्सा भूतल पर दुकान और ऊपरी मंजिल पर मकान से बना है। यह मकान काठ मंडी, रेवाड़ी, तहसील एवं जिला रेवाड़ी की राजस्व संपदा में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 54 वर्ग गज है। यह श्री अंशुल शर्मा पुत्र श्री विनय कुमार शर्मा के नाम पर दिनांक 08.02.2018 को हस्तांतरण विलेख संख्या 5264 के तहत पंजीकृत है। (अब वह इमारत गिरा दी गई है) 2.खाली प्लॉट जो पहले मकान संख्या 1654डी का एक हिस्सा भूतल पर दुकान और ऊपरी मंजिल पर मकान से बना है, जो काठ मंडी, रेवाड़ी, तहसील और जिला रेवाड़ी की राजस्व संपदा में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 54 वर्ग गज है। यह श्री अंशुल शर्मा पुत्र श्री विनय कुमार शर्मा के नाम पर दिनांक 08.02.2018 को हस्तांतरण विलेख संख्या 5266 के तहत पंजीकृत है। (अब वह इमारत गिरा दी गई है) 3.खाली प्लॉट जो पहले मकान संख्या 1654डी का एक हिस्सा भूतल पर दुकान और ऊपरी मंजिल पर मकान से बना है, जो काठ मंडी, रेवाड़ी, तहसील और जिला रेवाड़ी की राजस्व संपदा में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 127.50 वर्ग गज है। यह श्री अंशुल शर्मा पुत्र श्री विनय कुमार शर्मा के नाम पर दिनांक 08.02.2018 को हस्तांतरण विलेख संख्या 5267 के तहत पंजीकृत है। (अब वह इमारत गिरा दी गई है) 4. खाली प्लॉट जो पहले मकान संख्या 1654ं का एक हिस्सा भूतल पर दुकान और ऊपरी तल पर मकान से बना है। यह मकान काठ मंडी, रेवाड़ी, तहसील और जिला रेवाड़ी की राजस्व संपदा में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 127.50 वर्ग गज है। यह श्री अंशुल शर्मा पुत्र श्री विनय कुमार शर्मा के नाम पर दिनांक 08.02.2018 को हस्तांतरण विलेख संख्या 5268 के तहत पंजीकृत है। (अब वह इमारत गिरा दी गई है) **(भौतिक कब्जे के तहत)**	रू. 5,60,34,006.54 30.11.2025 तक रू. 2,65,00,000 रू. 26,50,000/– रू. 50,000/–	24.04.2026 को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच (प्रत्येक 5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ) 23.04.2026 18.04.2026 श्री अंचू चाको मुख्य प्रबंधक मोबाइल नं. 9560062365 और मनीष कुमार लोहिया (9821096386)

* SA 327/2025 DRT-II, चंडीगढ़ के समक्ष लंबित है, और OS 229/2026 सिविल जज (S.D.) रेवाड़ी के समक्ष लंबित है।

दिनांक : 06.04.2026
स्थान : दिल्ली

केनरा बैंक
प्राधिकृत अधिकारी

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम — A Government of India Undertaking
सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

दिल्ली विवेक विहार शाखा, झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र, जीटी रोड, वी 2 मार्केट विवेक विहार, दिल्ली
फोन: 091– 7070755831, ईमेल– cb1300@canarabank.com

ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से ऋणी(यों) व गारंटरों को सूचित किया जाता है, कि प्रतिभूति ऋणदाताओं को बंधक/दृष्टिबंधक/प्रभारित नीचे वर्णित चल/अचल सम्पत्ति, जिस पर केनरा बैंक, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया गया है, को **"जहां है जैसी है", "जो है कैसी है" और जैसी भी है"** के आधार पर नीचे वर्णित दिनांकों को बंधक सम्पत्ति की बिक्री आयोजित की जाएगी। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) और 9 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन धारा अधिनियम 2002 के अधीन बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया **https://baanknet.com/** (मैसर्स पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड),, (सम्पर्क नं. **8291220220**, ईमेल: **Support.BAANKNET@psballiance.com** या केनरा बैंक की वेबसाइट **www.canarabank.com** में दिए गए लिंक **"ई–नीलामी"** को देखें। आरक्षित मूल्य की **10%** ईएमडी राशि मैसर्स पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड **https://baanknet.com/** पोर्टल के ई–वॉलेट में सीधे जमा की जानी है या चालान बनाकर उक्त चालान में उल्लिखित खाता विवरण में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से ईएमडी जमा करना है।

क्र. सं.	कर्जदार/गारंटर्स/बंधककर्ता का नाम एवं पता	चल/अचल संपत्ति का विवरण और कब्जे की स्थिति	कुल बकाया राशि	a. आरक्षित मूल्य (रु.) b. धरोहर राशि (रु.) c. बोली वृद्धि (रु.) d. बिक्री सूचना की तिथि	ई–नीलामी की तिथि एवं समय (प्रत्येक 5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ) / ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व अपोइंटमेंट लेकर सम्पत्ति का निरीक्षण किया जा सकता है और सम्पर्क व्यक्ति का नाम
1	1. मैसर्स इमीडिएट कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (उधारकर्ता) 305 शर्मा कॉम्प्लेक्स, ए2, गुरु नानक, पुरा लक्ष्मी नगर, दिल्ली, करावल नगर, उत्तर पूर्वी दिल्ली, दिल्ली – 110092 **इसके अलावा:** भूतल, डीडीए फ्लैट संख्या 63–ए, श्रेणी – एमआईजी फ्लैट, लेआउट प्लान पीएफ पॉकेट – ए और बी, ग्रुप–III, दिलशाद गार्डन, शाहदरा, दिल्ली 110095। **इसके अलावा:** प्लॉट/मकान संख्या ई–65, ब्लॉक ई, खसरा संख्या 105/1 के बाहर, विश्वास पार्क नामक आवासीय कॉलोनी में, गांव – पालम उत्तम नगर, नई दिल्ली – 110059 2. श्री नागेंद्र कुमार शाह (उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता) पुत्र छट्ठु शाह 63 ए, भूतल, पॉकेट बी, दिलशाद गार्डन, झिलमिल, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली –10095 3) गीता देवी (उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता) मकान संख्या 63 ए, पॉकेट बी, दिलशाद गार्डन, दिल्ली 110095	मकान संख्या ई–65, ब्लॉक ई, खसरा संख्या 105/1 मे से, विश्वास पार्क नामक आवासीय कॉलोनी में स्थित, गांव – पालम उत्तम नगर, नई दिल्ली – 110059, क्षेत्रफल 83.61 वर्ग मीटर। भौतिक कब्जा	रू. 2,59,19,898.19 (दो करोड़ उनसठ लाख उन्नीस हजार आठ सौ अट्ठानवे रुपये और उन्नीस पैसे मात्र) दिनांक 05.04.2026 तक, साथ ही लागू ब्याज, व्यय, अन्य शुल्क आदि।	a. 1,37,00,000 b. 13,70,000/- c. 50,000/- d. 06.04.2026	24.04.2026 दोपहर 12:00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे के बीच 23.04.2026 सांय: 05:00 से पहले	दिनांक: 20.04.2026 और 23.04.2026 को प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे के बीच श्री दीपक वरिष्ठ प्रबंधक मो. 9599515395 एवं/अथवा श्री परिक्षण पण्डित मुख्य प्रबंधक मो. 7070755831

दिनांक: 06.04.2026, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

Karnataka Bank Ltd.
Your Family Bank. Across India.

आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा, 8–बी, प्रथम तल, राजेन्द्र पार्क, पूसा रोड, नई दिल्ली–110060
फोन : 011–40591567 (एक्सटेंशन 231)
ई–मेल : **delhiarm@ktkbank.com**ए
वेबसाइट : **www.karnatakabank.com**
सीआईएन : **L85110KA1924PLC001128**

अचल सम्पत्ति की बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(1) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा कर्नाटक बैंक लिमिटेड, प्रत्याभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 05–06–2023 को लिया जा चुका है, कर्जदारों/गारंटरों/सह–आबंधकों (1) मैसर्स एवन एलिमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड जिसका प्रतिनिधित्व इसके निदेशकों द्वारा किया जाता है (प) श्रीमती नेहा जैन पत्नी अभिनव जैन, (पप) श्रीमती करुणा जैन पत्नी संदीप कुमार जैन, पंजीकृत पताः नं. 38/1, प्रथम तल, गोविंदपुरी, कालकाजी बस डिपो के सामने, दिल्ली 110007, (2) श्रीमती नेहा जैन पत्नी अभिनव जैन, (3) श्रीमती करुणा जैन पत्नी संदीप कुमार जैन, दोनों (2) और (3) निवासी : मकान नं.11, द्वितीय तल, वीर नगर जैन कॉलोनी, नई दिल्ली 110007 की तरफ बकाया राशि रू. 84,87,309.15 (रुपये चौरासी लाख सतासी हजार तीन सौ नौ और पैसे पंद्रह केवल) यानी पीएसओडी खाता नंबर 5537000600014201 के तहत बकाया राशि दिनांक 01–06–2024 से भावी ब्याज + लागत हेतु कर्नाटक बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली जी टी करनाल रोड ब्रान्च, नंबर 6, जैन कॉलोनी, वीर नगर, जी टी करनाल रोड दिल्ली–110007 प्रतिभूत लेनदार, को देय की वसूली के लिए दिनांक 08–05–2026 को "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएगी।

अचल सम्पत्ति का वर्णन :

1. सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : व्यावसायिक संपत्ति जो छह मंजिला भवन के दूसरे तल पर स्थित है, जिसमें बेसमेंट, भूतल और चार और तल (बी+जी+4) शामिल हैं, वाणिज्यिक परिसर जिसे सेंट्रल स्क्वायर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, जिसका सुपर एरिया 853.01 वर्ग फीट, कवर्ड एरिया 498 वर्ग फीट है, यूनिट नंबर पी–3/224, प्लाजा –3, ब्लॉक ए, सीएससी–20, मनोहर लाल खुराना मार्ग, बाड़ा हिंदू राव, दिल्ली–110006, जो श्रीमती करुणा जैन से संबंधित है।

सीमाएंः पूर्वः खुला पश्चिमः प्रवेश/गलियारा उत्तरः यूनिट नंबर 225 दक्षिणः यूनिट नंबर 223
सुरक्षित मूल्य/न्यूनतम मूल्य जिससे कम पर सम्पत्ति नहीं बेची जाएगी :
रू. 62,00,000.00 (रूपए बासठ लाख मात्र)
जमा की जाने/प्रदान की जाने हेतु धरोहर राशि : रू. 6,20,000.00 (रू. छह लाख बीस हजार मात्र)
(कर्जदार/बंधकदाता का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है)।
(यह सूचना कर्जदार/गारंटरों को प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 9 के उप–नियम (1) के तहत सूचना भी मानी जाएगी)
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया कर्नाटक बैंक की वेबसाइट नामतः **www.karnatakabank.com** में **"Mega E-Auction on 08-05-2026"** शीर्षक के अंतर्गत लिंक देखें।
ई–नीलामी दिनांक 08–05–2026 को पूर्वा. 11.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक पोर्टल **https://bankauctions.in/** के माध्यम से 05 मिनट के असीमित विस्तार के साथ संचालित की जाएगी। इच्छुक बोलीदाता से अपना नाम **https://bankauctions.in/** पर पंजीकृत करवाना तथा यूजर आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना तथा ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण (अनंतिम रूप से 07–05–2026 को) मैसर्स 4क्लोजर, 605 ए, छठा तल, मैत्रीवनम, अमीरपेट, हैदराबाद–500038, सम्पर्क नंबर +91–8142000066, 0915160064 ई–मेल : **info@bankauctions.in** से प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

तिथि : 07–04–2026
स्थान : दिल्ली

वास्ते कर्नाटक बैंक लिमिटेड
मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
.......भरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा दक्षिण दिल्ली
4वां तल, 7, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली–110066 ईमेल: cs4168@pnb.bank.in

अचल सम्पत्तियों की ई–नीलामी हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस,
आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का सांकेतिक/वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्रतिभूत लेनदार पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार

प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची

क्र. सं.	शाखा का नाम: / खाते का नाम: / उधारकर्ता/गारंटर/ खाते का नाम और पता:	बंधक रखी गई अचल संपति का विवरण/ मालिक का नाम (संपत्तियों का बंधककर्ता)	(E) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि (F) एनपीए की तिथि तक बकाया राशि (G) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि (H) कब्जा की स्थिति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	(A) आरक्षित मूल्य (B) ईएमडी (C) बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि एवं समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात एन्कम्ब्रेन्स का विवरण	प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं नं.
1.	शाखाः कोटला मुबारकपुर (153600) मैसर्स साई फूड बेकरी मकान नं. खाता नंबर **1536008700001456, 153600IL00000093, 016200JH00000458**, पताः दुकान नं. 6, एच 39–40 सुभाष मार्केट, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली, 110003, और: श्री विनोद कुमार, ए–26, अमृत नगर, साउथ एक्सटेंशन पार्ट I, नई दिल्ली–110003 और: श्री राहुल कुमार, ए–26, अमृत नगर, साउथ एक्सटेंशन पार्ट I, नई दिल्ली–110003, और: श्री तनुज कुमार, ए–26, अमृत नगर, साउथ एक्सटेंशन पार्ट I, नई दिल्ली–110003, श्रीमती पूनम पत्नी श्री विनोद कुमार (बंधककर्ता), 127, अली गंज कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली	साम्यिक बंधक सम्पत्ति प्राइवेट दुकान नं. 6, क्षेत्रफल 150 वर्ग फीट, (लगभग 15 वर्ग मीटर) और सुख सुविधा के साथ, संपत्ति सं. एच–39–40 (ओल्ड नं. एच–93/बी) पर सरमन कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। एमसीडी नं. 366, खसरा नं. 627/12 में से, सुभाष मार्केट कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली –110003 में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती पूनम पत्नी श्री विनोद कुमार के नाम पर है।	E) 26.10.2021 F)Rs.64.56 लाख प्लस भविष्य का ब्याज एवं अन्य प्रभार G) 02.06.2022 H) भौतिक	A) रु. 29.07 लाख B) रु. 2.90 लाख C) रु. 50,000/-	28.04.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	संपत्ति की बिक्री पर कोई एसए लंबित/रोक नहीं है	श्री राजेश कुमार 8451880664
2.	पीएनबी शाखा ओखला एनएसआईसी (060200), नई दिल्ली मेसर्स जेनुइन इंटरनेशनल सीसी खाता सं. 3078008700001741 और सीसी खाता 4370008700001143 मेसर्स जेनुइन इंटरनेशनल, के गणेश के माध्यम से, पते • ए–292, द्वितीय तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज I पुलिस स्टेशन के पास, दिल्ली–110020, • 416/2, गांव और पोस्ट ऑफिस घिटोरनी, एम जी रोड, दिल्ली–110030 • 165 गली नं. 2, कपासहेड़ा, नई दिल्ली–110037 • 365, आइस फैक्ट्री के पास, कपासहेड़ा, नई दिल्ली–110037 • खसरा नं. 156, चंदनहोला, नई दिल्ली–110074 • डी–88/3, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज I, दिल्ली–110020 • सी–91, डीडीए शेड, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज I, दिल्ली–110020 • प्लॉट नं. 42, सिडको औद्योगिक एस्टेट, सिपकोट, रानीपेट, वलजा तालुक, वेल्लोर जिला–632403 चेन्नई • श्री के गणेश पुत्र बी कानन प्लॉट नं. 104/एफएफ केएच नं. 788 गली नं. 6डी के ब्लॉक मलिकपुर कोही अलीसे रंगपुरी दक्षिण पश्चिम दिल्ली–110037 • श्री के गणेश पुत्र बी कानन दरवाजा नं. 429/1 फेज I भारती नगर वल्लार नगर सथुवाचारी, वेल्लोर –9, चेन्नई श्री एन अजीज रहमान (गारंटर) पते • दरवाजा नं. एच4, पुराना हाउसिंग बोर्ड, सिपकोट, रानीपेट, जिला वेल्लोर चेन्नई–632403 • मकान नं. 4, टीएनएचबी क्वार्टर, सिपकोट, रानीपेट–632403 • पुराने थिरुथानी रोड एक्सटेंशन का उत्तर पूर्वी छोर (अनंतलाई गांव के एस नं. 669/1ए, 699/2ए) मेलपुदुपेट, वलजा तालुक, वेल्लोर जिला –632513 • दरवाजा नं. 114, पुराना हाउसिंग बोर्ड, सिपकोट, रानीपेट, जिला वेल्लोर, चेन्नई–632403 • एस5/525, अमीन अपार्टमेंट आईओबी नगर, सिपकोट, रानीपेट औद्योगिक क्षेत्र वेल्लोर, तमिलनाडु–632403	साम्यिक बंधक डोर नं./प्लॉट नं. 42, सिडको औद्योगिक ईस्टेट, SIPCOT लेआउट, शामिल एस–एफ–नं. 62,63,68,69, एवं 70, कराई रेवेन्यू गाँव एवं एस. एफ नं. 225,226,352, और 353 नरसिंगपुरम रेवन्यू गाँव, वालाजा तालुक, जिला वेल्लोर, क्षेत्रफल 7000 वर्ग फुट यह सम्पत्ति श्री के गणेश के माध्यम से मेसर्स जेनुइन इंटरनेशनल के नाम पर है।	E) 08.04.2019 F) रु. 235.53 लाख + ब्याज एवं खर्चे G) 20.12.2019 H) सांकेतिक	A) रु. 94.00 लाख B) रु. 9.40 लाख C) रु. 1,00,000	28.04.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	संपत्ति की बिक्री पर कोई एसए लंबित/रोक नहीं है	श्री राजेश कुमार 8451880664
3.	पीएनबी शाखा हौज खास (056210), नई दिल्ली। उमा देवी गोयल खाता संख्याः 05627011000567 पताः संपत्ति संख्या 114, पॉकेट संख्या 01, ब्लॉक संख्या– जी, सेक्टर–16, रोहिणी, नई दिल्ली–110085 इसके अलावाः श्रीमती उमा देवी गोयल (ऋणकर्ता) जी–1/114, सेक्टर–16, रोहिणी, दिल्ली पिनकोड–110085 इसके अलावाः श्री प्रमोद कुमार गोयल (सह–ऋणकर्ता और गारंटर) जी–1/114, सेक्टर–16, रोहिणी, दिल्ली पिनकोड–110085 इसके अलावाः श्री अमन गोयल (सह–ऋणकर्ता) जी–1/114, सेक्टर–16, रोहिणी, दिल्ली पिनकोड–110085 इसके अलावाः सुश्री दिव्या गोयल (सह–ऋणदाता) जी–1/114, सेक्टर–16 रोहिणी, दिल्ली पिनकोड–110085	प्रमोद कुमार गोयल के नाम पर संपत्ति संख्या 114, क्षेत्रफल 25.9 वर्ग मीटर, पॉकेट संख्या 01, ब्लॉक संख्या– जी, सेक्टर– 16, रोहिणी, नई दिल्ली–110085 का साम्यिक बंधक।	E) 02.08.2024 F) रु. 49.56 लाख + ब्याज एवं खर्चे G) 10.02.2025 H) सांकेतिक	A) रु. 66.30 लाख B) रु. 6.63 लाख C) रु. 50,000	28.04.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	एसए लंबित है लेकिन संपत्ति की बिक्री पर कोई रोक नहीं है।	श्री राजेश कुमार 8451880664
4.	शाखा महिपालपुर (002910), नई दिल्ली। उमा देवी गोयल। खाता संख्याः 00296011000539 पताः मकान संख्या 18 और 19, तीसरी मंजिल, छत के अधिकार सहित, ब्लॉक ए– पॉकेट–2, सेक्टर–16, रोहिणी, दिल्ली–110085। इसके अलावाः श्रीमती उमा देवी गोयल (ऋणकर्ता) जी–1/114, सेक्टर–16, रोहिणी, दिल्ली, पिनकोड–110085 इसके अलावाः श्री प्रमोद कुमार गोयल (सह–ऋणकर्ता) जी–1/114, सेक्टर–16, रोहिणी, दिल्ली, पिनकोड–110085। इसके अलावाः श्री अमन गोयल (सह–ऋणकर्ता) जी–1/114, सेक्टर–16, रोहिणी, दिल्ली, पिनकोड–110085। इसके अलावाः सुश्री दिव्या गोयल (सह–ऋणदाता) जी–1/114, सेक्टर–16, रोहिणी, दिल्ली, पिनकोड–110085	मकान संख्या 18 और 19, तीसरी मंजिल, छत के अधिकार सहित, ब्लॉक ए–पॉकेट–2, सेक्टर–16, रोहिणी, दिल्ली–110085 में स्थित आवासीय मकान का साम्यिक बंधक, जिसका क्षेत्रफल 930 वर्ग फुट (आच्छादित क्षेत्र 86.40 वर्ग मीटर) है और जो श्री प्रमोद कुमार गोयल की पत्नी के नाम पर है।	E) 20.11.2024 F) रु. 51.77 लाख + ब्याज एवं खर्चे G) 10.02.2025 H) सांकेतिक	A) रु. 114.75 लाख B) रु. 11.47 लाख C) रु. 1,00,000	28.04.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	एसए लंबित है लेकिन संपत्ति की बिक्री पर कोई रोक नहीं है।	श्री राजेश कुमार 8451880664
5.	शाखाः हौज खास (056210) मैसर्स केवाईके ट्रेडर्स खाता नं. **056210IB00000038, 056210IB00000047, 05624011000467, 05627121000020** पताः– केवाईके ट्रेडर्स मकान, प्रोपराइटर अनिल गोयल, नं. 116, खसरा नं. 115, पहली मंजिल, शिव मंदिर, गांव अलीपुर, दिल्ली 36 और: शिव चरण पुत्र बिशंबर दयाल (गारंटर) प्लॉट नं. 9, खसरा नं. 349/2, प्रथम तल, गली नं. 01, पंजाबी कॉलोनी, मामूर पुर, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली 110040 और: शिव चरण पुत्र बिशंबर दयाल (गारंटर) सर्विस अपार्टमेंट नं. 903 और 903ए, 9वीं मंजिल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स होटल रेडिशन ब्लू, प्लॉट नं. 04, द्वारका सिटी सेंटर सेक्टर 13, द्वारका नई दिल्ली–110078 और: अनिल गोयल प्रोपराइटर केवाईके ट्रेडर्स, गोयल कम्युनिकेशंस शिवपावसी रोड, दिल्ली–110036, और: शिव चरण पुत्र बिशंबर दयाल (गारंटर) मेट्रो पिलर नं. 415 416 के पास, जे 206ए राजौरी गार्डन, टैगोर गार्डन पश्चिम दिल्ली नई दिल्ली 110035 और: शिव चरण पुत्र बिशंबर दयाल (गारंटर) 2015, 5एनएआई बस्ती बवाना रोड, नरेला दिल्ली–110040 और: शिव चरण पुत्र बिशंबर दयाल (गारंटर) 512, जी ब्लॉक, गली नंबर 10, आर पब्लिक स्कूल के पास, पंजाबी कॉलोनी, नरेला, दिल्ली –110040 और: शिव चरण पुत्र बिशंबर दयाल (गारंटर 52/3 रेलवे क्रॉसिंग के पास अलीपुर रोड, होलंबी खुर्द दिल्ली 110082 और: अनिल गोयल प्रोपराइटर केवाईके ट्रेडर्स, 834/23, कृष्ण पुरा, पानीपत हरियाणा 132103 और: शिव चरण पुत्र बिशम्बर दयाल (गारंटर) 241–242, जीटी करनाल रोड, बकोली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली –110036	वाणिज्यिक संपत्ति सर्विस अपार्टमेंट नं. 903 और 903 ए, 9वीं मंजिल, जिसका निर्मित क्षेत्रफल 68.56 वर्ग मी. है, बिना छत/टैरेस अधिकार के और वाणिज्यिक परिसर और होटल रेडिसन ब्लू, प्लॉट नं. 4, द्वारका सिटी सेंटर, सेक्टर –13, द्वारका नई दिल्ली–110078 में स्थित, यह सम्पत्ति श्री शिव चरण के नाम पर है।	E) 27.01.2022 F) Rs.472.27 लाख प्लस भविष्य का ब्याज एवं अन्य प्रभार G) 21.07.2022 H) भौतिक	A) रु. 140.00 लाख B) रु. 14.00 लाख C) रु. 1,00,000/-	28.04.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	संपत्ति की बिक्री पर कोई एसए लंबित/रोक नहीं है विषयगत संपत्ति पर होटल के बकाया के रूप में 1 करोड़ रुपये से अधिक का रखरखाव और अन्य शुल्क बकाया है।	श्री राजेश कुमार 8451880664

ई–नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्तें : बिक्री, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। 1. नीलामी बिक्री "ई–नीलामी" पोर्टल **https://baanknet.com** के माध्यम से ऑनलाइन होगी। (2) ई–नीलामी के लिए प्लेटफॉर्म (**https://baanknet.com**) ई–नीलामी सेवा प्रदाता मेसर्स पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट 1, तीसरी मंजिल, VIOS कमर्शियल टॉवर, वडाला ट्रक टर्मिनल के पास, वडाला ईस्ट मुंबई–400037 (हेल्पडेस्क नं. 91 8291220220, ईमेल आईडीः **support.ebkray@psballiance.com**) द्वारा प्रदान किया जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को ई–नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट **https://baanknet.com** पर ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक है। यह सेवा प्रदाता पोर्टल पर ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रदर्शन/प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। (3) बिक्री की सामान्य शर्तों और नियमों से युक्त बिक्री नोटिस निम्नलिखित वेबसाइटों/वेब पेज पोर्टल **(1) https://baanknet.com (2) www.pnbindia.in** पर उपलब्ध/प्रकाशित है। (4) सफल बोलीदाता द्वारा बैंक को बिक्री प्रतिफल का भुगतान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194–1ए के अंतर्गत टीडीएस के अधीन होगा तथा सफल बोलीदाता द्वारा बोली राशि का शेष 75% जमा करने/बोली राशि की पूर्ण जमा करने के समय ही टीडीएस का भुगतान किया जाना है। (5) संपत्तियों को "जहां है जैसी है" और "जो है जैसी है" तथा "जो भी है जैसी है" के आधार पर बेचा जा रहा है। (6) उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। (7) सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के तहत नोटिस, और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ क्र. सं. 01 से क्र. सं. 05 तक के सभी मामलों में जारी किया गया है, (8) बिक्री की विस्तृत शर्तों के लिए, कृपया **https://baanknet.com & www.pnbindia.in** देखें।

दिनांक : 07.04.2026, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

खबर कोना

बिली जीन किंग कप के पहले मैच में हारा भारत, दूसरे में सहजा पिछड़ीं

नई दिल्ली, 7 अप्रैल (भाषा)।

भारत की वैष्णवी अडकर ने कई सहज गलतियां की जिससे बिली जीन किंग्स कप एशिया ओशिनिया ग्रुप एक के मुकाबले में मंगलवार को उन्हें ओंचिसा चांता ने हराया और मेजबान टीम थाईलैंड से 0-1 से पिछड़ गई। अपनी प्रतिद्वंद्वी से 73 रैंक ऊपर वैष्णवी को एक घंटे 13 मिनट तक चले मुकाबले में 1-6, 3-6 से पराजय का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण मैच तीन घंटे विलंब से शुरू हुआ था। दूसरे एकल मुकाबले में सहजा यमलापल्ली का सामना पातचारिन चीपचांदेज से था और बारिश के कारण जब खेल रोका गया तब भारतीय खिलाड़ी 4-6, 6-1, 3-4 से पिछड़ रही थी। यह मुकाबला अब बुधवार सुबह 11 बजे से आगे खेला जाएगा जबकि दोपहर तीन बजे मेबजान टीम अपने दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड से भिड़ेगी।

सैन फ्रांसिस्को : बेसबाल मैच के तीसरी पारी के दौरान आउट होने के बाद डगआउट में वापस जाते फिलाडेल्फिया फिली के ट्रे टर्नर।

अभय पांच गेम तक चले रोमांचक मुकाबले में हारे

नई दिल्ली, 7 अप्रैल (भाषा)।

भारत के शीर्ष खिलाड़ी अभय सिंह मिस्र के एल गौना में चल रही पीएसए प्लैटिनम प्रतियोगिता एल गौना ओपन स्क्वाश के पुरुष वर्ग के दूसरे दौर में पांच गेम तक चले रोमांचक मुकाबले में स्थानीय खिलाड़ी यूसुफ इब्राहिम से हार गए। विश्व में 25वें नंबर के खिलाड़ी अभय ने सोमवार को खेले गए मैच में अच्छी शुरुआत की थी। उन्होंने विश्व में सातवें नंबर के खिलाड़ी इब्राहिम के खिलाफ पहला और तीसरा गेम जीता, लेकिन वह अपनी लय बरकरार नहीं रख पाए। मिस्र के छठे वरीयता प्राप्त खिलाड़ी इब्राहिम ने आखिर में यह कड़ा मुकाबला 7-11 11-9 9-11 11-5 11-8 से जीता।

डेविड वार्नर शराब पीकर गाड़ी चलाने पर गिरफ्तार

सिडनी, 7 अप्रैल (भाषा)।

आस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर को मंगलवार को शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। सेवन न्यूज ने बताया कि मारूबा में श्वास की औचक जांच के बाद उनके शरीर में शराब की मात्रा तय सीमा से अधिक पाई गई। वार्नर अगले महीने अदालत के समक्ष पेश होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट लीग में कराची किंग्स के साथ करार करने वाले वार्नर को स्थानीय थाने ले जाया गया जहां फिर उनके शरीर में शराब की मात्रा तय सीमा से दुगुनी पाई गई। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। कानूनी कार्रवाई का असर वार्नर के पीएसएल में खेलने पर नहीं पड़ेगा। उनकी टीम का अगला मैच नौ अप्रैल को है और वह सात दिन के ब्रेक में निजी दौरे पर यहां आए हैं।

इंग्लैंड : मैच से पहले अपने साथियों के साथ अभ्यास करते लिवरपुल के इब्राहिमा कोनेट (बीच में)।

तैयारी

भारोत्तोलक साईराज डोप परीक्षण में विफल, कोच पर लगाया आरोप

नई दिल्ली, 7 अप्रैल (भाषा)।

राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप (जूनियर) के स्वर्ण पदक विजेता भारोत्तोलक साईराज परदेशी को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजंसी (नाडा) ने डोप परीक्षण में विफल होने के कारण अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। उन्होंने कुछ महीने पहले एक कोच पर करियर को बर्बाद करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। साईराज का परीक्षण 'मेटानोलोन' के लिए पाजिटिव आया है। यह एक प्रतिबंधित एनाबालिक स्टेरायड है जो मांसपेशियों को बनाने में मदद करता है।

महाराष्ट्र के 18 साल के साईराज ने पिछले साल राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में पुरुषों के 88 किग्रा जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने इस नतीजे के पीछे साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने अक्तूबर में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ (आइडब्ल्यूएलएफ) और भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) को लिखकर दावा किया था कि राष्ट्रीय शिविर में मौजूद एक कोच उनसे निजी दुश्मनी रखता है। साईराज ने 24 अक्तूबर 2025 को भेजे एक ईमेल में लिखा, 'कोच ने मेरे दोस्तों और कुछ प्रतिद्वंद्वियों को उकसाया कि वे मेरे खाने या पानी की बोतल में ड्रग्स मिला दें।' भारोत्तोलक ने हालांकि कोच की पहचान जाहिर नहीं की है। उसने आगे दावा किया कि कोच ने पहले भी उसे धमकी दी थी कि वह उसका करिअर बर्बाद कर देगा।

निलंबन

साईराज ने दावा किया था कि राष्ट्रीय शिविर में मौजूद एक कोच उनसे निजी दुश्मनी रखता है।

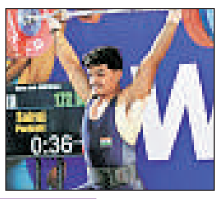

एशिया चैंपियनशिप : ध्रुव और तनीषा की जोड़ी मिश्रित युगल में जीते

निंगबो, 7 अप्रैल (भाषा)।

भारत के ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो की जोड़ी बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 के मिश्रित युगल वर्ग के दूसरे दौर में पहुंच गई जबकि बाकी जोड़ियां हारकर बाहर हो गई। कपिला और क्रास्टो ने थाईलैंड के फुनावत होरबांलूकीत और बेनयापा ऐमसार्द को 21-14, 11-21, 21-15 से हराया। इससे पहले रोहन कपूर और रूत्विका शिवानी गाडे की जोड़ी मलेशिया की आठवीं वरीयता प्राप्त गोह सून हुआत और लेइ शेवोन जैमी की जोड़ी से 34 मिनट तक चले मुकाबले में 13-21, 19-21 से हारकर बाहर हो गई।

एक अन्य मैच में असित सूर्या और अमृता प्रथमेश की जोड़ी मलेशिया के वोंग तियेन सि और लिम चियू सियेन से 31 मिनट में 16-21, 15-21 से हार गई।

बैडमिंटन

एकल वर्ग के मुकाबले बुधवार से शुरू होंगे। पुरुष एकल में आल इंग्लैंड चैंपियनशिप उपविजेता लक्ष्य सेन का सामना हांगकांग के ली चियुक यू से होगा। वहीं महिला एकल में दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पी वी सिंधू मलेशिया की वोंग लिंग चिंग से खेलेंगी।

मीनाक्षी, जैसमीन, विश्वनाथ और सचिन फाइनल में पहुंचे

उलानबटोर, 7 अप्रैल (भाषा)।

मौजूदा विश्व चैंपियन जैसमीन लंबोरिया और मीनाक्षी हुड्डा एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई जिससे स्वर्ण पदक के लिए खेलने वाले भारतीय मुक्केबाजों की संख्या बढ़कर आठ हो गई है। विश्वनाथ सुरेश (50 किलो) और सचिन सिवाच (60 किलो) ने भी फाइनल में जगह बनाई। वहीं आकाश (75 किलो), लोकेश (85 किलो), नरेंदर बेरवाल (90 प्लस किलो) और हर्ष चौधरी (90 किलो) को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। भारत के आठ मुक्केबाज फाइनल खेलेंगे ।

महिलाओं के 48 किलोवर्ग सेमीफाइनल में मीनाक्षी ने थाईलैंड की थिपसाशा योदवारी को 4-1 से हराया। जैसमीन ने 57 किलोवर्ग के सेमीफाइनल में उजबेकिस्तान की निजिना उक्तामोवा को 3-2 से हराया। पुरुष वर्ग में विश्वनाथ ने जोर्डन के हुताइफा एशिश को 5-0 से हराया। सचिन ने थाईलैंड के साकदा रूआमथाम को 4-1 से मात दी।

मुक्केबाजी

आकाश, लोकेश, नरेंदर बेरवाल और हर्ष चौधरी को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।

जायसवाल का तूफानी अर्धशतक, रायल्स ने मुंबई इंडियंस को हराया

बारिश के कारण मुकाबला 11-11 ओवर का कर दिया गया

गुवाहाटी, 7 अप्रैल (भाषा)।

सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के धमाकेदार अर्धशतक से राजस्थान रायल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) के वर्षा से प्रभावित 11 ओवर के मैच में मंगलवार को मुंबई इंडियंस को 27 रन से हराया। बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर राजस्थान रायल्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ तीन विकेट पर 150 रन बनाए। इसके बदले में मुंबई इंडियंस 11 ओवर में नौ विकेट पर 123 रन ही बना सकी। रायल्स की तरफ से नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा और रवि बिश्नोई ने दो-दो विकेट लिए। यह मुंबई इंडियंस की लगातार दूसरी हार है, जबकि राजस्थान रायल्स लगातार तीन मैच जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है।

जायसवाल ने 32 गेंद में चार छक्कों और 10 चौकों से नाबाद 77 रन की पारी खेलने के अलावा वैभव सूर्यवंशी (39 रन, 14 गेंद) के साथ पांच ओवर में 80 रन जोड़कर रायल्स को तूफानी शुरुआत दिलाई। मुंबई की ओर से स्पिनर अल्लाह गजनफर सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 21 रन देकर दो विकेट चटकाए। इससे पहले बारिश के कारण मुकाबला दो घंटे और 40 मिनट के विलंब से शुरू हुआ जिसके कारण इसे 11 ओवर का कर दिया गया। जायसवाल ने दीपक चाहर के पहले ही ओवर में चार चौकों और एक छक्के से 22 रन जोड़े जायसवाल ने तीसरे ओवर में ट्रेंट बोल्ट पर तीन छक्कों से 22 रन जुटाकर टीम के रनों का अर्धशतक पूरा किया। जासवाल ने पांड्या पर चौके के साथ 23 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने पारी के अंतिम ओवर में शारदुल पर तीन चौकों के साथ टीम का स्कोर 150 रन तक पहुंचाया।

लक्ष्य का पीछा करने उतरे मुंबई की शुरूआत खराब रही और टीम ने तीसरे ओवर में 22 रन तक ही तीन विकेट गंवा दिए। नमन और रदरफोर्ड ने पारी को संभाला लेकिन सिर्फ हार के अंतर को कम कर पाए। रदरफोर्ड ने देशपांडे पर दो छक्के मारे लेकिन फिर स्लिप में संदीप को कैच दे बैठे। नमन ने भी बर्गर की गेंद पर बिश्नोई को कैच थमा दिया।

आइपीएल 2026

जायसवाल ने दीपक चाहर के पहले ही ओवर में चार चौकों और एक छक्के से 22 रन जोड़े जबकि सूर्यवंशी ने अगले ओवर में जसप्रीत बुमराह पर दो छक्के मारे। जायसवाल ने तीसरे ओवर में ट्रेंट बोल्ट पर तीन छक्कों से 22 रन जुटाकर टीम के रनों का अर्धशतक पूरा किया।

गिल दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलने के लिए फिट

नई दिल्ली, 7 अप्रैल (भाषा)।

गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल मांसपेशियों में जकड़न से उबर गए हैं और बुधवार को आइपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे। पिछले मैच से बाहर रहे गिल के सलामी जोड़ीदार साई सुदर्शन ने इस बात की पुष्टि की कि वह खेलने के लिए पूरी तरह फिट हैं।

मैच से एक दिन पहले सुदर्शन ने कहा, 'वह बिल्कुल ठीक हैं और खेलेंगे।' टाइटंस की टीम अपने शीर्ष बल्लेबाजी क्रम पर अधिक निर्भर मानी जाती रही है। पिछले मैच में सुदर्शन से मिली अच्छी शुरुआत के बावजूद मध्य क्रम के खराब प्रदर्शन के कारण टीम को हार झेलनी पड़ी। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने कहा कि टीम को वाशिंगटन सुंदर और ग्लेन फिलिप्स की मौजूदगी वाले अपने मध्य क्रम पर पूरा भरोसा है।

पलक व मुकेश ने विश्व रिकार्ड के साथ स्वर्ण जीता

कियानसुन याओ और काई हू की चीन की जोड़ी ने रजत पदक अपने नाम किया

ग्रेनाडा, 7 अप्रैल (भाषा)।

भारतीय निशानेबाज पलक और मुकेश नेलावल्ली ने मंगलवार को राइफल और पिस्टल के आइएसएसएफ विश्व कप में 10 मीटर एअर पिस्टल मिश्रित टीम वर्ग में विश्व रिकार्ड के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पलक और मुकेश की भारतीय जोड़ी ने कुल 487.7 अंक बनाकर शीर्ष स्थान हासिल किया जो कि जूनियर विश्व रिकार्ड भी है। इस जोड़ी ने क्वालीफिकेशन दौर में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 581 अंक के साथ पदक दौर में जगह बनाई। कियानसुन याओ और काई हू की चीन की जोड़ी ने 484.8 अंक के साथ रजत पदक जीता जबकि वेरोनिका मेजर और अकोस कैरोली नागी की हंगरी की जोड़ी ने फाइनल में कुल 414.9 अंक के साथ कांस्य पदक हासिल किया।

पलक ने फाइनल में 243.0 जबकि मुकेश ने 244.7 अंक बनाए। क्वालीफिकेशन दौर में पलक और मुकेश ने दूसरा स्थान हासिल किया। उनसे आगे चीन की जोड़ी थी जिसने 586 अंक जुटाए।

पलक (18 साल) पहली बार 2023 एशियाई खेलों में 10 मीटर एअर पिस्टल के व्यक्तिगत मुकाबले में स्वर्ण और टीम वर्ग में रजत पदक जीतकर सुर्खियों में आईं थी। उन्होंने 242.1 अंक का एशियाई खेलों का रिकार्ड बनाकर 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भी कोटा पक्का कर लिया था। मुकेश भी भारतीय पिस्टल निशानेबाजी के एक उभरते हुए सितारे हैं और जूनियर विश्व चैंपियन हैं।

निशानेबाजी

पलक ने फाइनल में 243.0 जबकि मुकेश ने 244.7 अंक बनाए। क्वालीफिकेशन दौर में पलक और मुकेश ने दूसरा स्थान हासिल किया। पलक और मुकेश की भारतीय जोड़ी ने कुल 487.7 अंक बनाकर शीर्ष स्थान हासिल किया जो कि जूनियर विश्व रिकार्ड भी है।

ललित को रजत और सुनील को कांस्य पदक, नितेश फाइनल में

बिश्केक, 7 अप्रैल (भाषा)।

ललित ने 2026 सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक जीता जब उन्होंने 55 किग्रा ग्रीको रोमन वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया जबकि नितेश मंगलवार को 97 किग्रा वर्ग के फाइनल में पहुंच गए। पूर्व चैंपियन सुनील कुमार ने अपने पदकों की सूची में एक और कांस्य पदक जोड़ा जिससे भारतीय टीम के लिए यह दिन काफी सफल रहा। अंडर-23 एशियाई चैंपियनशिप के पूर्व कांस्य पदक विजेता ललित को फाइनल में उज्बेकिस्तान के इख्तियार बोतिरोव के खिलाफ 0-9 से शिकस्त झेलनी पड़ी।

सुनील ने 87 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक के मुकाबले में पहले राउंड में चार अंक गंवाने के बाद शानदार वापसी की और उज्बेकिस्तान के मुखम्मदकोदिर रासुलोव को 5-4 से हराकर एशियाई चैंपियनशिप में अपना लगातार दूसरा कांस्य पदक जीता। इससे पहले नितेश ने 97 किग्रा ग्रीको रोमन वर्ग के फाइनल में जगह बनाकर यह सुनिश्चित कर लिया कि वे 2025 चैंपियनशिप के अपने प्रदर्शन में सुधार करेंगे।

कुश्ती

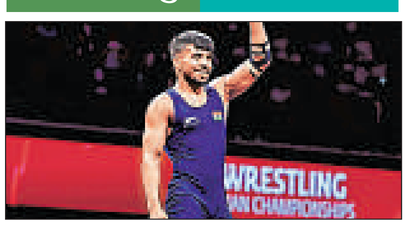

त्रिकूद खिलाड़ी अब्दुल्ला ने बर्मिंघम में रजत पदक जीता था | साक्षात्कार | अगली प्रतियोगिता मई में होने वाला फेडरेशन कप है

अबुबाकर की निगाहें राष्ट्रमंडल खेलों में दूसरी बार पदक जीतने पर

नई दिल्ली, 7 अप्रैल (भाषा)।

भारत के शीर्ष त्रिकूद खिलाड़ी अब्दुल्ला अबुबाकर के लिए पिछला सत्र उतार-चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वह अपनी गलतियों को सुधारेंगे और इस साल के आखिर में ग्लास्गो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार दूसरा पदक जीतेंगे। केरल के 30 साल के इस खिलाड़ी ने बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में 17.02 मीटर के प्रयास से रजत पदक जीता था।

अबुबाकर ने 2026 सत्र की शुरुआत 16.82 मीटर और 16.83 मीटर के दो प्रयास साथ की है जिससे उन्हें ग्लास्गो (23 जुलाई से दो अगस्त) में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का आत्मविश्वास मिला है। अबुबाकर ने मंगलवार को दिए साक्षात्कार में कहा, 'मैं दूरी पर ध्यान नहीं दे रहा हूं। मैं बस अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं ऐसा कर पाता हूं तो मेरी दूरी और प्रदर्शन अपने आप बेहतर हो जाएगा और मैं कम से कम पोडियम पर तो जगह बना ही लूंगा। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में मेरा यही लक्ष्य है। मैंने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में 17.02 मीटर का प्रयास किया था। उससे पहले मेरे प्रदर्शन के बारे में कोई नहीं जानता था। वहां तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत कड़ी मेहनत की थी। मैंने अपनी गलतियों को सुधारा। मैंने वह सब कुछ किया जो जरूरी था।'

केरल के अबुबाकर ने कहा, मैं अपना लक्ष्य जरूर हासिल करूंगा। अगर मैं वहां (ग्लास्गो में) 17 मीटर का प्रयास कर पाता हूं तो पदक जीत सकता हूं। उम्मीद है कि मुझे कोई चोट नहीं लगेगी। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। मैं राष्ट्रीय रिकार्ड से भी बेहतर या कोई बहुत बड़ा प्रयास कर सकता हूं।

अबुबाकर ने कहा, 'मैं अपना लक्ष्य जरूर हासिल करूंगा। अगर मैं वहां (ग्लास्गो में) 17 मीटर का प्रयास कर पाता हूं तो पदक जीत सकता हूं। उम्मीद है कि मुझे कोई चोट नहीं लगेगी। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। मैं राष्ट्रीय रिकार्ड से भी बेहतर या कोई बहुत बड़ा प्रयास कर सकता हूं।' अबुबाकर की अगली प्रतियोगिता मई में रांची में होने वाला फेडरेशन कप है जो राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आखिरी चयन प्रतियोगिता होगी। उन्होंने कहा, 'अगर मैं फेड कप में अच्छा प्रदर्शन करता हूं तो राष्ट्रमंडल खेलों और उसके बाद एशियाई खेलों में भी मेरा प्रदर्शन अच्छा रहेगा। मुझे दो बार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा- एक बार राष्ट्रमंडल खेलों में और दूसरी बार एशियाई खेलों में। मैं पूरी तरह से फिट हूं और मेरा ध्यान दोनों पर है। मैं दोनों प्रतियोगिताओं में अपना पूरा जोर लगा दूंगा।'

गिरी के खिलाफ हारे प्रज्ञानानंद, शीर्ष स्थान की दौड़ से लगभग बाहर

पाफोस, 7 अप्रैल (भाषा)।

भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंद मंगलवार को आठवें दौर में नीदरलैंड के अनीष गिरी के खिलाफ शिकस्त के साथ कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में शीर्ष पर रहने की दौड़ से लगभग बाहर हो गए। उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव ने रूस के आंद्रे एसिपेंको के खिलाफ ड्रा खेलकर शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत की। पहले दौर में गिरी के खिलाफ अपनी एकमात्र जीत दर्ज करने वाले प्रज्ञानानंद को प्रतियोगिता में अपनी दूसरी हार झेलनी पड़ी।

सिंदारोव के संभावित आठ में से 6.5 अंक हैं। गिरी और अमेरिका के फाबियानो करुआना 4.5 अंक के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। प्रज्ञानानंद, वेई यी, मथियास ब्लुबाम और अमेरिका के हिकारू नाकामूरा 3.5 अंक के साथ संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर हैं।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 43, अंक 141

दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए रमेश चंदर मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com,

बोर्ड अध्यक्ष : विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज*, *पीआरपी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।